

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 532 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0-417-2022 / 2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्री रामदास,  
वीर गब्बर बस्ती, तरला नागल,  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टारक फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 291 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 16 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- रास्ता
2. पश्चिम- करन सिंह
3. उत्तर - दिव्या
4. दक्षिण- मन बहादुर

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।



अधीक्षण अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।



अधीक्षण अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
देहरादून।

o/c




भारत सरकार  
Government of India

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण  
Unique Identification Authority of India

नामांकन क्रम/ Enrolment No.: 0105/00023/69713

To  
रामदास  
Ramdas  
C/O Asha Ram,  
VIR GABBAR SINGH BASTI,  
TARLA NANGAL,  
BHAG-3,  
VTC: Gujrara Mansingh,  
PO: Sahastradhara Road,  
Sub District: Dehradun,  
District: Dehradun,  
State: Uttarakhand,  
PIN Code: 248013,  
Mobile: 9760717018



Valid: unknown



आपका [redacted] [redacted] ur [redacted] ar [redacted] :

VID [redacted]



भारत सरकार  
Government of India



रामदास  
Ramdas  
जन्म तिथि/DOB: 06/07/1982  
पुरुष/ MALE

आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता या जन्मतिथि का नहीं।  
इसका उपयोग सत्यापन (ऑनलाइन प्रमाणीकरण, या क्यूआर कोड/  
ऑफलाइन एक्सएमएल की स्कैनिंग) के साथ किया जाना चाहिए।  
Aadhaar is proof of Identity, not of citizenship  
or date of birth. It should be used with verification (online  
authentication, or scanning of QR code / offline XML)

मेरा आधार, मेरी पहचान



Government of India



सूचना / INFORMATION

- आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता या जन्मतिथि का नहीं। जन्मतिथि आधार नंबर धारक द्वारा प्रस्तुत सूचना और विनियमों में विनिर्दिष्ट जन्मतिथि के प्रमाण के दस्तावेज पर आधारित है।
- इस आधार पत्र को यूआईडीएआई द्वारा नियुक्त प्रमाणीकरण एजेंसी के जरिए ऑनलाइन प्रमाणीकरण के द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए या ऐप स्टोर में उपलब्ध एमआधार या आधार क्यूआर कोड स्कैनर ऐप में क्यूआर कोड को स्कैन करके या [www.uidai.gov.in](http://www.uidai.gov.in) पर उपलब्ध सुरक्षित क्यूआर कोड रीडर का उपयोग करके सत्यापित किया जाना चाहिए।
- आधार विशिष्ट और सुरक्षित है।
- पहचान और पते के समर्थन में दस्तावेजों को आधार के लिए नामांकन की तारीख से प्रत्येक 10 वर्ष में कम से कम एक बार आधार में अपडेट कराना चाहिए।
- आधार विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी फायदों/सेवाओं का लाभ लेने में सहायता करता है।
- आधार में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट रखें।
- आधार सेवाओं का लाभ लेने के लिए एमआधार ऐप डाउनलोड करें।
- आधार/बायोमेट्रिक्स का उपयोग न करने के समय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आधार/बायोमेट्रिक्स लॉक/अनलॉक सुविधा का उपयोग करें।
- आधार की मांग करने वाले सहमति लेने के लिए बाध्य हैं।
- Aadhaar is proof of identity, not of citizenship or date of birth (DOB). DOB is based on information supported by proof of DOB document specified in regulations, submitted by Aadhaar number holder.
- This Aadhaar letter should be verified through either online authentication by UIDAI-appointed authentication agency or QR code scanning using mAadhaar or Aadhaar QR Scanner app available in app stores or using secure QR code reader app available on [www.uidai.gov.in](http://www.uidai.gov.in).
- Aadhaar is unique and secure.
- Documents to support identity and address should be updated in Aadhaar after every 10 years from date of enrolment for Aadhaar.
- Aadhaar helps you avail of various Government and Non-Government benefits/services.
- Keep your mobile number and email id updated in Aadhaar.
- Download mAadhaar app to avail of Aadhaar services.
- Use the feature of Lock/Unlock Aadhaar/biometrics to ensure security when not using Aadhaar/biometrics.
- Entities seeking Aadhaar are obligated to seek consent.




भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण  
Unique Identification Authority of India



पता:  
C/O आशा राम, वीर गम्बर सिंह बस्ती, तरला नंगल, भाग-  
3, गुजरादामानसिंह, सहास्रधारा मार्ग, देहरादून,  
उत्तराखण्ड - 248013

Address:  
C/O Asha Ram, VIR GABBAR SINGH BASTI,  
TARLA NANGAL, BHAG-3, Gujrara  
Mansingh, P.O. Sahastradhara Road, DIST:  
Dehradun,  
Uttarakhand - 248013



[redacted] 47

help@uidai.gov.in

www.uidai.gov.in

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 533/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्री चन्द्रपाल,  
वीर गब्बर बस्ती, तरला नागल,  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागची बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 291 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 163 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- रास्ता
2. पश्चिम- गोविन्द
3. उत्तर - मन बहादुर
4. दक्षिण- छोटेलाल

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,

देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागची बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभियन्ता,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,

देहरादून।



इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड  
Indian Oil Corporation Ltd.

(Marketing Division)  
Uttar Pradesh SV II

स्टेशन नं. Stn. No.  
प्रकार का Form No.  
कागजात प्रकार SV  
Doc. Type  
संख्या Number  
दिनांक Date

Blank lines for station number, form number, document type, and date.

कार्यालय Office

Moida

1000  
21/12/2014 08:00:00 000000

अन्यत्र करनेवाला बिलक Transferee Distributor

नाम Name  
पता Address

INDIAN GAS SERVICE  
S-16, AVAS VIKAS, DOON VIHAR  
JAKHAN, DEHRADUN  
DEHRADUN

नाम Name  
पता Address

Blank lines for transferee distributor name and address.

कोड Code

156449

कोड Code

156449

ग्राहक Customer

वाहक प्रकार Eqp't Type

श्रेणी Category	सं. No.	दर दर Rate (Rs)	धनराशि Amount (Rs.)
14.2 DEM			1450.00
PR		50.00	150.00
			1600.00

नाम Name  
पता Address

CHANDRA PAL S/O- MANSUKH LAL  
BEEF  
GABBAR SINGH BASTI  
CANAL ROAD  
DEHRADUN

वाहक Cylinder  
रेगुलेटर Regulator

कुल Total  
Net Payable: One Thousand SIX HUNDRED only

पिन कोड Pin Code  
श्रेणी Category  
उपभोक्ता नं. Consumer No.

298001  
Domestic  
7800000016443570(CX111802001)

Amount  
In Words

पिछला कागजात Previous Document

रेगुलेटर Regulator

REGN  
155247

प्रकार Type  
संख्या Number  
तारीख Date  
तेल कंपनी Oil Company

REGN  
780000023655042  
21/12/2014 08:00:00 000000  
Indian Oil Corporation Ltd

उप-श्रेणी Sub-Category  
टिप्पणी Remarks

Blank lines for sub-category and remarks.

वाहक प्रकार Cylinder  
वाहक Regulator

Table for cylinder and regulator status: वाहक वापस किया Returned

CUSTOMER'S SIGNATURE  
[Handwritten Signature]

INDIAN GAS SERVICE  
S-16, Avas Vikas Shopping Complex  
Doon Vihar, Jakhan, DEHRADUN  
SAP NO. 155247

मैंने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि. बिलक को वापस कर दिया और मुझे  
ON BEHALF OF INDIAN OIL CORPORATION LTD  
DISTRIBUTOR'S SIGNATURE WITH STAMP

1600



# 701/1121/138492 उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि.

भुगतान पावती मूल प्रति B

6290148

कार्यालय ANARWALA

3448 [REDACTED] 1080008

दिनांक: 02-Mar-2016

सर्विस कनेक्शन संख्या :

484160216074

Load : 1.0 KW

एकाउन्ट संख्या :

उपभोक्ता का नाम :

Mr.CHANDRA PAL, VIR GABBAR SINGH BASTI, TARLA N

Mode : Cash

कुल देय राशि :

SECURITY DEPOSIT

₹ 1200.00

SERVICE LINE CHARGES

₹ 600.00

Payment Towards : NEW CONNECTION

प्राप्त राशि

चैक/ड्राफ्ट विवरण

₹ 1800.00

संख्या :

दिनांक :

(Rupees One Eight Zero Zero Only)

काउन्टर संख्या

11 रुब्रूचसंगनापेठे हित में विजली बचाये

संग्रहकर्ता के हस्ताक्षर

कस्टमर केयर टोल फ्री नं. 1800-419-0405

एवं मोहर

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 536 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0-417-2022 / 2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्रीमती सुमन पत्नी श्री देव प्रताप शाह,  
वीर गम्बर बस्ती, तरला नागल,  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 291 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 44 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- रास्ता
2. पश्चिम- खाली प्लॉट
3. उत्तर - गली
4. दक्षिण- नूर अली

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपडी/घेरबाड आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

  
अधीक्षण अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
o/c देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

  
अधीक्षण अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
o/c देहरादून।

भारत निर्वाचन आयोग  
ELECTION COMMISSION OF INDIA  
भारत निर्वाचन आयोग - भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता पहचान पत्र



नाम : देवप्रताप शाह  
Name : DEVPRATAP SHAHU  
पिता का नाम : अक्षय कुमार शाह  
Father's Name : ACHHAMBAR NATH SHAHU

पति / Sex : पुरुष / Male  
जन्म तिथि / Date Of Birth : 22/01/1990 / 25  
Date Of Birth Age

पता : H.No.5, गैर गडोबर सिंह बासु, पी.ओ. रंजपुर, जिला, हरियाणा-248009  
Address : H.No.5, Gadober Singh Basu, P.O. Ranpur, Teh. Dehradun, Dist. Dehradun-248009

दिनांक : 12-01-2015  
Date 12-01-2015

भारत निर्वाचन आयोग  
Electoral Registration Officer

ध्यान दें :  
1. इस मतदाता पहचान पत्र में कोई भी बदलाव नहीं हो सकता है।  
2. मतदाता पहचान पत्र में परिवर्तन करने के लिए मतदाता को मतदाता अधिकारी से संपर्क करना होगा।  
3. मतदाता पहचान पत्र में परिवर्तन करने के लिए मतदाता को मतदाता अधिकारी से संपर्क करना होगा।  
4. मतदाता पहचान पत्र में परिवर्तन करने के लिए मतदाता को मतदाता अधिकारी से संपर्क करना होगा।

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 538 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0-417-2022 / 2024-25

दिनांक:- 22/05/24

सेवा में,

श्री कुबेर पुत्र श्री भोला,  
वीर गब्बर बस्ती, तरला नागल,  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 291 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 100 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- गली
2. पश्चिम- कालू
3. उत्तर - गली
4. दक्षिण- गली

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

  
 अधीक्षण अभियन्ता,  
 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
 देहरादून।  
 o/c

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

  
 अधीक्षण अभियन्ता,  
 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
 देहरादून।  
 o/c

296  
No.: 296

उत्तराखण्ड सरकार

GOVERNMENT OF UTTARAKHAND

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण  
जिला महिला चिकित्सालय, देहरादून  
( प्रमाण पत्र जारी करने वाले स्थानीय निकाय का नाम )

DEPARTMENT OF MEDICAL HEALTH & FAMILY WELFARE  
DISTRICT WOMEN HOSPITAL, DEHRADUN

जन्म प्रमाण-पत्र  
BIRTH CERTIFICATE

(जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 12/17 तथा उत्तराखण्ड जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम,

(Issued under Section 12/17 of the Registration of Births and Deaths Act, 1969 and Rule 8/13 of the Uttarakhand Registration of Births and Deaths Rules 2003)

यह प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित सूचना जन्म के मूल लेख से ली गई है जो कि (स्थानीय क्षेत्र) जिला महिला चिकित्सालय, देहरादून तहसील देहरादून जिला देहरादून राज्य उत्तराखण्ड के रजिस्टर में उल्लिखित है।

This is to certify that the following information has been taken from the original record of birth which is the register

for (local registration body) DISTRICT WOMEN HOSPITAL, DEHRADUN of District DEHRADUN

of District DEHRADUN of State/ Union territory UTTARAKHAND

नाम / Name SACHIN AHIWAR लिंग / Sex MALE  
जन्म तिथि / Date Of Birth SEP 11, 2012 AT 04:05 PM जन्म स्थान / Place Of Birth DISTRICT WOMEN HOSPITAL, DEHRADUN  
माता का नाम / Name Of Mother KAMLA AHIWAR  
पिता का नाम / Name Of Father KUBER AHIWAR

बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता /  
Address of parents at the time of birth of the child  
KISHANPUR CENNAL ROAD, DEHRADUN -  
UTTARAKHAND, INDIA

माता पिता का स्थाई पता /  
Permanent address of parents  
KISHANPUR CENNAL ROAD, DEHRADUN -  
UTTARAKHAND, INDIA

पंजीकरण संख्या / Registration No. 5666

पंजीकरण दिनांक / Date Of Registration SEP 11, 2012

टिप्पणी / Remarks (if any) .....



जारी करने की तिथि / Date Of Issue SEP 12, 2012

प्राधिकारी के हस्ताक्षर / Signature of issuing authority

प्राधिकारी का पता / Address of issuing authority

Chief Medical Superintendent  
District Women Hospital

"Ensure registration of every birth and death/ प्रत्येक जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण सुनिश्चित करें।"



44  
 Constituency: **Chandrad**  
 District: **Kishanpur**  
 State: **Bihar**  
 PIN: **845001**

Signature of  
 Electoral Registration Officer  
 On 15-11-2006

दिनांक  
 Date : **03-11-2006**

For further details refer to the Identity Card  
 and the Government Instructions.

भारत निर्वाचन आयोग  
 ELECTION COMMISSION OF INDIA

चुने पर  
 IDENTITY CARD



चुने का नाम  
 Elector's Name : **Harber**

पिता का नाम  
 Father's Name : **Bhola**

पुरुष / स्त्री  
 1.1.2006 से उम्र : **76**  
 Age as on 1.1.2006 : **76**

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 540 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0-417-2022 / 2024-25

दिनांक:- 22/05/24

सेवा में,


श्री मनोहर मौर्य पुत्र श्री शिताली मौर्य,  
वीर गब्बर बस्ती, तरला नागल,  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 291 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 45 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- रास्ता
2. पश्चिम- गली
3. उत्तर - नूर अली
4. दक्षिण- राम तीरथ गली

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

  
 अधीक्षण अभियन्ता,  
 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
 o/c देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

  
 अधीक्षण अभियन्ता,  
 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
 o/c देहरादून।




भारत सरकार  
Government of India

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण  
Unique Identification Authority of India


नामांकन क्रम/ Enrolment No.: 0105/00022/11481

To  
मनोहर मौर्या  
Manohar Maurya  
C/O Shitale Maurya,  
Bir Gabbar Singh Basti,  
Tara Nagal,  
VTC: Dehradun,  
PO: Dehradun,  
Sub District: Dehradun,  
District: Dehradun,  
State: Uttarakhand,  
PIN Code: 248001,  
Mobile: 8791158310



Signature Not Verified  
Digitally signed by C/O Shitale Maurya, Bir Gabbar Singh Basti, Tara Nagal, VTC: Dehradun, PO: Dehradun, Sub District: Dehradun, District: Dehradun, State: Uttarakhand, PIN Code: 248001, Mobile: 8791158310

आपका आधार नंबर [Redacted] है।  
[Redacted]



भारत सरकार  
Government of India



मनोहर मौर्या  
Manohar Maurya  
जन्म तिथि/DOB: 01/01/1975  
पुरुष/ MALE

आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता या जन्मतिथि का नहीं।  
इसका उपयोग सत्यापन (ऑनलाइन प्रमाणीकरण, या क्यूआर कोड/  
ऑफलाइन एमआधार की स्कैनिंग) के साथ किया जाना चाहिए।  
Aadhaar is proof of identity, not of citizenship  
or date of birth. It should be used with verification (online  
authentication, or scanning of QR code / offline XML)

मेरा आधार नंबर [Redacted] है।



सूचना / INFORMATION

- आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता या जन्मतिथि का नहीं। जन्मतिथि आधार नंबर धारक द्वारा प्रस्तुत सूचना और विनियमों में चिह्नित जन्मतिथि के प्रमाण के दस्तावेज पर आधारित है।
- इस आधार पत्र को यूआईडीएआई द्वारा नियुक्त प्रमाणीकरण एजेंसी के जरिए ऑनलाइन प्रमाणीकरण के द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए या ऐप स्टोर में उपलब्ध एमआधार या आधार क्यूआर कोड स्कैनर ऐप से क्यूआर कोड को स्कैन करके या [www.uidai.gov.in](http://www.uidai.gov.in) पर उपलब्ध सुरक्षित क्यूआर कोड रीडर का उपयोग करके सत्यापित किया जाना चाहिए।
- आधार विशिष्ट और सुरक्षित है।
- पहचान और पते के समर्थन में दस्तावेजों को आधार के लिए नामांकन की तारीख से प्रत्येक 10 वर्षों में कम से कम एक बार अपडेट कराना चाहिए।
- आपका विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी फायदों/सेवाओं का लाभ लेने में सहायता करता है।
- आधार में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करें।
- आधार सेवाओं का लाभ लेने के लिए एमआधार ऐप डाउनलोड करें।
- आधार/बायोमेट्रिक्स का उपयोग न करने के समय सुरक्षा मुनिश्चित करने के लिए आधार/बायोमेट्रिक्स लॉक/अनलॉक सुविधा का उपयोग करें।
- आधार की मांग करने वाले सहमति लेने के लिए बाध्य है।
- Aadhaar is proof of identity, not of citizenship or date of birth (DOB). DOB is based on information supported by proof of DOB document specified in regulations, submitted by Aadhaar number holder.
- This Aadhaar letter should be verified through either online authentication by UIDAI-appointed authentication agency or QR code scanning using mAadhaar or Aadhaar QR Scanner app available in app stores or using secure QR code reader app available on [www.uidai.gov.in](http://www.uidai.gov.in).
- Aadhaar is unique and secure.
- Documents to support identity and address should be updated in Aadhaar after every 10 years from date of enrolment for Aadhaar.
- Aadhaar helps you avail of various Government and Non-Government benefits/services.
- Keep your mobile number and email id updated in Aadhaar.
- Download mAadhaar app to avail of Aadhaar services.
- Use the feature of Lock/Unlock Aadhaar/biometrics to ensure security when not using Aadhaar/biometrics.
- Entities seeking Aadhaar are obligated to seek consent.



भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण  
Unique Identification Authority of India



पता:  
C/O शिताले मौर्या, बिर गब्बर सिंह बस्ती, तरला नागल,  
देहरादून, देहरादून, देहरादून,  
उत्तराखण्ड - 248001

Address:  
C/O Shitale Maurya, Bir Gabbar Singh Basti,  
Tara Nagal, Dehradun, PO: Dehradun, DIST:  
Uttarakhand - 248001



1847

[www.uidai.gov.in](http://www.uidai.gov.in)

**कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।**

नोटिस संख्या- 542/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्री ईमाम हुसेन पुत्र श्री इजराईल,  
वीर गब्बर बस्ती, तरला नागल,  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 291 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 36 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- रास्ता
2. पश्चिम- मोहन
3. उत्तर - राम तीरथ
4. दक्षिण- रास्ता

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

  
 अधीक्षण अभियन्ता,  
 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
 देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश, दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

  
 अधीक्षण अभियन्ता,  
 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
 देहरादून।

542  
original checked

**UNION OF INDIA Driving Licence** UK NT

**[REDACTED]** 1

Date of Issue: **16-04-2014** Validity: **15-04-2034**

Date of Birth: **25-10-1992** Blood Group: **Unknown**

Name: **IMAM HUSSAIN**

Father: **IZRAIL MIYA**




**[REDACTED]**

MCWG **16-04-2014** LMV **16-04-2014**

Mobile No. **\*\*\*\*\*5709**

Endorsement Date: **24-02-2024** UK

Endorsement No: **UK07 [REDACTED]**

Present Address: **VIR GABBAR SINGH BASTI TARLA NAGAL, DEHRADUN, 248001**

Holder's Signature: **[REDACTED]**

Issuing Authority Sign: **[REDACTED] RTO, DEHRADUN**

PS: 7 15-04-2024

## कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 544/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्रीमती सुरमा देवी पत्नी श्री नर बहादुर थापा,  
वीर गब्बर बस्ती, तरला नागल,  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागची बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 291 श्रेणी 6-1 नदी रिस्यना रकबा 45 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है-

- 1 पूरब- राम तीरथ
- 2 पश्चिम- रास्ता
- 3 उत्तर - राम तीरथ
- 4 दक्षिण- मोहन कुमार

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा प्रकृत आवास/कच्चा आवास/झोपडी/घेरबाड आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा उचित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/06/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से बर्तन हटा ले अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अधैत कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अधैत निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय दैध श्राहदी के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीनस्थ अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
देहरादून।

प्रतिलिपि-

- 1 जिलाधिकारी महोदय, देहरादून को सादर सूचनाई हेतु प्रेषित।
- 2 नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या- 417/2022 निरंजन बागची बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 को क्रम से अवगत कराया जा रहा है।

अधीनस्थ अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
देहरादून।



कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 545 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0-417-2022 / 2024-25

दिनांक:- 22/05/24

सेवा में,

श्री अशोक कुमार पुत्र श्री छोटेलाल,  
वीर गब्बर बस्ती, तरला नागल,  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 291 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 45 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- नूर अली
2. पश्चिम- थापा
3. उत्तर - महाराष्ट्र वाले
4. दक्षिण- खान साहब

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।



अधीक्षण अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
देहरादून।

o/c

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।



अधीक्षण अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
देहरादून।

o/c

1614



भारत निर्वाचन आयोग  
पहचान पत्र

ELECTION COMMISSION OF INDIA  
IDENTITY CARD



निर्वाचक का नाम : रानी बाई  
Elector's Name : Rani Bai  
पति का नाम : अशोक कुमार  
Husband's Name : Ashok Kumar  
लिंग / Sex : महिला/ Female  
1.1.2013 को आयु : 25  
Age as on 1.1.2013

पता म.सं. : 0

गली/मोहल्ला : वीर गम्बर सिंह बस्ती

ग्राम/नगर : नगर निगम देहरादून

पटवारी/ले.पा. : जखन

थाना : राजपुर

पोस्ट ऑफिस : राजपुर

पिन - 248001

तहसील : देहरादून

जिला : देहरादून

Address H.No : 0

Street/Mohalla : Veer Gabber Singh Basti

Village/Town : Nagar Nigam Dehradun

Patwari/Lekh. : Jakhn

Police Station : Rajpur

Post Office : Rajpur

Pin - 248001

Tehsil : Dehradun

District : Dehradun

Date : 6 Mar 2013

30/948

22-भारतीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण

अधिकारी के हस्ताक्षर की अनुकृति

Facsimile Signature of the Electoral Registration

Officer for 22-Mussoorie Constituency

यदि पता बदलने पर, तो इसे नए पते पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण कार्ड के लिए प्रेषित करने के लिए आवश्यक है।  
In case of change in address, intimation has to be in the relevant Form for including your name in the roll at the changed address and to obtain the card with same number.

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 546/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्री बलवीर मरच्छवान पुत्र श्री भगत मरच्छवान,  
वीर गब्बर वस्ती, तरला नागल,  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी वनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 291 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 50 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- गली
2. पश्चिम- दिल बहादुर थापा
3. उत्तर - अशोक कुमार
4. दक्षिण- रास्ता

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपडी/घेरबाड आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।




अधीक्षण अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
देहरादून।



प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी वनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।



अधीक्षण अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
देहरादून।



1616



# उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि.

भुगतान पावती मूल प्रति A

6701214

कार्यालय : [REDACTED]

RAPDRI

दिनांक:-

सर्विस कनेक्शन संख्या : 3448 [REDACTED] 002 [REDACTED]

एकाउन्ट संख्या : [REDACTED]

270716048

Load : 1.0 KW

उपभोक्ता का नाम : Mr. BALVEER MARACHAVAN, VIR GABDAR SINGH BASTI

कुल देय राशि : ₹

Mode : Cash

SECURITY DEPOSIT

₹

1200.00

SERVICE LINE CHARGES

₹

600.00

प्राप्त Payment Towards : NEW CONNECTION

चेक/ड्राफ्ट विवरण :

संख्या :

दिनांक :

₹ 1800.00  
(Rupees One Eight Zero Zero Only)

काउन्टर संख्या

राष्ट्र एवं स्वयं के हित में बिजली बचायें  
11 / sachin@nda2  
कस्टमर केयर टोल फ्री नं० 1800-419-0405

संग्रहकर्ता के हस्ताक्षर  
एवं मोहर

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 549 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0-417-2022 / 2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्रीमती चन्द्रकला पत्नी श्री सातिगराम,  
वीर गब्बर बस्ती, तरला नागल,  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 291 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 35 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- जगदीश
2. पश्चिम- रोशनलाल
3. उत्तर - रोशन
4. दक्षिण- खाली प्लॉट

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपडी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्वन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

  
 अधीक्षण अभियन्ता,  
 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
 o/c देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कम्ट करें।

  
 अधीक्षण अभियन्ता,  
 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
 o/c देहरादून।



[Illegible text block containing several lines of text, possibly a list or a short article. The text is too faint to transcribe accurately.]

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 553 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0-417-2022 / 2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्री राजू पुत्र श्री अच्छेलाल,  
वीर गब्बर बस्ती, तरला नागल,  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 291 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 106 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- रास्ता
2. पश्चिम- खाली
3. उत्तर - जनार्दन
4. दक्षिण- कुबैर

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

  
 अधीक्षण अभियन्ता,  
 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
 0/c देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।


  
 अधीक्षण अभियन्ता,  
 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
 0/c देहरादून।



भारत निर्वाचन आयोग

ELECTION COMMISSION OF INDIA

मतदाता फोटो पहचान पत्र - ELECTOR PHOTO IDENTITY CARD



नाम : राम कली

Name : Ram Kall

पति का नाम : राजू

Husband's Name : Rajoo

लिंग / Sex : महिला / Female

जन्म तिथि / आयु : XX/XX/1989 / 25

Date Of Birth/ Age

पता : H.No.20, वीर गब्बर सिंह बस्ती, पो.- राजपुर, तहसील-  
देहरादुन, जिला- देहरादुन-248009

Address : H.No.20, Veer Gabber Singh Basti, P.O-  
Rajpur, Teh.- Dehradun, Dist.- Dehradun-248009

निर्वाचक अभिलेखन अधिकारी  
Electoral Registrar Officer

Date : 21-01-2014

विधान सभा क्षेत्र की संख्या और नाम : 22 - पुरी

Assembly Constituency No & Name : 22 - Puri

भाग संख्या और नाम : 32 - राजकीय इंटर कॉलेज बोया बाग, निश्चर, बाया  
भाग क्र. 3)

Part No and Name : 32 - Government Inter College (Laxi Sgrh)  
Kashipur (Laxi Part No 3)

**नोट / Note :**

1. इस कार्ड को प्राप्त करने मात्र से यह कोई गारंटी नहीं है कि आप वर्तमान निर्वाचक अभिलेखन में निर्वाचक हैं। कृपया अपने नाम प्रत्येक चुनाव से पहले वर्तमान अभिलेखन में जांच लें।

More possession of this card is no guarantee that you are elector in the current electoral roll. Please check your name in the current electoral roll before every election.

2. इस कार्ड में उल्लिखित तिथि को निर्वाचक अभिलेखन में उम्र के प्रमाण के अलावा अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए आयु के प्रमाण के रूप में नहीं मान्य किया जाएगा।  
Date of Birth mentioned in this card shall not be treated as a proof of age/D.O.B. for any purpose other than registration in electoral roll.

**GENERAL INSTRUCTIONS**

Passbook is a record of transactions for the information of the depositor and balance shown in cannot be claimed legally

It is the duty of the depositor to confirm balance shown in the passbook from the concerned post office and post office is legally liable to pay the amount actually available in its record.

Always take a printed receipt from the post office when you hand over the passbook to the post office for any purpose.

Always keep the passbook in your personal custody and post office will not be responsible for any loss of money in case passbook is handed over to any other person.

Do not keep specimen signatures in the passbook.

Check balance after transaction written in the passbook and contact postmaster immediately in the case of any discrepancy.

In case of loss of passbook, report the matter in writing to the postmaster immediately.

Intimate change of address if any to the postmaster.


Don't hand over blank signed withdrawal forms to any parson including authorised agents.

Do not appoint postmasters or authorised agents as messengers for withdrawal of money from your account.

m/HC Tm Pathu

जमाकर्ता का नाम  
Depositor's Name

1. Khushboo



3. P. Ravi

पता / Address: Gabbar Surt Bastri  
Kishanp...

Date of Birth: 3/3/2008

Name of Parent/Guardian (in case of minor): Pathu

जारी करने की तारीख / Date of Issue: 28-11-13

खाते का प्रकार / Account Type: SB  
चेक खाता (हाँ/नहीं) / Cheque A/c (Yes/No)

खाता / Account No. [Redacted]

PAN No. (For SCSS-2004 only)

पोस्टमास्टर के हस्ताक्षर / Sign of Postmaster



नामांकन की संख्या / Nomination

रजिस्ट्री की तारीख / Date of Registration

1

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 561 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0-417-2022 / 2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्री द्वारिका प्रसाद पुत्र श्री सुबक्श,  
वीर गब्बर बस्ती, तरला नागल,  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागची बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 289 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 36 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- .....
2. पश्चिम- नदी
3. उत्तर - रास्ता
4. दक्षिण- इकबाल

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपडी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

  
 अधीक्षण अभियन्ता,  
 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
 देहरादून।  
 o/c

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागची बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।


  
 अधीक्षण अभियन्ता,  
 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
 देहरादून।  
 o/c

भारत सरकार  
Government of India

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण  
Identification Authority of India

आपका क्रम/ Enrolment No. 2729/00089/63122

To  
शुबिका प्रसाद  
Dwarika Prasad  
C/O Subaks,  
VEER GABBAR SINGH BASTI,  
TARLA NANGAL,  
VTC, Gujara Marsingh,  
PO, Sahastradhara Road,  
Sub District Dehradun,  
District Dehradun,  
State: Uttarakhand,  
PIN Code: 248013,  
Mobile: 817100738



Digitized by eSeva  
Digitized by eSeva  
Digitized by eSeva

आपका 3 [redacted] r [redacted] ar [redacted] :  
[redacted]  
[redacted] र, [redacted] नान



भारत सरकार  
Government of India



Aadhaar No. 81802 19012023



शुबिका प्रसाद  
Dwarika Prasad  
जन्म तिथि/DOB: 01/01/1984  
पुरुष/MALE

आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता या जन्मतिथि का नहीं।  
इसका उपयोग साधारण (आवस्य/अवस्य) या वसुधैव कुटुम्बकम्/  
जोड़कर प्रमाण की प्रमाण के साथ किया गया है।  
Aadhaar is proof of identity, not of citizenship  
or date of birth. It should be used with verification (online  
authentication or scanning of QR code / offline BML)

मेरा आधार, मेरा पहचान

सूचना / INFORMATION


- आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता या जन्मतिथि का नहीं। आधारीक प्रमाण के साथ साधारण (आवस्य/अवस्य) या वसुधैव कुटुम्बकम्/जोड़कर प्रमाण की प्रमाण के साथ किया गया है।
- इस आधार का को यूआईडीआई द्वारा नियुक्त प्रमाणित एजेंसी के द्वारा ऑनलाइन प्रमाणिकरण के द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। यह प्रमाण के प्रमाण प्रमाणिकरण का आधार बसुधैव कुटुम्बकम्/जोड़कर प्रमाण के साथ किया गया है।  
www.uidai.gov.in पर उपलब्ध मुद्रित बसुधैव कुटुम्बकम्/जोड़कर प्रमाण के साथ किया गया है।
- आधार विशिष्ट और सुरक्षित है।
- पहचान और पते के प्रमाण के दस्तावेजों को आधार के लिए नामांकन की तारीख से प्रमाण 10 वर्ष के बाद से एक बार आधार में अपडेट करना चाहिए।
- आधार विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी फायदे/सेवाओं का लाभ लेने में सहायक करता है।
- आधार में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करें।
- आधार अपडेट कर लाभ लेने के लिए एमआधार ऐप डाउनलोड करें।
- आधार/बायोमेट्रिक्स का उपयोग न करने के अलावा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन/ऑफलाइन मुद्रित प्रमाण का उपयोग करें।
- आधार की लागू करने वाले सुनिश्चित करने के लिए करें।
- Aadhaar is proof of identity, not of citizenship or date of birth (DOB). DOB is based on information supported by proof of DOB document specified in regulations submitted by Aadhaar number holder.
- This ~~just~~ letter should be verified through either online authentication by UIDAI appointed authentication agency or QR code scanning using mAadhaar or Aadhaar QR Scanner app available in app stores or using secure QR code reader app available on www.uidai.gov.in
- Aadhaar is unique and secure.
- Documents to support identity and address should be updated in Aadhaar after every 10 years from date of enrolment for Aadhaar.
- Aadhaar helps you avail of various Government and Non-Government benefits/services.
- Keep your mobile number and email id updated in Aadhaar.
- Download mAadhaar app to avail of Aadhaar services.
- Use the feature of Lock/Unlock Aadhaar/biometrics to ensure security when not using Aadhaar/biometrics.
- Entities seeking Aadhaar are obligated to seek consent.



भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण  
Unique Identification Authority of India



शुबिका प्रसाद  
C/O सुबक, वीर गबबर सिंह बास्ती, तारला नंगल,  
सहास्रधारा रोड, सहास्रधारा मार्ग, देहरादून,  
उत्तराखण्ड - 248013  
Address:  
C/O Subaks, VEER GABBAR SINGH BASTI,  
TARLA NANGAL, Gujara Marsingh, PO,  
Sahastradhara Road, DIST: Dehradun,  
Uttarakhand - 248013



1047 | help@uidai.gov.in | www.uidai.gov.in

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 564/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक:- 22/05/24

सेवा में,

श्री टिकू कुमार पुत्र श्री ऋषि,  
वीर गब्बर बस्ती, तरला नागल,  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 291 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 25 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- रास्ता
2. पश्चिम- निजामुद्दीन
3. उत्तर - रास्ता
4. दक्षिण- कुवर पाल

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,

e/c देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभियन्ता,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,


e/c देहरादून।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण  
UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA™

C/O Rishi Ram, Veer Gabbar Singh Basti,  
Rajpur Road, Dehradun, Dehradun,  
Dehradun,  
Uttarakhand - 248001

Address:  
C/O Rishi Ram, Veer Gabbar Singh Basti,  
Rajpur Road, Dehradun, PO Dehradun, DIST.  
Dehradun, Uttarakhand - 248001

AADHAAR




1947 | help@uidai.gov.in | www.uidai.gov.in

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA

रिंकु कुमार  
Tinku Kumar  
जन्म तिथि / DOB: 01/01/1990  
पुरुष / MALE  
Mobile No.: 3954074635

Aadhaar no issued: 06/02/2015



मेरा आधार, मेरी पहचान

संविधान सभा के संरक्षक संसद संरक्षक संसद

576

अज्ञेय

संविधान सभा के संरक्षक संसद संरक्षक संसद


 भारत सरकार  
 Government of India
 
 आधार


Issue Date: 22/09/2014
 
 इकबाल अहमद  
 Ikbal Ahmad  
 जन्म तिथि/DOB: 01/02/1982  
 पुरुष/ MALE


  
 मेरा आधार, मेरी पहचान


 भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण  
 Unique Identification Authority of India
 
 AADHAAR

पता:  
 गबर बस्ती, देहरादून राजपुर, देहरादून,  
 उत्तराखंड - 248009

Address:  
 Gabar Basti, Dehradun, Dehradun,  
 Uttarakhand - 248009




 6853 4870 7365

1947 | help@uidai.gov.in | www.uidai.gov.in

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 568/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,


श्री प्रमोद पुत्र श्री सोहन लाल,  
वीर गब्बर बस्ती, तरला नागल,  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 291 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 52 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- रास्ता
2. पश्चिम- सुमित
3. उत्तर - रवि
4. दक्षिण- राम किशोर

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

  
 अधीक्षण अभियन्ता,  
 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
 देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

  
 अधीक्षण अभियन्ता,  
 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
 देहरादून।

1630



भारत सरकार  
Government of India



Aadhaar no. issued: 28042015



प्रमोद कुमार  
Pramod Kumar  
जन्म तिथि/DOB: 01/07/1993  
पुरुष/ MALE

मेरा आधार, मेरी पहचान



भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण  
Unique Identification Authority of India



पता:  
सोहन लाल, वीर गब्बर सिंह बस्ती भाग 3, तरला नागल,  
रायपुर रेंज, राजपुर, देहरादून,  
उत्तराखण्ड - 248009

Address:  
Sohan Lal, Vir gabbar singh basti bhag 3,  
Tarla nagal, Rajpur Range, PO: Rajpur, DIST:  
Dehradun,  
Uttarakhand - 248009



1947 | help@uidai.gov.in | www.uidai.gov.in

## Consumer Personal Details

Consumer No :	[REDACTED]	Category	STN-10 / OTHER DOMESTIC LOAD UPTO 4KW
Name :	Mr PRAMOD KUMAR	Account No CIN	41600358179 / 03H02U001911211001384974
Father Name :	S/O.SHRI SOHAN LAL	Billing Status	Live
Address :	VIR GABBAR SINGH BASTI, BHAG 3, TARLA NAGAL	Contracted Load	1.00 KW
Phone no :	9760176367	Connected Load	1.00 KW
Office Name :	ANARWALA	Supply Release Date :	15-Mar-2016
E-mail :		Total Security Deposit :	1200.00


## Consumer Meter Details

Meter Number :	SS14920853	Meter Make :	
Meter Type :	WC	CT Type:	
Meter Capacity :	10-60	Location :	
Digit :	6	Meter Constant :	1
Height :		Meter Phase :	1
Meter Box No :		Cover Seal 1 :	856457
Cover Seal 2 :	856457	Terminal Seal No :	137496

## Network Asset Details

Substation :	33/11 kV DHAKPATTI S/s	Feeder :	11 kV O/G Rajpur Road
DTR Code/Name :	UPCL-DP-F-B3 / GABBAR SINGH BASTI	Pole :	UPCL-DP-F-B3-1-019

Back Close

  
 31-05-24  
 उपखण्ड अधिकारी  
 विद्युत वितरण उपखण्ड  
 अनामनगर  
 देहरादून

## कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 569/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक:- 22/05/24

सेवा में,

श्री सुभाष सिंह पुत्र श्री जयप्रकाश,  
वीर गब्बर बस्ती, तरला नागल,  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 289 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 30वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- रास्ता
2. पश्चिम- नदी
3. उत्तर - बढीनाथ
4. दक्षिण- अमरनाथ

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपडी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

  
अधीक्षक अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
o/c देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

  
अधीक्षक अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
o/c देहरादून।

1633

भारत सरकार  
Government of India

आधार

Aadhaar no. issued: 28/11/2011




Subhash Singh  
Date of Birth/DOB: 01/01/1989  
Male/ MALE

भारत आधार, भरा पहचान

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण  
Unique Identification Authority of India

आधार

Address:  
C/O: Jayprakash Singh, Veer Gabbar Singh  
Basti, Tarla Nagal Raipur, Dehradun, PO:  
Dehradun G.p, DIST: Dehradun,  
Uttarakhand - 248001



VID: 9121 3018 4055 0050

1947 | help@uidai.gov.in | www.uidai.gov.in

**कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।**

नोटिस संख्या- 570 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0-417-2022 / 2024-25

दिनांक:- 22/05/24

सेवा में,

श्रीमती कुसुम पत्नी श्री संजीत,  
वीर गब्बर बस्ती, तरला नागल,  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 289 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 66 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- रास्ता
2. पश्चिम- नदी
3. उत्तर - रामकिशोर
4. दक्षिण- राजमणि

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
देहरादून।

*c/c*

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
देहरादून।

*c/c*



## कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 571/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्रीमती राजमणि पत्नी श्री मिथुन,  
दीर गम्बर बस्ती, तरला नागल,  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा न0 289 श्रेणी 6-1 नदी रिस्यना रकबा 20 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- रास्ता
2. पश्चिम- नदी
3. उत्तर - कुसुम
4. दक्षिण- नदी

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपडी/घेरबाड आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से खसट हटा ले अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अधैय कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अधैय निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय रैड साहवी के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षक अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
देहरादून।

प्रतिनिधि-

1. जिलाधिकारी सहोदर्या, देहरादून को सादर सूचनाओं हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अधैय साहवी हेतु लिखित निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षक अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
देहरादून।

1637

AK



भारत निर्वाचन आयोग  
पहचान पत्र

ELECTION COMMISSION OF INDIA  
IDENTITY CARD

[Redacted]



निर्वाचक का नाम : मिथुन  
Elector's Name : Midhun  
पिता का नाम : मुनारिक  
Father's Name : Munarik  
लिंग / Sex : पुरुष / Male  
1.1.2013 को आयु : 30  
Age on 1.1.2013

पता सं. 0  
शिली/मोहल्ला : वीर गब्बर सिंह बास्ती  
ग्राम/नगर : नगर निगम देहरादून  
पंचवारी/स.पा. : जाखन  
थाना : राजपुर  
पोस्ट ऑफिस : राजपुर  
तहसील : देहरादून  
जिला : देहरादून  
Address H.No : 0  
Street/Mohalla : Veer Gabber Singh Basti  
Village/Town : Nagar Nigam Dehradun  
Panchayat/Leh. : Jakhan  
Police Station : Rajpur  
Post Office : Rajpur  
Tehsil : Dehradun  
District : Dehradun

पिन - 248001

Pin - 248001

Date: 30/07/2013

22-समूची निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक प्रतिपदीकरण  
अधिकारी के हस्ताक्षर की आवश्यकता  
Signature of the Electoral Registration  
Officer for 22-Mussorie Constituency

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 573 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0-417-2022 / 2024-25

दिनांक- 23/05/24

सेवा में,

श्री कल्पेश्वर दास पुत्र श्री रविदास,  
वीर गब्बर बस्ती, तरला नागल,  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 289 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 60 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- ढांग
2. पश्चिम- नदी/रास्ता
3. उत्तर - मंदिर
4. दक्षिण- रामचरण

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

  
 अधीक्षण अभियन्ता,  
 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
 देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

  
 अधीक्षण अभियन्ता,  
 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
 देहरादून।

21-2019

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड १17



**राशन कार्ड**

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान, 2013  
(संयुक्त परिवार)



राशन कार्ड नम्बर : [REDACTED]  
 कार्ड धारक का नाम : सुशिला देवी  
 राशन कार्ड का प्रकार : P/BH  
 कार्ड धारक का पता : 16, वैर मन्दिर सिंह बगाने राजपुर, गव-Dehradun (M Corp),  
 तहसील-देहरादून, जम्मुट-देहरादून  
 मोबाइल नम्बर : NA  
 दुकान का नम्बर : 106000100126  
 दुकानदार का नाम व पता : अजित लामा, KISHAN PUR DALAMWALA, गव-Dehradun (M Corp),  
 तहसील-देहरादून, जम्मुट-देहरादून

परिवार के सदस्यों का विवरण

क्र.सं.	परिवार के सदस्यों का नाम	लिंग	सुविधा में सम्मिलित	आयु	संकेत संख्या(संकेत)
1	सुशिला देवी	स्त्री	हो	35	055 [REDACTED]
2	अजयदेव देव	पुरुष	हो	45	055 [REDACTED]
3	रमा	स्त्री	पू	17	055 [REDACTED]
4	पद्मा कुमारी	स्त्री	पू	15	055 [REDACTED]
5	विजय कुमार	पुरुष	पू	12	055 [REDACTED]
6	विजय कुमार	पुरुष	पू	11	055 [REDACTED]

नोट- (1) अन्न वितरण के संबंध में अधिकृत अधिकारी द्वारा कार्ड का उपयोग परिवार के सभी सदस्यों द्वारा। (2) सूचनाएं  
 राज्य सरकार के कार्यालय में - 1800-180-4188। रा. का. व. में उपलब्ध है। (3) इस कार्ड में अधिकारी का पता  
 अधिकारी का पता और कार्ड का स्थिति - जिला प्रति कार्डधारक : [REDACTED] जी. वि. सं.  
2914263

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 575/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्री कमलेश सहानी पुत्र श्री राजेन्द्र सहानी,  
वीर गम्बर बस्ती, तरला नागल,  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 289 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 65 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- ढांग
2. पश्चिम- रास्ता
3. उत्तर - रामचरण
4. दक्षिण- ....

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
o/c देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
o/c देहरादून।

## DEHRADUN NAGAR NIGAM -Property

## Tax Online Payment

नगर निगम देहरादून

बिल (भवन कर)

बिल क्रमांक :	99253
बिल की तिथि :	1/11/2020 11:41:54 AM
सॉफ्टवेयर कोड :	II-TAX-1-010064
भवन स्वामी का नाम व पता :	कमलेश सहनी (माकानिगण के स्वामी) , वीर गड्ढर बस्ती तरला नागल भाग 3 कैनाल रोड देहरादून
वर्तमान कर :	850.00
कुल अवशेष :	3765.00
20% छूट के उपरान्त वर्तमान कर:	680.00
देय धनराशि :	4445.00

अवशेष 2014	अवशेष 2015	अवशेष 2016	अवशेष 2017	अवशेष 2018
788.00	709.00	709.00	709.00	850.00
		Print	New	

## कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 577/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्री वरुण,  
वीर गब्बर बस्ती, तरला नागल,  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 289 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा ... वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- ढांग
2. पश्चिम- रास्ता
3. उत्तर - कमलेश
4. दक्षिण- दिनेश चन्द

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपडी/घेरबाड आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
देहरादून।

# ज्योति रूरल एण्ड क्राफ्ट प्रोग्रेसिव सोसाइटी

सौजन्य से रिसर्च इंडिया  
ग्राम व पो 0 कण्डोली, मकान न० 542, राजपुर रोड, देहरादून (उत्तराखण्ड)

Mob. 9897166487

रजिस्ट्रेशन संख्या - 745

टाईफाइड/हेपेटायटीस "बी"  
मुक्त भारत

कार्ड फीस 10 रु०

टाईफाइड	75 रु०
प्रथम डोस	40 रु०
द्वितीय डोस	40 रु०
तृतीय डोस	40 रु०

शिविर का विवरण

दिनांक 23/8/10

बजे तक 12/5/10

स्थान शिव मन्दिर  
गल्लूर सिंह वस्ती

Regd. No. 745 Regd. Date 23/8/10

Name गल्लूर सिंह Sex M Age 1 साल

Father's/Husband Name मलयम सिंह

Address गल्लूर सिंह वस्ती देहरादून

Venue शिव मन्दिर गल्लूर सिंह वस्ती देहरादून

Dose	1 <sup>st</sup> Dose	2 <sup>nd</sup> Dose	3 <sup>rd</sup> Dose	1 <sup>st</sup> Booster	2 <sup>nd</sup> Booster	Typhoid	Sign. Promoter
Time	12/5/10						
Date	25/10/10						

## अवश्यक निर्देश

1. इकाई परीक्षा, प्रोजेक्ट कार्य सहित अर्द्धवार्षिक तथा वार्षिक परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी जिनका प्रत्येक विषय के प्राप्तांकों का योग 33 प्रतिशत या उससे अधिक होगा उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा।
2. कक्षा-6 से 9 एवं 11 के दो परीक्षार्थी इकाई परीक्षा सहित अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षाओं के योग में अधिकतम दो विषयों में अनुत्तीर्ण होगा, उनको अधिकतम निघोषित अंक का कृपांक देकर उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा।
3. दो परीक्षार्थी जिनके द्वारा किसी एक सम्पूर्ण परीक्षा (अर्द्धवार्षिक या वार्षिक) में विकित्सा प्रमाण-पत्र (संस्कारी अत्याचार के विकित्सा अधिकारी का विकित्सा प्रमाण-पत्र अथवा विकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिस्वाशरित) प्रस्तुत किया हो, उन्हें निघोषित कृपांक देय होगा।
4. कक्षा में स्थान प्राप्त करने का अधिकारी वही परीक्षार्थी होगा जो इकाई परीक्षा, प्रोजेक्ट कार्य सहित अर्द्धवार्षिक तथा वार्षिक परीक्षाओं में सम्मिलित हुआ हो तथा जिसके प्रत्येक विषय में प्राप्तांकों का योग 33 प्रतिशत या अधिक है।  
प्रायोगिक कार्य वाले विषय में विद्यार्थी को अलग से 33 प्रतिशत अंक सिद्धान्त में और 33 प्रतिशत अंक प्रायोगिक परीक्षा में प्राप्त करने होंगे। इसके अलावा उस विषय में अर्हता प्राप्त करने के लिए कुल 33 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने होंगे। उन विषयों में जिनमें सैद्धान्तिक एवं प्रयोगात्मक कार्य 3 टर्ग-अलग हैं, के प्रत्येक भाग में 27 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर ही परीक्षार्थी कृपांक पत्र का अधिकारी होगा।
5. व्यक्तिगत परीक्षार्थियों को वार्षिक परीक्षा के आधार पर प्रत्येक विषय में 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर प्रोत्साहित दी जायेगी।
6. व्यक्तिगत परीक्षार्थियों हेतु उन विषयों में जिसमें प्रयोगात्मक/प्रोजेक्ट कार्य है, प्रयोगात्मक/प्रोजेक्ट कार्य का परांक्षा अंश को पंजीकरण केन्द्र में देनी होगी।
7. व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के लिए निर्धारित कृपांक अधिकतम 02 विषयों में दिया जायेगा।
8. अभिभावकों से अपेक्षा है कि वे अपने पाल्यों की नियमित प्रगति से अवगत रहें तथा प्रत्येक परीक्षा के उपरान्त प्रगति विवरण को यथा स्थान इस्वाशरित के उपरान्त कक्षाव्यापक के पास व्यक्तिगत रूप से जमा करा दें।

1645

शिक्षा भारती-उत्तराखण्ड



उत्तराखण्ड

जनपद-देहरादून

सत्र : 2010-2011

प्रगति पत्रिका

छात्र/छात्रा का नाम..... वसुधा कुमार  
 माता का नाम..... श्रीमती अनिता देवी  
 पिता का नाम..... श्री. अश्वराम सिंह  
 कक्षा..... VII..... वर्ग.....  
 अनुक्रमांक..... 630  
 छात्र/छात्रा पंजीका संख्या..... 2563  
 पता..... वीर गम्बर सिंह बालीनी-देहरादून

र. पिता/अभिभावक

गिटिस संख्या- 5

श्री वसुधा  
वीर गम्बर सिंह  
देहरादून

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 579 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0-417-2022 / 2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्रीमती अंगूरी पत्नी श्री राकेश,  
वीर गब्वर बस्ती, तरला नागल,  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 289 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 45 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- ढांग
2. पश्चिम- रास्ता
3. उत्तर - सोनी
4. दक्षिण- सतेश्वरी

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपडी/घेरबाड आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

  
अधीक्षण अभियन्ता,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
देहरादून।

o/c

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

  
अधीक्षण अभियन्ता,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
देहरादून।

o/c

लिंग / Sex : महिला / Female  
जन्म तिथि / आयु : XX/XX/1988 / 30  
Date Of Birth/ Age

पता : ग्राम- वीर गबबर सिंह बस्ती तरसा भागम, पो.- गुजराबा, तहसील- देहरादुन, जिला- देहरादुन-248001  
Address : Vill.- Vir Gabbar Singh Basti Tara Nagal, P.O- Gujraara, Teh.- Dehradun, Dist.- Dehradun-248001

निर्वाचन एगिस्ट्रीकरण अधिकारी  
Electoral Registrar Officer

Date : 09-04-2018

विधान सभा क्षेत्र की संख्या और नाम : 19 - रायपुर  
Assembly Constituency No & Name : 19 - Raipur  
नाम संख्या और नाम : 4 - बहादुर सिंह कैपी राजकीय इन्टर कावेज , गुजराबा म.न. 2  
Part No and Name : 4 - Bahadur Singh Negl Government Inter College, Gujraa R.No. 2

नोट / Note :

1. इस कार्ड को धारण करने मात्र से यह कोई गारंटी नहीं है कि आप वर्तमान निर्वाचक नामावली में निर्वाचक हैं। कृपया अगले नए प्रत्येक चुनाव से पहले वर्तमान नामावली में जांच लें।  
Mere possession of this card is no guarantee that you are elector in the current electoral roll. Please check your name in the current electoral roll before every election.
2. इस कार्ड में उल्लिखित जन्मतिथि को निर्वाचक नामावली में पंजीकरण के अलावा अन्य किसी भी उद्देश्य के प्रमाण के रूप में नहीं मान्य जाएगा।  
Date of Birth mentioned in this card shall not be treated as a proof of age/D.O.B. for any purpose other than registration in electoral roll.

भारत निर्वाचन आयोग  
ELECTION COMMISSION OF INDIA  
मतदाता छोटे पहचान पत्र - ELECTOR PHOTO IDENTITY CARD



नाम : बंगुरी  
Name : ANGURI  
पति का नाम : केशव राम  
Husband's Name : KESHAV RAM

**कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।**

नोटिस संख्या- 581 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0-417-2022 / 2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्रीमती आशा मसीह पत्नी श्री अशोक मसीह,  
वीर गब्बर बस्ती, तरला नागल,  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 289 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 40 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- ढांग
2. पश्चिम- रास्ता
3. उत्तर - सतेश्वरी
4. दक्षिण- दलीप

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

  
अधीक्षण अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
o/c देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का काट करें।

  
अधीक्षण अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
o/c देहरादून।

1649



भारत सरकार  
Government of India



अशोक मशीह  
Ashok Mashi  
जन्म तिथि/DOB: 10/02/1977  
पुरुष/ MALE

Issue Date: 15/09/2020



मेरा आधार, मेरी पहचान





भारतीय विश्वविद्यालय पहचान प्राधिकरण  
National Identification Authority of India



II:  
जन्म: सत्यनारायण दास, बीर गबर सिंह बरती, केनाल  
न राजपुर मार्ग, देहरादून, देहरादून, देहरादून,  
उत्तराखण्ड - 248001

Address:  
PO: Satyanarayan Dass, Beer Gahar  
Singh Basti, Canal Road Rajpur Road,  
Dehradun, Dehradun, Dehradun,  
Uttarakhand - 248001



कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 583/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्रीमती बबीता दवी पत्नी श्री संजोग,  
वीर गब्बर बस्ती, तरला नागल,  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 289 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 26 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- ढांग
2. पश्चिम- रास्ता
3. उत्तर - सतेश्वरी
4. दक्षिण- दलीप

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपडी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

  
 अधीक्षण अभियन्ता,  
 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
 देहरादून।  
 o/c

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

  
 अधीक्षण अभियन्ता,  
 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
 देहरादून।  
 o/c



1651



भारतीय विचारक प्रणाली प्राधिकरण


भारत सरकार  
Unique Identification Authority of India  
Government of India

नामांकन क्रम / Enrollment No.: 2017/78439/69109

To  
Babita  
Babita  
W/O Sanjog  
222 Veer Gabbar Singh Basti  
Tarla Nagal Post- Gujrara  
Dehradun  
Dehradun  
Chakrata Dehradun  
Uttarakhand 248001  
9808084977

23/02/2015  
74569387

MD745693875FH



आपका आधार क्रमांक / Your Aadhaar No. :



मेरा आधार, मेरी पहचान



भारत सरकार  
Government of India



Babita  
Babita  
जन्म तिथि / DOB : 01/01/1988  
महिला / Female



मेरा आधार, मेरी पहचान



## कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या-584/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक-22/05/24

सेवा में,

श्री शिव कुमार पुत्र श्री काशी दास,  
वीर गब्बर बस्ती, तरला नागल,  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 289 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 70 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- रास्ता
2. पश्चिम- नदी
3. उत्तर - नदी
4. दक्षिण- सुभाष

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
देहरादून।



कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 587 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0-417-2022 / 2024-25

दिनांक:- 22/05/24

सेवा में,

श्री मनोज राम पुत्र श्री रमेश राम,  
वीर गब्बर बस्ती, तरला नागल,  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 289 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 42 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- रास्ता
2. पश्चिम- नदी
3. उत्तर - विजेन्द्र
4. दक्षिण- गणेश राय

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।



अधीक्षण अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
देहरादून।

1655



कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 588/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्री गणेश राय पुत्र श्री रामदेव राय,  
वीर गब्बर बस्ती, तरला नागल,  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन वागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 289 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 42 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- रास्ता
2. पश्चिम- नदी
3. उत्तर - मनोज
4. दक्षिण- विमल

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।



अधीक्षण अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
देहरादून।

c/c

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन वागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।



अधीक्षण अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
देहरादून।

c/c

1657

Generated on : Sunday, 23-Jun-2024 09:16

### Customer History

Consumer ID	700000016767309	SV TV No	10000532390572 10000559999745 210000000683362
Consumer No	CX133U1244	SV TSV Date	05-11-2014 ✓ 02-09-2016 ✓ 10-08-2016
Consumer Name	Ganesh Ray	Gender	Male
Consumer Address	0 BIR GABBAR SINGH, BASTI CANAL ROAD, DEHRADUN-248001 DEHRADUN, Uttarakhand India	Address Proof	Electricity Bill Aadhaar(UID) [5581]
Mobile	8396098064	Scheme Onboarding Status	Onboarded With CTC
Scheme Opted	Default Opt In	Scheme Type	General
Latitude		Longitude	

SL No.	Equipment Name	Equipment Amount
1	14.2 Kg LPG Cylinder	1450
2	LPG DGCC Blue Book	0
3	LPG Pressure Regulator - Non Valuated	150
4	14.2 Kg LPG Cylinder	1450
<b>Total Amount</b>		<b>3050</b>

*150449*  
*Doon Vihar, Dehradun*  
*Phone 0552736777*

Book No	Book Date	Cash Memo No	Cash Memo Date	Delivery date	Equipment Type	RSP	Cylinders	Delivered By	Booking Status	Latitude	Longitude	Mode of Payment
2-003825351471	18-06-2024	5-104196960142	08-06-2024 08:11:46	12-06-2024 11:31:18	14.2 Kg LPG Cylinder - Filled	822	1	SUNIL BHANDARI	Completed			Cash
2-003781208108	15-05-2024	5-104135771491	15-05-2024 11:05:10	17-05-2024 12:09:50	14.2 Kg LPG Cylinder - Filled	822	1	SUNIL BHANDARI	Completed	30.3648785	78.0677720	Manual Digital
2-003785334135	04-05-2024	5-104107607180	04-05-2024 10:43:51	11-05-2024 04:44:52	14.2 Kg LPG Cylinder - Filled	822	1	SUNIL BHANDARI	Completed			Cash
2-003646702253	09-04-2024	5-104041980948	09-04-2024 08:17:04	14-04-2024 03:59:58	14.2 Kg LPG Cylinder - Filled	822	1	SUNIL BHANDARI	Completed			Cash
2-003586970829	25-02-2024	5-103913933867	25-02-2024 09:43:11	28-02-2024 09:12:07	14.2 Kg LPG Cylinder - Filled	922	1	SUNIL BHANDARI	Completed	30.3747450	78.0864333	Manual Digital
2-003530214602	26-01-2024	5-103825611931	26-01-2024 10:48:01	31-01-2024 12:17:12	14.2 Kg LPG Cylinder - Filled	922	1	SUNIL BHANDARI	Completed	30.3648870	78.0677273	Manual Digital
2-00342734351	27-12-2023	5-103738087965	27-12-2023 08:58:37	31-12-2023 12:28:18	14.2 Kg LPG Cylinder - Filled	922	1	SUNIL BHANDARI	Completed			Manual Digital

**भारत सरकार**  
Government of India




Aadhaar No. Issued: 03/04/2012



गणेश राय  
Ganesh Ray  
जन्म तिथि/DOB: 20/12/1975  
पुरुष/ MALE

आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता या जन्मतिथि का नहीं।  
इसका उपयोग सत्यापन (ऑनलाइन प्रमाणीकरण, या क्यूआर कोड/  
ऑफलाइन एक्सएमएल की स्कैनिंग) के साथ किया जाना चाहिए।  
Aadhaar is proof of identity, not of citizenship  
or date of birth. It should be used with verification (online  
authentication, or scanning of QR code / offline XML).



मेरा आधार, मेरी पहचान

**भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण**  
Unique Identification Authority of India




पता:  
C/O रामदेव राय, वीर गम्बर सिंह बस्ती भाग-3, तारस  
नामन, देहरादून, देहरादून जी.पी, देहरादून,  
उत्तराखण्ड - 248001

Address:  
C/O Ramdev Ray, vir gambhar singh basti  
Part 3, main namon, Dehradun, PG, Dehradun  
G.p, DIST: Dehradun,  
Uttarakhand - 248001





1847

www.uidai.gov.in

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 591/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्रीमती प्रमीला पुत्री श्री सुरेन्द्र सिंह पंवार,  
वीर गम्बर बस्ती, तरला नागल,  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 289 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 58 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- रास्ता
2. पश्चिम- नदी
3. उत्तर - शशी
4. दक्षिण- संजय

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।



अधीक्षण अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,

देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।



अधीक्षण अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
देहरादून।

९/८

1660



भारत निर्वाचन आयोग

ELECTION COMMISSION OF INDIA

मतदाता फोटो पहचान पत्र - ELECTOR PHOTO IDENTITY CARD



नाम : प्रमिला देवी

Name : Pramila Devi

पति का नाम : सुरेन्द्र पंवार

Husband's Name : Surendra Panwar

लिंग / Sex

: महिला / Female

जन्म तिथि / आयु

: XX/XX/1990 / 24

Date Of Birth/ Age

पता : म नो. 1, वीर गब्बर सिंह बस्ती, पो.- राजपुर, गढ़मौल-  
देहरादून, जिला- देहरादून-248009

Address : M.No.1, Veer Gabber Singh Basti, P.O.-  
Rajpur, Teh.- Dehradun, Dist.- Dehradun-248009

निर्वाचन अधिकारी  
Electoral Registrar Officer

Date : 21-01-2014

विधान सभा क्षेत्र की संख्या और नाम : 22 - मुसौरा

Assembly Constituency No & Name : 22 - Mussoorie

पार्क संख्या और नाम : 32 - गवर्नमेंट इंटर कॉलेज शंका बाग, किशनपुर बाग

Part No and Name : 32 - Government Inter College (Left Sight),  
Kishanpur (Left Part No 3)

नोट / Note :

1. इस कार्ड को धारण करने का यह कोई गारंटी नहीं है कि आप वर्तमान  
चुनाव सूची में निर्वाचक हैं। चुनाव अल्प समय पहले चुनाव से पहले  
वर्तमान सूची में जांच लें।

More possession of this card is no guarantee that you  
are elector in the current electoral roll. Please check your  
name in the current electoral roll before every election.

2. इस कार्ड में उल्लिखित जन्मतिथि को निर्वाचन सूची में पंजीकरण के  
अवकाश जन्म तिथि की तिथि में आयु के प्रमाण के रूप में नहीं माना जाएगा।  
Date of Birth mentioned in this card shall not be treated  
as a proof of age/D.O.B. for any purpose other than  
registration in electoral roll.

**कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।**

नोटिस संख्या- 593 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0-417-2022 / 2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्रीमती कमलेश पत्नी राकेश,  
वीर गब्बर बस्ती, तरला नागल,  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 289 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 64 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- रास्ता
2. पश्चिम- नदी
3. उत्तर - संध्या
4. दक्षिण- दीपा नेगी

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपडी/घेरवाड आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षक अभियन्ता,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
देहरादून।

9/c

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षक अभियन्ता,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
देहरादून।

9/c



**कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।**

नोटिस संख्या- 595 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0-417-2022 / 2024-25

दिनांक:- 22/05/24

सेवा में,

श्रीमती लक्ष्मी पत्नी श्री पिन्दू,  
वीर गम्बर बरती, तरला नागल,  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 289 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 32 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- रास्ता
2. पश्चिम- नदी
3. उत्तर - दीपा नेगी
4. दक्षिण- मंजू

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपडी/घेरवाड आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।



  
 अधीक्षण अभियन्ता,  
 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
 0/c देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

  
 अधीक्षण अभियन्ता,  
 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
 0/c देहरादून।

1664



08/12/2014

नोटिस संख्या- 599/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्री पंकज पुत्र श्री सुरेश सिंह,  
वीर गब्बर बस्ती, तरला नागल,  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 289 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 75 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- रास्ता
2. पश्चिम- नदी
3. उत्तर - चन्द्र पाल
4. दक्षिण- राजवीर

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।



अधीक्षक अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
o/c देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।



अधीक्षक अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
o/c देहरादून।

599

[Redacted]

: पत्तन  
: Parkaj  
: स्व. सुरेश सिंह  
: Late Suresh Singh

[Redacted]

: 0  
: वीर पञ्जर सिंह बस्ती  
: नगर नियम देहसपून

Date: 6 Mar 2013  
22-मार्च दिनांक को

[Redacted]

[Redacted]

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 602/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी श्री सुरेन्द्र सिंह,  
वीर गब्बर बरती, तरला नागल,  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागची बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 289 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 195 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- रास्ता
2. पश्चिम- नदी
3. उत्तर - डोली
4. दक्षिण- चमन सिंह

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपडी/घेरबाड आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।




अधीक्षण अभियन्ता,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,

o/c देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागची बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।



अधीक्षण अभियन्ता,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,

o/c देहरादून।

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 604/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्रीमती बबीता देवी पत्नी श्री मुकेश कुमार,  
कैनाल रोड़ वीर गब्बर सिंह बस्ती, तरला नागल,  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 289 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 104 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- रमेश
2. पश्चिम- सूरज
3. उत्तर - चमन
4. दक्षिण- रास्ता

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षक अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
देहरादून।


प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षक अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
देहरादून।

भारत सरकार  
Government of India

संघीय लोकसेवा आयोग  
Union Public Service Commission



संघीय लोकसेवा आयोग  
UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION  
संघीय लोकसेवा आयोग



संघीय लोकसेवा आयोग  
UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION  
संघीय लोकसेवा आयोग

संघीय लोकसेवा आयोग  
UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION  
संघीय लोकसेवा आयोग

[Redacted text]

[Redacted text]

संघीय लोकसेवा आयोग

संघीय लोकसेवा आयोग

संघीय लोकसेवा आयोग

1671



भारत सरकार  
Government of India



आधार

Aadhaar no. issued: 02/02/2014



मुकेश कुमार  
MUKESH KUMAR  
जन्म तिथि/DOB: 06/02/1978  
पुरुष/ MALE



मेरा आधार, मेरी पहचान




भारत विशिष्ट पहचान प्राधिकरण  
National Identification Authority of India



AADHAAR

पता:  
S/O पुरन लाल, विर गबर सिंह बस्ती, तर्ला नागल भाग-3,  
देहरादून, देहरादून ग.प, देहरादून,  
उत्तराखण्ड - 248001

Address:  
S/O Puran Lal, Veer Gabar Singh Basti, Tarla  
Nagal Bhag-3, Dehradun, PO: Dehradun G.p,  
DIST: Dehradun,  
Uttarakhand - 248001



1947 | help@uidai.gov.in | www.uidai.gov.in

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 605/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक:- 22/05/24

सेवा में,

श्रीमती कुसुम पत्नी श्री प्रदीप कुमार,  
कैनाल रोड़ वीर गब्बर सिंह बस्ती, तरला नागल,  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 289 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 56 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- बबीता
2. पश्चिम- सूरज
3. उत्तर - चमन
4. दक्षिण- रास्ता

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपडी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सन्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

  
 अधीक्षण अभियन्ता,  
 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
 देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

  
 अधीक्षण अभियन्ता,  
 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
 देहरादून।

उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लि. बिल/Invoice GSTIN (CIN) 05AAACU6007G1ZP			
बिल सं.			
कनेक्शन सं.		बिल तिथि	
7011121396951		06/07/2021	
42100046398		तक	
07/05/2021		06/07/2021	
खण्ड 1	2.0	उपखण्ड	07/2021
देय तिथि	DEHRADUN NORTH	बिलिंग तिथि	ANARWALA
नाम	21/07/2021		05/08/2021
पता Mrs. KUSUM TARLA NAGAL VIR GABBAR SINCH RASTI P O KULHAN VIR GABBAR SIN OH-BASTI			
मीटर सं.		स्वीकृत भार	एम.एफ. 1.0KW
श्रेणी	14920651	सर्लॉई प्रकार	1.0
	RTS-1		10.1
	पिछली रीडिंग	वर्तमान रीडिंग	बिल्ड यूनिट
Kwh	364	659	295
Kvah	364	659	295
PF:	0.85	MDI-200 आधार	MU
बिल विवरण ₹			
विद्युत मूल्य @			
2.8/4.0/		940.0	
फिक्स चार्ज दर			
फिक्स चार्ज (आधिक्य)		240.0	
वोल्टेज पर छूट/अधिभार (+/-)		0.0	
कंपे./एल.पी.एफ. अधिभार (+)		0.0	
रोलर वाटर हीटर छूट		0.0	
अस्थायी जमा समायोजन/माह (-)		0.0	
अन्य देय		0.0	
उपभोग के अतिरिक्त			
FUEL CHARGES @		0.0	
विद्युत कर @			
श्रीन कर @ 0.15		44.25	
		0.0	
वर्तमान योग			
पिछले बिल की देय धनराशि		1224.25	
INT. CREDITED		0.0	
विलम्ब शुल्क अधिभार		934.0	
		23.35	
कुल देय			
		2182	
पिछले 22/08/2020		505.0	
बिल भुगतान राशि			
21/07/2021	तक	₹ 2193	
21/07/2021	बाब	₹ 2209	
20/08/2021	बाब	₹ 2236	

**COUNTERFOIL**

For SMS Alert, Pl. Provide Your mobile No. here.....

कनेक्शन सं. 7011121396951

बिल सं.

GSTIN: 05AAACU6007G1ZP

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 607/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक:- 22/05/24

सेवा में,

श्री ललित राम पुत्र श्री सुरेन्द्र राम,  
कैनाल रोड वीर गब्बर सिंह बस्ती, तरला नागल,  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टारक फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 289 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 40 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- अंजली
2. पश्चिम- नदी, मुराठी
3. उत्तर - .....
4. दक्षिण- रास्ता

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षक अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षक अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
देहरादून।



## उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि.

भुगतान पावती मूल प्रति B

6296415

कार्यालय ANARWALA

दिनांक:-

23-May-2010

सर्विस कनेक्शन संख्या : 344 [REDACTED] 002  
484 [REDACTED] 0

Load : 1.0 KW

एकाउन्ट संख्या : -

उपभोक्ता का नाम : Mr.LALIT RAM, VIR GABBAR SINGH BASTI, TARLA ~~NAG~~

कुल देय राशि : ₹ -

Mode : Cash

SECURITY DEPOSIT ₹ 1200.00

SERVICE LINE CHARGES ₹ 600.00

प्राप्त राशि Payment Towards : NEW CONNECTION

चैक/ड्राफ्ट विवरण

₹ 1800.00

संख्या :

दिनांक :

(Rupees One Eight Zero Zero Only)

काउन्टर संख्या

11 / सचिव के हित में बिजली बचार्थ

कस्टमर केयर टोल फ्री न. 1800-419-0405

संग्रहकर्ता के हस्ताक्षर  
एवं मोहर

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 609 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0-417-2022 / 2024-25

दिनांक:- 22/05/24

सेवा में,

श्री संजोग राम पुत्र श्री शिव राम,  
कैनाल रोड वीर गब्बर सिंह बस्ती, तरला नागल,  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 289 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 40 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- अंजली
2. पश्चिम- नदी, मुराठी
3. उत्तर - .....
4. दक्षिण- रास्ता

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपडी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षक अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षक अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
देहरादून।

1677

दि नैनीताल बैंक लि०  
The Nainital Bank Ltd.

CANAL ROAD DEHRADUN-142  
28/5 CANAL ROAD

शाखा

Branch

JAFHAN

SANYOG RAM

नाम

Name (s)

व्यवसाय

Occupation

VIR. GABBAR SINGH BASTI

पता

BHAG-3 TARLA NAGAL-3

Address

DEHRADUN

खाता क्र.

04-12-2011

Account No.

तारीख / Date



**NAINITAL BANK**  
THE NAINITAL BANK LTD.

IFSC CODE- NTBL0DEH142

MICR CODE- 248184007

Nominee NO

Customer Id



भुगतान आदेश

Payment Instructions

प्रबंधक / Manager

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 610 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0-417-2022 / 2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्री पवन पुत्र श्री जवाहर माड़ी,  
कैनाल रोड़ वीर गब्बर सिंह बस्ती, तरला नागल,  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 289 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा ..... वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- मोनू
2. पश्चिम- अनीता
3. उत्तर - सड़क
4. दक्षिण- .....

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

  
 अधीक्षक अभियन्ता,  
 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
 देहरादून।  
 o/c

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

  
 अधीक्षक अभियन्ता,  
 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
 देहरादून।  
 o/c

1679

भारत निर्वाचन आयोग  
पहचान पत्र

ELECTION COMMISSION OF INDIA  
IDENTITY CARD



निर्वाचक का नाम : पंकज  
Elector's Name : Pankaj  
पिता का नाम : जवाहर लाल  
Father's Name : Jawahar Lal  
लिंग / Sex : पुरुष / Male  
1.1.2013 को आयु : 20  
Age as on 1.1.2013 :

पंजाब संसद : 0  
गली/मोहल्ला : वीर गब्बर सिंह बस्ती  
ग्राम/नगर : नगर निगम देहरादून  
पटवारी/ले.पा. : जाखन  
थाना : राजपुर  
पोस्ट ऑफिस : राजपुर पिन - 248001  
तहसील : देहरादून  
जिला : देहरादून



Address H.No : 0  
Street/Mohalla : Veer Gabber Singh Basti  
Village/Town : Nagar Nigam Dehradun  
Parwari/Lekh : Jakhan  
Police Station : Rajpur Pin - 248001  
Post Office : Rajpur  
Tehsil : Dehradun  
District : Dehradun

Date : 14 Mar 2013 30/1005

22-मसूरी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण  
अधिकारी की हस्ताक्षर की अनुकृति  
Facsimile Signature of the Electoral Registration  
Officer for 22-Mussoorie Constituency

यदि पता बदलने पर, तो इस पहचान पत्र को नए पते पर भेजना होगा।  
If there is a change in address, enclose this card to the new address for the holding  
of the card in the old address and to obtain the card with same number





## कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 614 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0-417-2022 / 2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्रीमती अनिता पत्नी श्री मलखान सिंह,  
कैनाल रोड़ वीर गब्बर सिंह बस्ती, तरला नागल,  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 289 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 99 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- अनिता
2. पश्चिम- रास्ता
3. उत्तर - रास्ता
4. दक्षिण- श्री चन्द

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षक अभियन्ता,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,

देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षक अभियन्ता,



मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,

देहरादून।

1683

निर्वाचन आयोग  
ELECTION COMMISSION OF INDIA

मतदाता फोटो पहचान पत्र - ELECTOR PHOTO IDENTITY CARD


नाम : अनिता देवी  
Name : ANITA DEVI

पति का नाम : मल्खन सिंह  
Husband's Name : MALKHAN SINGH

लिंग / Sex : महिला / Female

जन्म तिथि / आयु : XXXX/1932 / 34  
Date Of Birth/ Age

पता : H.No.0, ग्राम- वीर ब्रह्म सिंह बास्ती तालुका नालगढ़, पो-  
दुलराबाद, महलीय- देहरादून, जिला- देहरादून-248001  
Address : H.No.0, Vill.- Vir Bra Singh Basti  
Talia Nagal, P.O-Dehra , Ten.- Dehradun, Dist.-  
Dehradun-248001

*[Signature]*  
निर्वाचक रजिस्ट्रार अफिसरी  
Electoral Registrar Officer

Date : 08-04-2018

विधान सभा क्षेत्र की संख्या : 29 - राँची  
Assembly Constituency No. 29 - Raipur  
भा.सं. संख्या : 4 - बहादुर सिंह नगरी राजकीय स्तर शास्त्री, दुलराबाद  
Part No and Name : 4 - Bahadur Singh Nagri Government Inter  
College, Qujara R.No. 2

**नोट / Note :**

1. इस कार्ड को धारण करने मात्र ही यह कोई गारंटी नहीं है कि आप वर्तमान निर्वाचन चक्रवर्ती में निर्वाचक हैं। प्रत्येक निर्वाचन चक्रवर्ती के पहले अपने नाम की जांच करें।  
Date of Birth mentioned in this card shall not be treated as a proof of age/D.O.B. for any purpose other than registration in electoral roll.

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 615/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक:- 22/05/24

सेवा में,

श्री रणजीत कुमार पुत्र श्री जवाहर यादव,  
कैनाल रोड वीर गब्बर सिंह बस्ती, तरला नागल,  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 289 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 44 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- रूपेश
2. पश्चिम- अनिता
3. उत्तर - रास्ता
4. दक्षिण- श्री चन्द

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
o/c देहरादून।

प्रतिक्रिया:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अद्यतन कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
o/c देहरादून।



**IndianOil**  
The Energy Of India

**INDIAN GAS SERVICE (0000156449)**  
1685  
"JAKHAN, DEHRADUN",  
UTTARAKHAND, DEHRADUN, DEHRADUN, Uttarakhand-248009  
India  
GSTIN:



Generated on :Thursday, 27-Ju

**Customer History**

Consumer ID	7000000016191728	SV TV No	400000043385871 300000027394051 100000531644221 100000620716664
Consumer No	CX12990305	SV TSV Date	19-09-2018 17-09-2018 10-10-2014 11-12-2019
Consumer Name	Ranjeet Kumar	Gender	Male
Consumer Address	VIR GABBAR SINGH BASTI, BHAG-3, RAJPUR ROAD, DEHRADUN-248001 DEHRADUN, Uttarakhand India	Address Proof	Aadhaar(UID) [5066] Electricity Bill Voter Identity Card Driving Licence
Mobile	9897217143	Scheme Onboarding Status	Onboarded With CTC
Scheme Opted	Default Opt In	Scheme Type	General
Latitude		Longitude	

Sl.No.	Equipment Name	Equipment
1	14.2 Kg LPG Cylinder	
2	14.2 Kg LPG Cylinder	
3	LPG Pressure Regulator - Non Valuated	
<b>Total Amount</b>		

Book No	Book Date	Cash Memo No	Cash Memo Date	Delivery date	Equipment Type	RSP	Cylinders	Delivered By	Booking Status	Latitude	Longitude	Mode of
2-003599074033	01-03-2024	5-103928998832	01-03-2024 08:44:02	02-03-2024 09:49:48	14.2 Kg LPG Cylinder - Filled	922	1	SUNIL BHANDARI	Completed	30.3747017	78.0863867	Manual
2-003504462557	24-01-2024	5-103819180219	24-01-2024 07:56:15	31-01-2024 04:49:39	14.2 Kg LPG Cylinder - Filled	922	1	SUNIL BHANDARI	Completed			Ci
2-003377132909	05-12-2023	5-103676316614	05-12-2023 07:45:19	09-12-2023 11:24:20	14.2 Kg LPG Cylinder - Filled	922	1	SUNIL BHANDARI	Completed	30.3642340	78.0692938	Manual
2-003753499	03-11-2023	5-103587260136	03-11-2023 07:27:17	05-11-2023 10:17:59	14.2 Kg LPG Cylinder - Filled	922	1	SUNIL BHANDARI	Completed	30.3746873	78.0863781	Manual
	16-09-2023	5-103459773298	16-09-2023 12:02:27	19-09-2023 04:38:27	14.2 Kg LPG Cylinder - Filled	922	1	SUNIL BHANDARI	Completed			Ci
	08-08-2023	5-103354325917	08-08-2023 07:26:02	09-08-2023 11:06:01	14.2 Kg LPG Cylinder - Filled	1122 859	1	SUNIL BHANDARI	Completed	30.3746665	78.0863179	Manual
	03-06-2023	5-103236052714	23-06-2023	27-06-2023	14.2 Kg LPG Cylinder - Filled	1122	1	SUNIL BHANDARI	Completed	30.3648795	78.0677531	Manual

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 618 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0-417-2022 / 2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्रीमती राखी देवी पत्नी श्री वटी कुमार,  
कैनाल रोड वीर गब्बर सिंह बस्ती, तरला नागल,  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 289 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 32 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- खाली
2. पश्चिम- रास्ता
3. उत्तर - मन्दिर
4. दक्षिण- नीतू देवी

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

  
 अधीक्षण अभियन्ता,  
 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
 देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करे।

  
 अधीक्षण अभियन्ता,  
 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
 देहरादून।

Delivery History

Name: [Redacted]      Address: [Redacted]      City: [Redacted]      State: [Redacted]      Zip: [Redacted]

Phone: [Redacted]      Email: [Redacted]      Account No.: [Redacted]      Order No.: [Redacted]

Delivery Method: [Redacted]      Frequency: [Redacted]      Status: [Redacted]

Special Instructions: [Redacted]

Order No.	Product	Qty	Unit Price	Total Price	Delivery Date	Status	Comments
1001	Product A	1	10.00	10.00	10/15/20	Delivered	
1002	Product B	2	5.00	10.00	10/20/20	Delivered	
1003	Product C	1	15.00	15.00	10/25/20	Delivered	
1004	Product D	3	4.00	12.00	11/01/20	Delivered	
1005	Product E	1	20.00	20.00	11/05/20	Delivered	
1006	Product F	2	8.00	16.00	11/10/20	Delivered	
1007	Product G	1	12.00	12.00	11/15/20	Delivered	
1008	Product H	4	3.00	12.00	11/20/20	Delivered	
1009	Product I	1	18.00	18.00	11/25/20	Delivered	
1010	Product J	2	6.00	12.00	12/01/20	Delivered	

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 620 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0-417-2022 / 2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्रीमती किरन पत्नी श्री राजा गोदियाल,  
कैनाल रोड वीर गब्बर सिंह बस्ती, तरला नागल,  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 289 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 28 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- दीपा
2. पश्चिम- नीतू देवी
3. उत्तर - राखी
4. दक्षिण- अज्ञात

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

  
 अधीक्षण अभियन्ता,  
 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
 देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

  
 अधीक्षण अभियन्ता,  
 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
 देहरादून।



Government of India



## सूचना

- आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं।
- पहचान का प्रमाण ऑनलाइन प्रमाणीकरण द्वारा प्राप्त करें।

## INFORMATION

- Aadhaar is proof of identity, not of citizenship.
- To establish identity, authenticate online.

- आधार देश भर में मान्य है।
- आधार भविष्य में सरकारी और गैर-सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने में उपयोगी होगा।
- Aadhaar is valid throughout the country.
- Aadhaar will be helpful in availing Government and Non-Government services in future.



Unique Identification Authority of India

Address:  
W/O-Raja Godiyal, VIR GABBAR SINGH BASTI,  
GUJRARA, CANAL ROAD, Dehradun, Shamshegarh,  
Uttarakhand, 248001



1947



help@uidai.gov.in

www.uidai.gov.in



भारत सरकार



आधार

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

भारत सरकार

Unique Identification Authority of India

Government of India

Enrollment No.: 2189/49779/03401

To

Kiran Devi

W/O Raja Godiyal

VIR GABBAR SINGH BASTI GUJRARA

CANAL ROAD

Dehradun

Shamshegarh


Chakrata Dehradun

Uttarakhand 248001

9756718932

06/12/2011  
139339

MD888393394FH



आपका आधार क्रमांक / Your Aadhaar No. :

मेरा आधार, मेरी पहचान



भारत सरकार

Government of India



Kiran Devi

Husband : Raja

DOB : 06/03/1982

Female



मेरा आधार, मेरी पहचान

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 621 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0-417-2022 / 2024-25

दिनांक:- 22/05/24

सेवा में,

श्रीमती दीपा पत्नी श्री रिकू,  
कैनाल रोड वीर गब्बर सिंह बस्ती, तरला नागल,  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 289 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 12 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- रास्ता
2. पश्चिम- किरन
3. उत्तर - सड़क
4. दक्षिण- गढ़वाली

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

  
 अधीक्षण/अभियन्ता,  
 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
 देहरादून।  
 o/c

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

  
 अधीक्षण/अभियन्ता,  
 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
 देहरादून।  
 o/c



भारत 1691 आयोग

ELECTION COMMISSION OF INDIA

भारत का वोटर पहचान पत्र - ELECTOR PHOTO IDENTITY CARD



नाम : रिकेश  
 Name : RINKESH  
 पिता का नाम : सुरेश  
 Father Name : SURESH

लिंग/Sex : / Male

जन्मदिनांक/आयु Date Of Birth/Age : 1993-02-01

पता : पुलिस स्टेशन-रायपुर देहरादून, गब्बर सिंह बस्ती देहरादून, जिला-देहरादून उत्तराखण्ड, पिन कोड-248001

Address : Police Station-Raypur dehradun , Gabbar Singh basti dehradun , District-Dehradun uttrakhand , Pin Code-248001

Date: 20/05/2014

Electoral Registration Officer

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या एवं नाम : - 149 raypur dehradun Room no 3

Assembly Constituency No. & Name : - 149 Raypur dehradun room no 3

भाग संख्या और नाम : Raypur Raypur Part No. & Name : Raypur Raypur

**ध्यान दें/Note:**  
 1. इस कार्ड को धारण करने वाला जान ले कि यह कार्ड सिर्फ मत देने के लिए है और यह किसी भी प्रकार का मतदान का प्रमाण नहीं है।  
 More possession of this card is no guarantee that you are elector of the current electoral roll. Please check your name in the current electoral rolls before every election.  
 2. इस कार्ड के जर्नलिंग का मतलब है कि यह किसी भी प्रकार का मतदान का प्रमाण नहीं है।  
 Date of birth mentioned in this card shall not be treated as a proof of age or date of birth for any purpose other than registration in electoral rolls.

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 622 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0-417-2022 / 2024-25

दिनांक:- 22/05/24

सेवा में,

श्री पप्पू पुत्र श्री हरफुल सिंह,  
कैनाल रोड़ वीर गब्बर सिंह बस्ती, तरला नागल,  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 289 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 121 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- सड़क
2. पश्चिम- .....
3. उत्तर - गढ़वाली
4. दक्षिण- काजल

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

  
 अधीक्षण अभियन्ता,  
 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
 o/c देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

  
 अधीक्षण अभियन्ता,  
 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
 o/c देहरादून।



# उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि.

शुगतान पावती मूल प्रति A 6026908

दिनांक:-

कार्यालय :

सर्विस कनेक्शन ANARWALA

एकाउन्ट संख्या :

15-Feb-2016

उपभोक्ता का नाम :

Load : 1.0 KW

कुल देय राशि :

Mr. PAPPU, VIR GABBAR SINGH BASTI, TARLA NAGAL, E

₹

Mode : Cash

प्राप्त राशि SECURITY DEPOSIT ₹ 1200.00

चैक/ ड्राफ्ट विवरण SERVICE LINE CHARGES ₹ 600.00

संख्या : Payment Towards : NEW CONNECTION

दिनांक :

घनराशि :

बैंक :

₹ 1800.00

(Rupees One Eight Zero Zero Only)

काउन्टर संख्या

राष्ट्र एवं स्वयं के हित में बिजली बचायें  
कस्टमर केयर टोल फ्री न० 1800-419-0405  
11 / sachinnanda2

संग्रहकर्ता के हस्ताक्षर  
एवं मोहर

**कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।**

नोटिस संख्या- 623 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0-417-2022 / 2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

हितबद्ध व्यक्ति (नाम नामालूम-गढ़वाली),  
कैनाल रोड़ वीर गब्बर सिंह बस्ती, तरला नागल,  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 289 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 91 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- रास्ता
2. पश्चिम- सरोज
3. उत्तर - दीपा
4. दक्षिण- काजल

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

  
 अधीक्षण अभियन्ता,  
 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
 देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

  
 अधीक्षण अभियन्ता,  
 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
 देहरादून।

**1695**

भारत निर्वाचन आयोग  
ELECTION COMMISSION OF INDIA  
सर्वदाता, फोटो पहचान पत्र - ELECTOR PHOTO IDENTITY CARD



नाम : विद्या देवी  
Name : VIDHYA DEVI  
पति का नाम : मातवर सिंह  
Husband's Name : MATWAR SINGH

लिंग / Sex : महिला / Female

जन्म तिथि / आयु : 19/05/1990 / 24  
Date Of Birth / Age

पता : म नो 6/2, वीर गब्बर सिंह बस्ती, पो.- राजपुर,  
तहसील- देहरादून, जिला- देहरादून-248009  
Address : H.No.6/2, Veer Gabber Singh Basti, P.O-  
Rajpur, Teh.- Dehradun, Dist.- Dehradun-248009

निर्वाचक रजिस्ट्रारक अधिकारी  
Electoral Registration Officer

Date : 14-08-2015

विधान सभा क्षेत्र की संख्या और नाम : 22 - मसूरी  
Assembly Constituency No & Name : 22 - Mussoorie

वाच क्षेत्र की संख्या और नाम : 39 - राजकीय इंटर कॉलेज बोरा बाग, किशनपुर बाग  
(वाच क्षेत्र 3)

Part No and Name : 39 - Government Inter College (Lr: Sighi)  
Kishanpur (Lr: Part R.No 3)

नोट / Note :

- इस कार्ड को धारण करने मात्र से यह कोई गारंटी नहीं है कि आप वर्तमान निर्वाचक सचिवालय में निर्वाचक हैं। कृपया अपने नाम प्रत्येक चुनाव से पहले वर्तमान सचिवालय में जांच लें।  
More possession of this card is no guarantee that you are elector in the current electoral roll. Please check your name in the current electoral roll before every election.
- इस कार्ड में उल्लिखित जानकारी को निर्वाचक सचिवालय में पंजीकरण के अलावा अन्य किसी भी विधि में आयु के प्रमाण के रूप में नहीं माना जाएगा।  
Date of Birth mentioned in this card shall not be treated as a proof of age / D.O.B. for any purpose other than registration in electoral roll.



# उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि.

भुगतान पावती मूल प्रति B 6294831

कार्यालय ANARWALA

दिनांक:-

23-Apr-2016

सर्विस कनेक्शन संख्या :

3448423041611080010

484060416173

Load : 1.0 KW

एकाउन्ट संख्या :

-

उपभोक्ता का नाम :

Mr.MATWAR SINGH, VIR GABBAR SINGH BASTI, TARLA

कुल देय राशि :

₹ -

Mode : Cash

SECURITY DEPOSIT

₹

1200.00

SERVICE LINE CHARGES

₹

600.00

प्राप्त राशि

Payment Towards : NEW CONNECTION

चैक/ड्राफ्ट विवरण

₹

1800.00

संख्या :

दिनांक :

(Rupees One Eight Zero Zero Only)

काउन्टर संख्या

संग्रहकर्ता के हस्ताक्षर

11 / Sachin nanda

एवं मोहर

हिसा में बिजली बचाये  
कर्टमर केयर टोल फ्री न. 1800-419-0405

1697  
 भारत निर्वाचन आयोग  
 ELECTION COMMISSION OF INDIA  
 मतदाता फोटो पहचान पत्र - ELECTOR PHOTO IDENTITY CARD




नाम : माद्वर सिंह  
 Name : MATWAR SINGH  
 पिता का नाम : दरमान सिंह  
 Father's Name : DARMAN SINGH

लिंग / Sex : पुरुष / Male  
 जन्म तिथि / Date of Birth / Age : 17/07/1965 / 29

पता : नं. 8/2, श्री गजबर सिंह बस्ती, पो. - राजपुर,  
 जिला - देहरादून, जिला - देहरादून/248009  
 Address : H.No.8/2, Vast, Gajbar Singh Basti, P.O.  
 Rajpur, Dist. Dehradun, Dist. Dehradun 248009

निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी  
 Electoral Registration Officer

Date : 14-08-2015

निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम : 22 - मुदसरी  
 Assembly Constituency No & Name : 22 - Mudsore  
 भाग संख्या और नाम : 39 - राजकीय इंटर कॉलेज बांका बाग, किशनपुर बाग  
 Part No and Name : 39 - Government Inter College (Lalt Singh)  
 Mohanpur (Lalt Part R.No.3)

टिप्पणी / Note -

1. इस कार्ड को धारण करने मात्र से यह कोई वोट नहीं है कि आप वर्तमान निर्वाचक नामावली में निर्वाचक हैं। सुपवा समय नम प्रत्येक चुनाव से पहले वर्तमान नामावली में जांच लें।  
 Mere possession of this card is no guarantee that you are elector in the current electoral roll. Please check your name in the current electoral roll before every election.
2. इस कार्ड में उल्लिखित जन्मतिथि को निर्वाचक नामावली में पंजीकरण के अर्थ में व्यवहार नहीं किया जायेगा। इस कार्ड में उल्लिखित जन्म तिथि को निर्वाचक नामावली में पंजीकरण के अर्थ में व्यवहार नहीं किया जायेगा।  
 Date of Birth mentioned in this card shall not be treated as a proof of age / D.O.B. for any purpose other than registration in electoral roll.

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 624 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0-417-2022 / 2024-25

दिनांक:- 22/05/24

सेवा में,

श्रीमती काजल पत्नी श्री मुनेश,  
कैनाल रोड वीर गब्बर सिंह बस्ती, तरला नागल,  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 289 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 99 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- रास्ता
2. पश्चिम- अनीता
3. उत्तर - अज्ञात
4. दक्षिण- गीता

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 20/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

  
 अधीक्षण अभियन्ता,  
 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
 देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

  
 अधीक्षण अभियन्ता,  
 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
 देहरादून।

भारत सरकार  
Government of India

आधार

Aadhaar no. issued: 18/10/2014



मुनेश  
Munesh  
जन्म तिथि/DOB: 07/07/1991  
पुरुष/ MALE


मेरा आधार, मेरी पहचान

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण  
Unique Identification Authority of India

आधार

पता:  
S/O सुरेश, वीर गब्बर सिंह बस्ती, भाग-3 तरला नागल,  
वार्ड नं-59, देहरादून, देहरादून, देहरादून,  
उत्तराखंड - 248001

Address:  
S/O Suresh, VEER GABBAR SINGH BASTI,  
BHAG-3 TARLA NANGAL, WARD NO-59,  
Dehradun, PO: Dehradun, DIST: Dehradun,  
Uttarakhand - 248001



1947 | help@uidai.gov.in | www.uidai.gov.in

मुनेश

## कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 625/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्रीमती गीता पत्नी श्री मलखान,  
कैनाल रोड़ वीर गब्बर सिंह बस्ती, तरला नागल,  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 289 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 63 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- रास्ता
2. पश्चिम- अनीता
3. उत्तर - काजल
4. दक्षिण- खाली

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षक अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
o/c देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षक अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
o/c देहरादून।

भारत-विद्युत आयोग  
ELECTION COMMISSION OF INDIA  
भारत-विद्युत आयोग का - ELECTION PHOTO IDENTITY CARD




नाम : GEETA  
पिता का नाम : मलखान सिंह  
Father Name : MALKHAN SINGH

लिंग/प्राकार : / Female  
जन्मदिन/वय : : 1985-02-01  
Date Of Birth/Age : 1985-02-01

पता : पुलिस स्टेशन-रायपुर देहरादून, गगन सिंह बंसल कलांगरी, देहरादून, पिन कोड- 248001  
Address : Police Station-Rampur dehradun, Gagan Singh Bansal Kalangari, Dehradun, District-Dehradun Uttarakhand, Pin Code-248001

संग्रहण दिनांक और स्थान का नाम :  
- 149 rampur dehradun Room no 3  
Assembly Constituency No. & Name :  
- 149 rampur dehradun Room no 3

भाग संख्या और नाम : Rampur Rampur  
Part No. & Name : Rampur Rampur

ध्यान दें:  
1. इस कार्ड की तैयारी के लिए आपको अपने वर्तमान मतदाता सूची में दर्ज होने वाले मतदाता सूची में अपने नाम और पता की सही जानकारी देनी होगी।  
2. इस कार्ड को प्रयोग करने से पहले आपको अपने नाम और पता की सही जानकारी देनी होगी।  
3. इस कार्ड को प्रयोग करने से पहले आपको अपने नाम और पता की सही जानकारी देनी होगी।

प्रमुख अधिकारी/अधीक्षक  
Electoral Registration Officer

Date: 06/03/2015

**कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।**

नोटिस संख्या- 626/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक:- 22/05/24

सेवा में,

श्री अरविन्द पुत्र श्री परम सिंह,  
कैनाल रोड़ वीर गब्बर सिंह बस्ती, तरला नागल,  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 289 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 84 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- ढांग
2. पश्चिम- रास्ता
3. उत्तर - खाली
4. दक्षिण- खाली

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
देहरादून।

o/c

प्रतिलिपि-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करे।

अधीक्षण अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
देहरादून।

o/c


**भारत सरकार**  
**Government of India**


Download Date: 29/06/2020



**अरविन्द कुमार**  
**Arvind Kumar**  
**जन्म तिथि/DOB: 05/05/1983**  
**पुरुष/ MALE**

Issue Date: 18/09/2018




**मेरा आधार, मेरा पहचान**


**भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण**  
**Unique Identification Authority of India**


**पता:**  
 C/O परम सिंह, बीर गव्यर बस्ती, तरला नागल, तरल  
 नागल, देहरादून,  
 उत्तराखण्ड - 248001

**Address:**  
 C/O Param Singh, Beer Gabbar Basti, Tarla  
 Nagal, Tarla Nagal, Dehradun,  
 Uttarakhand - 248001





1947
help@uidai.gov.in
uidai.gov.in

## कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 627/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,


श्री अमन पुत्र श्री अशोक,  
कैनाल रोड़ वीर गब्बर सिंह बस्ती, तरला नागल,  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 289 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 66 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- ढांग
2. पश्चिम- सड़क
3. उत्तर - ज्योती
4. दक्षिण- सड़क


कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

  
अधीक्षण अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
o/c देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

  
अधीक्षण अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
o/c देहरादून।

1705

दोल फ्री नं. 1912

GST No: (UPCL) 05AAACU6007G1ZP

# उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

ANARWALA भुगतान पावती मूल प्रति H: 0033968  
3348430052214140072 30-05-2012 02:02  
7011121522238 विमांक

कार्यालय

रसीद संख्या

सर्विस कनेक्शन संख्या Mr. AMAN

एकाउन्ट संख्या ₹ 808.00

Energy Charge

उपभोक्ता का नाम  
Electricity Duty

कुल देय राशि  
Surcharge

Others

Mode : Cash

₹ 443.30

₹ 23.40

₹ 14.81

₹ 326.49

₹ 808.00

(Rupees Eight Zero Eight Only)

प्राप्त राशि

चैक/ड्राफ्ट विवरण

संख्या:

14 / विमांक  
kindly

धनराशि:

बैंक:


काउन्टर संख्या

हस्ताक्षर  
(संग्रहकर्ता)

राष्ट्र एवं स्वयं के हित में बिजली कच्चा



लिंग / Sex: **पुरुष / Male**  
 जन्म तिथि / Age: **17/07/1985 / 29**  
 पता: H.No.8/2, वेग/ गबबर सिंह बास्ती, पो. रावपुर,  
 देहरादून, जिला- देहरादून-248009  
 Address: H.No.8/2, Veg/ Gabber Singh Basti, P.O.  
 Raipur, Teh.- Dehradun, Dist.- Dehradun-248009  
 जारी तिथि / Issue Date: **14-06-2015**  
 निर्वाचन प्रशासक कार्यालय  
 Electoral Registration Office  
 मतदाता पंजीयन क्र. & नाम: **22 - इन्दौर**  
 नाम दर्शाए हुए नाम: **39 - राजकीय इन्टर स्कूल बॉय'स (गर्ल) विद्यालय रावपुर**  
 मतदाता श्रेणी: **35 - Government (Left Right)**  
 मतदाता पंजीयन क्र. (Part. R No.):  
**नोट / Note**  
 1. इस कार्ड को धारण करने मात्र से यह कोई गारंटी नहीं है कि आप वर्तमान निर्वाचक नामावली में निर्वाचक हैं। कृपया अपने नाम प्रत्येक चुनाव से पहले वर्तमान नामावली में जांच लें।  
 Mere possession of this card is no guarantee that you are elector in the current electoral roll. Please check your name in the current electoral roll before every election.  
 2. इस कार्ड में उल्लिखित पंजीयन को निर्वाचक नामावली में पंजीकरण के अर्थ में नहीं देखा जाएगा।  
 Date of Birth mentioned in this card shall not be treated as a proof of age / D.O.B. for any purpose other than registration in electoral roll.

भारत निर्वाचन आयोग  
 ELECTION COMMISSION OF INDIA  
 मतदाता फोटो पहचान कार्ड - ELECTOR PHOTO IDENTITY CARD  
  
  
 नाम: **मातवर सिंह**  
 Name: **MATWAR SINGH**  
 पिता का नाम: **दरमन सिंह**  
 Father's Name: **DARMAN SINGH**




 भारत निर्वाचन आयोग  
 ELECTION COMMISSION OF INDIA  
 मतदाता फोटो पहचान पत्र - ELECTOR PHOTO IDENTITY CARD






नाम : सुरेश चन्द  
 Name : **SURESH CHAND**  
 पिता का नाम : गेंदा चन्द  
 Father's Name : GENDA CHAND

लिंग / Sex : पुरुष / Male  
 जन्म तिथि / आयु : XXX/XX/1979 / 37  
 Date Of Birth/ Age

पता : H.No.3, वीर गब्बर सिंह बस्ती, पो. राजपुर, उहसीम-  
 देहरादून, जिला- देहरादून-248009  
 Address : H.No.3, Vir Gabbar Singh Basti, P.O-  
 Rajpur, Teh:- Dehradun, Dist.- Dehradun-248009

निर्वाचन रजिस्ट्रारक अधिकारी  
 Electoral Registration Officer

Date : 04-11-2019

विधान सभा क्षेत्र की संख्या और नाम : 22 - मुसूरि  
 Assembly Constituency No & Name : 22 - Mussoorie  
 ब्लॉक संख्या और नाम : 45 - न्यू लाईफ सेंटर स्कूल का नं 1, किशनपुर  
 Part No & Name : 45 - new life center school s'no 1, Kishanpur

**नोट / Note :**  
 1. इस कार्ड को धारण करने मात्र से यह कोई गारंटी नहीं है कि आप वर्तमान निर्वाचक अभिलेख में निर्वाचक हैं। चुनाव अभिलेख नाम प्रत्येक चुनाव से पहले अद्यतन भाषावली में पढ़ें।  
 Mere possession of this card is no guarantee that you are elector in the current electoral roll. Please check your name in the current electoral roll before every election.  
 2. इस कार्ड में उल्लिखित जन्मतिथि को निर्वाचक भाषावली में पंजीकरण के अलावा अन्य किसी भी शक्ति से आयु के प्रमाण के रूप में नहीं माना जाएगा।  
 Date of Birth mentioned in this card shall not be treated as a proof of age/D.O.B. for any purpose other than registration in electoral roll.

## कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 634/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक:- 22/05/24

सेवा में,


श्रीमती मोना पत्नी श्री रिकु,  
कैनाल रोड़ वीर गब्बर सिंह बस्ती, तरला नागल,  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 291 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 77 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- राहुल
2. पश्चिम- रास्ता
3. उत्तर - रविता
4. दक्षिण- मातवर

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

  
अधीक्षण अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
o/c देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

  
अधीक्षण अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
o/c देहरादून।



उत्तराखण्ड सरकार

GOVERNMENT OF UTTARAKHAND

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण  
जिला महिला चिकित्सालय, देहरादून  
( प्रमाण पत्र जारी करने वाले स्थानीय निकाय का नाम )

DEPARTMENT OF MEDICAL HEALTH & FAMILY WELFARE  
DISTRICT WOMEN HOSPITAL, DEHRADUN

**जन्म प्रमाण-पत्र**  
**BIRTH CERTIFICATE**

(जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 12/17 तथा उत्तराखण्ड जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम,

(Issued under Section 12/17 of the Registration of Births and Deaths Act, 1969 and Rule 8/13 of the Uttarakhand Registration of Births and Deaths Rules 2003)

यह प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित सूचना जन्म के मूल लेख से ली गई है जो कि (स्थानीय क्षेत्र) जिला महिला चिकित्सालय, देहरादून तहसील देहरादून जिला देहरादून राज्य उत्तराखण्ड के रजिस्टर में उल्लिखित है।

This is to certify that the following information has been taken from the original record of birth which is the register for (local area/local body) DISTRICT WOMEN HOSPITAL, DEHRADUN of tahsil/ block DEHRADUN of District DEHRADUN of State/ Union territory UTTARAKHAND

नाम / Name DEV लिंग / Sex MALE  
जन्म तिथि / Date Of Birth SEP 20, 2013 AT 12:48 PM जन्म स्थान / Place Of Birth DISTRICT WOMEN HOSPITAL, DEHRADUN  
माता का नाम / Name Of Mother MONA  
पिता का नाम / Name Of Father RINKU

बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता /  
Address of parents at the time of birth of the child  
VEER GABBAR SINGH BASTI RAJPUR ROAD,  
DEHRADUN - UTTARAKHAND, INDIA

माता पिता का स्थाई पता /  
Permanent address of parents  
VEER GABBAR SINGH BASTI RAJPUR ROAD,  
DEHRADUN - UTTARAKHAND, INDIA

पंजीकरण संख्या / Registration No. 6147

पंजीकरण दिनांक / Date Of Registration SEP 20, 2013

टिप्पणी / Remarks (if any) .....

जारी करने की तिथि / Date Of Issue MAR 22, 2014

प्राधिकारी के हस्ताक्षर / Signature of issuing authority

प्राधिकारी का पता / Address of issuing authority

Sub Registrar, Birth & Death/  
Chief Medical Superintendent  
District Women Hospital  
Dehradun

"Ensure registration of every birth and death प्रत्येक जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण सुनिश्चित करें।"

भारत सरकार  
Government of India



आधार



रिंकु  
Rinku  
जन्म तिथि/DOB: 01/01/1981  
पुरुष/ MALE

Unique Identification Authority of India


मेरा आधार, मेरी पहचान

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण  
Unique Identification Authority of India




पता:  
वीर गब्बर सिंह बस्ती, राजपुर, देहरादून राजपुर,  
देहरादून,  
उत्तराखण्ड - 248009

Address:  
Veer Gabbar Singh Basti, Rajpur,  
Dehradun, Dehradun,  
Uttarakhand - 248009



1947 | <http://maa.gov.in> | [uidai.gov.in](http://uidai.gov.in)

*Rinku*

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 635/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्रीमती रविता पत्नी श्री विरेन्द्र कुमार,  
कैनाल रोड वीर गब्बर सिंह बस्ती, तरला नागल,  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 291 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 28 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- शिवम
2. पश्चिम- रास्ता
3. उत्तर - गली
4. दक्षिण- मोना

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षक अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षक अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
देहरादून।

भारत सरकार  
Government of India

Issue Date: 24/02/2015

Rawla Devi  
Date of Birth/DOB: 01/01/1994  
Female/ FEMALE

मेरा पहचान

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण  
Unique Identification Authority of India

Address:  
C/O: Dharendra Kumar, near gabber singh  
basti, Kishanpur, Dehradun,  
Uttarakhand - 248009

1947 | [help@uidai.gov.in](mailto:help@uidai.gov.in) | [www.uidai.gov.in](http://www.uidai.gov.in)

## कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 636/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्री शिवम पुत्र श्री विक्रम,  
कैनाल रोड़ वीर गब्बर सिंह बस्ती, तरला नागल,  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 291 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 50 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- ढांग
2. पश्चिम- रविता
3. उत्तर - बबली
4. दक्षिण- राहुल

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण/अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
o/c देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
o/c देहरादून।



## कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 637/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक:- 22/05/24

सेवा में,

श्रीमती बबली पत्नी श्री प्रदीप,  
कैनाल रोड वीर गब्बर सिंह बस्ती, तरला नागल,  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 291 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 84 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- ढांग
2. पश्चिम- मोहन
3. उत्तर - ढांग
4. दक्षिण- शिवम

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।


एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।



अधीक्षण अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
o/c देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।



अधीक्षण अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
o/c देहरादून।

1718

 भारत सरकार  
Government of India  आधार

Issue Date: 08/02/2015



बबली  
Babli  
जन्म तिथि/DOB: 28/06/1978  
महिला/ FEMALE

[REDACTED]

मेरा आधार, मेरी पहचान

 भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण  
Unique Identification Authority of India  AADHAAR

पता:  
जन्म: प्रदीप, वीर गबर सिंह बस्ती भाग 3, शिव मंदिर,  
कुल्हन, किशनपुर, तारल नगल, देहरादून,  
उत्तराखण्ड - 248001

Address:  
C/O: Pradeep, Veer Gabar Singh Basti Bhag  
3, Shiv Mandir, Kulhan, Kishanpur, Tarla  
Nagal, Dehradun,  
Uttarakhand - 248001

[REDACTED]

1947 | help@uidai.gov.in | uidai.gov.in

प्रादेशिक प्रमुख नवसंस्कृत विद्यालय प्रसिद्धिका संकेतिका

दिनांक - २०/०५/२०२०, पृष्ठ - ३१७, ३२५, ३३६, ३४६

दिनांक - २०/०५/२०२०

प्रमुख नवसंस्कृत विद्यालय प्रसिद्धिका संकेतिका

1720




भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण  
Unique Identification Authority of India

Enrollment No.: 0661/30041/00727

23/09/2014  
/594113

To  
Sarojani Devi  
C/O Mohan Singh  
6/44- R GABBAR SINGH BASTI BHAG 3,  
TARAI NAGAR BHAG 3,  
VTC Dehradun,  
PO: Dehradun,  
Sub District Chakrata, District Dehradun,  
State Uttarakhand  
PIN Code 248001.  
Mobile 8938911614

MF075941135FI



भारत सरकार  
Government of India



Sarojani Devi  
DOB: 01/01/1975  
Female



23/09/2014

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 639/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक:- 29/05/24

सेवा में,

श्री रवि कुमार पुत्र श्री चमन,  
कैनाल रोड़ वीर गब्बर सिंह बस्ती, तरला नागल,  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 291 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 21 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- ढांग
2. पश्चिम- रास्ता
3. उत्तर - बन्टी
4. दक्षिण- सरोजनी

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

  
 अधीक्षण अभियन्ता,  
 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
 देहरादून।  
 o/c

प्रतिलिपि-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम से अग्रतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

  
 अधीक्षण अभियन्ता,  
 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
 देहरादून।  
 o/c



1722




भारत सरकार  
Government of India

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण  
Unique Identification Authority of India

नामांकन क्रम/ Enrolment No.: 0647/00093/79702

To  
रवि कुमार  
Ravi Kumar  
S/o Chaman Singh,  
Vir Gabbar Singh Basti,  
Bhag-3,  
VTC: Dehradun,  
PO: Dehradun,  
Sub District: Dehradun,  
District: Dehradun,  
State: Uttarakhand,  
PIN Code: 248001,  
Mobile: 8449205812



Validity unknown

Digitally signed by the Unique Identification Authority of India  
Date: 2024.08.12 22:43  
GMT+05:30

[Redacted] ar [Redacted] . :  
[Redacted]  
[Redacted] र, [Redacted] [Redacted]



भारत सरकार  
Government of India



Aadhaar No. Issued: 10/10/2011



रवि कुमार  
Ravi Kumar  
जन्म तिथि/DOB: 01/01/1990  
पुरुष/ MALE

आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता या जन्मतिथि का नहीं।  
इसका उपयोग सत्यापन (ऑनलाइन प्रमाणीकरण, या वचुआर कोड/ ऑफलाइन एक्सएमएल की प्रकृतियों) के साथ किया जाना चाहिए।  
Aadhaar is proof of identity, not of citizenship or date of birth. It should be used with verification (online authentication, or scanning of QR code / offline XML).

[Redacted]

## कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 641 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0-417-2022 / 2024-25

दिनांक:- 22/05/24

सेवा में,

श्रीमती पूनम पत्नी श्री अमर जीत मांडी,  
कैनाल रोड वीर गब्बर सिंह बस्ती, तरला नागल,  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 291 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 224 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- ढांग
2. पश्चिम- रास्ता
3. उत्तर - पिकी
4. दक्षिण- संजीव

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
देहरादून।

१/८

प्रतिलिपि:-


1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
देहरादून।

१/८

भारत निर्वाचन आयोग  
ELECTION COMMISSION OF INDIA

मतदाता फोटो पहचान पत्र - ELECTOR PHOTO IDENTITY CARD



नाम : पूनम

Name : POONAM

पति का नाम : अमरजीत

Husband's Name : AMARJEET

लिंग / Sex : महिला / Female

जन्म तिथि / आयु : XX/XX/27  
Date Of Birth/ Age

पता : H.No.2, केनाल रोड वार्ड न. 1, पो.- देहरादून शहर,  
नहरीगोल- देहरादून, जिला- देहरादून-248001

Address : H.No.2, Kenal Raad Ward No. 1, P.O-  
Dehradun City, Teh.- Dehradun, Dist.-  
Dehradun-248001

Date : 11-09-2015

निर्वाचक पंजीकरण कार्यालय  
Electoral Registration Office

विधान सभा क्षेत्र की संख्या और नाम : 22 - मुसुरी  
Assembly Constituency No & Name : 22 - Mussoorie  
भाग संख्या और नाम : 39 - राजकीय इंटर कॉलेज बादा बागी, किशनपुर बाग  
भाग नं. (3)  
Part No and Name : 39 - Government Inter College (Left Side),  
Kishanpur (Left Part R, No 3)

नोट / Note :  
1. इस कार्ड को धारण करने मात्र से यह कोई गारंटी नहीं है कि आप वर्तमान निर्वाचक नामावली में निर्वाचक हैं। कृपया अपना नाम प्रत्येक चुनाव से पहले वर्तमान नामावली में जांच लें।  
Mere possession of this card is no guarantee that you are elector in the current electoral roll. Please check your name in the current electoral roll before every election.  
2. इस कार्ड में उल्लिखित जन्मतिथि को निर्वाचक नामावली में पंजीकरण के अलावा अन्य किसी भी स्थिति में आयु के प्रमाण के रूप में नहीं माना जाएगा।  
Date of Birth mentioned in this card shall not be treated as a proof of age / D.O.B. for any purpose other than registration in electoral roll.

## कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- ...642.../एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक:- 22/05/24

सेवा में,

श्रीमती पिकी रानी पत्नी श्री अरविन्द कुमार,  
कैनाल रोड़ वीर गब्बर सिंह बस्ती, तरला नागल,  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 291 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 63 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- ढांग
2. पश्चिम- रास्ता
3. उत्तर - सैनी
4. दक्षिण- पूनम

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौकें से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
देहरादून।

o/c

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
देहरादून।

o/c

1726




भारत सरकार  
Government of India



Issue Date: 15/09/2015



पिंकी  
Pinky  
जन्म तिथि/DOB: 01/01/1968  
महिला/ FEMALE



UID : 9155 0089 8997 7442

मेरा आधार, मेरी पहचान




भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण  
Unique Identification Authority of India



Download Card: 030772023

पता:  
द्वारा: पति अरविन्द कुमार, 0, वीर गबर सिंह बस्ती, तस्ल  
नागल, गुजराड़ा, देहरादून, देहरादून,  
उत्तराखण्ड - 248001

Address:  
C/O: Wo Arvind Kumar, 0, Vir Gabar singh  
Basti, Tarta Nagal, Gujrada, Dehradun,  
Dehradun,  
Uttarakhand - 248001



1947

help@uidai.gov.in

www.uidai.gov.in

## कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 643/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक:- 22/05/24

सेवा में,

श्री विकास सैनी पुत्र श्री राम कुमार सैनी,  
कैनाल रोड वीर गब्बर सिंह बस्ती, तरला नागल,  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 291 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 130 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- ढांग
2. पश्चिम- रास्ता
3. उत्तर - कीर्ती
4. दक्षिण- पिकी

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
o/c देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षण/अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
o/c देहरादून।



## उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि.

भुगतान पावती मूल प्रति B 6307913

कार्यालय NARWALA

सर्विस कनेक्शन संख्या : 344 [REDACTED] 001 दिनांक:- 15-Jun-2015 12:13  
 एकाउन्ट संख्या : 484 [REDACTED] Load : 1.0 KW  
 उपभोक्ता का नाम : Mr. VIKAS KUMAR SAINI, VIR GABBAR SINGH BASTI, 1A  
 कुल देय राशि : ₹

Mode : Cash

SECURITY DEPOSIT	₹	1200.00
SERVICE LINE CHARGES	₹	600.00

प्राप्त राशि Payment Towards : NEW CONNECTION

चैक/ड्राफ्ट विवरण : ₹ 1800.00

संख्या : दिनांक : (Rupees Only Eight Zero Zero Only)

काउन्टर संख्या :

11 / sac [REDACTED] के हित में बिजली बचायें

कस्टमर केयर टोल फ्री नं. 1800-419-0405

संग्रहकर्ता के हस्ताक्षर

एवं मोहर

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 644/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्री किर्ति चौहान पत्नी श्री हंस राज चौहान,  
कैनाल रोड वीर गब्बर सिंह बस्ती, तरला नागल,  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 291 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 66 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- ढांग
2. पश्चिम- रास्ता
3. उत्तर - .....
4. दक्षिण- विकास

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।



अधीक्षण अभियन्ता,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,

o/c देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।



अधीक्षण अभियन्ता,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,

o/c देहरादून।

पता म.सं. : 0  
 गली/मोहल्ला : वीर गम्बर सिंह बस्ती  
 ग्राम/नगर : नगर निगम देहरादून  
 पटवारी/ले.पा. : जाखन  
 थाना : राजपुर  
 पोस्ट ऑफिस : राजपुर पिन - 248001  
 तहसील : देहरादून  
 जिला : देहरादून

Address H.No : 0  
 Street/Mohalla : Veer Gabber Singh Basti  
 Village/Town : Nagar Nigam Dehradun  
 Patwari/Lekh. : Jakhan  
 Police Station : Rajpur  
 Post Office : Rajpur Pin - 248001  
 Tehsil : Dehradun  
 District : Dehradun

Date : 6 Mar 2013

30/998

22-मसूरी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण  
 अधिकारी के हस्ताक्षर की अनुकृति

Facsimile Signature of the Electoral Registration  
 Officer for 22-Mussoorie Constituency

आप बदलने पर, नई पते पर अपना नाम निर्वाचक सूचीकरण से हटाने के लिए इस कार्ड को नया पता पर  
 नया नंबर का कार्ड बनाने के लिए सम्बन्धित कार्ड में एक नया नंबर उभारव लियें।  
 In case of change in address, mention this Card No. in the relevant Form for including  
 your name in the roll at the changed address and to obtain the card with same number.

  
 भारत निर्वाचन आयोग  
 पहचान पत्र  
 ELECTION COMMISSION OF INDIA  
 IDENTITY CARD



निर्वाचक का नाम : कीर्ति चौहान

Elector's Name : Kirti Chauhan

पति का नाम : हंसराज चौहान

Husband's Name : Hansaraj Chauhan

लिंग / Sex : महिला/ Female

1.1.2013 को आयु : 28

Age as on 1.1.2013

## कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 645/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्री किशन कुमार पुत्र श्री संत राम सिंह,  
कैनाल रोड़ वीर गब्बर सिंह बस्ती, तरला नागल,  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 291 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 77 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- मदन
2. पश्चिम- रास्ता
3. उत्तर - प्रकाश
4. दक्षिण- सुनिता

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षक अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षक अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
देहरादून।

लिंग / Sex : महिला / Female

जन्म तिथि / आयु : XX/XX/1982 / 32  
Date Of Birth/ Age

पता : H.No.9, Veer Gabber Singh Basti, P.O. - राजपुर, तहसील- देहरादून, जिला- देहरादून-248009

Address : H.No.9, Veer Gabber Singh Basti, P.O. - Rajpur, Teh. - Dehradun, Dist.- Dehradun-248009



निर्वाचन एजिन्ट/ऑफिस अधिकारी  
Electoral Registrar Officer

Date: 21-01-2014

विधान सभा क्षेत्र की संख्या और नाम : 22 - मुसौरी

Assembly Constituency No & Name : 22 - Mussoorie

भाग संख्या और नाम : 32 - राष्ट्रीय इंटर कॉलेज बासा बाग, किशंपुर बाग  
Part No. & Name : 32 - Government Inter College (Leh Singh) Kishampur Bag

Part No and Name : 32 - Government Inter College (Leh Singh) Kishampur (Leh Part No 3)

**नोट / Note :**

1. इस कार्ड को धारण करने मात्र से यह कोई गारंटी नहीं है कि आप वर्तमान निर्वाचक नामावली में निर्वाचक हैं। कृपया अगले नए प्रत्येक चुनाव से पहले वर्तमान नामावली में जांच लें।

2. Mere possession of this card is no guarantee that you are elector in the current electoral roll. Please check your name in the current electoral roll before every election.

3. इस कार्ड में उल्लिखित जन्मतिथि को निर्वाचक नामावली में पंजीकरण के अलावा अन्य किसी भी स्थिति में आयु के प्रमाण के रूप में नहीं माना जाएगा।  
Date of Birth mentioned in this card shall not be treated as a proof of age/D.O.B. for any purpose other than registration in electoral roll.

भारत निर्वाचन आयोग  
ELECTION COMMISSION OF INDIA  
मतदाता फोटो पहचान पत्र - ELECTOR PHOTO IDENTITY CARD



नाम : विनोद देवी

Name : Vinod Devi

पति का नाम : कृष्ण कुमार

Husband's Name : Krishan Kumar

B 513B/EP/300000/10.4 Kg./March 2012



## FEDERAL BANK

YOUR PERFECT BANKING PARTNER

Regd. Office : Aluva, Kerala, India

24X7 PHONE BANKING

TOLL FREE NOS { 1800-425-1199  
1800-420-1199

Br.:

THE FEDERAL BANK LTD  
DEHRADUN  
447 RAJPUR ROAD, OPPOSITE HOTEL GREAT VALUE  
DEHRA DUN UTTARAKHAND  
DEHRADUN  
UTTARANCHAL - 248001  
Phone: 01352745651  
MICR Code: 248049002  
IFSC : FDRL0001450  
Toll Free number: 1800 425 1199

EXERCISE YOUR NOMINATION FACILITY

ABBREVIATIONS USED IN THE PASSBOOK		
Sl.No.	Abbreviation	Expansion
1	AWB	Any Where Banking
2	CHQ	Cheque
3	Coll.	Collection
4	Commn.	Commission
5	Cr.	Credit
6	DD	Demand Draft
7	Dr.	Debit
8	DW	Dividend Warrant
9	ECS	Electronic Clearing Service
10	Fbxxxx	Standing Instruction
11	FCCP	Foreign Currency Cheque Purchased
12	IBC	Inward Bills for Collection
13	IBP	Inward Bills under LC
14	ICBP	Inland Clean Bills Purchased
15	IDBP	Inland Documentary Bills Purchased
16	Inst.	Instrument
17	Int.	Interest
18	IO	Interest Out Flow
19	LCC	Local Cheque for Collection
20	LCP	Local Cheque Purchased
21	OBC	Outward Bills for Collection
22	Pd.	Paid
23	POS Sur	Point of Sale Surcharge
24	RTN	Return
25	Tran.	Transaction
26	Trf.	Transfer

5471900900

Account Type : Savings Account  
Account Number : XXXXXXXXXX  
Customer ID : 25913313  
Name : MRS VINOD BEVI  
Address : 09 VEER GABBER SINGH BASHI  
RAJPUR  
DEHRADUN-248001, INDIA



DEPOSIT PRODUCTS
Yuvamitra
Fixed Deposits
Cash Certificates
Federal Savings Fund/Fedjeevan
Suraksha Deposit
Current Deposit Account
Privilege Current Account

Operational Instruction : SINGLE  
Date of Opening : 15-03-2011  
Account activation date :  
(For Pre-opened kits)

ADVANCE PRODUCTS
Personal Loans
Personal Car Loans
Housing Loans
Kissan Credit Cards
Vaniya Loan
Gold Loans and many more

Authorised Signatory :

For details, please contact any of our branches or visit [www.federalbank.co.in](http://www.federalbank.co.in)

## कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 646/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्रीमती निर्मला देवी पत्नी श्री प्रकाश लाल,  
कैनाल रोड़ वीर गब्बर सिंह बस्ती, तरला नागल,  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 291 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 32 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- मदन
2. पश्चिम- रास्ता
3. उत्तर - नीलम
4. दक्षिण- किशन

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपडी/घेरबाड आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

  
 अधीक्षण अभियन्ता,  
 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
 देहरादून।  
*o/c*

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

  
 अधीक्षण अभियन्ता,  
 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
 देहरादून।  
*o/c*

1735

क्र. ID 124



कार्पोरेशन बैंक  
Corporation Bank

आवर्ती जमा खाता  
RECURRING DEPOSIT  
ACCOUNT

शाखा

Branch :

3280 JAKHAN  
JAKHAN TOWER  
132 RAJPUR ROAD,  
JAKHAN  
DEHRADUN

कार्य समय

Business Hours :

Tel: 2733637 2733937  
On Regular Days 10:00 TO 14:00 AND 14:30 TO 15:30  
On Half Working Day 10:00 TO 12:30

साप्ताहिक छुट्टी

Weekly Holiday :

SUNDAY IFSC CODE :CORP0003280 MICR CODE :248017503

खाता संख्या

Account No. :

Account No. : [REDACTED] OF [REDACTED] DEPT/INSTR/INT/CS/ECS. [REDACTED] ES



खातेदार का नाम

MR NIRMAL WO PRAKASH LAL

Name of the Account Holder :

पता Address :

H.NO-1  
VEER GABBAR SINGH BASTI  
DEHRADUN

Pin : 248001

प्रचालन अनुदेश

211044- OTHERS [PUBLIC]

Operational Instructions

211044- SELF 13 11  
20 JET 03 358 1

खाता खोलने की तारीख

31/07/2015

Date of Opening of Account :

Nomination: 201535085 Nomination Date : 31/07/2015

Nominee Name : NOMINATION REGISTERED

परिचयकर्ता का नाम

Name of the Introducer :

Tel. No. - General Queries only - [ Toll Free ] 1800-425-3555 [BSNL/MTNL Line]

Name of the Chief Grievance Redress Officer : Shri. N.Vija ya Kumar, General Manager

Tel. No. : 0824 - 2411429 Fax No. : 0824 - 2444161 Email ID : nvk@corpbank.co.in

Authorised Signatory





भारत निर्वाचन आयोग

ELECTION COMMISSION OF INDIA

मतदाता फोटो पहचान पत्र - ELECTOR PHOTO IDENTITY CARD



नाम : निर्मल

Name : NIRMAL

पति का नाम : प्रकाश लाल

Husband's Name : PRAKASH LAL

लिंग / Sex : महिला / Female

जन्म तिथि / आयु : XXXXX/1985 / 31  
Date Of Birth/ Age

पता : ग्राम- वीर गबबर सिंह बस्ती तरला नागल, पो.- गुजराडा,  
महसील- देहरादून, जिला- देहरादून-248001

Address : Vill - Vir Gabbar Singh Basti Tarla Nagal,  
P.O - Gujraa, Teh.- Dehradun, Dist -  
Dehradun-248001

*fec*

Date : 09-04-2015

निर्वाचन एग्रीगेशन अधिकारी  
Electoral Registration Officer

विधान सभा क्षेत्र की संख्या और नाम : 19 - रायपुर  
Assembly Constituency No & Name : 19 - Raipur

पार्ट नंबर और नाम : 4 - बहादुर सिंह नेगी राजकीय इंटर कॉलेज, गुजराडा  
प.नं. 2

Part No and Name : 4 - Bahadur Singh Negi Government Inter  
College ; Gujraa R.No. 2

नोट / Note :

1. इस कार्ड को धरने वाले को यह कोई गारंटी नहीं है कि वह वर्तमान निर्वाचन एग्रीगेशन में निर्वाचक है। कृपया अपने नाम प्रत्येक चुनाव से पहले वर्तमान एग्रीगेशन में जांच लें।

2. इस कार्ड में उल्लिखित जननीति को निर्वाचन एग्रीगेशन में प्रतीक के रूप में नहीं माना जाएगा।  
Date of Birth mentioned in this card shall not be treated as a proof of age/D.O.B. for any purpose other than registration in electoral roll.

## कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 643/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक:- 22/05/24

सेवा में,

श्रीमती नीलम पत्नी श्री मदन सिंह,  
कैनाल रोड वीर गब्बर सिंह बस्ती, तरला नागल,  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 291 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 55 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- ढांग
2. पश्चिम- रास्ता
3. उत्तर - बेबी
4. दक्षिण- निर्मला

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपडी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
देहरादून।

1738



भारत निर्वाचन आयोग  
पहचान पत्र

ELECTION COMMISSION OF INDIA



UK: 12358530

निर्वाचक का नाम : मदन सिंह  
Elector's Name : Madan Singh  
पिता का नाम : मोहन लाल  
Father's Name : Mohan Lal  
लिंग / Sex : पुरुष / Male  
1.1.2013 को आयु : 32  
Age as on 1.1.2013

पता म.सं. : 0

गली/मोहल्ला : वीर गब्बर सिंह बस्ती

ग्राम/नगर : नगर निगम देहरादून

पटवारी/ले.पा. : जाखन

थाना : राजपुर

पोस्ट ऑफिस : राजपुर

पिन - 248001

तहसील : देहरादून

जिला : देहरादून

Address H.No : 0

Street/Mohalla : Veer Gabber Singh Basti

Village/Town : Nagar Nigam Dehradun

Patwar/Lekh. : Jakhan

Police Station : Rajpur

Post Office : Rajpur

Pin - 248001

Tehsil : Dehradun

District : Dehradun

Date : 6 Mar 2013

30/976

22-मुसोरी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण  
अधिकारी की हस्ताक्षर की अनुमति

Facsimile Signature of the Electoral Registration  
Officer for 22-Mussoorie Constituency

यदि आपको पता चले कि यह पत्र गलत जानकारी के साथ प्रेषित किया गया है तो कृपया तुरंत इसे वापस भेजें।  
If you notice in the mail or the changed address and to obtain the card in the same manner.

## कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 648/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक:- 22/05/24

सेवा में,

श्रीमती बेबी पत्नी श्री संजय सिंह,  
कैनाल रोड़ वीर गब्बर सिंह बस्ती, तरला नागल,  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 291 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 63 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- ढांग
2. पश्चिम- रास्ता
3. उत्तर - निर्मला
4. दक्षिण- नीलम

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपडी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
देहरादून।



# उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि.

भुगतान पावती मूल प्रति B

0302202

कार्यालय ANARWALA

RATE

344 1080005

दिनांक: 21-Oct-2015

सर्विस कनेक्शन संख्या :

48 [REDACTED] 088

Load : 1.0 KW

एकाउन्ट संख्या :

उपभोक्ता का नाम :

Mrs. BABY, GABBAR SINGH BASTI, TARLA NAGAL, BHAG

कुल देय राशि :

Mode : Cash

SECURITY DEPOSIT

1200.00

SERVICE LINE CHARGES

₹ 600.00

प्राप्त राशि Payment Towards : NEW CONNECTION

चैक/ड्राफ्ट विवरण

₹ 1800.00

संख्या :

दिनांक :

(धनराशि One Eight Zero Only)

काउन्टर संख्या

11 /सब्सक्रिप्शन के हित में बिजली बचायें

संग्रहकर्ता के हस्ताक्षर

कस्टमर केयर टोल फ्री न. 1800-419-040

एवं मॉडर

## कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 651/...../एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक:- 22/05/24

सेवा में,

श्रीमती सुमन पत्नी श्री विनोद,  
कैनाल रोड, वीर गब्बर सिंह बस्ती, तरला नागल कैनाल रोड,  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल कैनाल रोड के खसरा नं0 291 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 12 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- संजोग
2. पश्चिम- रास्ता
3. उत्तर - संजोग
4. दक्षिण- दुकान

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपडी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

  
अधीक्षण अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
o/c देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

  
अधीक्षण अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
o/c देहरादून।



## कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 652.../एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक:- 22/05/24

सेवा में,

श्री संजोग पुत्र श्री राजेश,  
कैनाल रोड, वीर गब्बर सिंह बस्ती, तरला नागल कैनाल रोड,  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल कैनाल रोड के खसरा नं0 291 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 110 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- ढांग
2. पश्चिम- रास्ता
3. उत्तर - गली
4. दक्षिण- ममता

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्टय हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।



अधीक्षण अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
o/c देहरादून।


प्रतिलिपि-

1. जिलाधिकारी महोदय, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।



अधीक्षण अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
o/c देहरादून।

लिंग / Sex : पुरुष / Male  
 तिथि / आयु : XX/XX/1991 / 25  
 Date of Birth / Age : XX/XX/1991 / 25  
 पता : गा. वी. वर गबबर सिंह बस्ती तरावा नागल, पो. गुजराडा,  
 देहरादून, जिला- देहरादून-248001  
 Address : VII - Vr Gabbar Singh Basti Taras Nagal,  
 P.O- Gujraada, Teh.- Dehradun, Dist.-  
 Dehradun-248001  
 ति. 04-04-2019  
 निर्वाचन एगिस्ट्रार कार्यालय  
 Electoral Registration Officer  
 निर्वाचन क्षेत्र क्र. 19 - राबुर  
 Assembly Constituency No & Name : 19 - Raipur  
 वर गबबर सिंह बस्ती तरावा नागल, गुजराडा  
 पो. 2  
 Part No and Name : 4 - Bahadur Singh Negi Government Inter  
 College, Gujraada No 2  
 टिप्पणी / Note :  
 1. इस कार्ड को धारण करने का यह कोई गारंटी नहीं है कि आप वर्तमान  
 निर्वाचन एगिस्ट्रार में दर्ज हैं। प्रत्येक चुनाव से पहले चुनाव से पहले  
 वर्तमान एगिस्ट्रार में जांचें।  
 2. इस कार्ड में उल्लिखित तिथि को निर्वाचन एगिस्ट्रार में दर्ज होने के  
 लिये इस तिथि को प्रमाण के रूप में नहीं माना जाएगा।  
 Date of Birth mentioned in this card shall not be treated  
 as a proof of age/D.O.B. for any purpose other than  
 registration in electoral roll.

भारत निर्वाचन आयोग  
 ELECTION COMMISSION OF INDIA  
 मतदाता फोटो पहचान कार्ड - ELECTOR PHOTO IDENTITY CARD  
  
  
 नाम : संजोक कुमार  
 Name : SANJOK KUMAR  
 पिता का नाम : राजेश कुमार  
 Father's Name : RAJESH KUMAR

## कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 653/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक:- 22/05/24

सेवा में,

श्री चतुर चन्द पुत्र श्री श्याम चन्द,  
कैनाल रोड, वीर गब्बर सिंह बस्ती, तरला नागल कैनाल रोड,  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल कैनाल रोड के खसरा नं0 291 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 25 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- ढांग
2. पश्चिम- संजोग
3. उत्तर - मीना
4. दक्षिण- ढांग

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपडी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

  
अधीक्षक अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
देहरादून।

o/c

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

  
अधीक्षक अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
देहरादून।

o/c

1746



सिंडिकेट बैंक  
Syndicate Bank

भारत सरकार का उपक्रम A Govt. of India Undertaking  
www.syndicatebank.in



शाखा का नाम और पता  
Name & Address of the Branch:  
SCHOLARS HOME DEHRA DUN  
152  
RAJPUR ROAD  
DEHRA DUN , 248009



MICR No:  
248025003

टेलीफोन सं./Tel. No: १८१७००५९२७  
फैक्स/Fax:  
ई-मेल/E-mail: br.8517@syndicatebank.co.in

IFSC No:  
[REDACTED]

Business Hours

नाम  
Name  
पता  
Address  
Ms GOVINDI DEVI  
W O SHYAM CHANDRA  
15 VEER GABBAR SINGH

जन्म तिथि  
Date of Birth  
BASTI RAJPUR DEHRADUN , 248001  
01/01/1949 PAN

खाता सं  
A/c No. [REDACTED] 0

Aadhaar :

Joint Name  
खाता खोलने की तिथि  
Account Opened on 05/09/2014

नामांकन सं.  
Nomination Registration No. & Date  
Customer ID: 43604900



A/C Operating Instruction:  
पास-बुक निगम तिथि  
Date of Issue of Pass Book

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता  
Authorised Signatory

23/09/2014





# उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि.

भुगतान पावती मूल प्रति B 6448482

कार्यालय ANARWALA

सर्विस कनेक्शन संख्या : 344 [REDACTED] 1080003 दिनांक: 30-Jan-2012 12:08

एकाउन्ट संख्या : 484 [REDACTED] 068 Load : 1.0 KW

उपभोक्ता का नाम : Mr. CHATUR CHAND, VIR GABBAR SINGH BASTI, TAPLA

कुल देय राशि : Mode : Cash

SECURITY DEPOSIT ₹ 1200.00

SERVICE LINE CHARGES ₹ 600.00

प्राप्त राशि Payment Towards : NEW CONNECTION

चैक/ड्राफ्ट विवरण ₹ 1800.00

संख्या : दिनांक : (R) राशि One Eight Zero Zero Only

काउन्टर संख्या

11 / राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय के हित में विजली बचायें

कस्टमर केयर टोल फ्री नं. 1800-419-0405

संग्रहकर्ता के हस्ताक्षर एवं मोहर

## कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 655 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0-417-2022 / 2024-25

दिनांक:- 29/05/24

सेवा में,

श्रीमती कबुतरी देवी पत्नी श्री रमेश कोठियाल,  
कैनाल रोड़, वीर गब्बर सिंह बस्ती, तरला नागल कैनाल रोड़,  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल कैनाल रोड़ के खसरा नं0 291 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 66 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- सुधा
2. पश्चिम- ओम प्रकाश
3. उत्तर - .....
4. दक्षिण- नाला


कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

  
अधीक्षण अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
o/c देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

  
अधीक्षण अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
o/c देहरादून।

1750

भारत निर्वाचन आयोग  
ELECTION COMMISSION OF INDIA  
मतदाता फोटो पहचान पत्र - ELECTOR PHOTO IDENTITY CARD





नाम : कबुतरी देवी  
Name : KABUTARI DEVI  
पति का नाम : रमेश कोठियाल  
Husband's Name : RAMESH KOTHIYAL

लिंग / Sex महिला / Female  
जन्म तिथि / आयु XXXX/1980 / 38  
Date Of Birth/ Age

पता : ग्राम- बीर नगर सिंह बस्ती दरसा नामग, पो- गुजराडा,  
बहुसील- देहरादून, जिला- देहरादून-248001  
Address : Vill.- Vir Nagar Singh Basti Darasa Namg,  
P.O.- Gajara , Teh.- Dehradun, Dist.-  
Dehradun-248001

*[Signature]*  
निर्वाचन रजिस्ट्रार कार्यालय  
Election Registrar Office  
Date : 09-04-2019

विधान सभा क्षेत्र की संख्या और नाम : 19 - रायपुर  
Assembly Constituency No & Name : 19 - Raipur  
भाग संख्या और नाम : 4 - बहादुर सिंह नेगी राजकीय इंटर कॉलेज , गुजराडा  
Part No and Name : 4 - Bahadur Singh Negi Government Inter  
College, Gajara R.No. 2

नोट / Note :

1. इस कार्ड की धारण करने मात्र से यह कोई गारंटी नहीं है कि आप वर्तमान निर्वाचन चक्रावधि में निर्वाचक हैं। कृपया अपने नाम वर्तमान चुनाव में पहले मतदान नामावली में जांच लें।  
More possession of this card is no guarantee that you are elector in the current electoral roll. Please check your name in the current electoral roll before every election.

2. इस कार्ड में उल्लिखित जानकारी को निर्वाचक चक्रावधि में पंजीकरण के अर्थ में अन्य किसी भी विधि में 30 नवंबर के अंश के रूप में नहीं माना जाएगा।  
Date of Birth mentioned in this card shall not be treated as a proof of age/D.O.B. for any purpose other than registration in electoral roll.

## कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 656.../एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक:- 22/05/24

सेवा में,

श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री लक्षमण सिंह,  
कैनाल रोड़, वीर गब्बर सिंह बस्ती, तरला नागल कैनाल रोड़,  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल कैनाल रोड़ के खसरा नं0 291 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 50 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- ढांग
2. पश्चिम- कबुतरी
3. उत्तर - खाली
4. दक्षिण- ढांग

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

  
अधीक्षण अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
देहरादून।  
o/c

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

  
अधीक्षण अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
देहरादून।  
o/c




भारत निर्वाचन आयोग



ELECTION COMMISSION OF INDIA

मतदाता फोटो पहचान पत्र - ELECTOR PHOTO IDENTITY CARD



नाम : ओम प्रकाश सिंह

Name : Om Prakash Singh

पिता का नाम : सज्जन सिंह

Father's Name : Sajan Singh

भारत निर्वाचन आयोग

Sex:  Male /  Female

Date of Birth: XX/XX/1991/23

Address: H.No. 18, Veer Gabber Singh Basti, P.O. Rajpur, Tehsil Dehradun, Dist. Dehradun-248009

Address: H.No. 18, Veer Gabber Singh Basti, P.O. Rajpur, Teh. - Dehradun, Dist. - Dehradun-248009



Electoral Registration Officer

Date: 21-01-2014

Assembly Constituency No & Name: 22 Mussorie  
School Name: 32 Government Inter College (Laxi Singh Rajpur (Laxi Part No 2))  
School Name: 32 Government Inter College (Laxi Singh Rajpur (Laxi Part No 2))

Note / Note

1. इस कार्ड को धारण करने मात्र से यह कोई गारंटी नहीं है कि आप वर्तमान निर्वाचक नामावली में निर्वाचक हैं। कृपया अपना नाम प्रत्येक चुनाव से पहले वर्तमान नामावली में जाँचें।

2. Mere possession of this card is no guarantee that you are elector in the current electoral roll. Please check your name in the current electoral roll before every election.

3. इस कार्ड में उल्लिखित जानकारी को निर्वाचक नामावली में प्रतीक के अभाव में किसी भी स्थिति में आरंभ के प्रमाण के रूप में नहीं माना जाएगा।

Date of Birth mentioned in this card shall not be treated as a proof of age/D.O.B. for any purpose other than registration in electoral roll.



ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ  
ಆರ್ಥಿಕ ಸಚಿವರು  
ಬೆಂಗಳೂರು

ಬೆಂಗಳೂರು

1977 ರಿಂದ  
ಸರ್ಕಾರ

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 657/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक:- 22/05/24

सेवा में,

श्रीमती सुधा दवी पत्नी श्री हरीश चन्द्र,  
कैनाल रोड़, वीर गब्बर सिंह बस्ती, तरला नागल कैनाल रोड़,  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल कैनाल रोड़ के खसरा नं0 291 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 140 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- ढांग
2. पश्चिम- कबुतरी
3. उत्तर - ढांग
4. दक्षिण- ढांग

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपडी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

  
अधीक्षण अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

  
अधीक्षण अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
देहरादून।

1756


 भारत निर्वाचन आयोग  
 ELECTION COMMISSION OF INDIA  
 मतदाता फोटो पहचान पत्र - ELECTOR PHOTO IDENTITY CARD






**नाम : हरीश चन्द्र**  
**Name : HARISH CHANDRA**  
**पिता का नाम : रवि चन्द्र**  
**Father's Name : RAM CHANDRA**

लिंग / Sex : पुरुष / Male  
 जन्म तिथि / आयु : 05/10/1978 / 38  
 Date Of Birth/ Age

पता : म नो.02, वीर गम्बर सिंह बस्ती, पो.- राजपुर, तहसील-  
 देहरादून, जिला- देहरादून-248009  
 Address : H.No.02, Veer Gabber Singh Basti, P.O-  
 Rajpur, Teh.- Dehradun, Dist.- Dehradun-248009

Date : 14-08-2015  
 निर्वाचक रजिस्ट्रार कार्यालय  
 Electoral Registration Officer

विधान सभा क्षेत्र की संख्या और नाम : 22 - मुसोरी  
 Assembly Constituency No & Name : 22 - Mussoorie  
 लोक सभा क्षेत्र नाम : 39 - राजकीय इंटर कॉलेज बोया बागी, पिपनपुर बाया  
 लोक स.सं. 3)  
 Part No and Name : 39 - Government Inter College (Left Sight) ;  
 Idharapur (Left Part R.No 3)

**नोट / Note :**  
 1. इस कार्ड को धारण करने मात्र से यह कोई गारंटी नहीं है कि आप वर्तमान निर्वाचक नामावली में निर्वाचक हैं। कृपया अपना नाम प्रत्येक चुनाव से पहले वर्तमान नामावली में जांच लें।  
 Mere possession of this card is no guarantee that you are elector in the current electoral roll. Please check your name in the current electoral roll before every election.  
 2. इस कार्ड में उल्लिखित जन्मतिथि को निर्वाचक नामावली में पंजीकरण के अलावा अन्य किसी भी स्थिति में आयु के प्रमाण के रूप में नहीं माना जाएगा।  
 Date of Birth mentioned in this card shall not be treated as a proof of age / D.O.B. for any purpose other than registration in electoral roll.

## कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 656 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0-417-2022 / 2024-25

दिनांक:- 22/05/24

सेवा में,

श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह,  
कैनाल रोड, वीर गब्बर सिंह बस्ती, तरला नागल कैनाल रोड,  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल कैनाल रोड के खसरा नं0 291 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 56 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- ढांग
2. पश्चिम- रास्ता
3. उत्तर - सीता राम
4. दक्षिण- संजू

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।


एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

  
अधीक्षण अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
देहरादून।  
o/c

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

  
अधीक्षण अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
देहरादून।  
o/c



नाम / Name: [Blank] / [Blank]  
 पता / P.O. / Address: XXXXX/1993/21  
 Date of Birth / Age: [Blank]  
 पता / P.O. / Address: H.No. 18, Vpo: Gabber Singh Bhasi, P.O. Rajpur, Tah. Dehradun, Dist. Dehradun-248009  
 Address: H.No. 18, Vpo: Gabber Singh Bhasi, P.O. Rajpur, Tah. Dehradun, Dist. Dehradun-248009  
 Date: 21-01-2014  
 Election Registration Officer  
 Assembly Constituency No & Name: 32 - Mussoorie  
 Part No and Name: 32 - Government College (Lah Singh) Rajpur (Lah Part B No 3)  
 Note / Note: [Blank]  
 Note: Possession of this card is no guarantee that you are elector in the current electoral roll. Please check your name in the current electoral roll before every election.  
 Note: The date of birth mentioned in this card shall not be treated as a proof of age/O.C.B. for any purpose other than registration in electoral roll.

सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले संक्षेपाक्षर / GENERALLY USED ABBREVIATIONS

a/c = Account/खाता	Csh = Cash/कस्दी	Pos = Point of Sale/पॉइंट ऑफ सेल
adj = Adjustment/समायोजन	dep = Deposit/वसूली	Pr = Principal/मूलधन
Amt = Amount/रकम	Dft = Draft/ड्राफ्ट	roc = Processing Charge/प्रक्रिया प्रभार
Ar = Arrear/वसूलीपारशि	dish/dsh = Dishonor	rd = Recurring Deposit/आवर्ती वसूली
bal = Balance/बैलेंस	DR = Debit/क्रेडिट	rt/rtn = Return/वापसी
Capn = Capitalisation/पूंजीकरण	DOB = Date of Birth	nd = Round off/पूर्णांकित
Chg/ch = Charge/भार	eft = Electronic Func	s = Savings Bank/संचयन बैंक
Chq = Cheque/चेक	Inop = Inoperative/अकार्य	sc = Short Credit/शॉर्ट क्रेडिट
CIF = Customer Information File/ग्राहक सूचना फाइल	Ins = Insurance/बीमा	SI/SORD = Standing Instruction/स्थायी अनुदेश
Clos = Closure/समाप्ति	Int / In = interest/ब्याज	S/D/W/H/o = Son/Daughter/Wife/Husband of/ पुत्र/ पुत्री/पत्नी/पति
Coll = Collection/समाह्वय	Ion/loan/कर्ज	T/rf/xfer = Transfer/अंतरण
Comm. = Commission/कमीशन	min = Minimum/न्यूनतम	Trn = Transaction/लेनदेन
COR/CORR = Correction/संशोधन	os = Outstanding/वसूलीपारशि	Wdl = Withdrawal/आहरण
CR = Credit/क्रेडिट	P&T = Postal Charges/पत्र भुगतान	+MOD bal = Total balance (SB + linked MOD a/c)/कुल जमा देन (सब बैंक + जुड़वले खाते)



भारतीय स्टेट बैंक  
STATE BANK OF INDIA  
Branch: JAKHAN Code: 6155  
140F. RAJPUR ROAD JAKHAN

Email: sbi.06155@sbi.co.in  
Phone No.: 2734420  
IFSC: SBIN0006155

Buss. Hrs: 10:00:00-16:00:00  
MICR: 248002009

Name: OM PRAKASH SINGH  
S/D/H/o : LAXMAN SINGH  
CIF Number : [REDACTED]  
A/c Type : REGULAR SAVINGS BANK ACCOUNT  
Address : HNO 18  
VEER GABBAR SINGH BASTI  
PO RAJPUR, DEHRADUN  
Phone No. :  
Email :  
D.O.B. (If Minor):  
PPO Number :

MOP: SINGLE  
A/c Opening Dt: 07/12/2010  
Nom Reg No:  
Customer's PAN: DFPPS0801L  
Date of Issue: 27/12/2022  
CONTINUATION  
Post Code: 248001  
Sr. Citz Flag:



1761

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून।

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 659/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्री सीता राम पुत्र श्री देक चन्द,  
कैनाल रोड, वीर गम्बर सिंह बस्ती, तरला नागल कैनाल रोड,  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल कैनाल रोड के खसरा नं0 291 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 66 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- ढांग
2. पश्चिम- सड़क
3. उत्तर - गोवी देवी
4. दक्षिण- ओम प्रकाश

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सन्दर्भ में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,

e/c देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभियन्ता,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,

e/c देहरादून।

प.क्र.।D 133


**कार्पोरेशन बैंक**  
**Corporation Bank**

 शाखा  
 Branch : 3280 JAKHAN  
 JAKHAN TOWER  
 132 RAJPUR ROAD,  
 JAKHAN  
 DEHRADUN  
 Tel: 2733637 2733937

 कार्य समय  
 Business Hours : On Regular Days 10:00 TO 14:00 AND 14:30 TO 15:30  
 On Half Working Day 10:00 TO 12:30  
 SUNDAY IFSC CODE :CORP0003280 MICR CODE :248017503

साप्ताहिक छुट्टी

 Weekly Holiday : Account No : [REDACTED]  
 [SB /01/002004] P.Code :000512 INR INDIAN RUPEES
खाता संख्या  
Account No. :

MR SITA RAM SO NAUBAT SINGH

खातेदार का नाम

Name of the Account Holder

पता Address :

 VEER GABBAR SINGH BASTI  
 PO RAJPUR JAKHAN  
 DEHRADUN  
 UTTARAKHAND  
 Pin : 248001

प्रचालन अनुदेश

Operational Instructions :

SELF

OTHERS [PUBLIC]

दिनांक मुहर

Date Seal

खाता खोलने की तारीख

25/05/2015

Date of Opening of Account :

Nomination: 201534665 Nomination Date : 25/05/2015

Nominee Name : SHYAMO DEVI

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

 Tel. No. - General Queries only - [ Toll Free ] 1800-425-3555 (BYND/MTN/STN) Signatory  
 Name of the Chief Grievance Redress Officer : Shri. N.Vija ya Kumar, General Manager  
 Tel. No. : 0824 - 2411429 Fax No. : 0824 - 2444161 Email ID : nvk@corpbank.co.in

## कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 561/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्रीमती कुसुम,  
कैनाल रोड, वीर गब्बर सिंह बस्ती, तरला नागल कैनाल रोड,  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल कैनाल रोड के खसरा नं0 291 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 50 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- ढांग
2. पश्चिम- सड़क
3. उत्तर - हेमा
4. दक्षिण- गोवी देवी


कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

  
अधीक्षण अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

  
अधीक्षण अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
देहरादून।





कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 662/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक:- 22/05/24

सेवा में,


श्रीमती हेमा पत्नी श्री महेश पटेल,  
कैनाल रोड, वीर गब्बर सिंह बस्ती, तरला नागल कैनाल रोड,  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल कैनाल रोड के खसरा नं0 291 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 120 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- ढांग
2. पश्चिम- सड़क
3. उत्तर - रिता राय
4. दक्षिण- कुसुम

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

  
अधीक्षण अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
o/c देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

  
अधीक्षण अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
o/c देहरादून।



सूचना

- आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं।
- पहचान का प्रमाण ऑनलाइन प्रमाणीकरण द्वारा प्राप्त करें।

INFORMATION

- Aadhaar is proof of identity, not of citizenship.
- To establish identity, authenticate online.

26R / 41933

- आधार देश भर में मान्य है।
- आधार भविष्य में सरकारी और गैर-सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने में उपयोगी होगा।
- Aadhaar is valid throughout the country.
- Aadhaar will be helpful in availing Government and Non-Government services in future.



भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण  
Unique Identification Authority of India


Address: C/O Mahesh, PHASE -3 VIR GABAR SINGH BASTI, TARALA NAGAL, RAJPUR, Dehradun, Dehradun, Uttarakhand, 248031



1947

help @ uidai.gov.in

www.uidai.gov.in




Enrollment No.: 0661/30330/01560

To,  
Hema  
C/O Mahesh  
PHASE -3 VIR GABAR SINGH BASTI  
TARALA NAGAL  
RAJPUR Dehradun  
Dehradun Chakrata Dehradun  
Uttarakhand 248001  
8958219022

Ref: 503 / 26R / 41933 / 42203 / P



SB953889702FH



भारत सरकार  
Government of India



भारत सरकार  
Government of India



Hema  
DOB: 01/01/1984  
Female



मेरा आधार, मेरी पहचान

## कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 663.../एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक:- 22/05/24

सेवा में,

श्रीमती रीता राय पत्नी श्री कर्मू राय,  
कैनाल रोड़, वीर गब्बर सिंह बस्ती, तरला नागल कैनाल रोड़,  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल कैनाल रोड़ के खसरा नं0 291 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 44 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- ढांग
2. पश्चिम- सड़क
3. उत्तर - कपिल
4. दक्षिण- हेमा

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

  
अधीक्षण अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
O/c देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

  
अधीक्षण अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
O/c देहरादून।

1769



# भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार उपक्रम)

पंजाब ऑफिस : 4, और 6, करम भाय रोड, पो. बाक्स नं. 688, बेलारड इस्टेट, मुम्बई - 400 001

## BHARAT PETROLEUM CORPORATION LIMITED

(A GOVERNMENT OF INDIA ENTERPRISES)

REGISTERED OFFICE : BHARAT PETROLEUM CORPORATION LIMITED, BHARAT BHAVAN, 42, PUNJABI BAGH ROAD,

BALLARD ESTATE, P.B. NO. 688, MUMBAI - 400 001. CIN : L23220MH1952GOI008931 PHONE : 2271 3000 / 4000 FAX : 2271 3874

EMAIL : info@bharatpetroleum.in WEB : www.bharatpetroleum.in

एसवी/टीवी/टीए - प्रपत्र  
SV / TV / TA - FORM

SUBSCRIPTION VOUCHER

3. NO.	520892888	दस्तावेज का प्रकार DOCUMENT TYPE	
4058229700 DOCUMENT NO.	10/09/2014 DATE (DD/MM/YYYY)	उपभोक्ता क्रमांक CONSUMER NO.	41272548
186979	JEEVAN JYOTI BHARAT GAS SERVICES		
42/52- CANAL ROAD KISHANPUR DEHRADUN UTTARANCHAL 248001 डिस्ट्रिब्यूटर का कोड, नाम और पता DISTRIBUTOR CODE, NAME AND ADDRESS			

कनेक्शन CONNECTION	पंजीकरण REGISTRATION	उपकरण EQUIPMENT	कोड CODE	नग NOS.	राशि AMOUNT
प्रकार TYPE	श्रेणी CATEGORY	क्रमांक NO.	14.2 SDO	1	1450
NOT AVAILABLE		सिलिंडर CYLINDER		0	0
	दिनांक DATE	रेग्युलेटर REGULATOR			1450
कुल राशि शब्दों में AMOUNT IN WORDS	ONE THOUSAND FOUR HUNDRED AND FIFTY			कुल राशि TOTAL	

उपभोक्ता का नाम और पता CONSUMER NAME AND ADDRESS

REETA  
VIR GABBER SINGH BASTI BHAG 3 CANAL ROAD DEHRADUN 248001

LPGID : 10000 0000 4127 2548

पुराना ब्योरा OLD PARTICULARS	दस्तावेज DOCUMENT	क्रमांक NO.	दिनांक DATE
डिस्ट्रिब्यूटर कोड मूल DISTRIBUTOR CODE	एस. वी./टीवी/टीए SV / TV / TA		
टेरिटोरी कोड TERRITORY CODE	अतिरिक्त सिलिंडर एस वी. ADDITIONAL CYLINDER S. V.		
उपभोक्ता क्रमांक CONSUMER NO	एस. वी./टीवी/टीए SV./ TV/ TA		
तेल कंपनी OIL COMPANY			
रिकवरी ऑन अकाउंट ऑफ RECOVERY ON A/C OF	लॉस्ट LOST		डिफेक्टिव DEFECTIVE
सिलिंडर CYLINDER			
रेग्युलेटर REGULATOR			
डा ब्यो टो एन्ड गडवॉस DBTL ADVANCE			
कुल राशि TOTAL AMOUNT			

ट्रांसफर टू डिस्ट्रिब्यूटर का कोड, नाम और पता TRANSFER TO DISTRIBUTOR CODE, NAME AND ADDRESS

M/s Jeevan Jyoti Bharat Gas Service  
42/52, Canal Road, Kishanpur  
(Rajpur) Dehradun (U.K.)

टिप्पणी REMARKS

## कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 665/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक:- 22/05/24

सेवा में,

श्री विशाल पुत्र श्री राजेश,  
कैनाल रोड, वीर गब्बर सिंह बस्ती, तरला नागल कैनाल रोड,  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल कैनाल रोड के खसरा नं0 291 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 196 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- ढांग
2. पश्चिम- सड़क
3. उत्तर - ढांग
4. दक्षिण- रीता राय

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपडी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा ले अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के ढकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

  
अधीक्षण अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
देहरादून।

प्रतिलिपि-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु लिपि निर्धारित करने का कष्ट करें।

  
अधीक्षण अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
देहरादून।

1771

Consumer Personal Details

Consumer No	7011121138725	Category	STN-10 / OTHER DOMESTIC LOAD UPTO 4KW
Name	M VISHAL KUMAR	Account No / CIN	41600045194 / 03HD2U002011211001387251
Father Name	S/O SHRI RAJESH KUMAR	Billing Status	Live
Address	VIR GABBAR SINGH BASTI, BHAGABASTI, NAGAI	Contracted Load	1.00 KW
Phone no :		Connected Load	1.00 KW
Office Name	ANARWALA	Supply Release Date	02-Jan-2016
E-mail		Total Security Deposit	1200.00

Consumer Meter Details

Meter Number	60983139	Meter Make	LNT
Meter Type	WC	CT Type	NON-CT
Meter Capacity	5.30	Location	
Digit	6	Meter Constant	1
Height		Meter Phase	1
Meter Box No		Cover Seal 1	100328
Cover Seal 2		Terminal Seal No	3594425

Network Asset Details

Substation	33/11 KV DHAKPATI S/S	Feeder	11 KV O/G Rajpur Road
OTR Code/Name	UPCL-DP-F-B3/ GABBAR SINGH BASTI	Pole	UPCL-DP-F-B3-1-020

Back Close

## कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 666.../एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक:- 22/05/24

सेवा में,

श्री नीरज मिश्रा पुत्र श्री रामप्रताप मिश्रा,  
कैनाल रोड, वीर गब्बर सिंह बस्ती, तरला नागल कैनाल रोड,  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल कैनाल रोड के खसरा नं0 289 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 56 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- नीलिमा
2. पश्चिम- देवनाथ
3. उत्तर - रास्ता
4. दक्षिण- नीलपद

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपडी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।




अधीक्षण अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
देहरादून।

o/c

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।



अधीक्षण अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
देहरादून।

o/c



## कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 667/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्रीमती निलिमा देवी,  
कैनाल रोड़, वीर गब्बर सिंह बस्ती, तरला नागल कैनाल रोड़,  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल कैनाल रोड़ के खसरा नं0 289 श्रेणी 6-1 नदी रिस्यना रकबा 40 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- नदी
2. पश्चिम- स्वयं
3. उत्तर - जस्वन्त
4. दक्षिण- यादराय


कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

  
अधीक्षण अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
o/c देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

  
अधीक्षण अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
o/c देहरादून।

1775



भारत निर्वाचन आयोग  
ELECTION COMMISSION OF INDIA

पहचान पत्र  
IDENTITY CARD



निर्वाचक का नाम : नलिमा  
Elector's Name : Nilima  
पति का नाम : सत्य देव  
Husband's Name : Satya Dev  
लिंग / Sex : स्त्री Female  
1.1.2006 को आयु : 27  
Age as on 1.1.2006

पता पहचान पत्र संख्या :- [REDACTED]  
म.सं. : 51/3डी  
गली/मोहल्ला : केनालरोड  
ग्राम/नगर : किशनपुर  
पाना : राजपुर  
जिला : देहरादून

Address  
H.No. : 51/3 D  
Strt/Mohalla: Kenalarod  
Vill/Town : Kishanpur  
PoliceStn. : Rajpur  
Distt. : Dehradun  
Pin : 248001

निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी के  
हस्ताक्षर की अनुकृति  
निर्वाचन क्षेत्र 15- राजपुर  
Facsimile Signature of  
Electoral Registration Officer  
for 15- Rajpur

स्थान : देहरादून तिनांक : 01-11-2006  
Place : Dehradun Date

इस कार्ड को विभिन्न सरकारी योजनाओं के अन्तर्गत पहचान पत्र के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।

This card can be used as an Identity Card under different Government Programmes. 39/858

उत्तराखण्ड जल संस्थान					
दिनांक		04/02/2013	Rajpur		WWD-RJP
मांग पंजिका सं०		P-RJ361	विल की अवधि से		2076156
श्री/श्रीमती		RJ2733A-1	-		तक
पता		निलिमा -/सतय देव	-		माह
					0
जल मूल्य	जल कर	सीवर कर	सीवर सवि	अन्य प्राप्ति	जमा राशि (रु०)
0.00		0.00		3320.00	3,320.00
बिल सं०	P-RJ361/1	दिनांक	30-01-2013 को रिबिट राशि		
जमा राशि	3,320.00		Cash द्वारा प्राप्त हुई		
शब्दों में	THREE THOUSAND THREE HUNDRED TWENTY				
बकाया राशि	0.00				
अतिरिक्त जमा राशि	0.00	लेखाधिकारी	अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता		
नोट : चैक द्वारा भुगतान की दशा में जारी रसीद चैक कैश होने पर ही वैध होगी।					

## कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 668.../एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक:- 22/05/24

सेवा में,


श्री दीपक कुमार पुत्र श्री राजकुमार,  
कैनाल रोड, वीर गब्बर सिंह बस्ती, तरला नागल कैनाल रोड,  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल कैनाल रोड के खसरा नं0 289 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 140 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- नदी
2. पश्चिम- सड़क
3. उत्तर - लीलपथ
4. दक्षिण- जयप्रकाश

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

  
अधीक्षण अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
0/c देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

  
अधीक्षण अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
0/c देहरादून।

1778


# Government of Uttarakhand

## e-Stamp



सत्यमेव जयते

Certificate No.	: IN-UK39057379701117P
Certificate Issued Date	: 27-Oct-2017 02:14 PM
Account Reference	: NONACC (SV)/ uk1200304/ DEHRADUN/ UK-DH
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UKUK120030478614425104379P
Purchased by	: DEEPAK KUMAR
Description of Document	: Article Miscellaneous
Property Description	: NA
Consideration Price (Rs.)	: 0 (Zero)
First Party	: SUMITRA DEVI
Second Party	: DEEPAK KUMAR
Stamp Duty Paid By	: DEEPAK KUMAR
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 100 (One Hundred only)



Alt. No. ....  
 ASHUTOSH KUMAR  
 STAMP VENDOR No. 42  
 Court Compound, Dehradun

-----Please write or type below this line-----

सुमित्रा



Statutory Note

1. The authenticity of this e-stamp Certificate should always be checked by the user on the website provided at [www.assm.gov.in](http://www.assm.gov.in).
2. The user of e-stamp should be responsible to pay the stamp duty on the date of purchase.
3. In case of any discrepancy a complaint may be filed at [www.assm.gov.in](http://www.assm.gov.in).

1779  
मलबा विक्रय अनुबन्ध-पत्र

यह विक्रय अनुबन्ध पत्र आज दिनांक 27.10.2017 को श्रीमती सुमित्रा देवी पत्नी स्व० श्री श्याम लाल निवासी-तल्ला नागल निकट पनाश वैली, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून। (जिसको इस विलेख में आगे प्रथमपक्षगण कहकर सम्बोधित किया गया है)।

सुमित्रा प्रथमपक्ष / विक्रेता

एवं श्री दीपक कुमार पुत्र स्व० श्री राजकुमार निवासी-21 बॉडीगार्ड कैनाल रोड, जिला देहरादून (जिसे इस विलेख में आगे द्वितीयपक्षगण कहकर सम्बोधित किया गया है)।

दीपक कुमार  
द्वितीयपक्ष / क्रेता

विदित हो कि, प्रथमपक्ष अनुबन्ध पत्र की सूची में वर्णित मलबा की एकमात्र स्वामी, अध्यासी चली आ रही है। सूची में वर्णित मलबा हर प्रकार के भार बन्धन विवादों आदि से मुक्त व रहित है अर्थात् हर प्रकार से पाक व साफ हालत में है तथा प्रथमपक्ष को उक्त वर्णित मलबा व उसके भाग को वैधानिक रूप से विक्रय, अन्तरण, अनुबन्धित करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है प्रथमपक्ष उपरोक्त मलबा द्वितीय पक्ष को मलबा विक्रय करना चाहती है तथा द्वितीय पक्ष उपरोक्त मलबा को कय करने का इच्छुक है। इस सम्बन्ध में दोनों पक्षों के मध्य निम्नलिखित अनुबन्ध हो गया है,

1. यह कि अनुबन्धित मलबा विक्रय अनुबन्ध पत्र दोनों पक्षों ने इस विलेख की सूची में वर्णित मलबा का कुल सौदा मु० 5,00,000/-रु० (पाँच लाख रुपये) में तय पाया है तथा प्रथमपक्ष ने उक्त मलबे की उक्त धनराशि द्वितीय पक्ष से प्राप्त कर ली है। अब कोई लेना-देना शेष नहीं रहा है और आज से उक्त मलबे का कब्जा दिनांक-27.10.2017 को सौंप दिया है तथा द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि उक्त मलबे में बिजली कनेक्शन पानी का कनेक्शन अपने नाम पर ट्रांसफर कर ले।

सुमित्रा

दीपक कुमार

यह कि आज दिन मौके पर मलबे का निर्विवाद व रिक्त अध्यासन प्रथमपक्ष द्वारा द्वितीयपक्ष को सौंप दिया गया है। द्वितीयपक्ष को अधिकार होगा कि जिस प्रकार चाहे उक्त भूमि का उपभोग करे जिसमें प्रथमपक्ष या उसके वारिसान को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही होगी।

3. यह कि उक्त अनुबन्ध पत्र दोनों पक्षों की आपसी सहमति से पूरे होशों-हवास में लिखा जा रहा है तथा दोनों पक्षों द्वारा उक्त अनुबन्ध पत्र पर बिना किसी दबाव के पढ़कर व समझकर हस्ताक्षर किये जा रहे हैं।

### विवरण भूमि

यह कि वीर गब्बर सिंह बस्ती कैनाल रोड, देहरादून जिसमें 300 वर्गगज, जिसमें तीन कमरे एवं एक लैटिंग बाथरूम किचन निर्मित हैं।

अतः यह विक्रय अनुबन्ध पत्र आज दिनांक 27.10.2017 को दोनों पक्षों के मध्य स्थान देहरादून में साक्षीगण के उपस्थिति में लिख दिया ताकि सनद रहे एवं समयानुसार काम आवे।

हस्ताक्षर प्रथमपक्ष / विक्रेता

श्रीमती

साक्षीगण

1. Ram Babak.....

हस्ताक्षर द्वितीयपक्ष / क्रेता

दीपक कुमार

2. शिवानन्द.....

Personal Details		Category	STN-10 / OTHER DOMESTIC LOAD UPTO 4KW
Consumer No :	7021114116591	Account No / CIN :	40109642314 / 03H02U000711141001165912
Consumer Name :	SMT SUMITRA DEVI	Billing Status :	Dismantled
Address :	MALIN BUSTIVIR GUBER ,SINGH COLONY RAJPUR ,DEHRADUN ,NORTH	Contracted Load :	1.00 KW
Phone no :		Connected Load :	1.00 KW
Office Name :	ANARWALA	Supply Release Date :	04-Sep-2004
E-mail :		Total Security Deposit :	500.00

## Consumer Meter Details

Meter Number :	EL8146	Meter Make :	
Meter Type :	WC	CT Type:	
Meter Capacity :	5-30	Location :	
Digit :	6	Meter Constant :	6
Height :		Meter Phase :	1
Meter Box No :		Cover Seal 1 :	
Cover Seal 2 :		Terminal Seal No :	

## Network Asset Details

Substation :	33/11 KV DHAKPATTI S/s	Feeder :	11 KV O/G Rajpur Road
DTR Code/Name:	UPCL-DP-F-F1 / PB-SHIPRA VIHAR COLONY	Pole :	UPCL-DP-F-F1-1-003

Back Close

उपखण्ड अधिकारी  
विद्युत वितरण उपखण्ड  
अनारवाला राजपुर  
देहरादून

## कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 676 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0-417-2022 / 2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्री संत लाल पुत्र श्री राम अवतार,  
कैनाल रोड, वीर गब्बर सिंह बस्ती, तरला नागल कैनाल रोड,  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल कैनाल रोड के खसरा नं0 289 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 38 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- .....
2. पश्चिम- .....
3. उत्तर - दीपक
4. दक्षिण- .....

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

  
अधीक्षक अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
o/c देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।


  
अधीक्षक अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
o/c देहरादून।



भारत सरकार



आधार



भारत सरकार

Unique Identification Authority of India

Government of India

Enrollment No 1098/12707/026.17


To,  
Santlal  
S/O: Ramaavadh  
11 vir gabber singhn basti  
canal Road  
Kishan Pur  
Kishanpur Chakrata Dehradun  
Uttarakhand 248009

24/02/2015

Ref: 26986 / 04C / 3364390 / 3364488 / P



SE524461178FT



आधार - आम आदमी का अधिकार



भारत सरकार  
Government of India



Santlal  
DOB : 01/01/1960  
Male



## कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 672/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक:- 22/05/24

सेवा में,

श्रीमती सरजुवती पत्नी स्व0 श्री मनसा राम,  
कैनाल रोड़, किशनपुर, किशनपुर,  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम किशनपुर के खसरा नं0 161 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 42 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- नदी
2. पश्चिम- सड़क
3. उत्तर - नीरजमिश्रा
4. दक्षिण- मोहसिन


कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

  
अधीक्षण अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
o/c देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

  
अधीक्षण अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
o/c देहरादून।

उत्तराखण्ड जल संस्थान					
दिनांक 06/08/2014		Rajpur		WWD-RJP 3 322410	
P-RJ1042				3282410	
मांग पंजिका सं० UNR20653D-20 विल की अवधि से		-/-		तक -/-	
श्री/श्रीमती मन्शाराम रावत -/रामप्यारे रावत				माह 0	
पता					
बीर गब्बर सिंह बस्ती					
जल मूल्य	जल कर	सीवर कर	सीवर सीट	अन्य प्राप्ति	जमा राशि (रु०)
0.00		0.00		3836.00	3,836.00
P-RJ1042/1					
बिल सं०	दिनांक	03-07-2014	को रिबेट राशि		
जमा राशि	3,836.00	Cash	द्वारा प्राप्त हुई		
शब्दों में	THREE THOUSAND EIGHT HUNDRED THIRTY-SIX				
वकाया राशि	0.00				
अतिरिक्त जमा राशि	0.00	वरिष्ठ लेखाधिकारी		अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता	

नोट : चैक द्वारा भुगतान की दशा में जारी रसीद चैक कैश होने पर ही वैध होगी।

1 kwth DOMEKHE



उत्तराखण्ड पावर कार्पोरेशन लि०

पावती  
मूल प्रति

उपभोक्ता हेतु

067765

एस.पी.आई.एल. / 2007 रसीद सं०

41

पुस्तक संख्या A

जमा खाता (इकाई का नाम) ... Sh. MANSHRAM

1. उपभोक्ता का नाम व पता ... Sh. RAM PYARE

2. सर्विस कनेक्शन सं० ..... 3. ग्रुप संख्या / बुक सं०

4. प्राप्त राशि / (अको में) रु० ..... (शब्दों में) रुपया

5. वास्ते (1) फिक्स मूल्य रु० ... MR Gurbax Singh Beoshi

(2) विद्युत मूल्य रु० ... Canal Road Bagh-2

(3) विद्युत कर रु० ... 102 112 / 118962

(4) मीटर किराया रु०

(5) अन्य ... S.C - 4000 =

(6) बकाया रु० ... charge - 4000 =

कुल योग रु०

छूट रु० ... 4400 =

शुद्ध देय रु०

स्थान .....

दिनांक ... 30/12/08

सप्रह कर्ता का नाम एवं पद की मुहर

नोट: चैक से प्राप्त भुगतान तभी मान्य होगा जब तक कि भुगतान प्राप्त हो जायें।

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 673/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,


श्रीमती ईशा शर्मा पत्नी श्री गौरव कुमार,  
कैनाल रोड़ किशनपुर, किशनपुर  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम किशनपुर के खसरा नं0 161 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 15 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- मीना मसि, सड़क पी0डब्ल्यू0डी0
2. पश्चिम- .....
3. उत्तर - मौसिन
4. दक्षिण- गोविन्द सिंह मसि

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।



अधीक्षण अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
o/c देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनाार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का वाक्य करें।



अधीक्षण अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
o/c देहरादून।



जवाहर सिंह

673



1

### विक्रय पत्र

किस्म दिस्तावेज : विक्रय पत्र  
 विक्रय प्रतिफल : 5,50,000/- रू०  
 स्टाम्प शुल्क : 1,000/- रू०  
 ई-स्टाम्प नं० : IN-UK26303597127519 T.

सम्पत्ति स्थित :- वीर गब्बर सिंह कालोनी, शिप्रा विहार, किशनपुर कैनल रोड, जिला देहरादून।

सम्पत्ति का प्रकार :- व्यवसायिक दुकान

विक्रीत क्षेत्रफल :- वीर गब्बर सिंह कालोनी, शिप्रा विहार, किशनपुर कैनल रोड, जिला देहरादून, जिसका रकबा 21 वर्गगज जो कि प्रथमतल पर पूर्णतः निर्मित है।

प्रमुख मार्ग से दूरी :- विक्रीत भूमि/सम्पत्ति मुख्य कैनल रोड से 0 से 50 मीटर के अन्तर्गत स्थित है।

केता :- श्री गोविन्द सिंह मसीह पुत्र श्री रोहन सिंह मसीह निवासी वीर गब्बर सिंह कालोनी, शिप्रा विहार, किशनपुर कैनल रोड, जिला देहरादून।

Adhar No. : 6726 7647 8984

केता :- श्रीमती ईशा शर्मा पत्नी श्री गौरव शर्मा निवासी म०न० 2, दीपनगर, जिला देहरादून, उत्तराखण्ड।

Adhar No. : 7532 6004 8913

Latitude 30.37600, Longitude 78.08808



जवाहर सिंह मसीह

1/19

1789




सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL  
Government of Uttarakhand

e-Stamp

Certificate No.	: IN-UK26303597127519T
Certificate Issued Date	: 08-Jun-2021 02:12 PM
Account Reference	: NONACC (SV)/ uk1305504/ DEHRADUN/ UK-DH
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UKUK130550456374527855671T
Purchased by	: ISHA RANI
Description of Document	: Article Miscellaneous
Property Description	: NA
Consideration Price (Rs.)	: 0 (Zero)
First Party	: GOVIND SINGH MASI
Second Party	: ISHA RANI
Stamp Duty Paid By	: ISHA RANI
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 1,000 (One Thousand only)



A.No. 8  
BHAGYASHRI  
Stamp Vendor L.No. 233  
Court Compound, Dehradun

Govind Singh Masi

Dug

LIB 0011858221

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.stampstamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The burden of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy, please inform the Competent Authority.

विक्रय पत्र (मय मलवा कब्जा विलेख)

श्री गोविन्द सिंह मसीह पुत्र श्री रोहन सिंह मसीह निवासी वीर गब्बर सिंह कालोनी,  
शिप्रा विहार, किशनपुर कैनाल रोड, जिला देहरादून

—प्रथमपक्ष / विक्रेता

एवं

श्रीमती ईशा शर्मा पत्नी श्री गौरव शर्मा निवासी म0नं0 2, दीपनगर, जिला देहरादून,  
उत्तराखण्ड।

—द्वितीयपक्ष / क्रेता

के मध्य अंकित व निष्पादित किया गया।

विदित हो कि भूमि/सम्पत्ति जिसका पूर्ण विवरण इस विक्रय पत्र के अन्त में दिया गया है, का प्रथमपक्ष मालिक, स्वामी, काबिज व अध्यासी है तथा प्रथमपक्ष ने विक्रीत भूमि/सम्पत्ति पर प्रथमपक्ष पिछले 30 वर्षों से काबिज, अध्यासी चला आ रहा है, इस प्रकार प्रथमपक्ष को अनुबन्धित भूमि/सम्पत्ति को विक्रय अनुबन्ध पत्र तथा अग्रिम धनराशि प्राप्त करने के अधिकार प्राप्त है।

विदित हो कि द्वितीयपक्ष निम्न वर्णित भूमि/सम्पत्ति को क्रय करना चाहता है तथा प्रथमपक्ष विक्रय करना चाहता है, जिसके बाबत निम्न शर्तें तय पायी गयी हैं, जिसका पालन दोनों पक्षकार, उनके हित प्रतिनिधि, वारिसान, मालिक, स्वामी, एजेन्ट आदि करेंगे:-

- 1 यह कि पक्षकारों की सहमति से इस विलेख की सूची में वर्णित भूमि/सम्पत्ति का कुल सौदा मु0 5,50,000/- (पांच लाख पचास हजार रूपये) में तय पाया गया है, जो कि द्वितीयपक्ष ने प्रथमपक्ष को नगद अदा कर दिये है, जिसकी प्राप्ति प्रथमपक्ष को स्वीकार है, विक्रय प्रतिफल के मध्य कुछ लेना देना बाकी नहीं हैं तथा भूमि/सम्पत्ति का मौके पर कब्जा सौंप दिया है।
- 2 यह कि विक्रीत भूमि/सम्पत्ति का द्वितीयपक्ष के नाम करवाने का समस्त व्यय द्वितीयपक्ष ही वहन करेगा।
- 3 यह कि उक्त भूमि/सम्पत्ति के माल कागजात में किसी प्रकार का प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष वाद विवाद पाया जाता है, तो प्रथमपक्ष को द्वितीयपक्ष द्वारा दी गयी अग्रिम धनराशि को वापस करने को बाध्य होगा, जिसकी स्वीकृति प्रथमपक्ष द्वारा स्वीकार है।
- 4 यह कि अनुबन्धित भूमि/सम्पत्ति पाक एवं साफ हालत में विक्रय की जा रही है तथा उक्त भूमि/सम्पत्ति कहीं भी बय, रहन, अथवा बन्धक नहीं रखी गयी है तथा उक्त भूमि/सम्पत्ति से सम्बन्धित कोई भी वाद-विवाद किसी भी न्यायालय में लम्बित नहीं है।



गोविन्द सिंह मसीह

ईशा

- 5 यह कि आज दिन तक कि समस्त देनदारी प्रथमपक्ष वहन करेंगे आज के बाद यह समस्त दायित्व द्वितीयपक्ष का होगा।
- 6 यह कि स्वामित्व की पुष्टि हेतु यदि द्वितीयपक्ष को प्रथमपक्ष से किसी लेख बयान आदि की आवश्यकता हुयी तो ऐसा लेख बयान प्रथमपक्ष द्वितीयपक्ष की मांग व व्यय पर लिखकर दे देंगे।
- 7 यह कि आज से केता/द्वितीयपक्ष को अधिकार होगा कि वह विक्रीत सम्पत्ति में बतौर स्वामी काबिज रहकर प्रयोग करें, जिस प्रकार चाहे लाभ उठाये, हर प्रकार से अपने उपयोग व उपभोग आदि में लावे, रहन, विक्रय, दान, वसीयत, आदि करें, निर्माण करें। आज के बाद विक्रेता को केता के अधिकार में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं होगा।
- 8 यह कि विक्रीत सम्पत्ति प्रथमतल पर स्थित है जो कि विक्रेता द्वारा मय छत अधिकार एवं मय कॉलम सहित प्रदान की जा रही है।
- 9 यह कि इस अनुबन्ध पत्र के अनुसार दोनों पक्षों के हित प्रतिनिधि, उत्तराधिकारी, आदि आदि सम्मिलित समझे जायेंगे।

विवरण अनुबन्धित भूमि/सम्पत्ति

भूमि/सम्पत्ति स्थित वीर गब्बर सिंह कालोनी, शिप्रा विहार, किशनपुर कैनाल रोड, जिला देहरादून, जिसका रकबा 21 वर्गगज जो कि एक व्यवसायिक दुकान है तथा प्रथमतल पर पूर्णतः निर्मित है, जिसमें एक बाथरूम निर्मित है, जो कि कॉलम सहित व मय छत अधिकार विक्रय की जा रही है, जिसकी नाप व सीमाये निम्न प्रकार

- पूरब में— सम्पत्ति विक्रेता, सीमा में नाप 12 फुट  
 पश्चिम में— 40 फीट चौड़ी सड़क, सीमा में नाप 11 फुट 9 इंच  
 उत्तर में— सम्पत्ति विक्रेता, सीमा में नाप 17 फुट 9 इंच  
 दक्षिण में— सम्पत्ति अन्य, सीमा में नाप 17 फुट 9 इंच

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32-ए, के अनुपालन हेतु फिंगर प्रिंट्स

विक्रेता का नाम :- श्री गोविन्द सिंह मसीह।

वायें व दायें हाथ के अंगुलियों के निशान


अंगुष्ठ

तर्जनी

मध्यमा


अनामिका

कनिष्ठिका



Dng

केता का नाम :- श्रीमती ईशा शर्मा।  
बायें व दायें हाथ के अंगुलियों के निशान



अतः यह विक्रय पत्र (मय कब्जा विलेख) आज दिनांक 08.06.2021 को स्थान  
दोहरादून में लिख दिया गया है ताकि सनद रहे और समय पर काम आवे।



*Rajender Singh Negi*  
हस्ताक्षर प्रथमपक्ष

*Rajender Singh Negi*

गवाह-1

*Rajender Singh Negi*

हस्ताक्षर द्वितीयपक्ष

*Rajender Singh Negi*  
गवाह-2

श्री आकाश तिजवाल  
पुत्र श्री राकेश पाल  
निवासी म0नं0 30, अमर भारती  
चन्द्रबनी, देहरादून।

Adhar No.- 7619 5070 3590

श्री इनोश सिंह मसीह  
पुत्र श्री गोविन्द सिंह मसीह  
निवासी वीर गब्बर सिंह कालोनी  
शिप्रा विहार, किशनपुर  
कैनाल रोड, देहरादून।

Adhar No.- 3593 1262 0186

ATTESTED  
*Rajender Singh Negi*  
RAJENDER SINGH NEGI  
Advocate & NOTARY  
Chamber No. 02 1st Floor  
Opposite Bar Association Office  
Collectorate Court Compound  
Dehradun (Uttarakhand)



### सूचना

- आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं।
- पहचान का प्रमाण ऑनलाइन प्रमाणीकरण द्वारा प्राप्त करें।

### INFORMATION

- Aadhaar is proof of identity, not of citizenship.
- To establish identity, authenticate online.

- आधार देश भर में मान्य है।
- आधार भविष्य में सरकारी और गैर-सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने में उपयोगी होगा।
- Aadhaar is valid throughout the country.
- Aadhaar will be helpful in availing Government and Non-Government services in future.



भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण  
Unique Identification Authority of India

पता:  
- कनाल रोड, किशनपुर, किशनपुर,  
देहरादून, देहरादून जी.पी. उत्तराखंड,  
248001

Address:  
-, CANAL ROAD, KISHANPUR,  
KISHANPUR, Dehradun,  
Dehradun G.p, Uttarakhand,  
248001

1947  
1800 300 1947

help@uidai.gov.in

www  
www.uidai.gov.in



भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण  
भारत सरकार  
Unique Identification Authority of India  
Government of India

नामांकन क्रम / Enrollment No.: 2022/20023/01434

To  
मीना सिंह मसी  
MEENA SINGH MASI  
- CANAL ROAD  
KISHANPUR KISHANPUR  
Dehradun  
Dehradun G.p  
Chakrata Dehradun  
Uttarakhand 248001  
9760929314

18/06/2013  
146363518



ML363635184FT



आपका आधार क्रमांक / Your Aadhaar No. :

आधार - आम आदमी का अधिकार



भारत सरकार  
Government of India



मीना सिंह मसी  
MEENA SINGH MASI  
पिता : इशु सिंह मसी  
Father : Ishu Singh Masi  
जन्म तिथि / DOB : 01/08/1975  
महिला / Female



आधार - आम आदमी का अधिकार

## कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 674 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0-417-2022 / 2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्री सैयद अख्तर हुसैन पुत्र श्री अजहर हुसैन,  
कैनाल रोड़ किशनपुर, किशनपुर  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम किशनपुर के खसरा नं0 161 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 45 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- नदी
2. पश्चिम- पी0डब्ल्यू0डी0
3. उत्तर - मीना मसि
4. दक्षिण- राम प्रकाश

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

  
अधीक्षण अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
0/c देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

  
अधीक्षण अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
0/c देहरादून।

1795




सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL  
Government of Uttarakhand

e-Stamp

Certificate No. : IN-UK2769970779597P  
Certificate Issued Date : 25-Jul-2017 04:59 PM  
Account Reference : NONACC (SV) uk1201904/ DEHRADUN/ UK-DH  
Unique Doc. Reference : SUBIN-UKUK120190455701161666119P  
Purchased by : SAYYAD AKHTAR HUSSAIN  
Description of Document : Article Miscellaneous  
Property Description : NA  
Consideration Price (Rs.) : 0  
(Zero)  
First Party : SAYYAD AKHTAR HUSSAIN  
Second Party : NA  
Stamp Duty Paid By : SAYYAD AKHTAR HUSSAIN  
Stamp Duty Amount(Rs.) : 100  
(One Hundred only)



Please write or type below this line



सय्याद अख्तर हुसैन

-2-

- 3 यह कि दोनों पक्ष समस्त शर्तों का पालन करेंगे तथा प्रथमपक्ष या उसके किसी भी रिश्तेदार, वारिसान उक्त मलबों सम्पत्ति की बाबत कोई वाद किसी भी न्यायालय में दायर नहीं करेगा तथा मलबा सम्पत्ति से सम्बन्धित पूर्ण कागजात प्रथमपक्ष ने द्वितीयपक्ष को आज ही सौंप दिये हैं।
- 4 यह कि उक्त मलबा भूमि प्रथमपक्ष द्वारा द्वितीयपक्ष को पाक साफ हालत में विक्रय की गयी है। तथा कब्जा मौके पर सौंप दिया गया है।
- 5 यह कि आज से प्रथमपक्ष का उक्त भूमि से किसी प्रकार का कोई मतलब वास्ता शेष नहीं रह गया है आज से उक्त मलबा भूमि के मालिक स्वामी द्वितीयपक्ष हो गये हैं। भविष्य में इस मलबे की बाबत कोई हस्ताक्षर प्रथमपक्ष के करने की आवश्यकता पड़ती है तो इस पर प्रथमपक्ष पूर्ण सहमत रहेगा तथा अपने हस्ताक्षर करने हेतु तैयार रहेगा।
- 6 यह कि उक्त भूमि मलबा पाक साफ हालत में विक्रय की गयी है तथा विक्रीत सम्पत्ति से प्रथमपक्ष ने आज पूर्ण रूप से अपना कब्जा हटा व उठा लिया है और द्वितीयपक्ष को अपनी भांति मलबा भूमि का कब्जा मौके पर सौंप कर काबिज करा दिया है।
- 7 यह कि मलबा भूमि में जो बिजली पानी लगा हुआ है, जब तक द्वितीयपक्ष अपने नाम से बिजली पानी का कनेक्शन नहीं लगा लेता है उक्त बिजली पानी का संयोजन का प्रयोग द्वितीयपक्ष करता रहेगा। इसमें प्रथमपक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी।

### विरण विक्रीत मलबा/भूमि

एक मकान जिसमें 3 छोटे कमरे बने हैं जो राम प्रकाशजी के मकान के साथ लगा है, जिसकी चौड़ाई 15 फीट है तथा गहराई नदी तक है जो कि सड़क से चौड़ाई 15 फीट नदी से चौड़ाई 15 फीट नदी तक लगभग 70 फीट है स्थित वीर गब्बर सिंह बस्ती भाग-2, मकान नं० 1/159, कैनाल रोड, देहरादून का भाग।

अतः आज दिनांक 14.12.2017 को स्थान देहरादून में यह विक्रय अनुबन्ध /मलबा विक्रय पत्र पत्र मय भूमि कब्जा लिख दिया गया है ताकि प्रमाण रहे व समय पर उपयोगी सिद्ध हो।

राम प्रकाश

हस्ताक्षर प्रथमपक्ष

श्री राई

हस्ताक्षर द्वितीयपक्ष

गवाह

शुभाष श्री

जाखन फोटोस्टूडियो

गवाह

पेशवाम श्री राम प्रकाश

R. उपाधी कर्न

# 1797

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि.  
25 किलोवाट एवं उससे कम लोड के उपभोक्ताओं के लिए

विद्युत बिल			
खाता सं. 40106633225			
बुक सं.	कमिशन सं.	दिल तिथि	
1116	701116117548	20-11-13 15:01	
गुप्त सं.	उपखण्ड सं.	माह	
6	32101141311200073	11	
19-10-13	20-11-13		
खण्ड	उपखण्ड		
DEHRADUN NORTH	DEHRADUN NORTH		
देय तिथि	विच्छेदन तिथि		
30-11-13	15-12-13		
नाम SRI RAN PARKASH			
पता BIR GABBER SINGH COLO CANAL ROAD NEAR GAS 6 DEHRADUN NORTH			
शहर / स्थान	स्वीकृत भार		
	1.0000KW		
मीटर संख्या	मीटर गुणांक		
EL 9316	1.00		
श्रेणी	सप्लाय प्रकार		
NON-DOMESTIC	25		
दिल माह	रीडिंग		
11/2013	पिछली रीडिंग	वर्तमान रीडिंग	यूनिट्स
	4237	4309	22
kWh			
kVAh			
kVA			
kW			
PF :	0.85	बिल आधार	KW
बिल विवरण राशि र में			
विद्युत मूल्य	4.00	98.00	
एग.सी.जी का विद्युत मूल्य पर आधिक्य			
फिक्सड/डिमान्ड चार्ज दर		35.00	
फिक्सड/डिमान्ड चार्ज (स्वी.भार से अधिक भार पर)			
वोल्टेज सप्लाय पर छूट/अधिभार (+/-)			
कोपे./एल.पी.एफ. अधिभार (+)			
मीटर वाटर मीटर छूट			
अस्थायी जमा समायोजन/माह (-)			
अन्य देय			
उपभोक्ता को क्षतिपूर्ति			
विद्युत कर @	0.15	3.30	
अतिरिक्त अधिभार			
वर्तमान योग			
पिछले बिल की देय धनराशि		126.30	
विलम्ब शुल्क अधिभार		0.00	
		0.00	
कुल देय			
		126.00	
ISO:		0.00	
पिछले बिल की प्राप्त धनराशि		0.00	
15-12-2013	विल भुगतान राशि	110.00	28-10-2013
15-12-2013	रक	₹	126.00
12-2013	खद	₹	129.00



1799

# Government of Uttarakhand

## e-Stamp




सत्यमेव जयते

Certificate No.	: IN-UK18663371450090P
Certificate Issued Date	: 01-May-2017 01:22 PM
Account Reference	: NONACC (SVY uk1206604/ DEHRADUN/ UK-DH
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UKUK120660437435035297310P
Purchased by	: TAIYAB AHMED
Description of Document	: Article Miscellaneous
Property Description	: NA
Consideration Price (Rs.)	: 0 (Zero)
First Party	: TAIYAB AHMED
Second Party	: NA
Stamp Duty Paid By	: TAIYAB AHMED
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 100 (One Hundred only)



Printed name of the party below this line.....



विक्रय अनुबंध पत्र / चुकता रसीद मय कब्जा

श्री हरी सिंह पुत्र श्री राम प्रवेश निवासी मंनो 6, काठ बंगला, साई मन्दिर के पास,  
जिला देहरादून।

ID. NO.- KZR1238146

—प्रथमपक्ष / विक्रेता

एवं

श्री तैयब अहमद पुत्र जमीर अहमद निवासी 44, गांधी रोड, जिला देहरादून।

Adhar NO.- 3025 9913 4942

—द्वितीयपक्ष / क्रेता

के मध्य अंकित व निष्पादित किया गया।

विदित हो कि भूमि जिसका पूर्ण विवरण इस विलेख पत्र के अन्त में दिया गया है, प्रथमपक्ष मालिक, स्वामी, काबिज व अध्यासी है, इस प्रकार प्रथमपक्ष को अनुबन्धित भूमि को विक्रय अनुबंध पत्र तथा अग्रिम धनराशि प्राप्त करने के अधिकार प्राप्त है।

विदित हो कि द्वितीयपक्ष निम्न वर्णित भूमि को कय करना चाहता है तथा प्रथमपक्ष विक्रय करना चाहता है, जिसके बाबत निम्न शर्तें तय पायी गयी हैं, जिसका पालन दोनों पक्षकार, उनके हित प्रतिनिधि, वारिसान, मालिक, स्वामी, एजेन्ट आदि करेंगे:-

1. यह कि पक्षकारों की सहमति से इस विलेख की सूची में वर्णित भूमि का कुल शीटा रु० 45,000/- (पितारसीस हजार रूपये) में तय पाया गया है, जो चुकता द्वितीयपक्ष ने प्रथमपक्ष को निम्न प्रकार से अदा कर दिये-

अ- रु० 25,000/- रुपये द्वारा बैंक अ/c 015728 दिनांक 21.01.2017 भारत आरिबन्धन बैंक जीएफ कोम्प्लेक्स, सायब रिसकोर्स, जिला देहरादून।

ब- रु० 20,000/- रुपये द्वारा बैंक अ/c 015729 दिनांक 27.01.2017 भारत आरिबन्धन बैंक जीएफ कोम्प्लेक्स, सायब रिसकोर्स, जिला देहरादून।

समस्त गवाहक अदा कर दिये हैं, जिसकी प्रतिया प्रथमपक्ष को उपलब्ध हैं, जिसका अतिरिक्त वी. सायब कृपया लेना देना बाकी नहीं है।

2. यह कि प्रथमपक्ष ने सूची भूमि से अपना कब्जा हटाकर, अपने समान गौके पर द्वितीयपक्ष का कब्जा कराकर अपने समान काबिज स्वामी बना दिया है, आज से द्वितीयपक्ष को अधिकार होगा कि वह सूची भूमि जिस प्रकार चाहे प्रयोग, उपयोग, उपभोग करे, विक्रय, दान हस्तान्तरण करे, निर्माण करे, बिजली पानी आदि के कनेक्शन प्राप्त करे जिसमें प्रथमपक्ष को कोई आपत्ति न है और ना भविष्य में होगी।
3. यह कि आज दिन तक कि समस्त देनदारी प्रथमपक्ष वहन करेंगे आज के बाद यह समस्त दायित्व द्वितीयपक्ष का होगा।
4. यह कि स्वामित्व की पुष्टि हेतु यदि द्वितीयपक्ष को प्रथमपक्ष से किसी लेख बयान आदि की आवश्यकता हुयी तो ऐसा लेख बयान प्रथमपक्ष द्वितीयपक्ष की मांग व व्यय पर लिखकर दे देंगे।
5. यह कि इस अनुबन्ध पत्र के अनुसार दोनों पक्षों के हित प्रतिनिधि, उत्तराधिकारी, आदि आदि सम्मिलित समझे जायेंगे।


विवरण विक्रीत भूमि


भूमि स्थित गब्बर बस्ती, कैनल रोड, जिला देहरादून में है, जिसका रकबा (14 X35) फीट अर्थात रकबा 54.44 वर्गगज भूमि है, जिसकी सीमायें निम्न प्रकार है—

पूरब में—	नदी
पश्चिम में—	40 फीट चौडी सडक
उत्तर में—	सम्पत्ति श्री हरी सिंह/विक्रेता
दक्षिण में—	सम्पत्ति श्री मनोज

अतः यह विक्रय अनुबन्ध पत्र आज दिनांक 01.05.2017 को स्थान देहरादून में लिख दिया गया है ताकि सनद रहे और समय पर काम आवे।

  
हस्ताक्षर प्रथमपक्ष

  
हस्ताक्षर द्वितीयपक्ष

गवाह-2 

गवाह-1  
श्री राम शर्मा

श्री राम शर्मा  
श्री राम शर्मा  
श्री राम शर्मा

21/05/17  
ATTESTED

21/05/17  
ATTESTED  
Notary Public  
Chamber No. 52, 2nd Floor  
Opposite B.A. Office  
Dehra Dun, U.P.

1.668 12-10-2013  
2022/12/0268694



**उत्तराखण्ड जल संस्थान**  
जल मूल्य/सीवर सीट एवं विच्छेदन नोटिस  
जल संचय जीवन संचय  
Rajpur .

उत्तराखण्ड जल संस्थान का पुनर्गठन देव विधि तक संवर्धन का है। उत्तराखण्ड जल संस्थान का  
प्रदेश जल संचयन एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1972 (अनुसूची 1) के अंतर्गत  
अधिनियम, 2002 की धारा 72 (क) (ख) के अंतर्गत बिलों में टर्नोवर की प्रक्रिया  
संभव है। उक्त बिलों में बिलों की अतिरिक्त मूल्य के बिल संवेदन विच्छेदन नोटिस  
का संकेत है।

शिकायत निवारण केन्द्र टोल फ्री नं० 1800 180 4135

ऑनलाइन भुगतान हेतु विभागीय वेबसाइट  
<http://ujs.uk.gov.in>

बिल संख्या NO13RJR01R16F070268694

उपभोक्ता संख्या UNR20653A-1

मांग संख्या हरीश चन्द / रामफेर

नाम /

पता नई बस्ती वीर गन्वर सिंह कालोनी

योजना का नाम Low Head/DOM/15  
संयोजन की श्रेणी

विलिंग का प्रकार

वर्षिक मूल्यांक दर  
प्रतिमाह

टॉटी की संख्या/  
दर प्रतिमाह

सीवर संयोजन/शीट  
संख्या दर प्रतिमाह

वर्तमान रीडिंग

पिछली रीडिंग

उपयुक्त जल  
(कुल रीडिंग)  
प्रतिमाह

अग्रिम

Avg.

20000

विवरण

वर्तमान मांग

मीटर किराया

बकाया

पूर्ण योग

रु/अग्रिम

बिलम्ब शुल्क

शुद्ध राशि

1,228.00

1,228.00

जल मूल्य

सीवर सीट

डिस्ट्रीब्यूशन चैक शुल्क

अन्य देय

पूर्ण योग

1,228.00

1,228.00

52.00 /

1,176.00

नोट : न्यूनतम प्रभार पर छूट अनुमत्य नहीं होगी। अर्थात् 10,000 लीटर अधिकतम प्रतिमाह पेय जल खपत के ऊपर देयक पर ही अधिकतम 30 दिन के अंतर्गत भुगतान करने पर 10% की छूट अनुमत्य होगी। देयक का भुगतान नहीं करने की स्थिति में बिल  
अवधि के लिए 1.5% मासिक दर से विलम्ब शुल्क लिया जायेगा। आई० टी० वी० आई बैंक में भी भुगतान की सुविधा उपलब्ध है।

पूरे बिल कागजातों के साथ

राजस्व अधीक्षक/बिल लिपिक

अधीक्षक/अधीक्षिका/जलकल अभियन्ता/ सहायक अभियन्ता  
उत्तराखण्ड जल संस्थान

## कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 676 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0-417-2022 / 2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्री प्रमोद कुमार पुत्र स्व0 श्री जयप्रकाश,  
कैनाल रोड़ किशनपुर, किशनपुर  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम किशनपुर के खसरा नं0 161 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 36 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- नदी
2. पश्चिम- पी0डब्ल्यू0डी0 कैनाल रोड़
3. उत्तर - तैयब अहमद
4. दक्षिण- .....


कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

  
अधीक्षण अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
o/c देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

  
अधीक्षण अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
o/c देहरादून।

# 1804

### Consumer Personal Details

Consumer No :	7021114138225	Category	STN-10 / OTHER DOMESTIC LOAD UPTO 4KW
Name :	Mr.PRAMOD KUMAR	Account No / CIN :	41500740181 / 03H02U000211141001382251
Father Name :	S/O.LATE SHRI JAI PRAKASH	Billing Status :	Live ✓
Address :	VIR GABBAR SINGH BASTI ,BHAG-2 ,CANAL ROAD, DEHRADUN	Contracted Load :	1.00 KW
Phone no :		Connected Load :	1.00 KW
Office Name :	ANARWALA	Supply Release Date :	03-Nov-2015
E-mail :		Total Security Deposit :	1200.00

### Consumer Meter Details

Meter Number :	89243	Meter Make :	GENUS
Meter Type :	WC	CT Type:	NON-CT
Meter Capacity :	5-30	Location :	
Digit :	6	Meter Constant :	1
Height :		Meter Phase :	1
Meter Box No :		Cover Seal 1 :	016403
Cover Seal 2 :		Terminal Seal No :	3363097

### Network Asset Details

Substation :	33/11 KV DHAKPATTI S/s	Feeder :	11 KV O/G Rajpur Road
DTR Code/Name:	UPCL-DP-F-B3 / GABBAR SINGH BASTI	Pole :	UPCL-DP-F-B3-1-002

Back Close

*P. Kumar*  
27-05-24

*Pramod Kumar*

## कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 677 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0-417-2022 / 2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्री राहुल सोनकर पुत्र श्री राम किशन,  
कैनाल रोड किशनपुर, किशनपुर  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम किशनपुर के खसरा नं0 161 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 90 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- नदी
2. पश्चिम- पी0डब्ल्यू0डी0 कैनाल रोड
3. उत्तर - प्रमोद
4. दक्षिण- राहुल सोनकर, हीरालाल

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा ले अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,

o/c देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूतनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभियन्ता,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,

o/c देहरादून।

## Consumer Personal Details

Consumer No.:	7021114138226	Category	STN-10 / OTHER DOMESTIC LOAD UPTO 4KW
Name :	Mr.ANUJ SONKAR	Account No / CIN :	41500740191 / 03H02U001211141001382261
Father Name :	S/O.SH RAM KISHAN	Billing Status :	Disconnected
Address :	VIR GABBAR SINGH BASTI ,KISHANPUR ,CANAL ROAD	Contracted Load :	1.00 KW
Phone no.:		Connected Load :	1.00 KW
Office Name :	ANARWALA	Supply Release Date :	03-Nov-2015
E-mail :		Total Security Deposit :	1200.00

## Consumer Meter Details

Meter Number :	89246	Meter Make :	GENUS
Meter Type :	WC	CT Type:	NON-CT
Meter Capacity :	5-30	Location :	
Digit :	6	Meter Constant :	1
Height :		Meter Phase :	1
Meter Box No :		Cover Seal 1 :	016406
Cover Seal 2 :		Terminal Seal No :	1790885

## Network Asset Details

Substation :	33/11 kV DHAKPATTI S/s	Feeder :	11 kV O/G Rajpur Road
DTR Code/Name:	UPCL-DP-F-F1 / PB- SHIPRA VIHAR COLONY	Pole :	UPCL-DP-F-F1-1-002

Back Close

This connection is disconnected.

उपलब्ध अंश  
विद्युत वितरण उपकरण  
अनारवाला राजपुर,  
वेदराइन

## कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 678/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक:- 22/05/24

सेवा में,

श्री सतेन्द्र कुमार पुत्र श्री नन्द राम सिंह,  
कैनाल रोड किशनपुर, किशनपुर  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम किशनपुर के खसरा नं0 161 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 98 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- नदी
2. पश्चिम- कैनाल रोड
3. उत्तर - हीरालाल
4. दक्षिण- विश्वनाथ

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।



अधीक्षण अभियन्ता,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,

देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।



अधीक्षण/अभियन्ता,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,

देहरादून।

## Consumer Personal Details

Consumer No :	7021114140649	Category :	STN-10 / OTHER DOMESTIC LOAD UPTO 4KW
Name :	Mr.SATENDRA KUMAR	Account No / CIN :	41801461237 / 03H02U002211141001406495
Father Name :	S/O.SH NAND RAM SINGH	Billing Status :	Live
Address :	VIR GABBAR SINGH BASTI ,KISHANPUR ,CANAL ROAD	Contracted Load :	1.00 KW
Phone no :		Connected Load :	1.00 KW
Office Name :	ANARWALA	Supply Release Date :	03-Oct-2018
E-mail :		Total Security Deposit :	1367.00

## Consumer Meter Details

Meter Number :	32136290	Meter Make :	LNT
Meter Type :	WC	CT Type:	NON-CT
Meter Capacity :	5-30	Location :	
Digit :	6	Meter Constant :	1
Height :		Meter Phase :	1
Meter Box No :		Cover Seal 1 :	23156
Cover Seal 2 :		Terminal Seal No :	25639

## Network Asset Details

Substation :	33/11 KV DHAKPATTI S/s	Feeder :	11 KV O/G Rajpur Road
DTR Code/Name:	UPCL-DP-F-C1 / CANAL ROAD-1	Pole :	UPCL-DP-F-C1-2-030

Back Close

Handwritten signature/initials: *Handwritten signature/initials*

Handwritten signature/initials: *Handwritten signature/initials*  
 28.05.24  
 UPCL DP F C1  
 CANAL ROAD-1

Consumer Personal Details

Consumer No :	7021114117073	Category	STN-10 / OTHER DOMESTIC LOAD UPTO 4KW
Name :	SRI TIKA RAM	Account No / CIN :	40106617874 / 03H02U001111141001170736
Father Name :		Billing Status :	Dismantled
Address :	VIRGUBBER SINGH ,CANNAL ROAD RAJPUR ,DEHRADUN ,NORTH	Contracted Load :	1.00 KW
Phone no :	+919837718531	Connected Load :	1.00 KW
Office Name :	ANARWALA	Supply Release Date :	27-Jun-2005
E-mail :		Total Security Deposit :	0.00

Consumer Meter Details

Meter Number :	32136290	Meter Make :	LNT
Meter Type :	VVC	CT Type:	NON-CT
Meter Capacity :	5-30	Location :	
Digit :	6	Meter Constant :	1
Height :	1	Meter Phase :	1
Meter Box No :		Cover-Seal 1 :	
Cover Seal 2 :		Terminal Seal No :	1348723

Network Asset Details

Substation :	33/11 KV DHAKPATTI S/s	Feeder :	11 KV O/G Rajpur Road
DTR Code/Name:	UPCL-DP-F-F1 / PB-SHIPRA VIHAR COLONY	Pole :	UPCL-DP-F-F1-1-001

Back Close

*[Signature]*  
28.05.24

आलय आ...  
विद्युत विभाग  
अनारवाला रा  
देहरादु

*[Handwritten]*  
21/5/24

पता भ.सं. : 0 [Redacted]

गली/मोहल्ला : वीर गम्बर सिंह बस्ती

ग्राम/नगर : नगर निगम देहरादून

पटवारी/ले.पा. : जाखन

थाना : राजपुर

पोस्ट ऑफिस : राजपुर पिन - 248001

तहसील : देहरादून

जिला : देहरादून

Address H.No : 0

Street/Mohalla : Veer Gabber Singh Basti

Village/Town : Nagar Nigam Dehradun

Patwari/Lekh. : Jakhan

Police Station : Rajpur

Post Office : Rajpur Pin - 248001

Tehsil : Dehradun

District : Dehradun

Date : 25 Dec 2010 28/1158

22-मुसुरी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण  
अधिकारी के हस्ताक्षर की अनुकृति  
Facsimile Signature of the Electoral Registration  
Officer for 22-Mussoorie Constituency

यदि बदले पर, नये से पर अपन नाम निर्वाचन सूचीकरण में दर्ज करवाने तथा उस पर  
दूसरी नम्बर उन नम्बर को के लिए आवेदन करने में यह नम्बर 1945 अक्षर लिखें।  
In case of change in address, mention this Card No. in the relevant Form for including  
your name in the roll at the changed address and to obtain the card with same number

  
भारत निर्वाचन आयोग  
पहचान पत्र  
ELECTION COMMISSION OF INDIA  
IDENTITY CARD

[Redacted]  


UK: 10110711

निर्वाचक का नाम : सतेन्द्र कुमार  
Elector's Name : Satendra Kumar  
पिता का नाम : नन्द राम सिंह  
Father's Name : Nand Ram Singh  
लिंग / Sex : पुरुष / Male  
1.1.2011 को आयु : 28  
Age as on 1.1.2011

सतेन्द्र कुमार

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 679/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक:- 22/05/24

सेवा में,

श्री सिद्ध गोपाल पुत्र श्री हलके,  
कैनाल रोड किशनपुर, किशनपुर  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागची बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम किशनपुर के खसरा नं0 161 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 98 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- नदी
2. पश्चिम- सिद्ध गोपाल
3. उत्तर - विजय
4. दक्षिण- रजत

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

  
अधीक्षण अभियन्ता,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,

o/c देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागची बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

  
अधीक्षण अभियन्ता,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,

o/c देहरादून।

  
**भारत निर्वाचन आयोग**  
**ELECTION COMMISSION OF INDIA**

पहचान पत्र / M [REDACTED]  
**IDENTITY CARD**




निर्वाचक का नाम : सिद्ध गोपाल  
 Elector's Name : Siddha Gopal  
 पिता का नाम : हलके  
 Father's Name : Halke  
 लिंग / Sex : पुरुष Male  
 1.1.2006 को आयु : 46  
 Age as on 1.1.2006

पहचान पत्र संख्या :- [REDACTED]

पता  
 म.सं. : 51/ए  
 गली/मोहल्ला : केनालरोड  
 ग्राम/नगर : किशनपुर  
 थाना : राजपुर  
 जिला : देहरादून  
 Address  
 H.No. : 51/ A  
 Strt/Mohalla: Kenalarod  
 Vill/Town : Kishanpur  
 PoliceStn. : Rajpur  
 Distt. : Dehradun  
 Pin : 248001

निर्वाचक रजिस्ट्रिकरण अधिकारी के  
 हस्ताक्षर की अनुकृति  
 निर्वाचन क्षेत्र 15- राजपुर  
 Facsimile Signature of  
 Electoral Registration Officer  
 for 15- Rajpur

स्थान : देहरादून  
 Place : Dehradun

दिनांक : 31-10-2006  
 Date : 31-10-2006

इस कार्ड को विभिन्न सरकारी योजनाओं के अन्तर्गत पहचान  
 पत्र के रूप में प्रयोग किया जा सकता है ।  
 This card can be used as an Identity Card  
 under different Government Programmes. 39/872

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 680/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्री दीपक कुमार पुत्र श्री जय प्रकाश,  
कैनाल रोड किशनपुर, किशनपुर  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम किशनपुर के खसरा नं0 161 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 21 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- नदी
2. पश्चिम- जय सिंह
3. उत्तर - गली
4. दक्षिण- विजय

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,

o/c देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभियन्ता,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,

o/c देहरादून।

पता म.सं. : 0  
 गली/मोहल्ला : वीर गम्बर सिंह बस्ती  
 ग्राम/नगर : नगर निगम देहरादून  
 पटवारी/ले.पा. : जाखन  
 थाना : राजपुर  
 पोस्ट ऑफिस : राजपुर पिन -248009  
 तहसील : देहरादून  
 जिला : देहरादून  
 Address H.No : 0  
 Street/Mohalla : Veer Gabber Singh Basti

Village/Town : Nagar Nigam Dehradun  
 Patwari/Lekh. : Jakhan  
 Police Station : Rajpur  
 Post Office : Rajpur Pin - 248009  
 Tehsil : Dehradun  
 District : Dehradun

Date : 30-Sep-2013 30/1121


22-मसूरी निर्वाचन क्षेत्र के विभाजनक रजिस्ट्रीकरण  
 अधिकारी के हस्ताक्षर की अनुकृति  
 Facsimile Signature of the Electoral Registration  
 Officer for 22-Mussoorie Constituency

पता बदलने पर, वह पते पर अपना नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज करवाने तथा पते पर  
 इसी प्रकार का कार्ड देने से लिए सम्बन्धित पत्रों में यह कार्ड नम्बर अवश्य लिखें।  
 In case of change in address, mention this card No. in the relevant Form for including  
 your name in the roll at the changed address and to obtain the card with same number



भारत निर्वाचन आयोग  
 पहचान पत्र

ELECTION COMMISSION OF INDIA  
 IDENTITY CARD



निर्वाचक का नाम : दीपक कुमार  
 Elector's Name : Deepak Kumar  
 पिता का नाम : जय प्रकाश सिंह  
 Father's Name : Jai Prakash Singh  
 लिंग / Sex : पुरुष / Male  
 1.1.2013 को आयु : 28  
 Age as on 1.1.2013

दीपक कुमार

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 681 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0-417-2022 / 2024-25

दिनांक:- 22/05/24

सेवा में,

श्री राजेन्द्र सिंह पत्रु श्री भाव सिंह,  
कैनाल रोड किशनपुर, किशनपुर  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम किशनपुर के खसरा नं0 161 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 85 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- भरोसी
2. पश्चिम- पी0डब्ल्यू0डी0 के नालारोड
3. उत्तर - लिलिन्द प्रताप
4. दक्षिण- फलदेव

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपडी/घेरबाड आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,

o/c देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभियन्ता,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,

o/c देहरादून।

1816



IndianOil  
The Energy Of India

12/6 2016  
जि-एलए  
9837724296

INDIAN GAS SERVICE (0000156449)  
"S-16, AVAS VIKAS, DOON VIHAR",  
"JAKHAN, DEHRADUN",  
UTTARAKHAND, DEHRADUN, DEHRADUN, Uttarakhand-248009  
India  
GSTIN:



Generated on : Sunday, 23-Jun-2024 08:51

Customer History

Consumer ID	7500000046730878	SV TV No	150004206052833
Consumer No	16055	SV TSV Date	18-05-2013
Consumer Name	Rajendra .	Gender	Male
Consumer Address	VIR GABBAR SINGH BASTI, CANAL ROAD, DEHRADUN, DEHRADUN-248001 DEHRADUN, Uttarakhand India	Address Proof	Electricity Bill Voter Identity Card Aadhaar(UID) [8910]
Mobile	9756831233	Scheme Onboarding Status	Not Applicable
Scheme Opted	Opted Out	Scheme Type	General
Latitude		Longitude	

Sl.No.	Equipment Name	Equipment Amount
1	14.2 Kg LPG Cylinder	1450
2	LPG Pressure Regulator - Non Valuated	150
		1600

INDIAN GAS SERVICE  
Total Amount 156449  
Doon Vihar, Jakhn, D.Dim  
9837724296

Book No	Book Date	Cash Memo No	Cash Memo Date	Delivery date	Equipment Type	RSP	Cylinders	Delivered By	Booking Status	Latitude	Longitude	Mode of Payment
2-003774433071	12-05-2024	5-104128328014	12-05-2024 10:50:14	12-05-2024 12:03:28	14.2 Kg LPG Cylinder - Filled	822	1	MURARI LAL	Completed			
2-003752396273	03-05-2024	5-104104217031	03-05-2024 09:00:35	04-05-2024 08:47:03	14.2 Kg LPG Cylinder - Filled	822	1	MURARI LAL	Completed			Cash
2-003556834293	13-02-2024	5-103879937098	13-02-2024 09:10:26	14-02-2024 09:06:25	14.2 Kg LPG Cylinder - Filled	922	1	MURARI LAL	Completed	30.3751017	78.0864467	Cash
2-003487071809	17-01-2024	5-103799636094	17-01-2024 09:08:36	17-01-2024 01:53:46	14.2 Kg LPG Cylinder - Filled	922	1	MURARI LAL	Completed	30.3749000	78.0867017	Cash
2-003471521152	10-01-2024	5-103782457601	10-01-2024 06:23:05	13-01-2024 01:45:58	14.2 Kg LPG Cylinder - Filled	922	1	MURARI LAL	Completed			Cash
2-003425569290	23-12-2023	5-103730341704	23-12-2023 06:59:39	24-12-2023 01:19:27	14.2 Kg LPG Cylinder - Filled	922	1	MURARI LAL	Completed			Cash
2-003395752606	12-12-2023	5-103696684036	12-12-2023 09:00:42	12-12-2023 12:34:34	14.2 Kg LPG Cylinder - Filled	922	1	MURARI LAL	Completed			Cash
2-003314600244	09-11-2023	5-103604571625	09-11-2023 09:01:57	09-11-2023 09:43:08	14.2 Kg LPG Cylinder - Filled	922	1	MURARI LAL	Completed			Cash
2-003309859831	07-11-2023	5-103599285032	07-11-2023 12:07:45	07-11-2023 12:11:03	14.2 Kg LPG Cylinder - Filled	922	1	MURARI LAL	Completed			Cash
2-003244846010	10-10-2023	5-103525146219	10-10-2023 08:12:19	11-10-2023 10:18:00	14.2 Kg LPG Cylinder - Filled	922	1	MURARI LAL	Completed	30.3641682	78.0685807	Cash
							990			30.3639417	78.0632500	Cash
										30.3639600		Cash

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 682 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0-417-2022 / 2024-25

दिनांक:- 22/05/24

सेवा में,

श्री मौ0 मसरफ पुत्र श्री अब्दुल हमीद,  
कैनाल रोड किशनपुर, किशनपुर  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम किशनपुर के खसरा नं0 161 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 30 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- .....
2. पश्चिम- कैनाल रोड
3. उत्तर - सैनी जनरल स्टोर
4. दक्षिण- सूरज मौर्य

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
de देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
ok देहरादून।

भारत सरकार के आदेशानुसार उपभोक्ता राशन कार्ड का उपयोग परिचय पत्र के रूप में मान्य नहीं होगा।



दिनांक

प्रमाणित कर्ता के हस्ताक्षर एवं मोहर

परिवार के मुखिया का नाम श्री/श्रीमती श्री. अ. अंतराफ  
 पिता/पति का नाम श्री अबदुल  
 पता मकान नं० घोर गल्लार मोहल्ला बरती  
 नाम वार्ड ..... संख्या ..... नाम राजस्व ग्राम ..... संख्या .....  
 शहर/ग्राम सभा दी. इला तहसील ..... वि०ख० .....  
 परिवार के मुखिया का व्यवसाय डेक राशे  
 तथा उसका पता .....  
 परिवार की कुल वार्षिक घोषित आय 60,000/-  
 एल.पी.जी. कनेक्शन संख्या .....  
 एस०वी०सी०  डी०वी०सी०  गैस नहीं है   
 गैस एजेंसी का नाम नहीं है  
 मास्टर/काउन्टर रजिस्टर का क्रमांक 10081  
 दुकान रजिस्टर का क्रमांक 300  
 प्राधिकृत वितरक का नाम श्री अनिल शर्मा  
 नवीनीकरण की दशा में पूर्व रि. 3/345  
 राशन कार्ड का क्रमांक [REDACTED]

यूनिटों का विवरण	अंकों में	शब्दों में
वालिग	3	तीन
नावालिग	—	—
योग	3	तीन

दिनांक 15-12-10

अ. अंतराफ  
 राज्य अधिकारी  
 राशन कार्ड विभाग  
 मोहर राशियत

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 683 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0-417-2022 / 2024-25

दिनांक:- 22/05/24

सेवा में,

श्री अर्जुन पुत्र श्री ईलम चन्द,  
कैनाल रोड किशनपुर, किशनपुर  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन वागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम किशनपुर के खसरा नं0 161 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 20 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- मनुसुदन
2. पश्चिम- खाली
3. उत्तर - गली
4. दक्षिण- खाली

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,

देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन वागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभियन्ता,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,

देहरादून।

विद्युत विधि	मीटर संख्या	मीटर रीडिंग
	<b>E35695</b>	
खाद्यपत्र देय तिथि	विद्युत देय युनिट	माह
	गता वर्षों	घातु वित्त वर्ष
युनिट		
निर्धारण		
अभिमान		
कोड के अन्तर्गत जोड़ने के लिए A तथा घटाने के लिए S करें।		
एडमिटर (S)	एडमिटर अधिकारी अधिकारी अधिकारी	

WHOLE FORMS whatsapp@gmail.com 0135-2641379

		<b>उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड</b> <b>विद्युत बिल एवं विच्छेदन नोटिस</b>			बिल पैक/कैस द्वारा खण्डीय क्षेत्र की किसी भी PNB शाखा के कार्डर पर अध्याय कलेक्शन बाकस में डालकर जमा करा सकते हैं।						
बिल संख्या <b>1112 120552 0000</b>		कनेक्शन संख्या <b>A226554 02</b>		मीटर संख्या <b>280212 300412</b>		बिल तिथि <b>180512</b>		देय तिथि <b>150612</b>		विच्छेदन तिथि <b>300612</b>	
संपत्ति संख्या <b>702 UDD (NORTH) DEHRADUN</b>		संपत्ति का नाम <b>सीठ आरुण</b>		एरियर शुल्क <b>10</b>		विद्युत शुल्क <b>1.000</b>		कोल्टेज 		पी टैक्स 	
मीटर संख्या <b>E35695</b>		मीटर प्रकार 		विजली रीडिंग <b>3 000033</b>		वतमान रीडिंग 		मीटर प्रकार 		मीटर युनिट <b>1.0</b>	
मीटर रीडिंग <b>30</b>		मीटर प्रकार 		संचयन युनिट <b>250</b>		कुल देय युनिट <b>280M</b>		मीटर विभाग 			
SRI / SMT <b>SMT MANISHA                  ARJUN SHARMA                  GABBAR SINGH BASTI                  BAGH 2 CANAL ROAD</b>				बिल का विवरण				मूल्य रु में			
1. विद्युत मूल्य				<b>2.30/2.60</b>				<b>656.75</b>			
2. एनएचपीसीओ का विद्युत मूल्य पर आधेपार				<b>30.00</b>				<b>55.00</b>			
3. गिबबार/डिमांड मीटर											
4. गिबबार/विच्छेदन माउंट (यदि बिल के अग्रिम भाग पर)				<b>ADDL-SC</b>				<b>6.00</b>			
5. कोलेज बिल/एरियर पर शुल्क/अभिमान (-/-)											
6. कोलेज बिल/एरियर पर शुल्क/अभिमान (+)											
7. साधारण वाटर हीटर शुल्क (-)											
8. अग्रवाई जमा (संगत) माह (-)											
9. अन्य देय											
10. उपरोक्ता को				<b>SEC-INT</b>							
11. विद्युत शुल्क				<b>15</b>				<b>42.00</b>			
12. वर्तमान तैय (1 से 11 का योग)								<b>759.75</b>			
13. वर्तमान विलम्ब भुगतान अधिमान								<b>767.00</b>			
14. वर्तमान बिल को 15 दिनों के भीतर								<b>1526.75</b>			
15. कुल देय (12 से 14 का योग)											
16. वर्तमान बिल भुगतान का विवरण											
17. तैय तिथि तक कुल देय (16-18)								<b>770.00</b>			
18. तैय तिथि तक कुल देय (16-18)								<b>757.00</b>			
19. तैय तिथि तक कुल देय (16-18)								<b>757.00</b>			
20. तैय तिथि तक कुल देय (16-18)								<b>757.00</b>			
21. तैय तिथि तक कुल देय (16-18)								<b>757.00</b>			
22. तैय तिथि तक कुल देय (16-18)								<b>757.00</b>			
23. तैय तिथि तक कुल देय (16-18)								<b>757.00</b>			
24. तैय तिथि तक कुल देय (16-18)								<b>757.00</b>			
25. तैय तिथि तक कुल देय (16-18)								<b>757.00</b>			
26. तैय तिथि तक कुल देय (16-18)								<b>757.00</b>			
27. तैय तिथि तक कुल देय (16-18)								<b>757.00</b>			
28. तैय तिथि तक कुल देय (16-18)								<b>757.00</b>			
29. तैय तिथि तक कुल देय (16-18)								<b>757.00</b>			
30. तैय तिथि तक कुल देय (16-18)								<b>757.00</b>			
31. तैय तिथि तक कुल देय (16-18)								<b>757.00</b>			
32. तैय तिथि तक कुल देय (16-18)								<b>757.00</b>			
33. तैय तिथि तक कुल देय (16-18)								<b>757.00</b>			
34. तैय तिथि तक कुल देय (16-18)								<b>757.00</b>			
35. तैय तिथि तक कुल देय (16-18)								<b>757.00</b>			
36. तैय तिथि तक कुल देय (16-18)								<b>757.00</b>			
37. तैय तिथि तक कुल देय (16-18)								<b>757.00</b>			
38. तैय तिथि तक कुल देय (16-18)								<b>757.00</b>			
39. तैय तिथि तक कुल देय (16-18)								<b>757.00</b>			
40. तैय तिथि तक कुल देय (16-18)								<b>757.00</b>			
41. तैय तिथि तक कुल देय (16-18)								<b>757.00</b>			
42. तैय तिथि तक कुल देय (16-18)								<b>757.00</b>			
43. तैय तिथि तक कुल देय (16-18)								<b>757.00</b>			
44. तैय तिथि तक कुल देय (16-18)								<b>757.00</b>			
45. तैय तिथि तक कुल देय (16-18)								<b>757.00</b>			
46. तैय तिथि तक कुल देय (16-18)								<b>757.00</b>			
47. तैय तिथि तक कुल देय (16-18)								<b>757.00</b>			
48. तैय तिथि तक कुल देय (16-18)								<b>757.00</b>			
49. तैय तिथि तक कुल देय (16-18)								<b>757.00</b>			
50. तैय तिथि तक कुल देय (16-18)								<b>757.00</b>			
51. तैय तिथि तक कुल देय (16-18)								<b>757.00</b>			
52. तैय तिथि तक कुल देय (16-18)								<b>757.00</b>			
53. तैय तिथि तक कुल देय (16-18)								<b>757.00</b>			
54. तैय तिथि तक कुल देय (16-18)								<b>757.00</b>			
55. तैय तिथि तक कुल देय (16-18)								<b>757.00</b>			
56. तैय तिथि तक कुल देय (16-18)								<b>757.00</b>			
57. तैय तिथि तक कुल देय (16-18)								<b>757.00</b>			
58. तैय तिथि तक कुल देय (16-18)								<b>757.00</b>			
59. तैय तिथि तक कुल देय (16-18)								<b>757.00</b>			
60. तैय तिथि तक कुल देय (16-18)								<b>757.00</b>			
61. तैय तिथि तक कुल देय (16-18)								<b>757.00</b>			
62. तैय तिथि तक कुल देय (16-18)								<b>757.00</b>			
63. तैय तिथि तक कुल देय (16-18)								<b>757.00</b>			
64. तैय तिथि तक कुल देय (16-18)								<b>757.00</b>			
65. तैय तिथि तक कुल देय (16-18)								<b>757.00</b>			
66. तैय तिथि तक कुल देय (16-18)								<b>757.00</b>			
67. तैय तिथि तक कुल देय (16-18)								<b>757.00</b>			
68. तैय तिथि तक कुल देय (16-18)								<b>757.00</b>			
69. तैय तिथि तक कुल देय (16-18)								<b>757.00</b>			
70. तैय तिथि तक कुल देय (16-18)								<b>757.00</b>			
71. तैय तिथि तक कुल देय (16-18)								<b>757.00</b>			
72. तैय तिथि तक कुल देय (16-18)								<b>757.00</b>			
73. तैय तिथि तक कुल देय (16-18)								<b>757.00</b>			
74. तैय तिथि तक कुल देय (16-18)								<b>757.00</b>			
75. तैय तिथि तक कुल देय (16-18)								<b>757.00</b>			
76. तैय तिथि तक कुल देय (16-18)								<b>757.00</b>			
77. तैय तिथि तक कुल देय (16-18)								<b>757.00</b>			
78. तैय तिथि तक कुल देय (16-18)								<b>757.00</b>			
79. तैय तिथि तक कुल देय (16-18)								<b>757.00</b>			
80. तैय तिथि तक कुल देय (16-18)								<b>757.00</b>			
81. तैय तिथि तक कुल देय (16-18)								<b>757.00</b>			
82. तैय तिथि तक कुल देय (16-18)								<b>757.00</b>			
83. तैय तिथि तक कुल देय (16-18)								<b>757.00</b>			
84. तैय तिथि तक कुल देय (16-18)								<b>757.00</b>			
85. तैय तिथि तक कुल देय (16-18)								<b>757.00</b>			
86. तैय तिथि तक कुल देय (16-18)								<b>757.00</b>			
87. तैय तिथि तक कुल देय (16-18)								<b>757.00</b>			
88. तैय तिथि तक कुल देय (16-18)								<b>757.00</b>			
89. तैय तिथि तक कुल देय (16-18)								<b>757.00</b>			
90. तैय तिथि तक कुल देय (16-18)								<b>757.00</b>			
91. तैय तिथि तक कुल देय (16-18)								<b>757.00</b>			
92. तैय तिथि तक कुल देय (16-18)								<b>757.00</b>			
93. तैय तिथि तक कुल देय (16-18)								<b>757.00</b>			
94. तैय तिथि तक कुल देय (16-18)								<b>757.00</b>			
95. तैय तिथि तक कुल देय (16-18)								<b>757.00</b>			
96. तैय तिथि तक कुल देय (16-18)								<b>757.00</b>			
97. तैय तिथि तक कुल देय (16-18)								<b>757.00</b>			
98. तैय तिथि तक कुल देय (16-18)								<b>757.00</b>			
99. तैय तिथि तक कुल देय (16-18)								<b>757.00</b>			
100. तैय तिथि तक कुल देय (16-18)								<b>757.00</b>			

घेतावनी : प्रत्येक बिल का भुगतान देय तिथि तक अवश्य करें व अन्यथा भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 66(1) के अन्तर्गत बिल में दर्शायी वैधोदयन तिथि 2017 तक उसके पश्चात बिना किसी अतिरिक्त सूचना के विद्युत विच्छेदन किया जाएगा है।

आपातकालीन स्थिति में  
**24 घंटे 108** मेडिकल पुलिस शाखा  
 निशुल्क सेवा शाखा  
 अधिकारी अधिकारी विद्युत विवरण खण्ड उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड  
 (साइट एवं स्वयं के हित में विजली बचाएँ)

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 684/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्रीमती रंजू देवी पत्नी श्री सत्य नारायण,  
कैनाल रोड़ किशनपुर, किशनपुर  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम किशनपुर के खसरा नं0 161 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 40 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- मनीषा
2. पश्चिम- मनीषा
3. उत्तर - गली
4. दक्षिण- अज्ञात

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण/अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
देहरादून।

1822



भारत निर्वाचन आयोग  
पहचान पत्र

ELECTION COMMISSION OF INDIA  
IDENTITY CARD



निर्वाचक का नाम : रंजू देवी  
Elector's Name : Ranju Devi  
पति का नाम : सत्यनारायण राम  
Husband's Name : Satyanarayan Ram  
लिंग / Sex : महिला / Female  
1.1.2011 को आयु : 31  
Age as on 1.1.2011

पता नं. : 0  
गली / मोहल्ला : किशानपुर  
ग्राम / नगर : नगर निगम देहरादून  
पटवारी / ले.पा. : जाखन  
धाना : राजपुर  
पोस्ट ऑफिस : राजपुर पिन - 248001  
तहसील : देहरादून  
जिला : देहरादून

Address H.No : 0  
Street/Mohalla : Kishanpur  
Village/Town : Nagar Nigam Dehradun  
Patwari/Lekh. : Jakhn  
Police Station : Rajpur  
Post Office : Rajpur Pin - 248001  
Tehsil : Dehradun  
District : Dehradun

Date : 25 Dec 2010 28/1067

22-मसूरी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण  
अधिकारी के हस्ताक्षर की अनुकृति  
Facsimile Signature of the Electoral Registration  
Officer for 22-Mussoorie Constituency

996  
In case of change in address, mention this Card No. in the relevant Form for indicating your name in the roll at the changed address and to obtain the card with same number.

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 685/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्री राम भरोसे पुत्र श्री गंगा प्रसाद,  
कैनाल रोड किशनपुर, किशनपुर  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन वागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम किशनपुर के खसरा नं0 161 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 42 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- गली
2. पश्चिम- भरोसे
3. उत्तर - गली
4. दक्षिण- मनुदेवी

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपडी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

  
 अधीक्षण अभियन्ता,  
 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
 देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन वागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

  
 अधीक्षण अभियन्ता,  
 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
 देहरादून।



1824

भारत निर्वाचन आयोग  
ELECTION COMMISSION OF INDIA

पहचान पत्र  
IDENTITY CARD



निर्वाचक का नाम : राम भरोसे  
 Elector's Name : Ram Bharose  
 पिता का नाम : गंगा प्रसाद  
 Father's Name : Ganga Prasad  
 लिंग / Sex : पुरुष Male  
 1.1.2007 को आयु : 45  
 Age as on 1.1.2007

पता पहचान पत्र संख्या :- [REDACTED]  
 म.सं. : 32.ए  
 गली/मोहल्ला : किशनपुर  
 ग्राम/नगर : किशनपुर  
 थाना : राजपुर  
 जिला : देहरादून  
 Address  
 H.No. : 32. A  
 Strt/Mohalla: Kishanpur  
 Vill/Town : Kishanpur  
 PoliceStn. : Rajpur  
 Distt. : Dehradun  
 Pin : 248001

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के  
 हस्ताक्षर की अनुकृति  
 निर्वाचन क्षेत्र 15- राजपुर  
 Facsimile Signature of  
 Electoral Registration Officer  
 for 15- Rajpur

स्थान : देहरादून  
 Place : Dehradun

दिनांक : 11-02-2007  
 Date

इस कार्ड को विभिन्न सरकारी योजनाओं के अन्तर्गत पहचान पत्र के रूप में प्रयोग किया जा सकता है ।

This card can be used as an Identity Card under different Government Programmes. 39/1177

869

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 687 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0-417-2022 / 2024-25

दिनांक:- 22/05/24

सेवा में,

श्री राजदेव पुत्र श्री बुद्ध,  
कैनाल रोड किशनपुर, किशनपुर  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम किशनपुर के खसरा नं0 161 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 66 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- रास्ता / गली
2. पश्चिम- गली
3. उत्तर - राजकुमारी
4. दक्षिण- .....

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास / कच्चा आवास / झोपड़ी / घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568 / XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण / कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण / अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
देहरादून।

o/c

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभियन्ता,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
देहरादून।

o/c

826

भारत निर्वाचन आयोग  
पहचान पत्र

ELECTION COMMISSION OF INDIA  
IDENTITY CARD



निर्वाचक का नाम : राजदेव पासी  
Elector's Name : Rajdev Pasi  
पिता का नाम : बुद्धू पासी  
Father's Name : Buddhu Pasi  
लिंग / Sex : पुरुष / Male  
1.1.2011 को आयु : 26  
Age as on 1.1.2011

पता म.सं. : 0  
गली/मोहल्ला : वीर गम्बर सिंह बस्ती  
ग्राम/नगर : नगर निगम देहरादून  
पटवारी/ले.पा. : जाखन  
धाना : राजपुर  
पोस्ट ऑफिस : राजपुर पिन - 248001  
तहसील : देहरादून  
जिला : देहरादून

Address H.No : 0  
Street/Mohalla : Veer Gabbur Singh Basti  
Village/Town : Nagar Nigam Dehradun  
Patwari/Lekh : Jakhn  
Police Station : Rajpur Pin - 248001  
Post Office : Rajpur  
Tehsil : Dehradun  
District : Dehradun

Date : 26 Dec 2010 28/1222

22-मसूरी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण  
अधिकारी की हस्ताक्षर की अनुकृति  
Facsimile Signature of the Electoral Registration  
Officer for 22-Mussoorie Constituency

आप स्वयं को मत देने के लिए अपने नाम निर्वाचन समिति से मत देने के लिए मत देने का पत्र भेजें।  
In case of change in address, mention this Card No. in the relevant Form for including  
your name in the roll at the changed address and to obtain the card with same number

## कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 688 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0-417-2022 / 2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्री अशोक शर्मा पुत्र श्री महेन्द्र कुमार शर्मा,  
कैनाल रोड़ किशनपुर, किशनपुर  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम किशनपुर के खसरा नं0 161 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 20 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- रास्ता
2. पश्चिम- राजकुमारी
3. उत्तर - विजय
4. दक्षिण- राजकुमारी

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
देहरादून।

o/c

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभियन्ता,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
देहरादून।

o/c

पता म.सं. : 0

गली/मोहल्ला : वीर गब्बर सिंह बस्ती

ग्राम/नगर : नगर निगम देहरादून

पटवारी/ले.पा. : जाखन

धाना : राजपुर

पोस्ट ऑफिस : राजपुर पिन -248001

तहसील : देहरादून

जिला : देहरादून

Address H.No : 0

Street/Mohalla : Veer Gabber Singh Basti

Village/Town : Nagar Nigam Dehradun

Patwari/Lekh. : Jakhan

Police Station : Rajpur

Post Office : Rajpur Pin - 248001

Tehsil : Dehradun

District : Dehradun

*[Handwritten Signature]*

Date : 25 Dec 2010

28/1212

22-मुसूरी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण

अधिकारी के हस्ताक्षर की अनुकृति

Facsimile Signature of the Electoral Registration  
Officer for 22-Mussoorie Constituency

यदि बदलते पते, नये पते पर अपना नाम निर्वाचक सूचीवली में दर्ज करवाने तथा पता को या  
इसी नम्बर का कार्ड करने के लिए सम्बंधित फॉर्म में यह कार्ड नम्बर अंतरण दिरें।

In case of change in address, mention this Card No. in the relevant Form for including  
your name to the roll at the changed address and to obtain the card with same number

  
भारत निर्वाचन आयोग  
पहचान पत्र

ELECTION COMMISSION OF INDIA  
IDENTITY CARD



निर्वाचक का नाम : अशोक शर्मा

Elector's Name : Ashok Sharma

पिता का नाम : महेन्द्र शर्मा

Father's Name : Mahendra Sharma

लिंग / Sex : पुरुष / Male

1.1.2011 को आयु : 32

Age as on 1.1.2011

## कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 689/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक:- 22/05/24

सेवा में,

श्री विजय कुमार मण्डल पुत्र श्री दशरथ कुमार मण्डल,  
कैनाल रोड किशनपुर, किशनपुर  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम किशनपुर के खसरा नं0 161 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 20 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- रास्ता
2. पश्चिम- राजकुमारी
3. उत्तर - विरेन्द्र सैनी
4. दक्षिण- अशोक शर्मा

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
देहरादून।

1830



भारत निर्वाचन आयोग  
पहचान पत्र

ELECTION COMMISSION OF INDIA  
IDENTITY CARD



निर्वाचक का नाम : विजय कुमार मण्डल  
 Elector's Name : Vijay Kumar Mandal  
 पिता का नाम : दशरथ मण्डल  
 Father's Name : Dasrath Mandal  
 लिंग / Sex : पुरुष / Male  
 1.1.2013 को आयु : 29  
 Age as on 1.1.2013

पता मरा : 0

पत्तो/मोहल्ला : केनाल रोड वार्ड नं. 3

ग्राम/नगर : नगर निगम देहरादून

पटवारी/ले.पा. : जखन

थाना : राजपुर

पोस्ट ऑफिस : देहरादून शहर पिन - 248001

तहसील : देहरादून

जिला : देहरादून

Address H.No : 0

Street/Mohalla : Kenal Road Ward No. 3

Village/Town : Nagar Nigam Dehradun

Patwari/Lekh. : Jakhn

Police Station : Rajpur

Post Office : Dehradun City Pin - 248001

Tehsil : Dehradun

District : Dehradun

Date : 6 Mar 2013

30/919

22-मुसोरी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण  
अधिकारी के हस्ताक्षर की अनुमति

Facsimile Signature of the Electoral Registration  
Officer for 22-Mussoorie Constituency

यदि मतदाता का पता, नाम या अन्य जानकारी में कोई परिवर्तन हो तो उसे तुरंत मतदाता सूची में बदलाव करने के लिए मतदाता सूची में बदलाव करने का कार्ड भेजना होगा।  
In case of change in address, name or other information, you should immediately inform the Electoral Registration Officer for 22-Mussoorie Constituency to get a card for change in the voter list.

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 691/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक:- 22/05/24

सेवा में,

श्री नरेश कुमार पुत्र श्री नन्ह सिंह,  
कैनाल रोड किशनपुर, किशनपुर  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम किशनपुर के खसरा नं0 161 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 90 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- रास्ता
2. पश्चिम- अज्ञात
3. उत्तर - माती राम साहू
4. दक्षिण- गली

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
देहरादून।

o/c

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभियन्ता,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
देहरादून।

o/c



कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 692 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0-417-2022 / 2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्री अनिल पुत्र श्री राम किशोर,  
कैनाल रोड़ किशनपुर, किशनपुर  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम किशनपुर के खसरा नं0 161 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 32 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- राम किशोर
2. पश्चिम- अज्ञात
3. उत्तर - गली
4. दक्षिण- खाली भरत

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।



अधीक्षण अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
देहरादून।

o/c

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।



अधीक्षण अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
देहरादून।

o/c

पता नं. : 0  
 पता/मोडरन : श्री राजर सिंह बस्ती  
 ग्राम/मगर : मंगल विमान देहदुदा  
 पटवारी/ले.पं. : राजपुत्र  
 जमान : राजपुत्र  
 पोस्ट ऑफिस : राजपुर पिन - 248001  
 तहसील : देहदुदा  
 जिला : देहदुदा  
 Address H.No : 0  
 Street/Village : Vast Ghatber Singh Basti  
 Village/Town : Mangal Brijgan Dehradun  
 Panchari/Lech. : Rajput  
 Polling Station : Rajpur Pin - 248001  
 Post Office : Rajpur  
 Tehsil : Dehradun  
 District : Dehradun

Date: 27/09/2011 28/1306  
 भारत निर्वाचन आयोग के निर्वाचन अधिकारी के द्वारा जारी की गयी है।  
 Facsimile Signature of the Electoral Registration Officer for 12. Mussoorie Constituency  
 इस कार्ड को सही ढंग से भरना है। इसमें कोई भी त्रुटि हो तो इसे वापस भेजना है।  
 In case of change in address, re-submit this Card in the relevant form for including your name in the roll of the changed address and to obtain the copy with some charges.

  
 भारत निर्वाचन आयोग  
 पहचान पत्र  
 ELECTION COMMISSION OF INDIA  
 IDENTITY CARD


निर्वाचक का नाम : अनिल  
 Elector's Name : Anil  
 पिता का नाम : राम किशोर  
 Father's Name : Ram Kishor  
 लिंग / Sex : पुरुष / Male  
 1.1.2011 को आयु : 18  
 Age as on 1.1.2011

## कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 693.../एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्री राम लाल पुत्र श्री मंगेर,  
कैनाल रोड किशनपुर, किशनपुर  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम किशनपुर के खसरा नं0 161 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 56 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- रास्ता
2. पश्चिम- अज्ञात
3. उत्तर - रास्ता
4. दक्षिण- गली

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
देहरादून।

693

1836

P

पता पहचान पत्र संख्या :- [REDACTED]

म.सं. : 44/8  
 गली/मोहल्ला : केनालरोड  
 ग्राम/नगर : किरानपुर  
 थाना : राजपुर  
 जिला : देहरादून

Address  
 H.No. : 44/ 8  
 Strt/Mohalla: Canalroad  
 Vill/Town : Kishanpur  
 PoliceStn. : Rajpur  
 Distt. : Dehradun  
 Pin : 248001

निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी के  
 हस्ताक्षर की अनुकृति  
 निर्वाचन क्षेत्र 15- राजपुर  
 Facsimile Signature of  
 Electoral Registration Officer  
 for 15- Rajpur



स्थान : देहरादून दिनांक : 03-11-2006  
 Place : Dehradun Date

इस कार्ड को विभिन्न सरकारी योजनाओं के अन्तर्गत पहचान पत्र के रूप में प्रयोग किया जा सकता है ।  
 This card can be used as an Identity Card under different Government Programmes. 39/739

भारत निर्वाचन आयोग  
 ELECTION COMMISSION OF INDIA  
 पहचान पत्र  
 IDENTITY CARD



निर्वाचक का नाम : राम किशोर  
 Elector's Name : Ram Kishor  
 पिता का नाम : मंगरे  
 Father's Name : Mangare  
 लिंग / Sex : पुरुष Male  
 1.1.2006 को आयु : 50  
 Age as on 1.1.2006

693

OK

## कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 694/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्री गंगा राम पुत्र श्री राम किशोर,  
कैनाल रोड़ किशनपुर, किशनपुर  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम किशनपुर के खसरा नं0 161 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 65 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- नदी
2. पश्चिम- रास्ता
3. उत्तर - राम लाल
4. दक्षिण- भरत राम

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।


एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
de देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
de देहरादून।



पत्ता  
SH RAN KISHOR  
VEER GABER SINGH  
BASTI BHAG 2 CANAL RD  
DEHRADUN NORTH



475.00
481.00
487.00

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 695 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0-417-2022 / 2024-25

दिनांक:- 22/05/24

सेवा में,

श्री सूर्य लाल पुत्र श्री महादेव,  
कैनाल रोड किशनपुर, किशनपुर  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम किशनपुर के खसरा नं0 161 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 36 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- नदी
2. पश्चिम- रास्ता
3. उत्तर - मंदिर
4. दक्षिण- रमेश

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरवाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षक अभियन्ता,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,

e/c देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षक अभियन्ता,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,

e/c देहरादून।

1840

 भारत सरकार  
Government of India

 आधार

Issue Date: 30/10/2014



सूर्य पाल  
Surya Pal  
जन्म तिथि/DOB: 26/01/1983  
पुरुष/ MALE

[REDACTED]

मरा आधार, मरी पहचान

 भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण  
Unique Identification Authority of India

 AADHAAR

पता:  
द्वारा: महा देव, वीर गब्बर सिंह बस्ती, गैस गोदाम के पास,  
देहरादून, देहरादून,  
उत्तराखण्ड - 248001

Address:  
C/O: Maha Dev, Veer Gabbar Singh Basti,  
Near Gas Godam, Dehradun, Dehradun,  
Uttarakhand - 248001

[REDACTED]

 1947 |  help@uidai.gov.in |  www.uidai.gov.in

## कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 696/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्री सुमन घाघर पत्नी श्री बबलू,  
कैनाल रोड़ किशनपुर, किशनपुर  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम किशनपुर के खसरा नं0 161 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 66 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- विनोद
2. पश्चिम- ललकू
3. उत्तर - गली
4. दक्षिण- जंगल नदी

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,

o/c देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभियन्ता,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,

o/c देहरादून।



Sex पुरुष / Male  
Date Of Birth / Age 05/01/1967 / 47

पता : H.No.1, Veer Gabber Singh Basti, P.O.-Rajpur, Teh.- Dehradun, Dist.- Dehradun-248009

Address : H.No.1, Veer Gabber Singh Basti, P.O.-Rajpur, Teh.- Dehradun, Dist.- Dehradun-248009

Date: 1-06-2015

निर्वाचन एजिस्ट्रार कार्यालय,  
Electoral Registration Officer

विधान सभा क्षेत्र की संख्या और नाम : 22 - मुसोरी  
Assembly Constituency No & Name : 22 - Mussoorie  
प्राथमिक संख्या और नाम : 39 - राजपुर इंटर कॉलेज बांसा बापी, विधानसभा क्षेत्र (पार्. 3)  
Part No and Name : 39 - Government Inter College (Left Sight) - Maharpur (Left Part R.No 3)

- ध्यान / Note :
- इस कार्ड को धारण करने मात्र से यह कोई गारंटी नहीं है कि आप वर्तमान निर्वाचक नामावली में निर्वाचक हैं। कृपया अपना नाम प्रत्येक चुनाव से पहले वर्तमान नामावली में जांच लें।  
More possession of this card is no guarantee that you are elector in the current electoral roll. Please check your name in the current electoral roll before every election.
  - इस कार्ड में उल्लिखित जानकारी को निर्वाचक नामावली में पंजीकरण के अलावा अन्य किसी भी स्थिति में आयु के प्रमाण के रूप में नहीं माना जाएगा।  
Date of Birth mentioned in this card shall not be treated as a proof of age / D.O.B. for any purpose other than registration in electoral roll.

भारत निर्वाचन आयोग  
ELECTION COMMISSION OF INDIA  
मतदाता फोटो पहचान पत्र - ELECTOR PHOTO IDENTITY CARD




नाम : बबलू गघाट  
Name : BABLU GHAGHAT  
पिता का नाम : राम कुमार  
Father's Name : RAM KUMAR

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 697/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्रीमती मंजू पत्नी श्री मनोज कुमार,  
कैनाल रोड किशनपुर, किशनपुर  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम किशनपुर के खसरा नं0 161 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 60 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- नदी
2. पश्चिम- विनोद
3. उत्तर - गली
4. दक्षिण- खाली प्लॉट

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

  
 अधीक्षण अभियन्ता,  
 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
 देहरादून।  
 e/c

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

  
 अधीक्षण अभियन्ता,  
 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
 देहरादून।  
 e/c

  
 भारत निर्वाचन आयोग  
 पहचान पत्र  
 ELECTION COMMISSION OF INDIA  
 IDENTITY CARD




निर्वाचक का नाम : मन्जू  
 Elector's Name : Manju  
 पति का नाम : मनोज कुमार  
 Husband's Name : Manoj Kumar  
 लिंग / Sex : महिला / Female  
 1.1.2013 को आयु : 29  
 Age as on 1.1.2013 : 29

पता म.सं. : 194  
 गली/मोहल्ला : बाकपटी बाजार  
 ग्राम/नगर : नगर निगम देहरादून  
 पटवारी/ले.पा. : जाखन  
 थाना : राजपुर  
 पोस्ट ऑफिस : राजपुर पिन - 248001  
 तहसील : देहरादून  
 जिला : देहरादून

Address H.No. : 194  
 Street/Mohalla : Bakpatti Bazar  
 Village/Town : Nagar Nigam Dehradun  
 Parwar/Lekh. : Jakhan  
 Police Station : Rajpur P.O. - 248001  
 Tehsil : Dehradun  
 District : Dehradun

Date : 16 Jan 2013 22/871  
 22-मसूरी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण  
 अधिकारी के हस्ताक्षर की अनुकृति  
 Facsimile Signature of the Electoral Registration  
 Officer for 22-Mussoorie Constituency

इस बदलाव पर, यदि उसे उन अवसर पर निर्वाचक राजपत्रों में दर्ज करवाने का मत ठीक हो  
 इसी स्थान का कार्य करने के लिए उपयोग करने में यह कार्य सफल प्रत्याश है।  
 In case of change in address, mention this Card No. in the relevant Form for including  
 your name in the roll at the changed address and to obtain the card with same number.

## कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 698/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक:- 22/05/24

सेवा में,

श्री राजेश पाशी पुत्र स्व0 श्री किशोरीलाल,  
कैनाल रोड़ किशनपुर, किशनपुर  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम किशनपुर के खसरा नं0 161 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 208 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- नदी
2. पश्चिम- .....
3. उत्तर - राय बदुर
4. दक्षिण- वीर अहिरखन/सड़क

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

  
अधीक्षण अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
देहरादून।  
o/c

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

  
अधीक्षण अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
देहरादून।  
o/c



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND  
7 SEP 2010  
निर्मित किया  
कोड सं. 001

विक्रय अनुबंधपत्र मय कब्जा

E 083954

श्री भोला पुत्र श्री रजुबा निवासी वीरगब्बरसिंह बस्ती कैनाल रोड किशनपुर

राजपुर देहरादून।

प्रथमपक्ष.....

एवं

श्री राजेश पाशी पुत्र स्व० श्री किशोरी लाल निवासी-16 म्युनिसिपल रोड

डालनवाला जिला देहरादून।

द्वितीयपक्ष.....

विदित हो कि प्रथमपक्ष निर्मित 10x10 के तीन कमरे टीनपोश

श्री लैटरिन, बाथरूम लिंटरपोश स्थित वीरगब्बरसिंह बस्ती कैनाल रोड किशनपुर

राजपुर जिला देहरादून का मालिक का बिज व पूर्ण स्वामी है प्रथमपक्ष अपनी उपर

सम्पत्ति मय मलबे विक्रय करना चाहता है और द्वितीयपक्ष क्रय करने के लिये तैयार

जिस हेतु यह अनुबंधपत्र मय कब्जा विक्रय किया जा रहा है जिसकी शर्तनिम्न है:-

1. यह कि दानो पक्षों के मध्य विक्रय सम्पत्ति/मलबे की सौदा मु०-6, 70, 000

₹ अठारह लाख सत्तर हजार रुपये में तय पाया गया है।

भोला

राजेश पाशी

2. यहकि द्वितीयपक्ष ने उपरोक्त विक्रीत मलबे की बाबत कुल धनराशि मु० 6, 70, 000/-रूपये आज दिनांक-9. 10. 2010 को प्रथमपक्ष को नकद अदा कर दी है जिसकी प्राप्त प्रथमपक्ष ने प्राप्त कर ली है अब दोनों पक्षों के मध्य उक्त सम की बाबत कोई धनराशिलेनी देनी शेष नहीं रह गयी है।

3. यहकि प्रथमपक्ष ने उपरोक्त विक्रीत मलबे पर द्वितीयपक्ष का अपने समान मौदे करा दिया है।

4. यहकि सम्पूर्ण कब्जा प्राप्तकरने के पश्चात द्वितीयपक्ष उपरोक्त मलबे को प्रयो में लाये, उपयोगकरें, उपभोग करें या अन्य किसी को विक्रय करें इसमें प्रथमपक्ष को क आपत्ति नहीं होगी।



5. यहकि द्वितीयपक्ष को अधिकार होगा कि वह उपरोक्त मलबे को नगरनिगम कार्यालय के अभिलेखों में अपने नाम स्थानांतरित करा ले जिसमें प्रथमपक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी।

6. यहकि उपरोक्त अनुबंधपत्र मय कब्जा दोनों पक्षों की आपसी सहमति से बिना किसी सिखाये, बहकाय, के अंकित किया जा रहा है जिसमें दोनों पक्षों के उत्तराधिकारियों प्रशासक आदिआदि शामिल है एवं सदैव शामिल समझे जायेंगे।

मील) विवरण विक्रीत सम्पत्ति/मलबा

राजेश्वर

-3-

सम्पत्ति/मलबा स्थित वीरगब्बर सिंह बस्ती कैनाल रोडकिशनपुर राजपुर देहरा  
जिसमें 10x10 के तीन कमरे टीनपोश एवं लेटरिन बाथरूम लिंटर पोश के निर्मित  
जिसकी सीमाए निम्न है:-

पूरब में-सम्पत्ति श्री दिनेश मिश्री, सीमा में नाप 26 फिट

पश्चिम में-आम रास्ता, सीमा में नाप 27 फिट

उत्तर में-सम्पत्ति श्री रायबहादुर सीमा में नाप 90 फिट

दक्षिण में-सम्पत्ति श्रीवीरु सीमा में नाप 90 फिट

अतः यहअनुबंधपत्र आज दिनांक-9.10.2010 को स्थान देहरादून में  
अंकित कर दिया ताकि सनद रहे और समय पर काम आवे।



श्रीला

प्रथमपक्ष.....

श्रीश्याम  
द्वितीयपक्ष.....

गवाह.....

मुलायम  
कैनाल रोड किशनपुर  
देहरादून

गवाह. D. P. ...

Mukesh Kumar  
2511, Indraprastha  
Charokhera

632/10  
ATTESTED

Smt. Vijay Luxmi Shukla  
Advocate & Notary  
Dehradun

श्रीमन्मोहन  
श्रीश्याम  
श्रीश्याम



# उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि.

कार्यालय

सर्विस कनेक्शन संख्या :

एकाउन्ट संख्या :

उपभोक्ता का नाम :

कुल देय राशि :

Energy Charge

Electricity Duty

Surcharge

Others

प्राप्त राशि

चैक/ड्राफ्ट विवरण

संख्या :

दिनांक :

काउन्टर संख्या

भुगतान पावती मूल प्रति A3316534

ANARWALA

दिनांक:-

3348429081403010019 29-08-2014 10:45

7021114118957

40106686248

SH BHOLA AHIRVAR

₹ 1890.00

Mode :: Cash

₹ 1401.80

₹ 90.30

₹ 92.95

₹ 304.95

₹ 1890.00

धनराशि (Rupees One Eight Nine Zero Only)

संग्रहकर्ता के हस्ताक्षर

एवं मोहर

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि. में बिजली बचार्थे  
कस्टमर केयर टोल फ्री नं. 800-419-0405

विद्युत बिल (25kV तक)

1851

बिल सं. **59059361710090697**

कनेक्शन सं. **7021114118957** दिनांक **09-10-17**

लागत सं. **10100006240** दिनांक **12-14-08-08-17** तक **09-10-17**

गुण माह बिल माह

खण्ड **2** उपखण्ड **10/2017**

देव तिथि **DEHRADUN-N** विच्छेदन तिथि **ANARWALA**

**24-10-17** **23-11-17**

नाम **SH BHOLA BHIRVAR**

पता **VEER GABER SINGH**  
**BASTI BHAG 2 CANAL RD**  
**DEHRADUN-NORTH**

शक्ति **1.00kw**

मीटर सं. **EL7015** मीटर गुणांक **10.1**

श्रेणी **DOMESTIC** दर **10.1**

विद्युत रीडिंग	वर्तमान रीडिंग	बिल्ड यूनिट
Kwh	13847	13976
Kvah		13976

PF: **0.85** बिल आधार **MU**

विवरण	राशि ₹ में
विद्युत मूल्य @ <b>2.55/3.30</b>	<b>328.95</b>
फिक्स्ड चार्ज @ <b>50/5.10</b>	<b>90.0</b>
क्रेडिट पर छूट/अधिमार् (+)	
कोई/एनपीएक अधिमार् (+)	
बिल काट देना छूट <b>0.08</b>	<b>9.82</b>
अन्य देय	<b>9.53</b>
उपभोजन को इतिवृत्ति	
विद्युत कर @ <b>0.15</b>	<b>19.35</b>
विद्युत अतिरिक्त अधिमार् <b>0.2000</b>	<b>25.00</b>
विद्युत बिल का देय धनराशि	<b>482.45</b>
दिलेख मुक्त अधिमार्	<b>2143.00</b>
कुल देय	<b>50.02</b>
उपभोजन को देय धनराशि	<b>0.00</b>
कुल देय	<b>2675.00</b>
उपभोजन को देय धनराशि	<b>0.00</b>
कुल देय	<b>2675.00</b>

कनेक्शन सं. **7021114118957**

SEC. DEPT. : **1200.00**

ASD : **0.00**

NET AMOUNT : **2675.00**

08-11-2017 तक ₹ **2700.00**

08-11-2017 तक ₹ **2706.00**

08-11-2017 तक ₹ **2712.00**

**COUNTERFOIL**

For SMS Alert, Pl. Provide Your mobile No. here.....

कनेक्शन सं. **7021114118957**

बिल सं. **59059361710090697**

SEC. DEPT. : **1200.00**

ASD : **0.00**

NET AMOUNT : **2675.00**

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि.  
बिल/Invoice  
GST No. (UPCL) 05AAACU6007G1ZP

**उपभोक्ता विवरण**

BILL NO : 59282174

CONNECTION NO : 7021114140016

ACCOUNT NO : 41800009209

METER NO : 75159136

CATEGORY : RTS-1

SANCTIONED LOAD: 1.0

SUPPLY TYPE : 10.1

FROM DATE : 14/04/2024

TO DATE : 07/06/2024

BILLED DAYS : 54

BILL MONTH : 06/2024

DUE DATE : 22/06/2024

DISC. DATE : 07/07/2024

DIVISION : DEHRADUN-NORTH

SUB DIVISION : ANARWALA

NAME : **MR. RAJESH PASHI**

S/O, W/O, C/O : **SHRI SHRI**

ADDRESS : **VEER GABER SINGH**  
**BASTI BHAG 2 CANAL RD**

विवरण	राशि (₹)
CURRENT KWH	: 2048
PREVIOUS KWH	: 1923.0
CURRENT KVAH	: 2048
PREVIOUS KVAH	: 1923.0
MAXIMUM DEMAND	: 1.0
BILL BASIS	: MU
CONSUMPTION KWH	: 125.0

विवरण	राशि (₹)
ENERGY CHARGE	: 425.0
@3.40/	
FIXED CHARGE	: 150.0
@75.00	
EXCESS FIX. CHARGE	: 0.0
FPPCA CHARGES	: 9.02
FPPCA REFUND	: 0.0
@0.05/0.03/0.31	
E.D. @0.15	: 18.75
APPS	: 0.0
FUEL CH. @	: 0.0
GREEN CESS @0.00	: 0.0
VOLTAGE S/C	: 0.0
LPF SURCHARGE	: 0.0
OTHER DUES	: 25.0
SOLAR REBATE	: 0.0
PROV. AMI ADJ.	: 0.0
CURRENT BILL	: 627.77
INIT. CREDITED	: 0.0
CURRENT LPS	: 79.68
TOTAL SURCHARGE	: 242.68
PREV. BALANCE	: 3350.0
ASD INSTALLMENT	: 0.0
TOTAL BILL AMT	: Rs. 4057.0
LAST PAYMENT	: Rs. 160.0
PAYMENT DATE	: 19/12/2023
MF	: 1.1
PF	: 0.35

**LATE PAYMENT SURCHARGE** ₹ 152.77

**R MONTH AFTER DUE DATE**

NAME : Mr. RAJESH PASHI

CONNECTION NO : 7021114140016

ACCOUNT NO : 41800009209

TOTAL BILL AMT : Rs. 4057.0

BILL DATE : 07/06/2024

DUE DATE : 22/06/2024

TOTAL AR. SURCHARGE : 163.0

पूरा.प.स.स. द्वारा जारी हेतु कृपया अपने संबंधित कार्यालय को सूचित करें

संस्थान पृष्ठान हेतु <http://www.upcl.org>

**Toll Free No. : 1912**

1852



# उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि.

भुगतान पावती मूल प्रति B

4954732

RAPDRP

दिनांक:-

कार्यालय

ANARWALA

सर्विस कनेक्शन संख्या :

3448426121711080005

26-Dec-2017

एकाउन्ट संख्या :

484161217015

Load : 1.0 KW

उपभोक्ता का नाम :

कुल देय राशि :

Mr. RAJESH PASHI, VIR GABAR SINGH BASTI, KISHANPI

Mode : Cash

SECURITY DEPOSIT

₹

1200.00

प्राप्त राशि SERVICE LINE CHARGES

₹

600.00

चैक/ड्राफ्ट विवरण Payment Towards : NEW CONNECTION

संख्या :

दिनांक

धनराशि :

₹

1800.00

(Rupees One Eight Zero Zero. Only)

काउन्टर संख्या

राष्ट्र एवं स्वयं के हित में बिजली बचाये

संग्रहकर्ता के हस्ताक्षर

एवं मोहर

11 कस्टमर हेल्पलाइन फ्री नं. 1800-419-0405

**कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।**

नोटिस संख्या- 699 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0-417-2022 / 2024-25

दिनांक:- 22/05/24

सेवा में,

श्री कर्मराजपाल पुत्र श्री श्री अम्बिका प्रसाद,  
हैप्पी एन्कलेव, जाखन,  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागची बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम जाखन के खसरा नं0 886 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 24 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- .....
2. पश्चिम- .....
3. उत्तर - .....
4. दक्षिण- .....

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

  
 अधीक्षण अभियन्ता,  
 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
 देहरादून।  
 /c

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागची बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

  
 अधीक्षण अभियन्ता,  
 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
 देहरादून।  
 /c

# 1854

Customer Care No. 1800-419-040  
**BILL AMOUNT : 446.00**

उत्सवराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लि. 25 बिल्डींग, एन (एन) कम वॉर को उपभोगताओं के लिए			
40231197453			
1114	7021114122960	15-02-15	11:23
2	SEH01141502130701	15-12-14	13-02-15 तक 02 माह
DEHRADUN NORTH	उपखण्ड ANAPRAJA	13-02-15	विच्छेदन तिथि 14-03-15
N. KARAJ PAL S/O. SH. ANAND KUMAR VIR. GADGAR SINGH BASTI NEAR HAPPY ENCLAVE JAKHAN			
अहर / स्थान	रसीकृत भार 1.000000		
मीटर संख्या 40027291	मीटर गुणांक 1.00		
श्रेणी DOMESTIC	सफाई प्रकार 10		
बिल माह	रीडिंग		
02/2015	पिछली रीडिंग	वर्तमान रीडिंग	यूनिट्स
kWh	347	466	119
kVAh			
kVA			
kV	0.85		MU
PF		बिल आधार	
विद्युत मूल्य	2.30/2.70/3.35/3.50	बिल दिनांक	273.76
एम्प्लॉयी का विद्युत मूल्य पर अधिकार			70.00
विद्युत/विमान्य चार्ज दर			
विद्युत/विमान्य चार्ज (रसीकृत भार पर)			
कोन्स्ट्रक्शन चार्ज पर टैट/अधिसर (+/-)			
टैट/अधिसर अधिसर (+)			
गारर फाटर मीटर टैट			
प्रसवार्थ जमा समाप्ता जमा/माह (-)			
जमा राशि			
उत्प्रेषण पर अधिसर	0.15		17.85
विद्युत कर			9.00
अधिकृत अधिसर			
समाप्ता राशि			369.55
विद्युत मूल्य पर अधिसर			0.00
विद्युत मूल्य अधिसर			13.14
कुल राशि			383.00
ISD			0.00
विद्युत बिल की राशि समाप्ता	1092.00	31-12-2014	
बिल अधिसर राशि			
28-02-2015	राशि	₹	383.00
28-02-2015	राशि	₹	383.00
14-03-2015	राशि	₹	392.00

**COUNTERFOIL**  
 For SMS Alert, Pl. Provide Your mobile No. 1028

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 700 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0-417-2022 / 2024-25

दिनांक:- 22/05/24

सेवा में,

श्री राजेश पुत्र श्री रामचरण,  
हैप्पी एन्क्लेव, जाखन,  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम जाखन के खसरा न0 886 श्रेणी 6-1 नदी रिस्यना रकबा 48 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- .....
2. पश्चिम- .....
3. उत्तर - .....
4. दक्षिण- .....

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपडी/घेरबाड आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अनिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
देहरादून।


प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभियन्ता,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
देहरादून।

भारत निर्वाचन आयोग  
ELECTION COMMISSION OF INDIA  
सर्वसमय फोटो पहचान कार्ड - ELECTOR PHOTO IDENTITY CARD





नाम : राजेश कुमार  
Name : RAJESH KUMAR  
पिता का नाम : राम चरण  
Father's Name : RAM CHARAN

लिंग / Sex : पुरुष / Male  
जन्म तिथि / आयु : 20/12/1961 / 34  
Date Of Birth/ Age

पता : म नो.5, वीर गब्बर सिंह बास्ती, पो.- राजपुर, नहरीन-  
देहरादुन, जिला- देहरादुन-248009  
Address : M.No.5, Vir Gabber Singh Basti, P.O-  
Rajpur, Teh.- Dehradun, Dist.- Dehradun-248009

Date : 02-12-2016  
भारतीय निर्वाचन आयोग  
Election Registration Officer

विधान सभा क्षेत्र की संख्या और नाम : 28 - उत्तरी  
Assembly Constituency No & Name : 28 - Uttarakhand  
सम सभा क्षेत्र नाम : 36 - भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र नाम : भारतीय जनता  
पार्टी का नाम : BJP  
Part No and Name : 36 - Bharatiya Janata Party  
M.N. No and Part Name : 36

नोट / Note  
1. इस कार्ड को धारण करने मात्र से यह कोई जादवी नहीं है कि आप निर्वाचन  
पट्टिका पर नाम दर्ज हैं। निर्वाचन के समय आपको अपने नाम की जांच  
करनी होगी।  
2. इस कार्ड में उल्लिखित तिथि को निर्वाचन पट्टिका पर नाम दर्ज करने के  
लिए प्रमाण के रूप में इस तिथि को प्रमाण के रूप में नहीं माना जाएगा।  
Date of Birth mentioned in this card shall not be treated  
as a proof of age / D.O.B. for any purpose other than  
registration in electoral roll.

1857

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 79/.../एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्रीमती अंजु यादव पत्नी श्री अजय,  
जाखन घौरण पुल से नीचे, जाखन,  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम जाखन के खसरा नं0 886 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 14 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- नदी
2. पश्चिम- खाली
3. उत्तर - नदी खाली
4. दक्षिण- हरी ओम यादव

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपडी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

  
अधीक्षण अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

  
अधीक्षण अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
देहरादून।



कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 702 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0-417-2022 / 2024-25

दिनांक:- 22/05/24

सेवा में,

श्री हरी ओम यादव पुत्र श्री राम केशर यादव,  
हैप्पी एन्क्लेव, जाखन,  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम जाखन के खसरा नं0 886 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 14 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- नदी
2. पश्चिम- खाली
3. उत्तर - अंजू यादव
4. दक्षिण- जगदेव प्रसाद

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपडी/घेरबाड आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

  
अधीक्षण अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
o/c देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

  
अधीक्षण अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
o/c देहरादून।

28-04-2011

23/08/0262467

NO07RR01R13CC020262467

RR1084D-1



# उत्तराखण्ड जल संधान

जल पल्प/सीवर मीटर एवं पिछूटा नंदिम

जल संवय जीवन संवय

Rajpur

श्री हरिजोम यादव / श्री राम केतार यादव

नई बस्ती वीर गब्बर सिंह कालोनी

संयोजन का नाम  
संयोजन का श्रेणी  
Low Head/DOM/15

विवरण का प्रकार	वितरण तिथि	वितरण की तिथि		वर्तमान दर	वर्तमान दर	पूर्ण योग	अन्य देय	पूर्ण योग	अन्य देय
		से	तक						
वर्षिक मूल्यांक दर प्रतिमाह	01-12-2023	08 / 2023	11 / 2023	2185.00	4030.00	11000/-	1.845.00	1.845.00	1.845.00
टांटी की संख्या/ दर प्रतिमाह									
सीवर संयोजन/शॉट संख्या दर प्रतिमाह									
वकाया									
Avg.									
विवरण									
जल मूल्य									
सीवर मीटर									
इंटरऑनर्ड बैंक शुल्क									
अन्य देय									
पूर्ण योग									

1860

नोट : न्यूनतम प्रभार पर छूट अनुपलब्ध नहीं होगी। अर्थात् 10,000 तः 10 अधिकतम प्रतिमाह पैय जरा खपत के रूप में अधिकतम 30 दिन के अन्दोलन प्रमाण का 10% को छूट मूल्य देय देय की सुविधा होगी।

अन्य देय को लिए 1.5% मासिक दर से विलम्ब शुल्क लिया जाएगा। आई० टी० बिल आई बैंक में भी भुगतान की सुविधा उपलब्ध है।

(बिलों के लिए कृपया पीछे देखिए)

राजसूचक अधीक्षक, जिला जल विधिक

उत्तराखण्ड जल संधान

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 703.../एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,


श्री जगदेव प्रसाद पुत्र श्री महादेव प्रसाद,  
हैप्पी एन्कलेव, जाखन,  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन वागची बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम जाखन के खसरा नं0 886 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 24 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- नदी
2. पश्चिम- खाली प्लॉट
3. उत्तर - हरी ओम
4. दक्षिण- रास्ता

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

  
 अधीक्षण अभियन्ता,  
 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
 देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन वागची बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

  
 अधीक्षण अभियन्ता,  
 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
 देहरादून।

1862

# DEHRADUN NAGAR NIGAM -Property Tax Online Payment

नगर निगम देहरादून

बिल (भवन कर)

बिल क्रमांक : 101505  
बिल की तिथि : 1/29/2020 10:50:24 AM  
सॉफ्टवेयर कोड : H-TAX-3-010521  
भवन स्वामी का नाम व पता : जगदेव प्रसाद यादव (म0ब0निर्माण के स्वामी) . वीर गब्बर सिंह  
बस्ती हैप्पी एन्क्लेव कैनाल रोड किशनपुर देहरादून  
वर्तमान कर : 1016.00  
कुल अवशेष : 4776.00  
20% छूट के उपरान्त वर्तमान कर : 812.80  
देय धनराशि : 5588.80

अवशेष 2014	अवशेष 2015	अवशेष 2016	अवशेष 2017	अवशेष 2018
940.00	940.00	940.00	940.00	1016.00
		Print	New	

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 704/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक:- 22/05/24

सेवा में,

श्री मान सिंह पुत्र श्री राम दीन,  
हैप्पी एन्कलेव, जाखन,  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम जाखन के खसरा नं0 886 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 12 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- नदी
2. पश्चिम- जितेन्द्र
3. उत्तर - नदी
4. दक्षिण- जितेन्द्र

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

  
 अधीक्षण अभियन्ता,  
 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
 देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

  
 अधीक्षण अभियन्ता,  
 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
 देहरादून।

1864



भारत निर्वाचन आयोग  
पहचान पत्र

ELECTION COMMISSION OF INDIA  
IDENTITY CARD



निर्वाचक का नाम : मान सिंह  
Elector's Name : Maan Singh  
पिता का नाम : राम दीन  
Father's Name : Ram Deen  
लिंग / Sex : पुरुष / Male  
1.1.2012 को आयु : 45  
Age as on 1.1.2012

पता म.सं. : 0  
गली/मोहल्ला : जाखन कैनाल रोड किशनपुर  
ग्राम/नगर : नगर निगम देहरादून  
पटवारी/ले.पा. : जाखन  
थाना : राजपुर  
पोस्ट ऑफिस : देहरादून शहर पिन - 248001  
तहसील : देहरादून  
जिला : देहरादून

Address H.No : 0  
Street/Mohalla : Jakhn Canal Road Kishanpur  
Village/Town : Nagar Nigam Dehradun  
Patwar/Lekh. : Jakhn  
Police Station : Rajpur  
Post Office : Dehradun City Pin - 248001  
Tehsil : Dehradun  
District : Dehradun

Date : 11 Dec 2011 34/843

22-मसूरी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण  
अधिकारी के हस्ताक्षर की अनुकृति  
Facsimile Signature of the Electoral Registration  
Officer for 22-Mussoorie Constituency

आप बदले हुए पते को हम अद्यतन मत निर्वाचक सूची में दर्ज करवाने के लिए एक फॉर्म भेजें।  
In case of change in address, mention this Card No. in the address Form for including  
your name in the roll at the changed address and to obtain the card with same number.

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 705 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0-417-2022 / 2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्री फारूख शेख पुत्र श्री अनवर अली,  
हैप्पी एन्क्लेव, जाखन,  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन वागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम जाखन कं खसरा नं0 886 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 40 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- नदी
2. पश्चिम- जमशेद अली/रास्ता
3. उत्तर - जितेन्द्र
4. दक्षिण- .....

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपडी/घेरबाड आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
देहरादून।

o/c

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन वागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभियन्ता,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
देहरादून।

o/c

1866

रिजन  
गठित  
म जा

 <b>उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड</b> <b>विद्युत बिल एवं विच्छेद नोटिस</b>			
घर संख्या	सुअर संख्या	कनेक्शन संख्या	बिल संख्या
702	1112	120073	2226062
E77976			
बिल का दिनांक	बिल का प्रकार	अवधि	वर्ष
ध्यान दें: कृपया बिल का भुगतान उचित समय पर करें। S 30			
कार्यालय (1)		उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड	

KBC

न  
यी  
सा  
र

 <b>उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड</b> <b>विद्युत बिल एवं विच्छेद नोटिस</b>										बिना देय/कैश द्वारा उभरीय भुगतान की किसी भी राशि को काउंटर पर भुगतान करनेवाला ग्राहक में वास्तविक भुगतान नहीं माना जाएगा।				
घर संख्या	कनेक्शन संख्या	मीटर संख्या	बिल संख्या	वर्ष	उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड	बिल संख्या	वर्ष	विलेज संख्या	विलेज नाम	विलेज संख्या				
1112	120073	0000	2226062	01	250710	300810	180910	141010	2910					
घर का नाम	बिल का प्रकार	विलेज का नाम	विलेज संख्या	विलेज नाम	विलेज संख्या	विलेज नाम	विलेज संख्या	विलेज नाम	विलेज संख्या	विलेज नाम				
702 UDD [NORTH] DEHRADUN			10	1.000						MI				
मीटर संख्या	मीटर प्रकार	विलेज संख्या	विलेज नाम	विलेज संख्या	विलेज नाम	विलेज संख्या	विलेज नाम	विलेज संख्या	विलेज नाम	विलेज संख्या				
E77976		2	000030	1.0	28			28						
SRI/SMT										बिल का विवरण		कुल रु. में		
SH FARUKH SHEKH ANWAR ALI (DOMESTIC) BEER GABER SINGH BAST I CANAL ROAD										1. बिजुल शुल्क	रु.	2-20	61.6	
										2. विलेज/विलेज शुल्क				
										3. विलेज/विलेज शुल्क	20.00	20.0		
										4. विलेज/विलेज शुल्क (सी. गैर के लिए)				
										5. विलेज/विलेज शुल्क (+/-)				
										6. विलेज/विलेज शुल्क (-)				
										7. विलेज/विलेज शुल्क (-)				
										8. विलेज/विलेज शुल्क (-)				
										9. अन्य शुल्क				
										10. विलेज/विलेज शुल्क (+)				
										11. विलेज/विलेज शुल्क	15	4.2		
										12. विलेज/विलेज शुल्क (+)				
										13. विलेज/विलेज शुल्क (+)		85.8		
										14. विलेज/विलेज शुल्क (+)				
										15. विलेज/विलेज शुल्क (+)		85.8		
										16. विलेज/विलेज शुल्क (+)				
										17. विलेज/विलेज शुल्क (+)				
										18. विलेज/विलेज शुल्क (+)				
										19. विलेज/विलेज शुल्क (+)				
										20. विलेज/विलेज शुल्क (+)				
										21. विलेज/विलेज शुल्क (+)				
										22. विलेज/विलेज शुल्क (+)				
										23. विलेज/विलेज शुल्क (+)				
										24. विलेज/विलेज शुल्क (+)				
										25. विलेज/विलेज शुल्क (+)				
										26. विलेज/विलेज शुल्क (+)				
										27. विलेज/विलेज शुल्क (+)				
										28. विलेज/विलेज शुल्क (+)				
										29. विलेज/विलेज शुल्क (+)				
										30. विलेज/विलेज शुल्क (+)				
										31. विलेज/विलेज शुल्क (+)				
										32. विलेज/विलेज शुल्क (+)				
										33. विलेज/विलेज शुल्क (+)				
										34. विलेज/विलेज शुल्क (+)				
										35. विलेज/विलेज शुल्क (+)				
										36. विलेज/विलेज शुल्क (+)				
										37. विलेज/विलेज शुल्क (+)				
										38. विलेज/विलेज शुल्क (+)				
										39. विलेज/विलेज शुल्क (+)				
										40. विलेज/विलेज शुल्क (+)				
										41. विलेज/विलेज शुल्क (+)				
										42. विलेज/विलेज शुल्क (+)				
										43. विलेज/विलेज शुल्क (+)				
										44. विलेज/विलेज शुल्क (+)				
										45. विलेज/विलेज शुल्क (+)				
										46. विलेज/विलेज शुल्क (+)				
										47. विलेज/विलेज शुल्क (+)				
										48. विलेज/विलेज शुल्क (+)				
										49. विलेज/विलेज शुल्क (+)				
										50. विलेज/विलेज शुल्क (+)				
										51. विलेज/विलेज शुल्क (+)				
										52. विलेज/विलेज शुल्क (+)				
										53. विलेज/विलेज शुल्क (+)				
										54. विलेज/विलेज शुल्क (+)				
										55. विलेज/विलेज शुल्क (+)				
										56. विलेज/विलेज शुल्क (+)				
										57. विलेज/विलेज शुल्क (+)				
										58. विलेज/विलेज शुल्क (+)				
										59. विलेज/विलेज शुल्क (+)				
										60. विलेज/विलेज शुल्क (+)				
										61. विलेज/विलेज शुल्क (+)				
										62. विलेज/विलेज शुल्क (+)				
										63. विलेज/विलेज शुल्क (+)				
										64. विलेज/विलेज शुल्क (+)				
										65. विलेज/विलेज शुल्क (+)				
										66. विलेज/विलेज शुल्क (+)				
										67. विलेज/विलेज शुल्क (+)				
										68. विलेज/विलेज शुल्क (+)				
										69. विलेज/विलेज शुल्क (+)				
										70. विलेज/विलेज शुल्क (+)				
										71. विलेज/विलेज शुल्क (+)				
										72. विलेज/विलेज शुल्क (+)				
										73. विलेज/विलेज शुल्क (+)				
										74. विलेज/विलेज शुल्क (+)				
										75. विलेज/विलेज शुल्क (+)				
										76. विलेज/विलेज शुल्क (+)				
										77. विलेज/विलेज शुल्क (+)				
										78. विलेज/विलेज शुल्क (+)				
										79. विलेज/विलेज शुल्क (+)				
										80. विलेज/विलेज शुल्क (+)				
										81. विलेज/विलेज शुल्क (+)				
										82. विलेज/विलेज शुल्क (+)				
										83. विलेज/विलेज शुल्क (+)				
										84. विलेज/विलेज शुल्क (+)				
										85. विलेज/विलेज शुल्क (+)				
										86. विलेज/विलेज शुल्क (+)				
										87. विलेज/विलेज शुल्क (+)				
										88. विलेज/विलेज शुल्क (+)				
										89. विलेज/विलेज शुल्क (+)				
										90. विलेज/विलेज शुल्क (+)				
										91. विलेज/विलेज शुल्क (+)				
										92. विलेज/विलेज शुल्क (+)				
										93. विलेज/विलेज शुल्क (+)				
										94. विलेज/विलेज शुल्क (+)				
										95. विलेज/विलेज शुल्क (+)				
										96. विलेज/विलेज शुल्क (+)				
										97. विलेज/विलेज शुल्क (+)				
										98. विलेज/विलेज शुल्क (+)				
										99. विलेज/विलेज शुल्क (+)				
										100. विलेज/विलेज शुल्क (+)				

K D COMPUTER FORMS, D.OUR PH. 721052

न  
यी  
सा  
र

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 706/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक:- 22/05/24

सेवा में,

श्री राम शरीक पुत्र श्री भोलाप्रसाद,  
हैप्पी एन्क्लेव, जाखन,  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम जाखन के खसरा नं0 886 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 16 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- नदी
2. पश्चिम- अज्ञात
3. उत्तर - फारुख शेख
4. दक्षिण- राम शरीफ का शेष

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम य एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
देहरादून।

1868

DEHRADUN NAGAR NIGAM -Property  
Tax Online Payment

नगर निगम देहरादून

बिल (भवन कर)

बिल क्रमांक : 99392  
बिल की तिथि : 1/13/2020 9:37:47 AM  
सॉफ्टवेयर कोड : H-TAX-3-010415  
भवन स्वामी का नाम व पता : राम सरीख (मजबूतनिर्माण के स्वामी) . कैनाल रोड किरानपुर  
देहरादून  
वर्तमान कर : 729.00  
कुल अवशेष : 3362.00  
20% छूट के उपरान्त वर्तमान कर : 583.20  
देय धनराशि : 3945.20

अवशेष 2014 675.00  
अवशेष 2015 675.00

अवशेष 2016 675.00  
Print

अवशेष 2017 608.00  
New

अवशेष 2018 729.00

## कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 707/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक:- 22/05/24

सेवा में,

हितबद्ध व्यक्ति (नाम नामालूम),  
हैपी ऐन्कलेव, जाखन  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम जाखन के खसरा नं0 886 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 30 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- नदी
2. पश्चिम- रास्ता
3. उत्तर - राम शरीफ
4. दक्षिण- दानी शर्मा

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

  
अधीक्षण अभियन्ता,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,

o/c देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

  
अधीक्षण अभियन्ता,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,

o/c देहरादून।

भारत सरकार के आदेशानुसार उपभोक्ता राशन कार्ड का उपयोग परिचय पत्र के रूप में मान्य नहीं होगा।



दिनांक

प्रमाणित कर्ता के हस्ताक्षर एवं मोहर

12/09/16

परिवार के महिला मुखिया का नाम श्रीमती बाबू लाल शर्मा  
 पिता/पति का नाम श्री सुरा देवी शर्मा  
 पता मकान नं. 69 महिला/वार्ड संख्या  
 नाम राजस्व ग्राम वीर गठवर सिंह वास्ता संख्या  
 शहर/ग्राम सभा देहरादून वि.ख. महसूल  
 परिवार के मुखिया का व्यवसाय मजदूरी मद्धर  
 परिवार की कुल वार्षिक घोषित आय 48000/-  
 एल.पी.जी. कनेक्शन संख्या  
 एस.बी.सी.  डी.बी.सी.  गैस नहीं है   
 गैस एजेन्सी/कम्पनी का नाम  
 मास्टर/काउन्टर रजिस्टर का क्रमांक 4987  
 दुकान रजिस्टर का क्रमांक 150  
 प्राधिकृत राशन विक्रेता का नाम श्री/श्रीमती राजेश अग्रवाल  
 नवीनीकरण की दशा में पूर्व राशन कार्ड का नम्बर  
 कार्ड धारक का मोबाइल नम्बर  
 कार्ड धारक का वोटर आई.डी. नम्बर  
 कार्ड धारक का यू.आई.डी. नम्बर 3185 7512 6395  
 कार्ड धारक का बैंक खाता संख्या  
 बैंक का नाम तथा शाखा

यूनिटों का विवरण	अंको में	शब्दों में
	6	छः



दिनांक

06/09/16

ह. खाद्य अधिकारी के नाम मोहर सहित



नाम : गीता देवी

Name : GITA DEVI

पति का नाम : बाबू लाल शर्मा

Husband's Name : BABU LAL SHARMA

भारत निर्वाचन आयोग

लिंग / Sex

महिला / Female

जन्म तिथि / आयु

12/12/1985 / 50

Date Of Birth/ Age

पता - म नं 7, श्री गजबल सिंह बस्ती, पो. राजपुर, नहीनी  
बेहलवा, जिला - रायपुर-248009

Address : H.No 7, Sri Gajbar Singh Basti, P.O.  
Rajpur, Teh - Dehradun, Dist - Dehradun-248009

Date: 06-02-2010

निर्वाचन अधिकारी  
Electoral Registration Officer

विधान सभा क्षेत्र की संख्या और नाम - 22 - मऊ

Assembly Constituency No & Name - 22 - Mau

भाग संख्या और नाम - 39 - राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज लखनऊ  
भाग संख्या - 39

Part No and Name - 39 - Government Engineering College  
Lucknow Part No. 39

नोट / Note

1. इस कार्ड की कल्पना करने वाले को यह बताना चाहिए कि यह कार्ड केवल  
निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में ही प्रयोग किया जा सकता है। अन्य किसी स्थान पर यह  
कार्ड प्रयोग नहीं किया जा सकता।

1. The possession of this card is no guarantee that you  
are elector for any election unless you are called. Please check your  
name in the list of electors for every election.

2. इस कार्ड में उल्लिखित तिथि को मतदाता के जन्म के  
संदर्भ में प्रमाण के रूप में नहीं माना जाएगा।

2. Date of Birth mentioned in this card shall not be treated  
as a proof of age/D.O.B for any purpose other than  
registration in electoral roll.

**कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।**

नोटिस संख्या- 708 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0-417-2022 / 2024-25

दिनांक:- 22/05/24

सेवा में,

श्री कमलेश पुत्र श्री मनीराम  
हैपी ऐन्कलेव, जाखन  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम जाखन के खसरा नं0 886 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 26 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- नदी
2. पश्चिम- रास्ता/सड़क
3. उत्तर - दानी शर्मा
4. दक्षिण- गली

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण/अभियन्ता,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,

o/c देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षण/अभियन्ता,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,

देहरादून।

o/c

1873



1047

## कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 709 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0-417-2022 / 2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्री संजय लाल पुत्र श्री सुखई  
हैपी ऐन्कलेव, जाखन  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम जाखन के खसरा नं0 886 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 20 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- गराजपाल
2. पश्चिम- रास्ता
3. उत्तर - गली
4. दक्षिण- कर्मराजपाल

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

  
अधीक्षण अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
o/c देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

  
अधीक्षण अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
o/c देहरादून।



752/1114/139200  
**उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि.**

भुगतान पावती मूल प्रति B 6451298

कार्यालय ANARWALA

सर्विस कनेक्शन संख्या : 34 [REDACTED] 48

दिनांक: 19-Dec-2015

Load : 1.0 KW

एकाउन्ट संख्या :

उपभोक्ता का नाम : **MR SANJAY PAL, HAPPY ENCLAVE, CANAL ROAD, VIR GA**

कुल देय राशि :

Mode : Cash

~~1200.00~~

SERVICE LINE CHARGES ₹ 600.00

Payment Towards : **NEW CONNECTION**

प्राप्त राशि

चैक/ड्राफ्ट विवरण

₹ 1800.00

संख्या :

दिनांक :

(Rupees One Eight Zero Zero Only)

धनराशि :

बैक :

काउन्टर संख्या

11 / sachin.panda2

राष्ट्र एवं स्वयं के हित में बिजली बचायें

कस्टमर केयर टोल फ्री नं. **1800-419-0405**

संग्रहकर्ता के हस्ताक्षर  
 एवं मोहर

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 710/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक:- 22/05/24

सेवा में,

श्री सूरत सिंह रावत पुत्र श्री श्री नेता सिंह रावत  
हैपी ऐन्कलेव, जाखन  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम जाखन के खसरा नं0 886 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 44 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- इन्ताज अली
2. पश्चिम- रास्ता
3. उत्तर - गली
4. दक्षिण- गोविन्द

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,

o/c देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभियन्ता,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,

o/c देहरादून।



भारत निर्वाचन आयोग  
ELECTION COMMISSION

IDENTITY



पिता:

पति:

व्य. सं. सं.

पति  
पत्नी

पति  
पत्नी

सर्वोच्च न्यायालय  
कोर्ट  
दफ्तर

पति  
पत्नी

पति

पत्नी

पति  
पत्नी

पति

पति  
पत्नी

385

## कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 711...../एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक:- 22/05/24

सेवा में,

श्री गांविद रावत पुत्र श्री मनीराम  
हैपी ऐन्कलेव, जाखन  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम जाखन के खसरा नं0 886 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 66 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- नदी
2. पश्चिम- रास्ता
3. उत्तर - सूरज रावत
4. दक्षिण- मुकेश कुमार

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

  
अधीक्षण अभियन्ता,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,

o/c देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

  
अधीक्षण अभियन्ता,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,

o/c देहरादून।

1879

भारत निर्वाचन आयोग  
ELECTION COMMISSION OF INDIA  
मतदाता फोटो पहचान पत्र - ELECTORAL PHOTO IDENTITY CARD





नाम : गोविन्द रावत  
Name : Govind Rawat  
पिता का नाम : मनी राम रावत  
Father's Name : Mani Ram Rawat

लिंग / Sex                      पुरुष / Male  
जन्म तिथि / आयु              XX/XX/1992 / 22  
Date Of Birth/ Age

पता : म नो.5/4, केनाल रोड वार्ड नं. 1, पो. देहरादून शहर,  
देहरादून-देहरादून, जिला- देहरादून-248001  
Address : H.No.5/4, Kenal Raad Ward No. 1, P.O-  
Dehradun City, Teh.- Dehradun, Dist.-  
Dehradun-248001

Date : 29-03-2014

निर्वाचक एजिस्ट्रार अफिसरी  
Electoral Registrar Officer

विधान सभा क्षेत्र की संख्या और नाम : 22 - मसूरी  
Assembly Constituency No & Name : 22 - Mussoorie  
संसदीय क्षेत्र का नाम : 32 - राजकीय इंटर कॉलेज हीरा बाग, मिशनपुर (भाग  
साथ नं. 3)  
Part No and Name : 32 - Government Inter College (L&S) Hi-  
Mishanpur (L&S Part, R.No 3)

नोट / Note :

1. इस कार्ड को धारण करने मात्र से यह कोई गारंटी नहीं है कि आप वर्तमान निर्वाचक सभासदी में निर्वाचक हैं। कृपया अपने नाम प्रत्येक चुनाव से पहले वर्तमान निर्वाचक सभासदी में जाँच लें।  
More possession of this card is no guarantee that you are elector in the current electoral roll. Please check your name in the current electoral roll before every election.

2. इस कार्ड में उल्लिखित जन्म तिथि को निर्वाचक सभासदी में पंजीकरण के अलावा अन्य किसी भी स्थिति में आयु के प्रमाण के रूप में नहीं माना जाएगा।  
Date of Birth mentioned in this card shall not be treated as a proof of age/D.O.B. for any purpose other than registration in electoral roll.

हमारा बैंक बीसीएसबीआई कोड-अनुपालित है. विस्तृत विवरण के लिए कृपया शाखा प्रबंधक से संपर्क कीजिए  
We are BCSBI code compliant Bank. For details, please contact the Branch Manager.

### आपकी आवश्यकता के अनुरूप हमारे ऋण उत्पाद

- प्रत्यक्ष आवास वित्त (वैयक्तिक आवास के लिए)
  - सेन्ट विद्यार्थी (भारत तथा विदेश में उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण)
  - सेन्ट व्हीकल (दो पहिया / चौपहिया वाहनों के लिए वैयक्तिक ऋण)
  - सेन्ट मॉर्गेज (वैयक्तिक प्रयोजन के लिए संपत्ति के समक्ष ऋण)
  - सेन्ट ट्रेड (व्यापारियों के लिए कार्यशील पूंजी)
  - सेन्ट स्वामिमान (वरिष्ठ नागरिकों के लिए रिवर्स मॉर्गेज योजना)
  - सेन्ट्रल किसान क्रेडिट कार्ड (किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं में समर्थ)
  - सेन्ट्रल लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड
  - सेन्ट रेन्टल्स (भावी किराए के समक्ष ऋण)
  - सेन्ट कल्याणी (महिला उद्यमियों को ऋण)
  - पेंशनरों को ऋण (व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु)
  - लघु एवं मध्यम उद्यमी ऋण (एसएमई उद्यमियों की आवश्यकताओं में समर्थ)
- कृपया अपना पिन नम्बर (एटीएम कार्ड/क्रेडिट कार्ड) किसी फोन या ई-मेल द्वारा न दें, बैंक इस तरह कभी भी आपकी आवश्यकताओं के लिए ऋण प्रदान नहीं करता है।

one  
Cashier  
Passbook

### Our Loan Products to meet your requirements

- Direct Housing Finance (For Personal Housing)
  - Cent Vidyarthi (Education loan for higher studies in India & abroad)
  - Cent Vehicle (Personal loan for two/four wheelers)
  - Cent Vehicle Mortgage (Loan for personal use against property)
  - Cent Working Capital (Working Capital for traders)
  - Cent Senior Citizen's Reverse Mortgage Scheme (Reverse Mortgage Scheme for Senior Citizens)
  - Cent Farmer Credit Card (empowering farmers for their financial needs)
  - Cent Lghu Udyami Credit Card
  - Cent Rentals (Loan against future rentals)
  - Cent Women's Loan (Loan to women entrepreneurs)
  - Cent Pensioners (to meet personal exigencies)
  - Cent MSME (to meet credit requirements of SME entrepreneurs)
- Do not disclose your PIN (ATM Card/Credit Card) to anyone over phone or email, Bank never asks such personal details this way.



सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया  
Central Bank of India

1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL TO YOU SINCE 1911"

JAKHAN

CKYC No:

Branch Address And Tel No.:

54 JAKHAN  
CANAL ROAD  
DEHRADUN UTTARAKHAND  
248001  
Tel: .

MICR Code: 248016015  
IFSC Code: CBIN0285073  
01/03/2016

Tollfree no: 1800221911

Name And Address Of Account Holder/s:

Mr. GOVIND RAWAT

HOUSE NO 5/4  
CANAL ROAD  
WARD NO 1  
248001  
OPERATING SINGLY  
CIF: 8276271706  
Nomination: R

Depositor is insured upto a maximum of Rs Five lacs subject to the conditions and arrangements by DICGC  
Date



अधिकारी  
OFFICER

प्रबंधक  
MANAGER

1881

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 712 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0-417-2022 / 2024-25

दिनांक:- 29/05/24

सेवा में,

श्री जमील पुत्र श्री फुत्तन अहमद  
हैपी ऐन्कलेव, जाखन  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम जाखन के खसरा नं0 886 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 45 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- मुनीम
2. पश्चिम- पुश्ता
3. उत्तर - रास्ता
4. दक्षिण- खाली बाउंड्री

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,

o/c देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभियन्ता,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,

o/c देहरादून।



भारत निर्वाचन आयोग  
पहचान पत्र

ELECTION COMMISSION OF INDIA  
IDENTITY CARD



UK: 10111033

निर्वाचक का नाम : जमील अहमद  
 Elector's Name : Jamil Ahmed  
 पिता का नाम : पुप्तान अहमद  
 Father's Name : Puptan Ahmed  
 लिंग / Sex : पुरुष / Male  
 1.1.2011 को आयु : 30  
 Age as on 1.1.2011

पता सं. : 0 RLA0207092  
 गली/मोहल्ला : केनालरोड  
 ग्राम/नगर : नगर निगम देहरादून  
 पटवारी/सेवा : जालन  
 थाना : राजपुर  
 पोस्ट ऑफिस : देहरादून नगर पिन - 248001  
 दहशील : देहरादून  
 जिला : देहरादून

**Address II No :** 0  
**Street/Mohalla :** Kenaroad  
**Village/Town :** Nagar Nigan Dehradun  
**Patwar-Lakh :** Lakhan  
**Police Station :** Rajpur  
**Post Office :** Dehradun City Pin : 248001  
**Tehsil :** Dehradun  
**District :** Dehradun

Date : 29 Dec 2010 28/1293  
 22-मसूरी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक (Electoral) के अधिकारी के हस्ताक्षर की प्रतिलिपि  
 Facsimile Signature of the Electoral Registration Officer for 22-Mussorie Constituency

In case of change of address, the Card No. of the person from his original card should be kept at the change of address and he should get a new card with same number.

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 713/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक:- 22/05/24

सेवा में,

श्री रणजीत पुत्र श्री शिवनाथ महतो  
हैपी ऐन्कलेव, जाखन  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन वागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम जाखन के खसरा नं0 886 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 40 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- अनमोल
2. पश्चिम- पुश्ता
3. उत्तर - फारुख अंसारी
4. दक्षिण- सुनीता

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सन्दर्भ में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,

o/c देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन वागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभियन्ता,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,

o/c देहरादून।



## कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 714 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0-417-2022 / 2024-25

दिनांक:- 22/05/24

सेवा में,

श्री अनमोल पुत्र श्री सोमन शाह  
हैपी ऐन्कलेव, जाखन  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम जाखन के खसरा नं0 886 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 20 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- राजू सोनकर
2. पश्चिम- रंजीत
3. उत्तर - फारुख अंसारी
4. दक्षिण- गली

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपडी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।



अधीक्षक अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
o/c देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अप्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।



अधीक्षक अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
o/c देहरादून।




भारत सरकार  
Government of India

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण  
Unique Identification Authority of India

नामांकन क्रम/ Enrolment No.: 2729/00079/73577

To  
अनमोल कुमार  
Anmol Kumar  
C/O: Sonam Shah,  
29 Veer Gabbar Singh Basti, Gram Kenal, Ward No 7,  
VTC: Kishanpur,  
PO: Rajpur,  
Sub District: Dehradun,  
District: Dehradun,  
State: Uttarakhand,  
PIN Code: 248009,  
Mobile: 9027671849



Validity unknown  
Details are available on the Aadhaar website  
Date: 29/01/2024  
City: Delhi

आपका आधार [REDACTED] है।

मेरा आधार, मेरी पहचान



भारत सरकार  
Government of India



अनमोल कुमार  
Anmol Kumar  
जन्म तिथि/DOB: 01/01/1994  
पुरुष/ MALE

आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता या जन्मतिथि का नहीं।  
इसका उपयोग सत्यापन (ऑनलाइन प्रमाणीकरण, या क्यूआर कोड/  
ऑफलाइन एक्सएमएल की स्कैनिंग) के साथ किया जाना चाहिए।

Aadhaar is proof of identity, not of citizenship  
or date of birth. It should be used with verification (online  
authentication, or scanning of QR code / offline XML).

मेरा आधार, मेरी पहचान



Government of India



सूचना / INFORMATION

- आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता या जन्मतिथि का नहीं। जन्मतिथि आधार नंबर धारक द्वारा प्रस्तुत सूचना और विनियमों में डिजिटल जन्मतिथि के प्रमाण के दस्तावेज पर आधारित है।
- इस आधार पर को यूआईडीएआई द्वारा नियुक्त प्रमाणीकरण एजेंसी के जरिए ऑनलाइन प्रमाणीकरण के द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए या ऐप स्टोर में उपलब्ध एमआधार या आधार क्यूआर कोड स्कैनर ऐप से क्यूआर कोड को स्कैन करके या [www.uidai.gov.in](http://www.uidai.gov.in) पर उपलब्ध सुरक्षित क्यूआर कोड रीडर का उपयोग करके सत्यापित किया जाना चाहिए।
- आधार विशिष्ट और सुरक्षित है।
- पहचान और पते के समर्थन में दस्तावेजों को आधार के लिए नामांकन की तारीख से प्रत्येक 10 वर्ष में कम से कम एक बार आधार में अपडेट कराना चाहिए।
- आधार विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी फायदा/सेवाओं का लाभ लेने में सहायता करता है।
- आधार में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट रखें।
- आधार सेवाओं का लाभ लेने के लिए एमआधार ऐप डाउनलोड करें।
- आधार/बायोमेट्रिक्स का उपयोग न करने के समय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आधार/बायोमेट्रिक्स लॉक/अनलॉक सुविधा का उपयोग करें।
- आधार की मांग करने वाले सहमति लेने के लिए बाध्य हैं।
- Aadhaar is proof of identity, not of citizenship or date of birth (DOB). DOB is based on information supported by proof of DOB document specified in regulations, submitted by Aadhaar number holder.
- This Aadhaar letter should be verified through either online authentication by UIDAI-appointed authentication agency or QR code scanning using mAadhaar or Aadhaar QR Scanner app available in app stores or using secure QR code reader app available on [www.uidai.gov.in](http://www.uidai.gov.in).
- Aadhaar is unique and secure.
- Documents to support identity and address should be updated in Aadhaar after every 10 years from date of enrolment for Aadhaar.
- Aadhaar helps you avail of various Government and Non-Government benefits/services.
- Keep your mobile number and email id updated in Aadhaar.
- Download mAadhaar app to avail of Aadhaar services.
- Use the feature of Lock/Unlock Aadhaar/biometrics to ensure security when not using Aadhaar/biometrics.
- Entities seeking Aadhaar are obligated to seek consent.




भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण  
Unique Identification Authority of India



पता:  
द्वारा: सोनम शाह, 29 वीर गब्बर सिंह बस्ती, ग्राम केनाल, वॉर्ड  
न 7, किशनपुर, राजपुर, देहरादून,  
उत्तराखण्ड - 248009

Address:  
C/O: Sonam Shah, 29 Veer Gabbar Singh  
Basti, Gram Kenal, Ward No 7, Kishanpur, PO:  
Rajpur, DIST: Dehradun,  
Uttarakhand - 248009



VID : 9136 4438 8138 3272

1947 | help@uidai.gov.in | www.uidai.gov.in

## कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 715 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0-417-2022 / 2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्री अश्वनी कुमार पुत्र स्व0 श्री हुकुमत लाल  
हैपी ऐन्कलेव, जाखन  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम जाखन के खसरा नं0 886 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 70 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- रास्ता
2. पश्चिम- ढांग पुस्ता
3. उत्तर - राम किशोर
4. दक्षिण- उषा

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षक अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
0/c देहरादून।

प्रतिलिपि:-


1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षक अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
0/c देहरादून।



भारत निर्वाचन आयोग  
ELECTION COMMISSION OF INDIA

भारतीय निर्वाचन आयोग का मतदाता पहचान पत्र



नाम : अश्वनी कुमार

Name : ASWANI KUMAR

पिता का नाम : स्व. हुकुमत लाल

Father Name : LATE HUKUMAT LAL

Form No. 1

Form No. 1

Date of Birth

00/00/1952 / 33

Date of Issue

Address: Veer Gadhokh Bhangh Bhabh, P.O. - ...  
165, Dabholwadi, Dist. - Dahanu, 240000

Address: Veer Gadhokh Bhangh Bhabh, P.O. - ...  
165, Dabholwadi, Dist. - Dahanu, 240000



निर्वाचक अभिलेखन कार्ड  
निर्वाचक अभिलेखन कार्ड

24/00/2000

विकास कक्षा के की संख्या और सीट - 22 - ...  
Assembly Constituency का नाम - 22 - ...  
वर्तमान और मातृ - ...  
आय - ...

Car No. and Name - ...  
Matr. No. (L.A. Part B No. 2)

नोट / Note

1. इस कार्ड को प्रत्येक व्यक्ति को मत देने के लिए प्रयोग करने के लिए निर्वाचक सूची में निर्वाचक है। प्रत्येक व्यक्ति को मत देने के लिए वर्तमान मातृ सूची में आना है।

More possession of this card is no guarantee that you are elector in the current electoral roll. Please mention name in the current electoral roll before every election.

2. इस कार्ड में उल्लिखित प्र-वर्षिक को निर्वाचक सूची में प्रवेश के लिए आवश्यक अन्य विवरणों की विधि में उल्लिखित के साथ के रूप में यह कि अन्य उल्लिखित Date of Birth mentioned in this card shall not be treated as a proof of age / D.O.B. for any purposes other than registration in electoral roll.

लिंग / Sex : 1890 / Male

जन्म तिथि / आयु : 08/08/1982 / 33  
Date Of Birth/ Age

पता : वीर गब्बर सिंह बस्ती, पो.- राजपुर, तहसील- देहरादून,  
जिला- देहरादून-248009

Address : **Veer Gabber Singh Basti**, P.O- Rajpur,  
Teh.- Dehradun, Dist.- Dehradun-248009



निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी  
Electoral Registration Officer

Date : 26-05-2015

विधान सभा क्षेत्र की संख्या और नाम : 22 - मसूरी

Assembly Constituency No & Name : 22 - Mussoorie

भाग संख्या और नाम : 39 - राजकीय इंटर कॉलेज बायां भाग) , किशनपुर बायां  
भाग क्र. 3)

Part No and Name : 39 - Government Inter College (Left Sight) ,  
Kishanpur (Left Part R.No 3)

नोट / Note :

1. इस कार्ड को धारण करने मात्र से यह कोई गारंटी नहीं है कि आप वर्तमान निर्वाचक नामावली में निर्वाचक हैं। कृपया अपना नाम प्रत्येक चुनाव से पहले वर्तमान नामावली में जांच ले।

Mere possession of this card is no guarantee that you are elector in the current electoral roll. Please check your name in the current electoral roll before every election.

2. इस कार्ड में उल्लिखित जन्मतिथि को निर्वाचक नामावली में पंजीकरण के अलावा अन्य किसी भी स्थिति में आयु के प्रमाण के रूप में नहीं माना जाएगा।

Date of Birth mentioned in this card shall not be treated as a proof of age / D.O.B. for any purpose other than registration in electoral roll

## कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 716...../एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री नत्थूलाल  
हैपी ऐन्कलेव, जाखन  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम जाखन के खसरा नं0 886 श्रेणी 6-1 नदी रिस्यना रकबा 40 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- रास्ता
2. पश्चिम- विपिन सैनी
3. उत्तर - राजू
4. दक्षिण- शारदा

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।


एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

  
अधीक्षण अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
०/० देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

  
अधीक्षण अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
०/० देहरादून।



राजेंद्र सिंह  
: Rajendra Singh  
: नरधु सिंह



मि.सं. : 1  
मोहल्ला : दीर गाँव सिट बस्ती  
नगर : नगर निगम देहरादून  
/ले.पा. : जाखन  
राजपुर  
ऑफिस : राजपुर विम - 248005  
देहरादून  
देहरादून  
H.No. : 1  
Basti : Meer Gabber Singh Basti

Date : 3 Oct 2013  
22-मंजूरी निगम क्षेत्र के निर्माण  
अधिकारी के हस्ताक्षर की अनुमति

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 317/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक:- 22/05/24

सेवा में,

श्री सुनील सैनी पुत्र श्री विशाना सैनी  
हैपी ऐन्कलेव, जाखन  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम जाखन के खसरा नं0 886 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 24 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- राजू
2. पश्चिम- सैनी विपिन
3. उत्तर - गली
4. दक्षिण- शारद प्रसाद

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
o/c देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
o/c देहरादून।

Num. Reg. No. :  
a/c = Account

adj = Adjustment

Amt = Amount

Ar = Arrear

bal = Balance

Capn = Capitalization

chg/ch = Charge

chq = Cheque

Clos = Closure

coll = Collection

comm = Commision

COR/CORR = Correction

CR = Credit

csh = Cash

1894  
Generally used abbreviations

dep = Deposit

Dft = Draft

dish/dsh = Dishonour

DR = Debit

DoB = Date of Birth

eft = Electronic Fund Transfer

Inop = Inoperative

ins = Insurance

int/in = Interest

lon/ln = Loan

min = Minimum

os = Outstanding

P & T = Postage & Telegram

Pos = Point of sale

Pr = Principal

proc = Processing Charge

rd = Recurring Deposit

ret/rtn = Return

Rnd = Round of

sb = Saving Bank

SC = Short Credit

SI/So/SORD = Standing Instruction

S/D/W/H/o = Son/Daughter/Wife/Husband of

tr/trf/xfer = Transfer

TT = Telegraphic Transfer

txn = Transaction

Wdl = Withdrawal

+MOD bal= total balance (SB+linked MOD) a/c

भारतीय स्टेट बैंक

State Bank of India

Savings Bank Account

CIF No : 8766500

Account No : [REDACTED]

Customer Name: Mr. SUNIL SAINI

S/D/W/H/o: VISNA SAINI

Address: H N. 5/03, JAKHAN  
CAONAL ROAD, KISHANPUR  
DEHRADUN

Phone:

Email:

D.O.B. (If Minor):

MOP.:

FIRST

1068



JAKHAN (DEHRA DUN)  
HOUSE NO.282,AWAS VIKAS COLONY

Phone: 2734420.904

Email: sbi06155@sbi.co.in

Branch Code: 6155

Date of Issue: 17/09/2014

17/09/2014 3261468 6155

IFSC: SBIN0006155  
Branch Manager

भारत सरकार  
1895

Unique Identification Authority of India

Government of India

नामांकन क्रम / Enrollment No.: 2080/88257/66233

To

सुनील सैनी

Sunil Saini

S/O Vishna Saini

5/3 Canal Road Jakhan Kishanpur

Dehradun

Dehradun G.p


Chakrata Dehradun

Uttarakhand 248001

9927142322

16/03/2012

350671943



MA506719434FT



आपका आधार क्रमांक / Your Aadhaar No. :



मेरा आधार, मेरी पहचान



भारत सरकार

Government of India



सुनील सैनी

Sunil Saini

जन्म तिथि / DOB : 01/02/1984

पुरुष / Male




मेरा आधार, मेरी पहचान

8

12/05/24

द्वारा जापस/मंगल

एतद्द  
हटा लें अन्यथा  
की भांति आपसे  
कृपया इस सम्बन्ध  
सुनिश्चित करें।



प्रतिलिपि:-

1. जि
2. न
- ए
- सं
- क्र

o/c



o/c

718

  
 भारत निर्वाचन आयोग  
 पहचान पत्र  
 ELECTION COMMISSION OF INDIA  
 IDENTITY CARD




निर्वाचक का नाम : कंचन देवी  
 Elector's Name : Kanchan Devi  
 पति का नाम : नन्कू राम  
 Husband's Name : Nanku Ram  
 लिंग / Sex : महिला / Female

1.1.2013 को आयु : 35  
 Age as on 1.1.2013 : 35

मतां - म.सं. : 18  
 गली/मोहल्ला : वीर गब्बर सिंह बस्ती

ग्राम/नगर : नगर निगम देहरादून  
 पटवारी/ले.पा. : जाखन  
 थाना : राजपुर  
 पोस्ट ऑफिस : राजपुर पिन -248009  
 तहसील : देहरादून  
 जिला : देहरादून

Address H.No : 18  
 Street/Village : Veer Gabber Singh Basti

Village/Town : Nagar Nigam Dehradun  
 Patwari/Block : Jakhan  
 Police Station : Rajpur  
 Post Office : Rajpur Pin - 248009  
 Tehsil : Dehradun  
 District : Dehradun

Date : 28 Sep 2013 30/1113  
 22-मसूरी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण  
 अधिकारी के हस्ताक्षर की अनुकृति  
 Facsimile Signature of the Electoral Registration  
 Officer for 22-Mussoorie Constituency

इस पहचान पत्र पर कोई भी अज्ञात नाम लिखित नकलवाली में दर्ज करवाने तथा इस पर  
 किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने से लिए संबंधित चर्च में यह पहचान पत्र अस्वीकार किया जाएगा।  
 In case of change in address, mention this Card No. in the relevant Form for including  
 your name in the roll at the changed address and to obtain the card with same number.

Original  
 Checked

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 719...../एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक:- 22/05/24

सेवा में,

श्री छोटे लाल पुत्र श्री राम लखन  
हैपी ऐन्कलेव, जाखन  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम जाखन के खसरा नं0 886 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 20 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- बाबूलाल
2. पश्चिम- रामू देवी
3. उत्तर - जयराम
4. दक्षिण- गली

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

  
 अधीक्षण अभियन्ता,  
 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
 O/c देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

  
 अधीक्षण अभियन्ता,  
 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
 O/c देहरादून।

(T19) 1899

भारत निर्वाचन आयोग  
ELECTION COMMISSION OF INDIA  
मतदाता फोटो पहचान पत्र - ELECTOR PHOTO IDENTITY CARD



EPIC

नाम : छोटे लाल  
Name : CHHOTE LAL  
पिता का नाम : राम लखन  
Father's Name : RAM LAKHAN

लिंग / Sex : पुरुष / Male

जन्म तिथि / आयु / Date Of Birth / Age : 22/08/1983 / 31

पता : म नो. 157/2, राजपुर रोड, पो.- देहरादून महूर,  
देहरादून- देहरादून, जिला- देहरादून-248001

Address : H.No.157/2, Rajpur Road, P.O.-  
Dehradun City, Teh.-Dehradun, Dist.-  
Dehradun-248001

Date : 19-04-2015

निर्वाचन एजिस्ट्रीकरण अधिकारी  
Electional Registration Officer

पिटान नम्बर क्षेत्र की संख्या और नाम : 22 - मसूरी

Assembly Constituency No & Name : 22 - Mussoorie

भाग संख्या और नाम : 44 - गवर्नमेंट इंटर कॉलेज शांति बाग, मिश्रपुर, धार

Part No and Name : 44 - Government Inter College (Lat. Sight),  
Mishrapur (Lat. Part No 4)

ध्यान / Note :

1. इस कार्ड को धारण करने मात्र से यह कोई गारंटी नहीं है कि आप वर्तमान निर्वाचक नामावली में निर्वाचक हैं। कृपया अपना नाम प्रत्येक चुनाव से पहले वर्तमान नामावली में जांच लें।

2. इस कार्ड में उल्लिखित कानूनीय को निर्वाचक नामावली में पंजीकरण के अभाव में धारण करने की शक्ति में कटु के अभाव से यह भी नहीं मान्य मान्यता।

Date of Birth mentioned in this card shall not be treated as a proof of age / D.O.B. for any purpose other than

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 720 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0-417-2022 / 2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्रीमती पूनम देवी पत्नी श्री अनिल कुमार  
हैपी ऐन्क्लेव, जाखन  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम जाखन के खसरा नं0 886 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 90 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- रास्ता
2. पश्चिम- सतीश
3. उत्तर - गली
4. दक्षिण- राम सिंह

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

  
अधीक्षण अभियन्ता,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,

e/c देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

  
अधीक्षण अभियन्ता,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,

e/c देहरादून।


भारत, निर्वाचन आयोग  
ELECTION COMMISSION OF INDIA  
मतदाता, फोटो पहचान पत्र - ELECTOR PHOTO IDENTITY CARD




नाम : पूनम देवी  
Name : Poonam Devi  
पति का नाम : अनिल कुमार  
Husband's Name : Anil Kumar

लिंग / Sex : महिला / Female  
जन्म तिथि / आयु : XX/XX/1989 / 25  
Date Of Birth/ Age

पता : म. नं. 153/2, राजपुर रोड आंशिक, पो.- देहरादून गहर,  
तहसील- देहरादून, जिला- देहरादून-248001  
Address : H.No.153/2, Rajpur Road Anshik, P.O.-  
Dehradun City, Teh.- Dehradun, Dist.-  
Dehradun-248001

  
निर्वाचन रजिस्ट्रार/अधीक्षक  
Electoral Registration Officer

डा. नं. 02/PM/2014  
विधान सभा क्षेत्र की संख्या और नाम : 22 - मसुरी  
Assembly Constituency No & Name : 22 - Mussoorie  
संसद क्षेत्र की संख्या : 30 - तमिलीश इन्डियन कॉलेज इलाहाबाद, दिल्ली  
Parliamentary Constituency No : 30 - Government Indira College (Lok Sabha),  
Delhi (Lok Sabha No 1)

नोट / Note :

1. इस कार्ड को धारण करने का अर्थ यह नहीं है कि आप वर्तमान निर्वाचक मतदाता हैं। चुनाव के लिए अपने नाम की जांच करने से पहले निर्वाचक मतदाता हैं।  
More possession of this card is no guarantee that you are elector in the current electoral roll. Please check your name in the current electoral roll before every election.
2. इस कार्ड में उल्लिखित जन्म तिथि को निर्वाचक मतदाता हैं की पुष्टि के लिए अलग-अलग विधि से किया है। अतः इस तिथि को किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए प्रमाण के रूप में नहीं माना जाएगा।  
Date of Birth mentioned in this card shall not be treated as a proof of age / D.O.B. for any purpose other than registration in electoral roll.

## कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 721/...../एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक:- 22/05/24

सेवा में,


श्री विकास कुमार पुत्र श्री छन्नु लाल सिंह  
हैपी ऐन्कलेव, जाखन  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम जाखन के खसरा नं0 886 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 84 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- रास्ता
2. पश्चिम- सतीश
3. उत्तर - ननकू राम
4. दक्षिण- गली

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

  
अधीक्षण अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
o/c देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

  
अधीक्षण अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
o/c देहरादून।

## Consumer Personal Details

Consumer No :	██████████	Category	STN-10 / OTHER DOMESTIC LOAD UPTO 4KW
Name :	Mr.VIKAS KUMAR	Account No / CIN :	41700046468 / 03H02U000411141001392021
Father Name :	S/O.SHRI CHHUNNU LAL SINGH	Billing Status :	Live
Address :	VIR GABBAR SINGH BASTI, HAPPY ENCLAVE, CANAL ROAD	Contracted Load :	1.00 KW
Phone no :	7500547944	Connected Load :	1.00 KW
Office Name :	ANARWALA	Supply Release Date :	27-Dec-2016
E-mail :		Total Security Deposit :	1521.00

## Consumer Meter Details

Meter Number :	62837456	Meter Make :	LNT
Meter Type :	WC	CT Type:	NON-CT
Meter Capacity :	10-60	Location :	
Digit :	6	Meter Constant :	1
Height :		Meter Phase :	1
Meter Box No :		Cover Seal 1 :	127097
Cover Seal 2 :		Terminal Seal No :	3943413

## Network Asset Details

Substation :	33/11 kV DHAKPATTI S/s	Feeder :	11 kV O/G Doon Vihar
DTR Code/Name:	UPCL-DP-A-B2 / INDER BABA MARG-2	Pole :	UPCL-DP-A-B2-2-023

[Back](#) [Close](#)

## कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 722/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक:- 22/05/24

सेवा में,

श्रीमती सीमा वर्मा पत्नी श्री मेवालाल  
राजीव नगर, कंडोली  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम कंडोली के खसरा नं0 1 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 0.012 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- मकान
2. पश्चिम- पंकज
3. उत्तर - सड़क
4. दक्षिण- मकान

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

  
अधीक्षण अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
o/c देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

  
अधीक्षण अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
o/c देहरादून।



## कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 723/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक:- 22/05/24

सेवा में,

श्रीमती लीला देवी पत्नी श्री मनोज  
राजीव नगर, कंडोली  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम कंडोली के खसरा नं0 1 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 0.010 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- मकान
2. पश्चिम- गली
3. उत्तर - मकान
4. दक्षिण- मकान

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
देहरादून।

o/c

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभियन्ता,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
देहरादून।

o/c



# उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लि. Requisition for Opening of T.C.

भुगतान क्रमांक

दिनांक: 3483496

कार्यालय

सर्विस कनेक्शन संख्या :

एकका संख्या IT PARK

उपनाम का नाम :

3481014101919190031 14-Oct-2010 16:49

कुल भार शक्ति :

810041019006 Load : 1.0 KW

Mrs. LEE LA DEVI, TARI KANDOLI, RAJIV NAGAR

प्राप्त शक्ति

Mode : Cash

घैस/पावर विवरण

SECURITY DEPOSIT ₹ 1200.00

SERVICE LINE CHARGES ₹ 600.00

संस्था

Payment Towards धनराशि NEW CONNECTION

कमलाकर संख्या

₹ 1800.00 हस्ताक्षर

राष्ट्र एवं स्वयं के हित (Rip-off One Eight Zero Zero Only)  
करंटमर केयर टोल फ्री नं. 1800-419-0405

19 / mcpathak3

સાહિત્યિક વસ્તુ સંબંધીય વિષયક શાખાનાં પરીક્ષણ

પરીક્ષણ નંબર - 234 સંસ્કૃતના વિષયક શાખાનાં પરીક્ષણ નંબર - 234


વર્ષ - 1908  
કક્કા - 1908  
વિષય -

આ પરીક્ષણમાં સંસ્કૃતના વિષયક શાખાનાં પરીક્ષણ નંબર - 234 ના આધારે પરીક્ષણ કરવામાં આવેલું છે. આ પરીક્ષણમાં સંસ્કૃતના વિષયક શાખાનાં પરીક્ષણ નંબર - 234 ના આધારે પરીક્ષણ કરવામાં આવેલું છે.

વર્ષ - 1908  
કક્કા - 1908  
વિષય -

આ પરીક્ષણમાં સંસ્કૃતના વિષયક શાખાનાં પરીક્ષણ નંબર - 234 ના આધારે પરીક્ષણ કરવામાં આવેલું છે. આ પરીક્ષણમાં સંસ્કૃતના વિષયક શાખાનાં પરીક્ષણ નંબર - 234 ના આધારે પરીક્ષણ કરવામાં આવેલું છે.

આ પરીક્ષણમાં સંસ્કૃતના વિષયક શાખાનાં પરીક્ષણ નંબર - 234 ના આધારે પરીક્ષણ કરવામાં આવેલું છે. આ પરીક્ષણમાં સંસ્કૃતના વિષયક શાખાનાં પરીક્ષણ નંબર - 234 ના આધારે પરીક્ષણ કરવામાં આવેલું છે.



सुनीता (23) 1909



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

K 895018

मय मलवा कब्जा अनुबन्ध पत्र

श्रीमती सरोज देवी पत्नी स्व. वेद प्रकाश निवासी 950, राजीव नगर कण्डोली, जनपद देहरादून, उत्तराखण्ड।

..... प्रथम पक्ष / विक्रेता

एवं

सुनीता पत्नी स्व. राजाराम निवासी 15/5, राजीव नगर, तरली कण्डोली, जनपद देहरादून, उत्तराखण्ड।

.....द्वितीय पक्ष / क्रेता

विदित हो कि प्रथम पक्ष ने अपनी भूमि स्थित राजीव नगर कण्डोली, देहरादून, को द्वितीय पक्ष जो कि कुल लगभग 218.62 वर्गफीट अर्थात् 20.32 वर्गमीटर, जिसमें एक छिन्नांगुल निर्मित है, बिना किसी दबाव के पूरे होशोहवास में द्वितीय पक्ष को मु० 3,30,000/- (तीन लाख तीन हजार रुपये) मात्र में मय मलवा सहित विक्रय कर दिया है। उक्त धनराशि द्वितीय पक्ष ने प्रथम पक्ष को नकद रुप से अदा कर दी है, जिसकी प्राप्ति प्रथम पक्ष को स्वीकार है। आज

Smita - सरोज देवी

राजबाबू - 9634084439

दिनांक 12-06-2014 के पश्चात उक्त वर्णित भूमि पर द्वितीय पक्ष का मय मलवा सहित कब्जा हो गया है। द्वितीय पक्ष को अधिकार है कि वह उक्त भूमि का उपयोग-उपभोग अपनी इच्छानुसार कर सकते हैं, जिस पर प्रथम पक्ष को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है एवं ना ही भविष्य में होगी।

अतः यह मय मलवा कब्जा अनुबन्ध आज दिनांक 12-06-2014 को स्थान देहरादून में अंकित कर दी गयी है, ताकि सदन रहे और समय पर काम आवे।

प्रथम पक्ष सरोज देवी


द्वितीय पक्ष Sunita



गवाह: गीता

2 रामेश मोर

**ATTESTED**  
Sunita  
**RAJENDER SINGH (NEGI)**  
 Advocate & NOTARY  
 Chamber No. 52, 1st Floor  
 Opposite Bar Association Office  
 Collectorate Court Compound  
 Dehra Dun (Dehra Dun)


**Consumer Personal Details**

Consumer No :	9711312042204	Category	STN-10 / OTHER DOMESTIC LOAD UPTO 4KW
Name :	SMT SAROJ DEVI	Account No / CIN :	40103099805 /
Father Name :		Billing Status :	Live
Address :	W/O VED PRAKASH ,RAJIV NAGAR KANDOLI ,RURAL ,DEHRADUN	Contracted Load :	1.00 KW
Phone no :	9998263735	Connected Load :	1.00 KW
Office Name :	IT PARK	Supply Release Date :	14-Dec-1997
E-mail :		Total Security Deposit :	807.00

**Consumer Meter Details**

Meter Number :	930880	Meter Make :	GENUS
Meter Type :	WC	CT Type:	NON-CT
Meter Capacity :	10-60	Location :	
Digit :	6	Meter Constant :	1
Height :	1	Meter Phase :	1
Meter Box No :		Cover Seal 1 :	2920888
Cover Seal 2 :		Terminal Seal No :	

**Network Asset Details**

Substation :		Feeder :	
DTR Code/Name:		Pole :	

## उत्तराखण्ड जल संस्थान

जलमूल्य/ जलकर (संयोजन रहित सम्पत्ति) / सीवरसाट बिल  
एवं विच्छेदन नोटिस



चेतावनी : प्रदेशक बिल का भुगतान देय तिथि तक अवश्य कर दें अन्यथा उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जल सम्भरण एवं वितरण व्यवस्था अधिनियम 1975) अनुसूचना एवं विच्छेदन आदेश 2002 की धारा - 7: (क) (ख) के अन्तर्गत बिल में दशांश विच्छेदन तिथि अपना इनके परन्तु बिल निम्न अतिरिक्त सूचना के जल संयोजन विच्छेदन किया जा सकता है।

**शुभानुमति**

Rajpur ( 2009-2010 )

( Period - 1.4.09 to 31.7.09 )

0950

2,025 / 18

VI.R30293

श्रीमती सरोज भट्ट

पेठ प्रकाश

950

राजीव नगर कण्डोली

1A / 01A / 03B-09

DOMESTIC

1/2

4.2.02

0.00

बिल की अवधि			देय तिथि	दिनांक
से	तक	माह		
4/2009	7/2009	4	24/8/09	31/8/09

वार्षिक मूल्यांकन	औसत उपभोग/ वर्तमान रीडिंग	पिछली रीडिंग	उपयुक्त मात्रा	जलमूल्य	निःशुल्क वृत्ति (-)	अग्रिम जमा समाविजन (-)	शुद्ध देय
0.00	0			445.00			445.00

विवरण	वर्तमान भाग	मीटर किराया	अन्य भाग/ अन्य देय	अवशेष	विलम्ब शुल्क अभिभार	कुल योग	छूट (-) (देय तिथि तक)	शुद्ध देय
जल मूल्य	445.00				0.00	445.00	44.00	401.00
जल कर (संयोजन रहित सम्पत्ति)								
सीवर सीट शुल्क					0.00			
सीवर कर								
कुल योग	445.00				0.00	445.00	44.00	401.00

(भूल-चूक लेनी-देनी)

(शर्तों के लिए कृपया पीछे देखिये)

(बिल लिपिक)

सहायक अभियन्ता / जलकल अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता

उत्तराखण्ड जल संस्थान

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 795/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक:- 27/05/24

सेवा में,

श्रीकृष्ण कुमार घीमान पुत्र श्री जगदीश प्रसाद  
राजीव नगर, कंडोली  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम कंडोली के खसरा नं0 1 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 0.010 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- मकान
2. पश्चिम- गली
3. उत्तर - सड़क
4. दक्षिण- मकान

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

  
 अधीक्षण अभियन्ता,  
 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
 देहरादून।  
 o/c

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

  
 अधीक्षण अभियन्ता,  
 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
 देहरादून।  
 o/c



## कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 726 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0-417-2022 / 2024-25

दिनांक:- 22/05/24

सेवा में, **अरविन्द राय पुत्र श्री भार्गवश्री राय**  
श्री अल्लाउद्दीन मलिक पुत्र श्री याद अली मलिक  
राजीव नगर, कंडोली  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम कंडोली के खसरा नं0 1 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 0.004 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- मकान
2. पश्चिम- सड़क
3. उत्तर - गली
4. दक्षिण- मकान

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

  
अधीक्षण अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
o/c देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

  
अधीक्षण अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
o/c देहरादून।

## Consumer Personal Details

Consumer No :	9761302098195	Category	STN-25 / SMALL NON-DOMESTIC UPTO 4KW
Name :	ARABINDA ROY	Account No / CIN :	40105767252 /
Father Name :		Billing Status :	Dismantled
Address :	KANDOLI RAJEEV NAGAR , RURAL DEHRADUN	Contracted Load :	1.00 KW
Phone no :	9897454576	Connected Load :	1.00 KW
Office Name :	IT PARK	Supply Release Date :	19-Nov-2005
E-mail :		Total Security Deposit :	0.00

## Consumer Meter Details

Meter Number :	32139724	Meter Make :	LNT
Meter Type :	WC	CT Type:	NON-CT
Meter Capacity :	5-30	Location :	
Digit :	6	Meter Constant :	1
Height :	1	Meter Phase :	1
Meter Box No :		Cover Seal 1 :	1490082
Cover Seal 2 :		Terminal Seal No :	1490081

## Network Asset Details

Substation :		Feeder :	
DTR Code/Name:		Pole :	

Back Close

उपखण्ड अधिकारी  
विद्युत वितरण उपखण्ड  
आई.टी. पार्क, देहरादून

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- ३२३/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्रीमती रेखा थापा पत्नी श्री गापाल सिंह थापा  
कंडोली  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम कंडोली के खसरा नं0 1 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 88 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- मकान
2. पश्चिम- मकान
3. उत्तर - नदी
4. दक्षिण- रोड

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
देहरादून।

मधेदय

नोटिस संख्या 727/ एम.डी.डी.सं. एन. एफ.डी-  
 417-2022/2024-25 दिनांक 22/5/24 को  
 श्रीमति रेखा धापा पत्नी श्री गोपाल सिंह धापा कण्डोली  
 देहरादून ।

विषय :- इनका संसरा नं० 8 ज मोंडे में काबिज है  
 अतः इनका नोटिस निरस्त करने की कृपा के  
 आशंका सेवा के प्रेषित करें

दिनांक 22/5/24  
 जयवीर कुमार  
 जयल एन. एफ. डी.  
 एन. एफ. डी.



# 1919 Online Public Data Entry Summary

\*UKPDE2023045130737\*

DISTRICT NAME : देहरादून SRO :

UKPDE2023045130737 From 16 Feb 2023

Appointment Date:

Appointment Time:

27-Jul-2023

12:44:26PM

Mutation Office तहसील देहरादून

Appointment TokenNo:

Deed/Article Type : Sale (Immovable)  
Sub-Deed/Sub-Article : Sale(Residential Plot)  
Village/Location For Index : कडोली (केन्द्रीयदून) -D  
Village/Location/Road Selected for Circle RateList : कडोली (केन्द्रीयदून) -D

Khewat : 0 Khatoni : 221  
Khasra : 8 (ज) मिन

House/Flat No:

Area : 88.0200 वर्ग मीटर

Latitude : 30.3468980000

Longitude : 78.0656450000

Land Value : 1,410,000.00

Construction Value : 0.00

Transaction Value : 1,410,000.00

Market Value : 1,410,000.00

Advance : 0.00

Lease Period : 0.00

Avg. Rent : 0.00

Stamp Duty : 52,900.00

Regn Fees : 25,000.00

Pasting Fees : 100

Page : 28

Female Buyer Rebate is Taken in Stamp Duty.

क्र.सं	निर्माण का प्रकार	व्यवसायिक निर्माण का विवरण		क्षेत्रफल
क्र.सं	निर्माण क्षेत्र	निर्माण का प्रकार	निर्माण तल	हास बर्ष
क्र.सं	भुगतान की विधि	निबंधक शुल्क का विवरण		प्रा
1	Cash	घनराशि	संदर्भ क्रमांक	
		25,000.00	0	
क्र.सं	भुगतान की विधि	घनराशि	संदर्भ क्रमांक	आरी दिनांक
1	e-Stamp	52,900.00	0	27-Jul-2023
				रॉप रिजिस्ट्रार कार्यालय

*(Signature)*

*(Signature)*

1920

Appointment Date:

Appointment Time:

Appointment TokenNo:

Mutation Office तहसील देहरादून

पक्षकार का प्रकार	पक्षकार का विवरण	हस्ताक्षर	व्यवसाय	पैन नं	मोबाइल नं	पहचान पत्र संख्या
विधेता / प्रथम पक्ष	श्री/श्रीमती दीपा शाही द्वारा मुज़्तारआम श्री धनीप रावत पुत्र श्री रणजीव सिंह रावत निवासी चिडोबानी, पो.ओ. कण्डोली, महसूधारा रोड, देहरादून।		House wife	AVLPS5443 B	0000000000	ADHAAR : 5419 5770 0938
केता / द्वितीय पक्ष	श्रीमती रेखा थापा पत्नी श्री गोपाल सिंह थापा निवासी 144, राजीव नगर, तरनी कण्डोली, महसूधारा रोड, जिला देहरादून।		Self employed	AXMPT5678 A	0000000000	PAN CARD : AXMPT5678A
पचाह	श्री गोपाल थापा पुत्र श्री मोहन लाल निवासी 144, राजीव नगर, तरनी कण्डोली, महसूधारा रोड, जिला देहरादून।		Self employed		0000000000	ADHAAR : 8608 5693 0225
पचाह	श्री कमल किशोर पुत्र श्री तेजपाल सिंह निवासी राजपुर रोड, शिव मन्दिर के पास, राजीव नगर, तरनी कण्डोली, जिला देहरादून।		Self employed		0000000000	ADHAAR : 2570 9090 1856

Seller Body Type : NA

Purchaser Body Type: NA

Permission Type: NA

Do not have Property above 250 sqr mt in any other location in Uttarkhand : NA

Land or Property holding in UK before 12-09-2003 : NA

Cersai Nill Report : View Cersai Report

Uploaded NEC / 12 years  
Khatoni Details :

View NEC Report

NA  
Report : View Permission ReportUploaded Khatoni  
for Seller :

View Seller Khatoni

Uploaded Khatoni  
for Purchaser : View Purchaser Khatoni

Transaction Details : NA

Deed Writer /Advocate Name :U.S. Pundir

Page 2 of 2



## विक्रय-पत्र

किस्म दस्तावेज	-	विक्रयपत्र
मालियत विक्रयपत्र	-	14,10,000/- रुपये
मूल्यांकन सर्कल रेट अनुसार	-	14,10,000/- रुपये
स्टाम्प शुल्क आवास-विकास सहित	-	52,900/- रुपये
सम्पत्ति/भूमि का प्रकार	-	आवासीय भूमि

e-Stamp Certificate No. IN-UK65735501299362V DATED 27.07.2023

सर्कल रेट - विक्रीत भूमि का सर्किल रेट की दर  
निबन्धन उप-जिला देहरादून नगरीय क्षेत्र प्रथम की पृष्ठ सं. 15 की क्रम सं० 4(डी/4)  
मौजा कण्डोली, जिला देहरादून पर रुपये 16,000/- प्रति वर्गमीटर है जोकि 15 फुट  
चौड़ी सड़क पर स्थित होने के कारण सर्कल रेट की दर रुपये 16,000/-प्रति वर्गमीटर  
है।

विक्रीत खसरा नं० एवं क्षेत्रफल - भूमि खाता खतौनी सं.  
221 (फसली वर्ष 1420 से 1425) के खसरा नं० 8(ज) मि. रकबा  
88.02 वर्गमीटर अर्थात 0.0088 हैक्टेयर, भूमि स्थित मौजा कण्डोली, परगना  
परवादून, जिला देहरादून।


विक्रेता - श्रीमती दीपा शाही (PAN. AVLPS5443B) पत्नी श्री खड़क कुमार  
गुरुंग पुत्री स्व. श्री राम सिंह पाण्डेय निवासी-54 गुरुंग निवास, एम.  
डी.डी.ए. ऑफिस के पीछे, सेवला खुर्द, जिला देहरादून, उत्तराखण्ड  
द्वारा मुख्तारआम श्री धनीष रावत पुत्र श्री रणजीत सिंह रावत  
निवासी-चिड़ोवाली, पो.ओ. कण्डोली, राहरत्रधारा रोड, देहरादून।  
Aadhar. 5419 5770 0938

क्रेता - श्रीमती रेखा थापा पत्नी श्री गोपाल सिंह थापा, निवासी-144, राजीव नगर,  
तरली कण्डोली, राहरत्रधारा रोड, जिला देहरादून।  
PAN. AXMP15678A

1922

आयकर विभाग  
INCOME TAX DEPARTMENT  
REKHA THAPA  
MADAN SINGH  
22/04/1987  
Permanent Account Number  
[Redacted]  
Signature  
[Signature]

भारत सरकार  
GOVT. OF INDIA



*Rekha Thapa*

भारत सरकार  
Government of India



धनीश रावत  
Dhaneesh Rawal  
जन्म तिथि / DOB : 15/03/1980  
पुरुष / Male



[Redacted]

आधार - आम आदमी का अधिकार

*Rawal*



सत्यमेव जयते

1923

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttarakhand

₹52,900

e-Stamp

Certificate No.	: IN-UK65735501299362V
Certificate Issued Date	: 27-Jul-2023 12:40 PM
Account Reference	: NONACC (SV)/ uk1324604/ DEHRADUN/ UK-DH
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UKUK132460437827084263603V
Purchased by	: SMT REKHA THAPA
Description of Document	: Article 23 Conveyance
Property Description	: MAUZA KANDOLI DEHRADUN
Consideration Price (Rs.)	: 14,10,000 (Fourteen Lakh Ten Thousand only)
First Party	: DEEPA SHAHI THROUGH POA DHANEESH RAWAT
Second Party	: SMT REKHA THAPA
Stamp Duty Paid By	: SMT REKHA THAPA
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 52,900 (Fifty Two Thousand Nine Hundred only)

₹52,900 ₹52,900 ₹52,900 ₹52,900

सत्यमेव जयते



₹52,900

LAXMI  
E-STAMP ACC  
COURT COMPOUND,  
DEHRADUN,  
LIC. No.-278

Please write or type below this line

IN-UK65735501299362V

*Arund*

*Rekha Thapa*

0002175152

## प्लॉट छायाचित्र

विवरण विक्रीत भूमि - भूमि खाता खतौनी सं 221 (फसली वर्ष 1420 से 1425) के खसरा नं० 8(ज) मि. रकबा 88.02 वर्गमीटर अर्थात् 0.0088 हैक्टेयर, भूमि स्थित मौजा कण्डोली, परगना परवादून, जिला देहरादून।

विक्रेता - श्रीमती दीपा शाही द्वारा मुख्तारआग श्री धनीष रावत।

क्रेता - श्रीमती रेखा थापा पत्नी श्री गोपाल सिंह थापा



मुख्तार विक्रेता

*[Handwritten signature]*

मुख्तार आग

*[Handwritten signature]*

### विक्रय विलेख

यह विक्रयपत्र— श्रीमती दीपा शाही पत्नी श्री खड़क कुमार गुरुंग पुत्री स्व. श्री राम सिंह पाण्डेय निवासी-54 गुरुंग निवास, एम.डी.डी.ए. ऑफिस के पीछे, सेवला खुर्द, जिला देहरादून, उत्तराखण्ड द्वारा मुख्ताराम श्री घनीष रावत पुत्र श्री रणजीत सिंह रावत निवासी-चिड़ोवाली, पो.ओ. कण्डोली, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून। जिनको इस विक्रय पत्र में "विक्रेता" कहकर सम्बोधित किया जा रहा है।

.....विक्रेता

एवं

श्रीमती रेखा थापा पत्नी श्री गोपाल सिंह थापा, निवासी-144, राजीव नगर, तरली कण्डोली, सहस्त्रधारा रोड़, जिला देहरादून। जिनको इस विक्रय पत्र में "क्रेता" कहकर सम्बोधित किया जा रहा है।

.....क्रेता

के मध्य निष्पादित किया गया है।

इस विक्रयपत्र में विक्रेता व क्रेता में उनके उत्तराधिकारी, स्थानापन्न एवं हित प्रतिनिधि आदि भी शामिल हैं और सदैव शामिल समझे जायेंगे।

विदित हो कि श्रीमती अमिता शर्मा पत्नी श्री दिनेश कुमार शर्मा ने भूमि खाता खतौनी सं. 141 खसरा नं. 8(ज) रकबा 0.0209 है०, स्थित मौजा कण्डोली, परगना परवादून, जिला देहरादून को (1) श्री जे०एल० कोहली पुत्र स्व. श्री कान्ति प्रसाद कोहली (2) श्रीमती चॉद रानी पत्नी श्री जे०एल० कोहली, निवासीगण- 197/13/4, फ़ैन्डस लेन, राजपुर रोड़, जिला देहरादून से विक्रय विलेख दिनांक 18.12.2007 को क्रय की थी। उक्त विक्रय विलेख उप-निबन्धक कार्यालय प्रथम देहरादून में बही नं. 1 जिल्द 2215 पृष्ठ 221 से 238 में नं० 10979 पर दिनांक 18.12.2007 को विधिवत दर्ज व पंजीकृत है, जिनका नाम राजस्व अभिलेखों में बतौर संक्रमणीय भूमिघर दर्ज चला आ रहा है। इसी प्रकार श्री सुरेश पुत्र श्री राजकुमार, निवासी-ग्राम सिरसाल, जिला कैथल, हरियाणा ने (1) श्री जे०एल० कोहली पुत्र स्व. श्री कान्ति प्रसाद कोहली (2) श्रीमती चॉद रानी पत्नी श्री जे०एल० कोहली, निवासीगण- 197/13/4, फ़ैन्डस लेन, राजपुर रोड़, जिला देहरादून से विक्रय विलेख दिनांक 18.12.2007 को क्रय की थी। उक्त विक्रय विलेख उप-निबन्धक कार्यालय प्रथम देहरादून में बही नं. 1 जिल्द 2215 पृष्ठ 239 से 256 में नं० 10980 पर दिनांक 18.12.2007 को विधिवत दर्ज व पंजीकृत है, जिनका नाम राजस्व अभिलेखों में बतौर संक्रमणीय भूमिघर दर्ज चला आ रहा है।

विदित हो कि श्रीमती प्रोमिला थापा पत्नी श्री आशीष थापा ने भूमि खाता खतौनी सं. 221 (फसली वर्ष 1420 से 1425) के खसरा नं० 8(ज) मि. रकबा 88.02 वर्गमीटर अर्थात् 0.0088 हैक्टेयर, भूमि स्थित मौजा कण्डोली, परगना परवादून, जिला देहरादून को श्री सुरेश पुत्र श्री राजकुमार द्वारा मुख्तारेआम श्री कृति शर्मा पुत्र श्री हरीश शर्मा व श्रीमती अमिता शर्मा पत्नी श्री दिनेश कुमार शर्मा द्वारा मुख्तारेआम श्री आशीष थापा पुत्र श्री प्रेम बहादुर थापा से विक्रय विलेख दिनांक 18.02.2015 को क्रय की थी। उक्त विक्रय विलेख उप-निबन्धक कार्यालय चतुर्थ देहरादून में बही नं.1 जिल्द 1638 पृष्ठ 165 से 188 में नं० 1536 पर दिनांक 20.02.2015 को विधिवत दर्ज व पंजीकृत है, जिनका नाम राजस्व अभिलेखों में बतौर संक्रमणीय भूमिघर दर्ज चला आ रहा है।

विदित हो कि विक्रेता ने भूमि खाता खतौनी सं. 221 (फसली वर्ष 1420 से 1425) के खसरा नं० 8(ज) मि. रकबा 88.02 वर्गमीटर अर्थात् 0.0088 हैक्टेयर, भूमि स्थित मौजा कण्डोली, परगना परवादून, जिला देहरादून को श्रीमती प्रोमिला थापा पत्नी श्री आशीष थापा से विक्रय विलेख दिनांक 30.06.2015 को क्रय की थी। उक्त विक्रय विलेख उप-निबन्धक कार्यालय चतुर्थ देहरादून में बही नं. 1 जिल्द 1962 पृष्ठ 263 से 288 में नं० 6190 पर दिनांक 30.06.2015 को विधिवत दर्ज व पंजीकृत है। क्रय की तिथि से विक्रेता उक्त भूमि की एकमात्र स्वामी, काबिज व अध्यासी हुयी, जिनका नाम राजस्व अभिलेखों में बतौर संक्रमणीय भूमिघर दर्ज चला आ रहा है।

विदित हो कि श्रीमती दीपा शाही पत्नी श्री खड़क कुमार गुरुंग पुत्री स्व. श्री राम सिंह पाण्डेय ने भूमि खाता खतौनी सं. 221 (फसली वर्ष 1420 से 1425) के खसरा नं० 8(ज) मि. रकबा 88.02 वर्गमीटर अर्थात् 0.0088 हैक्टेयर, भूमि स्थित मौजा कण्डोली, परगना परवादून, जिला देहरादून ने सूची में वर्णित भूमि को विक्रय आदि की वावत अपनी ओर से अपने विश्वासपात्र एवं हितैशी श्री घनीष रावत पुत्र श्री रणजीत सिंह रावत निवासी-चिड़ोवाली, पो.ओ. कण्डोली, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून को दिनांक विलेख दिनांक 29.12.2022 को नियुक्त किया है। उक्त मुख्तारनामा आम उप-निबन्धक कार्यालय तृतीय, देहरादून में बही नं. 4 जिल्द 449 पृष्ठ 347 से 362 में नं० 1578 पर दिनांक 29.12.2022 को विधिवत दर्ज व पंजीकृत है। उक्त मुख्तारनामा आज भी लागू एवं प्रभावी है तथा उसके निष्पादक आज भी जीवित है, जिसके अनुसार सूची में वर्णित भूमि विक्रय की जा रही है।

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

विदित हो कि विक्रेता ने उपरोक्त ने भूमि खाता खतौनी सं. 221 (फसली वर्ष 1420 से 1425) के खसरा नं० 8(ज) मि. रकबा 88.02 वर्गमीटर अर्थात् 0.0088 हेक्टेयर, भूमि स्थित मौजा कण्डोली, परगना परवादून, जिला देहरादून, जिसका पूर्ण विवरण विक्रय पत्र के अंत में दिया गया है, आज इस विक्रयपत्र द्वारा उपरोक्त क्रेता को विक्रय किया जा रहा है। जिसको क्रय करने पर क्रेता पूर्ण रूप से सहमत है।

विदित हो कि विक्रीत भूमि आज तक हर प्रकार के मार, बन्धन, रहन, विक्रय, दान, वसीयत, ऋण सरकारी व गैर सरकारी तथा हर प्रकार के वाद-विवादों से सर्वथा मुक्त है और आज तक कहीं रहन, व्यय आदि नहीं की हुई है ना ही विक्रीत भूमि की बाबत किसी भी न्यायालय में कोई कार्यवाही, वाद-विवाद, अर्जन, कुर्की आदि लंबित है।

विदित हो कि विक्रेता ने अपने पूर्ण होश-हवास में बिना किसी जोर दबाव के स्वस्थ मस्तिष्क व इन्द्रियों की दशा में विक्रीत भूमि, जिसका पूर्ण विवरण इस विक्रयपत्र के अंत में दिया गया है, उपरोक्त क्रेता श्रीमती रेखा थापा पत्नी श्री गोपाल सिंह थापा, निवासी-144, राजीव नगर, तरली कण्डोली, सहस्त्रधारा रोड, जिला देहरादून को मय अधिकार मालिकाना, रास्ता आवागमन व उन समस्त अधिकारों व सुखाधिकारों सहित कि जो-जो भी अधिकार व सुखाधिकार आज तक विक्रेता को विक्रीत भूमि में प्राप्त है अथवा भविष्य में प्राप्त होने सम्भव है, उन सबको कुल मुबलिग रूपये 14,10,000/- (चौदह लाख दस हजार रूपये मात्र) में पूर्ण रूप तथा हर प्रकार से विक्रय कर दी है यानी बेच दी है और क्रेता ने भी उक्त भूमि/संपत्ति स्वागित्व मौके पर भूमि/संपत्ति की पैमायश आदि कर अपनी पूर्ण सन्तुष्टि कर भूमि क्रय कर ली है।

विदित हो कि विक्रेता को क्रेता से कुल विक्रय मूल्य मुबलिग रूपये 14,10,000/- (चौदह लाख दस हजार रूपये मात्र) निम्न प्रकार से प्राप्त कर लिये हैं:-

- (क) रूपये 1,99,000/- रूपये पूर्व में नगद
- (ख) रूपये 10,00,000/- द्वारा बैंक सं. 010503 दिनांक 27.07.2023 फेडरल बैंक शाखा राजपुर रोड, जिला देहरादून से प्राप्त,
- (ग) रूपये 2,11,000/- द्वारा बैंक सं. 053838 दिनांक 27.07.2023 फेडरल बैंक शाखा राजपुर रोड, जिला देहरादून से प्राप्त कर लिये हैं, जिसकी प्राप्ति विक्रेता समक्ष सब-रजिस्ट्रार स्वीकार करता है। शेष कुछ लेना नहीं रहा है। विक्रेता ने आज अपना कब्जा हटाकर अपने सगतुल्य विक्रीत भूमि का खाली, मालकाना व वास्तविक अध्यासन मौके पर अपने सामने एवं अपने सामने क्रेता को सौंप दिया है तथा आज से क्रेता को अधिकार होगा कि वह विक्रीत भूमि में बतौर स्वामी काबिज रहकर प्रयोग करे, जिस प्रकार चाहे लागू उठाये, हर प्रकार से अपने उपयोग व उपभोग आदि में लावे, रहन, विक्रय, दान, वसीयत आदि करे, मानचित्र स्वीकृत कराये, निर्माण करें, राजस्व अभिलेखों आदि में अपना नाम

अंकित करावे, आज के बाद विक्रेता को क्रेता के अधिकार में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

विदित हो कि विक्रीत भूमि पर आज तक के जो भी कर व लगान आदि देय है, उन सब के अदा करने की जिम्मेदारी विक्रेता की है, आज के बाद से क्रेता अदा करेगा। यदि क्रेता को भविष्य में विक्रेता से विक्रीत भूमि/संपत्ति के स्वामित्व, अधिकार व कब्जे आदि की पुष्टि हेतु कोई अन्य लेख आदि लिखाने की आवश्यकता हुई तो विक्रेता ऐसा लेख क्रेता के व्यय व उसकी पूर्व लिखित सूचना पर लिखने के लिए सदैव तैयार रहेंगे।

विदित हो कि विक्रेता के स्वामित्व अधिकार में कमी पाई जाने के कारण अथवा भार बन्धन आदि भविष्य में प्रकट होने के कारण कुल विक्रीत भूमि/संपत्ति अथवा उसका कोई भाग क्रेता के अधिकार, स्वामित्व अथवा कब्जे आदि से निकल जाये तो क्रेता को अधिकार होगा कि वह निकल गई भूमि/संपत्ति के अनुपात का यथार्थ मूल्य अपने हर्जे व खर्चे आदि सहित विक्रेता से तथा उसकी अन्य चल एवं अचल भूमि/संपत्ति से जिस प्रकार चाहे, वसूल कर लें। इस पर विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

विदित हो कि विक्रीत भूखण्ड/सम्पत्ति के सम्बन्ध में यदि कोई व्यक्ति अपनी किसी प्रकार की दावेदारी प्रस्तुत करता है तो इस प्रकार की दावेदारी इस विक्रय विलेख के समक्ष पूर्णतया निर्मूल, निष्प्रभावी एवं शून्य मानी जायेगी व इस विलेख के वैधानिक रजिस्ट्रीकरण का प्रभाव सदैव समान रूप से लागू व प्रभावी रहेगा।

विदित हो कि विक्रीत भूखण्ड/सम्पत्ति के सम्बन्ध में विक्रेता पक्ष एवं क्रेता पक्ष के मध्य किसी भी प्रकार का विधिक अनुबन्ध विलेख इससे पूर्व निष्पादित नहीं किया गया है और इसी प्रकार विक्रेता पक्ष द्वारा किसी अन्य व्यक्ति अथवा संस्था के साथ किसी प्रकार का लेख व विलेख का निष्पादन नहीं किया गया है।

#### वांछित विवरण

1. यह कि विक्रेता एवं क्रेता अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के नहीं हैं तथा भारतीय नागरिक हैं।
2. यह कि विक्रीत भूमि नगर निगम सीमा के अन्दर स्थित है।
3. यह कि पक्षों के मध्य कोई विक्रय अनुबन्ध पत्र पंजीकृत नहीं है।

1. यह कि विक्रीत भूमि में कोई बाग, पेड़ या निर्माण, समर सीवर आदि नहीं है।
5. यह कि विक्रीत भूमि सीलिंग अधिनियम की धारा 20 व 10(3) से तथा गोल्डन फोरेस्ट, पर्ल कम्पनी, चाय बागान, राजा कुंवर चन्द्र बहादुर, टिहरी बांध परियोजना आदि-आदि से सम्बन्धित नहीं है।
6. यह कि विक्रीत भूमि मुख्य सहस्त्रधारा मार्ग तथा कैनल रोड से 350 मीटर से अधिक दूर तथा समस्त प्रमुख मार्गों से 350 मीटर से अधिक दूर स्थित है।
7. यह कि विक्रीत भूमि का सर्किल रेट की दर निबन्धन उप-जिला देहरादून नगरीय क्षेत्र प्रथम की पृष्ठ सं. 15 की क्रम सं० 4(डी/4) मौजा कण्डोली, जिला देहरादून पर रुपये 16,000/- प्रति वर्गमीटर है जोकि 15 फुट चौड़ी सड़क पर स्थित होने के कारण सर्किल रेट की दर रुपये 16,000/-प्रति वर्गमीटर की दर से विक्रीत भूमि का मूल्य रुपये 14,10,000/-है। क्रेता महिला है तथा स्टाम्प शुल्क में प्रथम बार छूट ले रही है। जिस कारण स्टाम्प शुल्क विक्रय प्रतिफल रुपये 3.75 प्रतिशत की दर से रुपये 52,900/-का अदा किया है। जिसका ई-स्टाम्प सीट नं. e-Stamp Certificate No. IN-UK65735501299362V DATED 27.07.2023 है।
8. यह कि विक्रीत भूमि नगर निगम सीमा के अन्दर विशिष्ट क्षेत्र में स्थित है, जिस कारण उत्तरांचल सरकार द्वारा पारित अधिनियम 29 वर्ष 2003 के प्राविधान लागू एवं प्रभावी नहीं होते हैं।
9. यह कि प्रश्नगत भूमि/सम्पत्ति Real Estate Act 2016 एवं यथा प्रख्यापित Uttarakhand Real Estate (Regulation and Development (General) Rules 2017 में परिभाषित "Real Estate Project Land" के अन्तर्गत नहीं है तथा विक्रेता की व्यक्तिगत सम्पत्ति है एवं विक्रेता Promoter/Developer अथवा Real Estate Agent नहीं है।
10. यह कि विक्रीत भूमि का Latitude Number 30.3468980 & Longitude Number 78.0656450 है।

*Abundant*

विज्ञान विभाग

यहाँ हमें पता है कि ... (The text is very faint and difficult to read, but appears to be an introductory paragraph.)

1	...	...	...
2	...	...	...
3	...	...	...
4	...	...	...


... (Faint text describing the results or observations of the experiment.)

... (Faint text, possibly a conclusion or summary.)


...

...

... (Faint text, possibly a note or reference.)



क्रेता का नाम : श्रीमती रेखा थापा  
बायें हाथ (Left Hand) की अंगुलियों के चिन्ह  
कनिष्ठिका अनामिका मध्यमा तर्जनी अंगुष्ठ



दायें हाथ (Right Hand) की अंगुलियों के चिन्ह  
अंगुष्ठ तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठिका



Rekha Thapa  
क्रेता के हस्ताक्षर

साक्षी सं० 1 -  
श्री गोपाल थापा *Gopal Singh*  
पुत्र श्री मोहन लाल  
निवासी- 144, राजीव नगर,  
तरली कण्डोली, सहस्त्रधारा रोड,  
जिला देहरादून।  
आधार सं. 8608 5693 0225

साक्षी सं० 2 -  
श्री कमल किशोर *Kamal Kishor*  
पुत्र श्री तेजपाल सिंह  
निवासी- राजपुर रोड, शिव मन्दिर के पास  
राजीव नगर, तरली कण्डोली, जिला देहरादून।  
आधार सं. 2570 9090 1856

यह विक्रय पत्र क्रेता एवं विक्रेता द्वारा उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों के आधार पर मेरे द्वारा रचित कर मेरे कार्यालय में टंकित किया गया है।

*S. B. Singh*  
सनीत बंसल एडवोकेट, जिला देहरादून।

*S. B. Singh*

*Rekha Thapa*


## नक्शा नजरी

विवरण विक्रीत भूमि - भूमि खाता खतौनी सं 221 (फसली वर्ष 1420 से 1425) के खसरा नं० 8(ज) मि. रकवा 88.02 वर्गमीटर अर्थात् 0.0088 हैक्टेयर, भूमि स्थित मौजा कण्डोली, परगना परवादून, जिला देहरादून।

विक्रेता - श्रीमती दीपा शाही द्वारा मुख्ताराम श्री धनीष रावत।

क्रेता - श्रीमती रेखा थापा पत्नी श्री गोपाल सिंह थापा

NOT TO SCALE




*[Signature]*  
हस्ताक्षर विक्रेता

*[Signature]*  
हस्ताक्षर क्रेता

1933

बही संख्या 1 जिल्द 6,425 के पृष्ठ 77 से 104 पर क्रमांक 8594 पर आज दिनांक  
27 Jul 2023 को रजिस्ट्रीकरण किया गया।

  
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी /  
उप-निबंधक, देहरादून, तृतीय  
27 Jul 2023




## नक्शा नज़री

विवरण विक्रीत भूमि - भूमि खाता खतौनी सं 221 (फसली वर्ष 1420 से 1425) के खसरा नं० 8(ज) मि. रकबा 88.02 वर्गमीटर अर्थात् 0.0088 हैक्टेयर, भूमि स्थित मौजा कण्डोली, परगना परवादून, जिला देहरादून।

विक्रेता - श्रीमती दीपा शाही द्वारा मुख्तारेआम श्री घनीष रावत।

क्रेता - श्रीमती रेखा थापा पत्नी श्री गोपाल सिंह थापा

NOT TO SCALE



N



*[Signature]*  
मुख्तारेआम श्री घनीष रावत

*[Signature]*  
श्रीमती रेखा थापा

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- ३२५/एम०डी०डी०ए०/एन०जी०टी०-417-2022/2024-25

दिनांक:- 22/05/24

सेवा में,

श्रीमती उदली दवी पत्नी श्री प्रताप सिंह  
कंडोली  
देहरादून।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम कंडोली के खसरा नं० 1 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा - वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- सड़क
2. पश्चिम- नदी
3. उत्तर - मकान
4. दक्षिण- मकान

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं०-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

  
अधीक्षण अभियन्ता,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,

o/c देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम०डी०डी०ए० की संयुक्त टीम द्वारा मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

  
अधीक्षण अभियन्ता,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,

o/c देहरादून।

16,388

28-04-2011



## उत्तराखण्ड जल संस्थान

### जल मूल्य/सीवर सीट एवं विच्छेदन नोटिस

जल संचय जीवन संचय  
Adhoriwala

प्रत्येक बीजक का भुगतान देय तिथि तक अवश्य कर दें अन्यथा उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की धारा-72 (क)(ख) के अन्तर्गत बिल में दर्शायी गयी विच्छेदन अथवा उसके परचात दिना कितनी अधिकृत सूचना के जल संयोजन विच्छेदित किया जा सकता है।

शिकायत निवारण केंद्र टोल फ्री नं० 1800 180 4100

ऑनलाइन भुगतान हेतु विभागीय वेबसाइट

<http://uj.s.uk.gov.in>

2020/04/0265184

संख्या NO20AWA01R17G010265184

प्रभावता संख्या

VLR30307 4980 ✓

मांग संख्या

श्रीमती उदली देवी / स्व प्रताप सिंह

नाम

1122 /

पता

राजीव नगर कण्डोली

योजना का नाम

Low Head/DOM/15

संयोजन की श्रेणी

वितरण तिथि	बिल की अवधि			बिल जमा करने की अंतिम तिथि	विच्छेदन तिथि		
	से	तक	माह				
17-08-2020	04 / 2020	07 / 2020	4	31-08-2020	07-09-2020		
बिलिंग का प्रकार	वर्षिक मूल्यांक दर प्रतिमाह	टॉटी की संख्या/ दर प्रतिमाह	सीवर संयोजन/शीट संख्या दर प्रतिमाह	वर्तमान रीडिंग	पिछली रीडिंग	उपयुक्त जल (कुल रीडिंग)/ प्रतिमाह	अग्रिम
Avg.						25000	33.00
विवरण	वर्तमान मांग 1,319.00	मीटर किराया	बकाया 3,705.00	पूर्ण योग 5,024.00	छूट/अग्रिम	बिलम्व शुल्क	शुद्ध राशि
जल मूल्य							
सीवर सीट							
डिस्टानर्ड चैक शुल्क							
अन्य देय							
पूर्ण योग	1,319.00		3,705.00	5,024.00	68.00 / 33.00	54.00	4,977.00

दिनांक 21/9/20 को पानी के बिल जमा किये जायेंगे।  
कैम्प शिव मन्दिर राजीव नगर

नोट : न्यूनतम प्रभार पर छूट अनुमत्य नहीं होगी। अर्थात् 10,000 ली० अधिकतम प्रतिमाह देय जल खर्च के ऊपर देयक पर हो अधिकतम 30 दिन के अन्तर्गत भुगतान करने पर 10% की छूट अनुमत्य होगी। देयक का भुगतान नही करने जल संचयन नही कराने का अधिकार है। अग्रिम के लिए 1.5% मासिक दर से विलम्ब शुल्क लिया जायेगा। अर्थात् टॉटी और आई बैंक में भी भुगतान की सुविधा उपलब्ध है।

राज्य संप्रीक्षक/बिल लिपिक

अर्धीशासी अभियन्ता/जलकल अभियन्ता/ संप्रीक्षक अभियन्ता

1937

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 730/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक:- 22/05/24

सेवा में,

श्री रवि राय पुत्र श्री ओम पाल राय  
कंडोली  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम कंडोली के खसरा नं0 1 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा - वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- सड़क
2. पश्चिम- नदी
3. उत्तर - मकान
4. दक्षिण- मकान

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

  
अधीक्षक अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
o/c देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

  
अधीक्षण अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
o/c देहरादून।






भारत सरकार  
 Government of India



रवि राय  
 Ravi Rai  
 जन्म तिथि/DOB: 08/05/1993  
 पुरुष/ MALE

Issue Date: 03/07/2017

  
 VID : 9170 9390 2157 8986


मेरा आधार, मेरी पहचान




भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण  
 Unique Identification Authority of India

पता:  
 S/O ओम्पाल राय, राजीव नगर, तरली कंडोली, देहरादून,  
 देहरादून,  
 उत्तराखण्ड - 248001

Address:  
 S/O Ompal Rai, Rajeev Nagar, Tarli Kandoli,  
 Dehradun, Dehradun,  
 Uttarakhand - 248001



  
 VID : 9170 9390 2157 8986

1947 | help@uidai.gov.in | www.uidai.gov.in

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 731/...../एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक:- 22/05/24

सेवा में,


श्रीमती नीलम पत्नी श्री ओम चीर  
कंडोली  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम कंडोली के खसरा नं0 1 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा - वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- सड़क
2. पश्चिम- नदी
3. उत्तर - मकान
4. दक्षिण- मकान

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

  
 अधीक्षण अभियन्ता,  
 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
 o/c देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

  
 अधीक्षण अभियन्ता,  
 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
 o/c देहरादून।

## वसीयतनामा

मैंकि श्री रघुवीर पुत्र श्री ईश्वरी निवासी 356 राजीवनगर, तरली कण्डोली पो0ओ0 कण्डोली चिडोवाली जिला देहरादून का हूँ। —वसीयतकर्ता

विदित हो कि मेरी उम्र लगभग 61 वर्ष है, मैं नेवी से सेवानिवृत्त हूँ इस समय मैं हार्ट का मरीज हूँ तथा मुझे अंधरंग हो गया है। तथा गुर्दे भी खराब हो गये है। मैं इस समय श्री महन्त इन्द्रेश होस्पिटल पटेलनगर जिला देहरादून में भर्ती हूँ वहाँ पर ही मेरा इलाज चल रहा है। अक्सर देखा गया है कि मरने के बाद मरने वाले की सम्पत्ति के स्वामित्व की बाबत झगडा फिसाद हो जाता है इससे मरने वाले की आत्मा को शान्ती नहीं मिलती हैं। इस कारण सब बातों को अच्छी प्रकार से जानते, सोचते, समझते हुए, बिना किसी जोर व दबाव के, स्वस्थ इन्द्रियों की दशा में यह वसीयतनामा लिखा रहा हूँ।

विदित हो कि मैं वसीयतकर्ता इस वसीयतनामा के अन्त में वर्णित सम्पूर्ण सम्पत्ति का स्वामी अधिकारी हूँ। यह सम्पत्ति हर प्रकार के भार बन्धन, कुर्की, जमानत, व वाद विवाद आदि से मुक्त है इस सम्पत्ति के वसीयतनामा करने के पुरे अधिकार मुझे प्राप्त है।

विदित हो कि मेरी पत्नी श्रीमती कस्तुरी का देहान्त करीब 4 साल पहले हो चुका है। मेरा एक लडका ओमवीर है तथा मेरी पुत्रवधु का नाम श्रीमती नीलम है। मेरी एक पुत्री ओमवती है। मेरी पुत्री ओमवती की शादी हो चुकी है। वह अपने घर में सुखी है। लडकी को अब इस वसीयत द्वारा कुछ नहीं देना चाहता हूँ। मेरा पुत्र ओमवीर व उसकी पत्नी श्रीमती नीलम मेरी बहुत सेवा करते है। मैं इनकी सेवा से बहुत खुश हूँ। मेरा खाना, कपडा, दवाई आदि का भी यही प्रबन्ध करते है। तथा मैं इस समय अस्पताल में भर्ती हूँ यहाँ भी यह दोनो ही मेरी देखभाल कर रहे है। मैं अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति व अन्य चल व अचल सम्पूर्ण सम्पत्ति जो जो मेरे नाम पर है व भविष्य में मुझे प्राप्त होने वाली है व विभाग से सेवा निवृत्त होने के बाद भी मुझे विभाग से रूपया प्राप्त होना है वह सब को भी प्राप्त करने की अधिकारी मेरी पुत्रवधु श्रीमती नीलम ही होगी अर्थात मैं अपनी सम्पूर्ण चल व अचल सम्पत्ति की वसीयत अपनी पुत्रवधु श्रीमती नीलम के ही हक में करता हूँ। इसको ही मेरी सम्पूर्ण चल व अचल सम्पत्ति के पूरे स्वामित्व हक व हकुक, उपयोग, उपभोग, विक्रय आदि के पूरे अधिकार मेरे ही समान मेरी मृत्यु के बाद प्राप्त होंगे।

*रघुवीर*

यहकि यह स्पष्ट किया जाता है कि मैं अपने जीवनकाल में अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति का स्वामी, अधिकारी, काबिज पूर्वतः ही रहूंगा यह वसीयत मेरी मृत्यु के बाद ही प्रभावी व लागु होगी।

यहकि इस सम्पत्ति की बाबत यह मेरी प्रथम व अन्तिम वसीयत है इस वसीयतनामा के समक्ष यदि कोई अन्य वसीयत या स्वामित्व प्रदर्शित करने वाला लेख आदि रख कर अपना स्वामित्व प्रदर्शित करेगा, तो वह सब काबिले निरस्त होगा, मात्र यह वसीयतनामा ही मेरी मृत्यु के बाद प्रभावी व लागु होगा।

विवरण सम्पत्ति जिसकी वसीयत की है।

सम्पूर्ण सम्पत्ति जिसका सम्पत्ति सं० 356 राजीव नगर कण्डोली, दून विहार, देहरादून जिला देहरादून जिसमें दो कमरे, एक कीचन, एक लेटीन/बाथरूम टीनशेड निर्मित है, सीमायें निम्न हैं—

पूरब—मकान बिट्टू  
पश्चिम— मकान प्रकाश  
उत्तर—सडक  
दक्षिण—मकान प्रकाश

एवं सम्पूर्ण बैंक बलेन्स व अन्य चल व अचल सम्पूर्ण सम्पत्ति जो जो मेरे नाम पर इस समय है व भविष्य में प्राप्त होने वाले हैं।


अतः यह वसीयतनामा आज दिनांक 2-7-2016 को स्थान जिला देहरादून में बमध्य गवाहन लिख दिया कि सनद रहे व समय पर काम आवें।

इति \_\_\_\_\_




रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32-ए के अनुपालन में फिंगर प्रिन्ट्स

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह  
अंगुठा तर्जनी मध्यमा अनामिका छोटी



दाये हाथ की अंगुलियों के चिन्ह  
अंगुठा तर्जनी मध्यमा अनामिका छोटी



*Handwritten signature*

वसीयतकर्ता—

वसीयतकर्ता ने गवाहन के समक्ष यह वसीयतनामा अच्छी प्रकार से पढ कर सोच समझ कर स्वस्थ मन व इन्द्रियो की दशा में अपने अंगुलियों के चिन्ह लगाये है व गवाहन ने वसीयतकर्ता के समक्ष अपने हस्ताक्षर किये है। अर्थात प्रत्येक ने एक दूसरे के समक्ष अपने अपने हस्ताक्षर व अंगुलियों के चिन्ह लगाये है।

गवाह *शिवहर सिंह*  
① *शिवहर सिंह* 510  
*कृपा सिंह निवासी*  
*श.जी.व. नगर काठडोली देहरादून*  
DENO: UA 0720020035968

गवाह *उमेश्वर*  
② *श्रीशिवर* 510 *रघुवीर*  
*निवासी - 356 श.जी.व.*  
*नगर देहरादून*  
साधारण नं - 56671145

रचयिता— श्री *सुशील कुमार राज* एडवोकेट देहरादून

बही संख्या 3 रजिस्ट्रीकरण संख्या 368 वर्ष 2016

Will  
Will

रजिस्ट्रेशन शुल्क रु 100.00	प्रतिलिपि शुल्क रु 10.00	इलेक्ट्रानिक प्रोसेसिंग शुल्क रु 160.00	कुल योग रु 270.00	शब्द लगभग 1,000
--------------------------------	-----------------------------	--	----------------------	--------------------

श्री रघुवीर पुत्र श्री ईश्वरी निवासी ३५६ राजीव नगर तरली कंडोली देहरादून ने आज दिनांक 31 Aug 2016 समय मध्य 4PM व 5PM को कार्यालय उपनिबन्धक देहरादून, तृतीय में प्रस्तुत किया।



  
रघुवीर

उपनिबन्धक  
देहरादून, तृतीय  
31-Aug-2016

इस लेख पत्र का निष्पादन विलेख में लिखित तथ्यों को सुन व समझकर श्री रघुवीर पुत्र श्री ईश्वरी निवासी ३५६ राजीव नगर तरली कंडोली देहरादून ने प्रलेखातुसार निष्पादन स्वीकार किया।

जिनकी पहचान श्री जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री कृपा सिंह निवासी राजीव नगर तरली कंडोली देहरादून तथा श्री ओमवीर पुत्र श्री रघुवीर निवासी ३५६ राजीव नगर तरली कंडोली देहरादून ने की।



उपनिबन्धक  
देहरादून, तृतीय  
31-Aug-2016


बही संख्या 3 रजिस्ट्रीकरण संख्या 368 वर्ष 2016



रघुवीर

जितेन्द्र सिंह

ओमवीर



प्रतिज्ञ एवं साक्षीगण भद्र प्रतीत होते हैं। सभी के अंगुष्ठ चिह्न नियमानुसार लिये गये हैं।

रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी /  
उप-निबंधक, देहरादून, तृतीय  
31 Aug 2016

बही संख्या 3 जिल्द 91 के पृष्ठ 95 से 110 पर क्रमांक 368

पर आज दिनांक 31 Aug 2016 को रजिस्ट्रीकरण किया गया।

रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी /  
उप-निबंधक, देहरादून, तृतीय  
31 Aug 2016

1947

## उत्तरांचल जल संस्थान

जलमूल्य बिल/जलकर/सीवर कर/सीवर सीट  
एवं विच्छेदन नोटिस

Rajpur (2006-2007)

Water Tax / Sewer Tax / Sewer Seat Period (1.4.06 to 31.3.07)

VLR30397

रघुवीर सिंह  
ईश्वरी

राजीव नगर . कण्डोली

1A/ 01A /कण्णग्र / 11B-6-

DOMESTIC

1/2

8/96

390 /18

चेतावनी : प्रत्येक बिल का भुगतान देय तिथि तक  
अवश्य कर दे अन्यथा 30% से अधिक एंव सीवर  
व्यवस्था अधिनियम, 1976 की धारा-72(1)(ए) के अन्तर्गत  
बिल में दशांगी विच्छेदन तिथि अथवा उसके परबात बिना  
किसी अतिरिक्त सूचना के जल संयोजन विच्छेदन किया  
जा सकता है।

बिल की अवधि			देय तिथि	विच्छेदन तिथि
से	तक	माह		
8/2006	3/2007	8	18/12/06	31/10/07

वार्षिक मूल्यांकन	औसत उपभोग/ वर्तमान रीडिंग	पिछली रीडिंग	उपयुक्त मात्रा	जलमूल्य	निःशुल्क वृत्ति (-)	अग्रिम जमा समायोजन (-)	शुद्ध देय
0	0			774.00			774.00
विवरण	वर्तमान भाग	अन्य भाग/ अन्य देय	मीटर किराया	अवशेष	पूर्ण योग	छूट (देय तिथि तक) (-)	शुद्ध मांग
जल मूल्य	774.00				774.00	77.00	697.00
जल कर							
सीवर कर							
सीवर सीट							
कुल योग	774.00				774.00	77.00	697.00

बिल प्राप्ति के १५ दिन के अन्दर भुगतान करने पर ही छूट देय होगी।  
बिल लेनी देनी  
लिए कृपया पीछे देखिए।

(बिल लिपिक)

सहायक अभियन्ता/जलकल अभियन्ता  
उत्तरांचल जल सं

1948

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 732/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्रीमती कमलेश पत्नी श्री बाल चन्द  
कंडोली  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम कंडोली के खसरा नं0 1 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा - वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- सडक
2. पश्चिम- नदी
3. उत्तर - मकान
4. दक्षिण- मकान

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपडी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

  
अधीक्षण अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

  
अधीक्षण अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
देहरादून।



1950

उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लि०			
विद्युत बिल (25 Kw तक)			
बिल सं०	SBC56621512190370		
उपभोक्ता सं०	9711312094321		
बिल तिथि	19-12-15		
खाता सं०	40105572184		
बिल तिथि	12-10-15		
से	19-12-15 तक		
ग्रुप	1 माह 02 बिल 12/2015		
जगह	RURAL DEHRADUN IT PARK		
देय तिथि	03-01-16		
विच्छेदन तिथि	02-02-16		
नाम	BAL CHAND		
पता	KANDOLI RAJEEV NAGAR RURAL DEHRADUN		
शहर	स्वीकृत मा 1.00KW		
मीटर सं०	22947885 मीटर गुणांक 1		
श्रेणी	DOMESTIC सप्लाई प्रकार 10		
रीडिंग			
	पिछली रीडिंग	वर्तमान रीडिंग	बिल्ड यूनिट
Kwh	6118	6599	481
Kvah			
PF :	0.85	बिल आधार	MU
बिल विवरण		राशि ₹ में	
विद्युत मूल्य @ 2.40/2.90		1367.80	
एन सी जी (अधिक)	3.80/4.00		
रिक्लड चार्ज दर	70.00	140.00	
रिक्लड चार्ज (अधिक)			
वाल्डन पर छूट / अधिमात्र (+/-)			
बिल / मीटर रीडिंग	Fuel Charge (0.05)	24.05	
साला बाटर हीटर छूट			
असथाई जमा समायोजन/माह(-)			
अन्य टैक्स			
उपभोक्ता का प्रतिपूर्ति			
विद्युत कर @	0.15	72.15	
अतिरिक्त अधिमात्र		8.00	
वर्तमान योग		1612.00	
पिछले बिल की देय धनराशि		0.00	
बिलक शुल्क अधिमात्र		0.00	
कुल देय		1612.00	
ISD:		0.00	
पिछले बिल की राशि	1592.00 (20-10-2015)		
बिल भुगतान राशि			
18-01-2016 तक	₹	1612.00	
18-01-2016 बाद	₹	1632.00	
02-02-2016 तक	₹	1652.00	

COUNTERFOIL

Checked  
2010



इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड  
Indian Oil Corporation Ltd.  
(Marketing Division)

स्टेट कार्यालय  
State Office

Uttar Pradesh SO - II  
BAREILLEY AO

मैशिनरी क्रमांक  
Str. No.  
प्रपत्र संख्या  
Form No.  
कार्याज प्रकार  
Doc. Type  
संख्या  
Number  
दिनांक  
Date

Running Sl. No. 5521  
SUBSCRIPTION VOUCHER  
11564630001814  
05/10/2010

वितरक Distributor

नाम Name  
पता Address  
कोड Code

VALLEY GAS SERVICE  
52/4 - DILA RAM BAZAR  
RAJPUR ROAD  
DEHRADUN  
Tel:0135-2741458,9411361155.  
156463

नाम Name  
पता Address  
कोड Code

अंतरण करनेवाला वितरक Transferee Distributor

ग्राहक Customer

नाम Name  
पता Address

BAL CHAND, SH  
S/O SH MUNNA LAL  
RAJEEV NAGAR  
TARLI KANDOLI  
KANDOLI

उपकरण प्रकार  
Eqpt. Type  
सिलेंडर  
Cylinder  
रेगुलेटर  
Regulator

श्रेणी Category	सं. No.	दर. Rate (Rs.)	धनराशि Amount (Rs.)
14.2 KG		900	900.00
14.2 KG		1250	1250.00
PR		100	100.00
कुल Total			2250.00

पिन कोड  
Pin Code  
श्रेणी  
Category  
उपभोक्ता क्र.  
Consumer No

248001, 9808840700  
DOMESTIC - DOUBLE  
21277

धनराशि  
शब्दों में  
Amount in Words

Rupees Two thousand two hundred fifty only.

पिछला कार्याज Previous Document

प्रकार Type  
संख्या Number  
तारीख Date  
तेल कंपनी  
Oil Company  
उपकरण प्रकार  
Eqpt. Type

STV  
61564630000920  
05/10/2010  
IOC  
गायब खराब वापस किया  
Lost Returned Defective

मेक Make  
क्र. सं. Sr.No.  
टिप्पणी  
Remarks

रेगुलेटर Regulator  
PRABHA  
B853846  
SV Against Self TV - Single to DBC

सिलेंडर  
Cylinder  
रेगुलेटर  
Regulator


*Bal Chand*  
CUSTOMER'S SIGNATURE

SL69A-121564630000527-18/09/2010  
*[Signature]*  
DISTRIBUTOR'S SIGNATURE WITH STAMP

DoB:1988-06-30, P/D:RATION CARD-AVAILABLE, Tel:9808840700

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 733/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक:- 22/05/24

सेवा में,

श्री हरि ओम पुत्र श्री चन्द्रपाल  
कंडोली  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम कंडोली के खसरा नं0 1 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा - वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- सड़क
2. पश्चिम- नदी
3. उत्तर - मकान
4. दक्षिण- मकान

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षक अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
o/c देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षक अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
o/c देहरादून।



कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 734 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0-417-2022 / 2024-25

दिनांक:- 24/05/24

सेवा में,

श्रीमती कलावती पत्नी श्री दीवान सिंह  
चिडोंवाली  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम चिडोंवाली के खसरा नं0 93 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 130 वर्गफीट भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- मकान
2. पश्चिम- सड़क
3. उत्तर - मकान
4. दक्षिण- मकान

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
o/c देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
o/c देहरादून।

1955

**उत्तराखण्ड जल संस्थान**  
जल मूल्य/सीवर सीट एवं विच्छेदन नोटिस  
जल संचय जीवन संचय



प्रत्येक बीजक का भुगतान देय तिथि तक अवश्य कर दें अन्यथा उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश) जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975) अनुकूलन एवं उपान्तरण अधिनियम, 2002 की धारा-72 (क)(ख) के अन्तर्गत बिल में दर्शायी गयी विच्छेदन अथवा उसके पर्यायतः किसी अतिरिक्त सूचना के जल संयोजन विच्छेदित किया जा सकता है।

शिकायत निवारण केन्द्र टोल फ्री नं 1800 180 4100

ऑनलाइन भुगतान हेतु विभागीय वेबसाइट  
<http://ujs.uk.gov.in>

17,946 28-04-2011  
2023/12/0265776

बिल संख्या NO97AWA01R17G030265776

उपभोक्ता संख्या VLR30488

मांग संख्या श्रीमती कलावती देवी / श्री दीवान सिंह खडवाल

नाम 91 /  
पता चिड़वाली - D 049

योजना का नाम Low Head/DOM/15  
संयोजन की श्रेणी

वितरण तिथि	बिल की अवधि			बिल जमा करने की अंतिम तिथि	विच्छेदन तिथि		
	से	तक	माह				
04-03-2024	12 / 2023	03 / 2024	4	18-03-2024	22-04-2024		
विलिंग का प्रकार	वर्षिक मूल्यांक दर प्रतिमाह	टॉटी की संख्या/ सीवर संयोजन/शीट संख्या दर प्रतिमाह	वर्तमान रीडिंग	पिछली रीडिंग	उपयुक्त जल (कुल रीडिंग)/ प्रतिमाह	अग्रिम	
Avg.					20000		
विवरण	वर्तमान मांग	मीटर किराया	बकाया	पूर्ण योग	छूट/अग्रिम	बिलम्ब शुल्क	शुद्ध राशि
जल मूल्य	1,295.00			1,295.00			
सीवर सीट							
डिस्मानर्ड चैक शुल्क							
अन्य देय							
पूर्ण योग	1,295.00			1,295.00	55.00 /		1,240.00

नोट : न्यूनतम प्रभार पर छूट अनुमत्य नहीं होगी। अर्थात् 10,000 लीटर अधिकतम प्रतिमाह पेय जल खपत के ऊपर देयक पर ही अधिकतम 30 दिन के अन्तर्गत भुगतान करने पर 10% की छूट अनुमत्य होगी। देयक का भुगतान नहीं करने की स्थिति में विलम्ब अथवा उसके पर्यायतः किसी अतिरिक्त सूचना के जल संयोजन विच्छेदित किया जा सकता है।

(शर्तों के लिए कृपया पौढ देखिए)

राजस्व अधीक्षक/बिल लिपिक

अधीशासी अभियन्ता/जलकल अभियन्ता/ सहायक अभियन्ता

उत्तराखण्ड जल संस्थान

1956



भारत निर्वाचन आयोग  
पहचान पत्र

ELECTION COMMISSION OF INDIA  
IDENTITY CARD

EW-101000000



निर्वाचक का नाम : कलावती देवी  
 Elector's Name : Kalavati Devi  
 पति का नाम : दिवान सिंह  
 Husband's Name : Diwan Singh  
 लिंग / Sex : महिला / Female  
 1.1.2011 को आयु : 41  
 Age as on 1.1.2011

घर का नं. : 72  
 गली / मोहल्ला : चिडोवाली  
 ग्राम / नगर : नगर निगम देहरादून  
 पटवारी / ले.पा. : कण्डौली  
 थाना : रायपुर  
 पोस्ट ऑफिस : कण्डौली पिन - 248001  
 तहसील : देहरादून  
 जिला : देहरादून

Address H.No : 72  
 Street/Mohalla : Chidowali  
 Village/Town : Nagar Nigam Dehradun  
 Patwari/Lekh. : Kandauli  
 Police Station : Raipur  
 Post Office : Kandoli Pin - 248001  
 Tehsil : Dehradun  
 District : Dehradun

Date : 24 Dec 2010 15/699

22-मुसूरी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण  
अधिकारी के हस्ताक्षर की अनुकृति

Facsimile Signature of the Electoral Registration  
Officer for 22-Mussoorie Constituency

यदि बदलने पर, उसे को पर अपना नया निर्वाचक पतापत्र में दर्ज करवाने तथा उसे का  
इसी प्रकार का कार्ड देने से लिए सम्बंधित क्षेत्र में यह कार्ड नकार करवा दिया।

In case of change in address, mention the Card No. in the relevant Form for including  
your name in the roll of the changed address and to obtain the Card with same number.

1957

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 735/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक:- 22/05/24

सेवा में, कुंवर सिंह लखन सिंह  
श्री हुसैन अहमद पुत्र श्री अलीहसन  
चिडोंवाली  
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम चिडोंवाली के खसरा नं0 93 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 260 वर्गफीट भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- मकान
2. पश्चिम- सड़क
3. उत्तर - सड़क
4. दक्षिण- मकान


कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

  
अधीक्षण अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

  
अधीक्षण अभियन्ता,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
देहरादून।

647 3501341  
303 12/2/57

VI R 305

कृष्ण सिंह

Alakanda

VI R 305

कृष्ण सिंह

कृष्ण सिंह

VI R 305

04-08-57

VI R 305

VI R 305

VI R 305

VI R 305

Ag

Car

1200

1200

6/1/59

6/1/59

1200

1200

500

1200

<p style="text-align: center;"><b>मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,</b>  <b>ट्रांसपोर्ट नगर, देहरादून।</b>  <b>(नगर निगम द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार रिवर फ्रन्ट डेवलपमेंट परियोजनाओं की भूमि पर 413 अवैध अतिक्रमणों में से छवस्त किये गये/हटाये गये 66 अवैध अतिक्रमण/निर्माणों का विवरण)</b></p>							
क्र०सं०	नगर निगम द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार क्र०सं०	अतिक्रमणकर्ता का नाम एवं पता	क्षेत्र/बस्ती का नाम	राजस्व ग्राम	खसरा नं०	अतिक्रमण का प्रकार	दिदरन/कृत कार्यदाही
1	3	श्रीमती राखी क्षेत्री पत्नी श्री अमर क्षेत्री	काठ बंगला, भाग-2	ढाकपट्टी	672मि०	टीन पोंरा	प्रस्तुत सार्वजनिक कार्य/अतिक्रमण/अतिक्रमण दिनांक 11/03/2016 के बाद में किया जाना लायकीकृत हुआ है, जिसे अतिक्रमणकारी द्वारा स्वतः ही ध्वस्त कर दिया गया है।
2	12	श्री जगजीवन पुत्र श्री शियाराम	काठ बंगला, भाग-2	ढाकपट्टी	672मि०	पक्का मकान	प्रस्तुत सार्वजनिक कार्य/अतिक्रमण/अतिक्रमण दिनांक 11/03/2016 के बाद में किया जाना लायकीकृत हुआ है, जिसे अतिक्रमणकारी द्वारा स्वतः ही ध्वस्त कर दिया गया है।
3	15	श्री फूल चन्द्र पुत्र श्री रागायण मोर्य	काठ बंगला, भाग-2	ढाकपट्टी	672मि०	पक्का मकान	प्रस्तुत सार्वजनिक कार्य/अतिक्रमण/अतिक्रमण दिनांक 11/03/2016 के बाद में किया जाना लायकीकृत हुआ है, जिसे अतिक्रमणकारी द्वारा स्वतः ही ध्वस्त कर दिया गया है।
4	35	श्री रामू कबाड़ी	काठ बंगला, भाग-2	ढाकपट्टी	672मि०	झुग्गी झोपड़ी	प्रस्तुत सार्वजनिक कार्य/अतिक्रमण/अतिक्रमण दिनांक 11/03/2016 के बाद में किया जाना लायकीकृत हुआ है, जिसे ध्वस्तकरण की कार्यवाही में ध्वस्त कर दिया गया।
5	36	मौ० नीजाम	काठ बंगला, भाग-2	ढाकपट्टी	672मि०	झुग्गी झोपड़ी	प्रस्तुत सार्वजनिक कार्य/अतिक्रमण/अतिक्रमण दिनांक 11/03/2016 के बाद में किया जाना लायकीकृत हुआ है, जिसे ध्वस्तकरण की कार्यवाही में ध्वस्त कर दिया गया।
6	37	श्री मनोज पुत्र श्री शंकरू चौधरी	काठ बंगला, भाग-2	ढाकपट्टी	672मि०	झुग्गी झोपड़ी	प्रस्तुत सार्वजनिक कार्य/अतिक्रमण/अतिक्रमण दिनांक 11/03/2016 के बाद में किया जाना लायकीकृत हुआ है, जिसे ध्वस्तकरण की कार्यवाही में ध्वस्त कर दिया गया।

7	39	श्री राजकुमार	काठ बंगला, भाग-2	ढाकपट्टी	672मि0	झुग्गी झोपड़ी	प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार अतिक्रमण/अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 के बाद में किया जाना तथ्यदीक हुआ है, जिसे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में ध्वस्त कर दिया गया।
8	46	श्रीमती राजेश्वरी देवी पत्नी श्री जगप्रसाद	काठ बंगला, भाग-2	ढाकपट्टी	672मि0	पक्का मकान	प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार अतिक्रमण/अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 के बाद में किया जाना तथ्यदीक हुआ है, जिसे अतिक्रमणकारी द्वारा स्वतः ही ध्वस्त कर दिया गया है।
9	54	श्री रमेश पुत्र श्री ननवा हनुमान	काठ बंगला, भाग-6	ढाकपट्टी	672मि6	पक्का मकान	प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार अतिक्रमण/अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 के बाद में किया जाना तथ्यदीक हुआ है, जिसे अतिक्रमणकारी द्वारा स्वतः ही ध्वस्त कर दिया गया है।
10	81	श्रीमती शोभा देवी पत्नी श्री सुरेश चन्द	तरला नागल, नदी रिस्पना	तरला नागल	1	पक्का मकान	प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार अतिक्रमण/अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 के बाद में किया जाना तथ्यदीक हुआ है, जिसे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में ध्वस्त कर दिया गया।
11	85	श्रीमती संगीता पत्नी श्री मुकेश	तरला नागल, नदी रिस्पना	तरला नागल	1	पक्का मकान	प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार अतिक्रमण/अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 के बाद में किया जाना तथ्यदीक हुआ है, जिसे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में ध्वस्त कर दिया गया।
12	98	श्री धर्म सिंह	तरला नागल, नदी रिस्पना	तरला नागल	1	पक्का मकान	प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार अतिक्रमण/अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 के बाद में किया जाना तथ्यदीक हुआ है, जिसे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में ध्वस्त कर दिया गया।
13	99	श्रीमती कुसुम कला पत्नी श्री ब्रह्मदेवा	तरला नागल, नदी रिस्पना	तरला नागल	1	पक्का मकान	प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार अतिक्रमण/अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 के बाद में किया जाना तथ्यदीक हुआ है, जिसे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में ध्वस्त कर दिया गया।
14	100	श्रीमती दीप माला पत्नी श्री हर्षवाल सिंह	तरला नागल, नदी रिस्पना	तरला नागल	1	पक्का मकान	प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार अतिक्रमण/अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 के बाद में किया जाना तथ्यदीक हुआ है, जिसे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में ध्वस्त कर दिया गया।
15	101	श्री दिनेश पुत्र श्री रमेश	तरला नागल, नदी रिस्पना	तरला नागल	1	पक्का मकान	प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार अतिक्रमण/अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 के बाद में किया जाना तथ्यदीक हुआ है, जिसे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में ध्वस्त कर दिया गया।
16	102	श्री सुमित पुत्र श्री जय सिंह	तरला नागल, नदी रिस्पना	तरला नागल	1	पक्का मकान	प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार अतिक्रमण/अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 के बाद में किया जाना तथ्यदीक हुआ है, जिसे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में ध्वस्त कर दिया गया।



27	157	श्रीमती सालू मलिक पत्नी श्री एम0एस0 मलिक	तरला नागल, नदी रिस्पना	तरला नागल	1	पक्का मकान	प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार अतिक्रमण/अधैय निर्माण दिनांक 11/03/2016 के बाद में किया जाना तथ्यदीक हुआ है, जिसे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में ध्वस्त कर दिया गया।
28	158	श्रीमती गीता पत्नी श्री छोटेलाल	तरला नागल, नदी रिस्पना	तरला नागल	1	पक्का मकान	प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार अतिक्रमण/अधैय निर्माण दिनांक 11/03/2016 के बाद में किया जाना तथ्यदीक हुआ है, जिसे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में ध्वस्त कर दिया गया।
29	161	श्रीमती आशा पत्नी श्री राम प्रकाश	तरला नागल, नदी रिस्पना	तरला नागल	1	पक्का मकान	प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार अतिक्रमण/अधैय निर्माण दिनांक 11/03/2016 के बाद में किया जाना तथ्यदीक हुआ है, जिसे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में ध्वस्त कर दिया गया।
30	162	श्री शत्रुघन महेता	तरला नागल, नदी रिस्पना	तरला नागल	1	पक्का मकान	प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार अतिक्रमण/अधैय निर्माण दिनांक 11/03/2016 के बाद में किया जाना तथ्यदीक हुआ है, जिसे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में ध्वस्त कर दिया गया।
31	163	श्रीमती चन्द्रा देवी पत्नी श्री पलटन महेता	तरला नागल, नदी रिस्पना	तरला नागल	1	पक्का मकान	प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार अतिक्रमण/अधैय निर्माण दिनांक 11/03/2016 के बाद में किया जाना तथ्यदीक हुआ है, जिसे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में ध्वस्त कर दिया गया।
32	164	श्रीमती रेणु गुप्ता पत्नी श्री मुकेश गुप्ता	तरला नागल, नदी रिस्पना	तरला नागल	1	पक्का मकान	प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार अतिक्रमण/अधैय निर्माण दिनांक 11/03/2016 के बाद में किया जाना तथ्यदीक हुआ है, जिसे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में ध्वस्त कर दिया गया।
33	168	श्री वसीम पुत्र श्री मौ0 गुलजार	तरला नागल, नदी रिस्पना	तरला नागल	1	पक्का मकान	प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार अतिक्रमण/अधैय निर्माण दिनांक 11/03/2016 के बाद में किया जाना तथ्यदीक हुआ है, जिसे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में ध्वस्त कर दिया गया।
34	169	श्री रमन पंडित पुत्र श्री सुमन	तरला नागल, नदी रिस्पना	तरला नागल	1	पक्का मकान	प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार अतिक्रमण/अधैय निर्माण दिनांक 11/03/2016 के बाद में किया जाना तथ्यदीक हुआ है, जिसे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में ध्वस्त कर दिया गया।
35	186	श्री शैलेश गोड पुत्र श्री पी0पी0 गोड	काठबंगला, वीर गब्बर बस्ती, कैनाल रोड	ढोकपट्टी पुल	672	पक्का लिंटर पोश	प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार अतिक्रमण/अधैय निर्माण दिनांक 11/03/2016 के बाद में किया जाना तथ्यदीक हुआ है, जिसे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में ध्वस्त कर दिया गया।
36	188	श्री सौरभ माकिन	काठबंगला, वीर गब्बर बस्ती, कैनाल रोड	ढोकपट्टी पुल	675	टीन पोश	प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार अतिक्रमण/अधैय निर्माण दिनांक 11/03/2016 के बाद में किया जाना तथ्यदीक हुआ है, जिसे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में ध्वस्त कर दिया गया।





37	190	श्री मनोज सोनकर पुत्र श्री कुलदीप	काठबंगला, वीर गब्बर बस्ती, कैनाल रोड़	तरला नागल	291	टीन पोश	प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार अतिक्रमण/अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 के बाद में किया जाना तर्दीक हुआ है, जिसे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में ध्वस्त कर दिया गया।
38	192	श्री श्यामलाल मौर्य पुत्र श्री बाबूलाल	वीर गब्बर सिंह बस्ती	तरला नागल	291	टीन पोश	प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार अतिक्रमण/अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 के बाद में किया जाना तर्दीक हुआ है, जिसे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में ध्वस्त कर दिया गया।
39	194	श्रीमती उर्मिला देवी पत्नी श्री सुरेन्द्र	वीर गब्बर सिंह बस्ती	तरला नागल	291	टीन शेड	प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार अतिक्रमण/अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 के बाद में किया जाना तर्दीक हुआ है, जिसे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में ध्वस्त कर दिया गया।
40	211	श्री बृज किशोर पुत्र श्री कपिल देव	वीर गब्बर सिंह बस्ती	तरला नागल	289	टीन पोश	प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार अतिक्रमण/अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 के बाद में किया जाना तर्दीक हुआ है, जिसे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में ध्वस्त कर दिया गया।
41	216	हितबद्ध व्यक्ति (नाम नामालूम)	वीर गब्बर सिंह बस्ती	तरला नागल	289	टीन पोश	प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार अतिक्रमण/अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 के बाद में किया जाना तर्दीक हुआ है, जिसे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में ध्वस्त कर दिया गया।
42	220	श्रीमती फरजाना परवीन पत्नी श्री रहमदुल्ला	वीर गब्बर सिंह बस्ती	तरला नागल	291	टीन पोश	प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार अतिक्रमण/अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 के बाद में किया जाना तर्दीक हुआ है, जिसे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में ध्वस्त कर दिया गया।
43	231	श्री राम तीरर्थ मौर्य पुत्र श्री बिच्चू लाल शर्मा	वीर गब्बर सिंह बस्ती	तरला नागल	291	टीन पोश	प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार अतिक्रमण/अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 के बाद में किया जाना तर्दीक हुआ है, जिसे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में ध्वस्त कर दिया गया।
44	241	श्रीमती पिकी पत्नी श्री ब्रजेश, वीर गब्बर बस्ती, तरला नागल, देहरादून।	वीर गब्बर सिंह बस्ती	तरला नागल	291	टीन शेड पक्का	प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार अतिक्रमण/अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 के बाद में किया जाना तर्दीक हुआ है, जिसे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में ध्वस्त कर दिया गया।
45	244	श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी श्री सुरेश	वीर गब्बर सिंह बस्ती	तरला नागल	291	टीन शेड पक्का	प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार अतिक्रमण/अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 के बाद में किया जाना तर्दीक हुआ है, जिसे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में ध्वस्त कर दिया गया।
46	248	श्री रमेश पुत्र श्री अगिरे यादव	वीर गब्बर सिंह बस्ती	तरला नागल	291	टीन शेड	प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार अतिक्रमण/अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 के बाद में किया जाना तर्दीक हुआ है, जिसे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में ध्वस्त कर दिया गया।







47	252	श्री सदानन्द पुत्र श्री राम चन्द	वीर गब्बर सिंह बस्ती	तरला नागल	289	टीन पोश	प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार अधिक्रमण/अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 के बाद में किया जाना तथ्यदीक हुआ है, जिसे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में ध्वस्त कर दिया गया।
48	255	श्री राम कुवर पुत्र श्री हरी सिंह	वीर गब्बर सिंह बस्ती	तरला नागल	291	टीन पोश	प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार अधिक्रमण/अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 के बाद में किया जाना तथ्यदीक हुआ है, जिसे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में ध्वस्त कर दिया गया।
49	268	श्रीमती सोनी मसीह पत्नी श्री जितेन्द्र मसीह	वीर गब्बर सिंह बस्ती	तरला नागल	289	लिन्टर पोश	प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार अधिक्रमण/अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 के बाद में किया जाना तथ्यदीक हुआ है, जिसे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में ध्वस्त कर दिया गया।
50	270	श्रीमती सतेश्वरी पत्नी श्री मोहन सिंह	वीर गब्बर सिंह बस्ती	तरला नागल	289	टिन शेड	प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार अधिक्रमण/अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 के बाद में किया जाना तथ्यदीक हुआ है, जिसे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में ध्वस्त कर दिया गया।
51	279	श्री विमल भट्ट पुत्र श्री विष्णु	वीर गब्बर सिंह बस्ती	तरला नागल	289	पक्का लिन्टर पोश	प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार अधिक्रमण/अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 के बाद में किया जाना तथ्यदीक हुआ है, जिसे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में ध्वस्त कर दिया गया।
52	286	श्री नितिन पुत्र श्री नरेश	वीर गब्बर सिंह बस्ती	तरला नागल	289	टीन पोश	प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार अधिक्रमण/अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 के बाद में किया जाना तथ्यदीक हुआ है, जिसे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में ध्वस्त कर दिया गया।
53	287	श्रीमती मंजू पत्नी श्री सुशील	वीर गब्बर सिंह बस्ती	तरला नागल	289	टीन पोश	प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार अधिक्रमण/अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 के बाद में किया जाना तथ्यदीक हुआ है, जिसे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में ध्वस्त कर दिया गया।
54	290	श्री राजवीर पुत्र श्री राम गुलाम यादव	वीर गब्बर सिंह बस्ती	तरला नागल	289	टीन पोश	प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार अधिक्रमण/अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 के बाद में किया जाना तथ्यदीक हुआ है, जिसे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में ध्वस्त कर दिया गया।
55	301	श्रीमती सरोज पत्नी श्री रमेश	कैनाल रोड़ वीर गब्बर सिंह बस्ती	तरला नागल कैनाल रोड़	289	टीन शेड	प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार अधिक्रमण/अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 के बाद में किया जाना तथ्यदीक हुआ है, जिसे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में ध्वस्त कर दिया गया।
56	321	श्री छोटे लाल पुत्र श्री तुला राम	कैनाल रोड़ वीर गब्बर सिंह बस्ती	तरला नागल कैनाल रोड़	289	टीन शेड	प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार अधिक्रमण/अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 के बाद में किया जाना तथ्यदीक हुआ है, जिसे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में ध्वस्त कर दिया गया।

# 1965

57	322	श्री राहुल पुत्र श्री हरलाल	कैनाल रोड़ वीर गब्बर सिंह बस्ती	तरला नागल कैनाल रोड़	289	टीन शीड	प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार अतिक्रमण/अधैय निर्माण दिनांक 11/03/2016 के बाद में किया जाना तर्दीक हुआ है, जिसे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में ध्वस्त कर दिया गया।
58	330	श्री संजीव पुत्र श्री कैलाश चन्द	कैनाल रोड़ वीर गब्बर सिंह बस्ती	तरला नागल कैनाल रोड़	291	टीन पोश आवास	प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार अतिक्रमण/अधैय निर्माण दिनांक 11/03/2016 के बाद में किया जाना तर्दीक हुआ है, जिसे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में ध्वस्त कर दिया गया।
59	339	श्रीमती निर्मला पत्नी श्री प्रकाश	कैनाल रोड़ वीर गब्बर सिंह बस्ती	तरला नागल कैनाल रोड़	291	टीन पोश आवास	प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार अतिक्रमण/अधैय निर्माण दिनांक 11/03/2016 के बाद में किया जाना तर्दीक हुआ है, जिसे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में ध्वस्त कर दिया गया।
60	340	श्रीमती ममता पत्नी श्री राकेश	कैनाल रोड़ वीर गब्बर सिंह बस्ती	तरला नागल कैनाल रोड़	291	टीन पोश आवास	प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार अतिक्रमण/अधैय निर्माण दिनांक 11/03/2016 के बाद में किया जाना तर्दीक हुआ है, जिसे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में ध्वस्त कर दिया गया।
61	344	श्रीमती मीना देवी पत्नी श्री राजुलाल	कैनाल रोड़ वीर गब्बर सिंह बस्ती	तरला नागल कैनाल रोड़	291	टीन छप्पर पोश	प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार अतिक्रमण/अधैय निर्माण दिनांक 11/03/2016 के बाद में किया जाना तर्दीक हुआ है, जिसे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में ध्वस्त कर दिया गया।
62	350	श्रीमती गोवी देवी पत्नी श्री जितेन्द	कैनाल रोड़ वीर गब्बर सिंह बस्ती	तरला नागल कैनाल रोड़	291	टीन पोश आवास	प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार अतिक्रमण/अधैय निर्माण दिनांक 11/03/2016 के बाद में किया जाना तर्दीक हुआ है, जिसे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में ध्वस्त कर दिया गया।
63	354	श्री कपिल पुत्र श्री अमर सिंह	कैनाल रोड़ वीर गब्बर सिंह बस्ती	तरला नागल कैनाल रोड़	291	बाउंड्रीवाल	प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार अतिक्रमण/अधैय निर्माण दिनांक 11/03/2016 के बाद में किया जाना तर्दीक हुआ है, जिसे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में ध्वस्त कर दिया गया।
64	359	श्री जयप्रकाश बंगाल पुत्र श्री मोहन लाल बंगवाल	कैनाल रोड़ वीर गब्बर सिंह बस्ती	तरला नागल कैनाल रोड़	289	दुकान/टीन पोश	प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार अतिक्रमण/अधैय निर्माण दिनांक 11/03/2016 के बाद में किया जाना तर्दीक हुआ है, जिसे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में ध्वस्त कर दिया गया।
65	376	श्रीमती राजकुमारी पत्नी श्री रोट बहादुर	कैनाल रोड़ किशनपुर	किशनपुर	161	टीन पोश	प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार अतिक्रमण/अधैय निर्माण दिनांक 11/03/2016 के बाद में किया जाना तर्दीक हुआ है, जिसे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में ध्वस्त कर दिया गया।
66	380	श्रीमती सरोज पत्नी श्री बसंत सिंह	कैनाल रोड़ किशनपुर	किशनपुर	161	टीन पोश	प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार अतिक्रमण/अधैय निर्माण दिनांक 11/03/2016 के बाद में किया जाना तर्दीक हुआ है, जिसे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में ध्वस्त कर दिया गया।

1139  

  
 मुख्य अभियन्ता  
 10 दे 0 वि 0 प्राधि 0  
 देहरादून।

प्रेषक,

प्रमुख अभियन्ता,  
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,  
देहरादून।

सेवा में,

सचिव, शहरी विकास,  
उत्तराखण्ड शासन,  
देहरादून।

25/04  
नगर आयुक्त

पत्रांक:- 2369/प्र0अ0/सि0वि0/नि0अनु0/NGT / 417 / 2022 दिनांक: 25 अप्रैल 2025

विषय:- मा0 हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागची बनाम उत्तराखण्ड राज्य के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-287868/IV(2)-श0वि0-2025 शहरी विकास अनुभाग-2 देहरादून दिनांक 02 अप्रैल, 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयगत प्रकरण में पारित आदेश दिनांक-17.03.2025 के प्रस्तर-3 में निम्नवत वर्णित है-

"In its affidavit respondent no. 1 shall also specifically mention as to whether in view of the of the Uttarakhand Flood Plain Zoning Act, 2012 raising of any construction is permissible on the bank of river/rivulet and whether the construction in question are permissible in view of the provisions of the above said Act." के संबंध में सिंचाई विभाग का मंतव्य संलग्न तालिका में उल्लेखित कर दिया गया है।

अतः प्रश्नगत वाद में सक्षम स्तर से शपथ पत्र के रूप में सिंचाई विभाग का मंतव्य अंकित कराने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय

सुभाष चन्द्र  
प्रमुख अभियन्ता

पत्रांक:- /प्र0अ0/सि0वि0/नि0अनु0/NGT / 417 / 2022 तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम देहरादून।

संलग्न-यथोपरि।


सुभाष चन्द्र  
प्रमुख अभियन्ता

S.No.	O. A. 417/2022 Order dated 17.03.2025 Para 3 (Partly)	Response of Irrigation Department
1.	<p>In its affidavit respondent No. 1 shall also specifically mention as to whether in view of the Uttarakhand Flood Plain Zoning Act, 2012 raising of any construction is permissible on the bank of river/rivulet and whether the construction in question are permissible in view of the provisions of the above said Act</p>	<p>प्रश्नगत मूल आवेदन सं0 417/2022 के अन्तर्गत देहरादून में प्रवाहित होने वाली रिस्पना नदी से सम्बन्धित है। उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम, 2012 की धारा 08 के अन्तर्गत बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण की अनंतिम अधिसूचना सं0 941/11-2-2024-06(40)/2024 दिनांक 07.10.2024 (संलग्न) द्वारा रिस्पना नदी के दोनो तटों पर प्रतिषिद्ध एवं निर्बन्धित क्षेत्रों का निर्धारण किया जाना है। अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत अंतिम अधिसूचना के संबंध में मा10 मंत्रिमण्डल की बैठक दिनांक-15.04.2025 में प्रश्नगत अंतिम अधिसूचना को अनुमोदित किया जा चुका है, अंतिम अधिसूचना के निर्गमन की कार्यवाही शासन स्तर पर गतिमान है। अधिसूचना में प्रतिषिद्ध एवं निर्बन्धित क्षेत्रों में अनुमन्य कार्यों का विवरण निम्नानुसार प्रस्तावित किया गया है-</p> <p><b>प्रतिषिद्ध क्षेत्र-</b> तटबन्ध/बाढ़ प्रबंधन, खनन, वृक्षारोपण, कृषि, स्नानघाट निर्माण, नदी तटीय विकास, सिंचाई, पेयजल योजना, जलक्रीड़ा, जल परिवहन, सेतु, एलिवेटेड रोड कॉरिडोर के लिए नींव एवं उपसंरचना आदि से संबंधित निर्माण/गतिविधियां।</p> <p>"परन्तु राज्य सरकार अधिनियम की मूल भावना का अनुपालन करते हुए, कि नदी की धारा/प्रवाह में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो, जनहित में, प्रकरण विशेष में, उपरोक्त उल्लेखित कार्यों के साथ-साथ समान प्रकृति के अतिरिक्त अन्य कार्यों को भी करने की अनुमति राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा प्रदान कर सकेगी।"</p> <p><b>निर्बन्धित क्षेत्र-</b> पार्क, खेल का मैदान, मत्स्य पालन, कृषि आदि के संबंध में निर्माण/गतिविधियां और समय-समय पर होने वाले धार्मिक मेलों हेतु अस्थायी/स्थायी निर्माण इस प्रतिबंध के साथ अनुमन्य होंगे कि उक्त गतिविधियों द्वारा उत्सर्जित होने वाला जल-मल व ठोस अपशिष्ट का पूर्णतः समुचित प्रबंधन सुनिश्चित करते हुए उक्त का अनापत्ति प्रमाण पत्र/परीक्षण उत्तराखण्ड पेयजल निगम से कराया जाएगा, इस क्षेत्र में पूर्व से विद्यमान निर्माण, जो जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं, कि विद्यमान भू-आच्छादन 35 प्रतिशत, तल क्षेत्र अनुपात 1:5 व भवन की अधिकतम ऊंचाई 7.50 मीटर अथवा दो मंजिल की सीमा तक पुनर्निर्माण इस प्रतिबंध के साथ अनुमन्य होगा कि क्षेत्र में सीवरेज व्यवस्था उपलब्ध हो। निर्माण अनुमन्य होने की स्थिति में उच्च बाढ़ तल (High Flood Level) से भवन का न्यूनतम प्लिन्थ लेवल (Plinth Level) 1.00 मीटर होगा एवं क्षेत्र की सीवरेज व्यवस्था का समुचित प्रबंधन सुनिश्चित करने के साथ-साथ उत्तराखण्ड पेयजल निगम से परीक्षण/ अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक होगा।</p> <p>"परन्तु राज्य सरकार अधिनियम की मूल भावना का अनुपालन करते हुए, कि नदी की धारा/प्रवाह में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो, जनहित में, प्रकरण विशेष में, उपरोक्त उल्लेखित</p>

1968

		<p>कार्यों के साथ-साथ समान प्रकृति के अतिरिक्त अन्य कार्यों को भी करने की अनुमति राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा प्रदान कर सकेगी।"</p> <p>तत्संबंधी अंतिम अधिसूचना प्रकाशित होने के पश्चात् 25 वर्ष एवं 100 वर्ष बाद आवृत्ति के पिलर नदी के दोनों तटों पर स्थापित किये जायेंगे।</p> <p>उक्त के अतिरिक्त यह भी सूचनीय है कि अधिनियम की धारा 11(3) में यह भी प्रावधान है:-</p> <p>"परन्तु यह कि नदी के भराव क्षेत्र में पूर्व से अवस्थित मानवीय बस्तियों को पुनर्वासित किये जाने की व्यवस्था भी राज्य सरकार द्वारा की जायेगी।"</p>
--	--	---

  
27/5/2025

  
25/5/25

प्रमुख अभियन्ता  
सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड  
देहरादून

1969

संख्या-94/II (2)/2024-6 (40)/2024

उत्तराखण्ड शासन

सिंचाई अनुभाग एवं बाढ़ नियंत्रण अनुभाग-2

ई0 पत्रावली संख्या-76975

देहरादून, दिनांक: 07 अक्टूबर, 2024

नवालय दु० वाय० (उत्तराखण्ड)

निजी नवाय, देहरादून

संख्या.....4029.....

दिनांक.....9/10/24.....

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार जनपद देहरादून के सदर तहसील के अन्तर्गत रिस्पना नदी के तटों पर शिखर फाल से मोथरोवाला संगम तक बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण की अधिसूचना अनुसूची एक और दो में उल्लिखित बाढ़ मैदान क्षेत्र को चिन्हित कर भूमि के उपयोग हेतु प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित करने की घोषणा का आशय रखती है;

और चूंकि राज्य सरकार को ऐसे क्षेत्रों को बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर या अन्यथा बाढ़ मैदान क्षेत्रों को चिन्हित कर उनमें भूमि के उपयोग को प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित करने के आशय की घोषणा अधिसूचना द्वारा कर सकने की शक्ति है;

अतएव, अब, राज्यपाल उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम, 2012 की धारा 8 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके इस अधिसूचना के संलग्नक अनुसूची एक और दो में उल्लिखित बाढ़ मैदान क्षेत्र को चिन्हित कर, भूमि के उपयोग हेतु प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित क्षेत्रों को भूमि के उपयोग हेतु प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित करने की घोषणा सहित इन क्षेत्रों में निम्नलिखित कार्य सम्पादित किए जा सकने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र.सं. क्षेत्र अनुमन्य कार्यों का विवरण

1 प्रतिषिद्ध क्षेत्र तटबन्ध/बाढ़ प्रबन्धन, खनन, वृक्षारोपण, कृषि, स्नान घाट निर्माण, नदी तटीय विकास, सिंचाई, पेयजल योजना, जलक्रीड़ा, जल परिवहन, सेतु, एलिवेटेड रोड कॉरिडोर के लिए नींव एवं उपसंरचना आदि से सम्बन्धित निर्माण/गतिविधियां।

"परन्तु राज्य सरकार अधिनियम की मूल भावना का अनुपालन करते हुए, कि नदी की धारा/प्रवाह में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो, जनहित में, प्रकरण विशेष में, उपरोक्त उल्लिखित कार्य के साथ-साथ समान प्रकृति के अतिरिक्त अन्य कार्यों को भी करने की अनुमति राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा प्रदान कर सकेगी।"

पार्क, खेल का मैदान, मत्स्य पालन, कृषि आदि के सम्बन्ध में निर्माण/गतिविधियां और समय-समय पर होने वाले धार्मिक मेलों हेतु अस्थाई/स्थाई निर्माण इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होंगे कि उक्त गतिविधियों द्वारा उत्सर्जित होने वाला जल-मल व ठोस अपशिष्ट का पूर्णतः समुचित प्रबन्धन सुनिश्चित करते हुये उक्त का अनापत्ति प्रमाण पत्र/परीक्षण उत्तराखण्ड पेयजल निगम से कराया जायेगा, इस क्षेत्र में पूर्व से विद्यमान निर्माण, जो जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं, की विद्यमान भू-आच्छादन 35 प्रतिशत, तल क्षेत्र अनुपात 1:5 व भवन की अधिकतम ऊंचाई 7.50 मी० अथवा दो मंजिल की सीमा तक पुनर्निर्माण इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होगा कि क्षेत्र में सीवरेज व्यवस्था उपलब्ध हो। निर्माण अनुमन्य होने की स्थिति में उच्च बाढ़ तल (High Flood Level) से भवन का न्यूनतम प्लिंथ लेवल (Plinth Level) 1.00 मीटर होगा एवं क्षेत्र की सीवरेज व्यवस्था का समुचित प्रबन्धन सुनिश्चित करने के साथ-साथ उत्तराखण्ड पेयजल निगम से परीक्षण/अनापत्ति प्रमाण

Noted 2 निर्बन्धित क्षेत्र  
9/10/24  
S.S.O. (K-1)  
07-10-24

S.S.O. (K-1)  
8/10

पत्र लिया जाना आवश्यक होगा।

“परन्तु राज्य सरकार अधिनियम की मूल भावना का अनुपालन करते हुए, कि नदी की धारा/प्रवाह में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो, जनहित में, प्रकरण विशेष में, उपरोक्त उल्लिखित कार्य के साथ-साथ समान प्रकृति के अतिरिक्त अन्य कार्यों को भी करने की अनुमति राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा प्रदान कर सकेगी।”

राज्यपाल, यह भी निर्देश देते हैं कि राज्य सरकार उक्त अधिसूचना के समाचार पत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 60 दिन के भीतर हितबद्ध व्यक्तियों से आपत्तियां एवं सुझाव जिलाधिकारी/बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी, देहरादून के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को लिखित रूप में दिए जाने और उन पर सम्यक् रूप से विचार करने के पश्चात् प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित करने की घोषणा की अंतिम अधिसूचना जारी कर सकेगी।

टिप्पणी— प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित क्षेत्रों का विवरण हितबद्ध व्यक्तियों के निरीक्षण हेतु एनआईसी देहरादून एवं प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून की वेबसाइट के साथ-साथ जिलाधिकारी, देहरादून के कार्यालय में भी उपलब्ध है।

संलग्नक: यथोपरि।

(डा० आर० राजेश कुमार)  
सचिव

ई० पत्रावली संख्या-76975, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मण्डलायुक्त, गढ़वाल।
2. जिलाधिकारी/बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण प्राधिकारी, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को एक क्षेत्रीय व एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में प्रकाशित कराते हुए उपरोक्तानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।
3. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अधिसूचना से सम्बन्धित विवरण विभागीय वेबसाइट एवं NIC देहरादून की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
4. मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग (देहरादून)।
5. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग।
6. अधिशासी अभियन्ता/नोडल अधिकारी, अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड, देहरादून।
7. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर देहरादून को अधिसूचना की एक साफ्ट कापी इस आशय से प्रेषित कि वे इसे NIC देहरादून की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
8. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस आशय से प्रेषित कि अधिसूचना को साधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे०एल० शर्मा)  
संयुक्त सचिव।

२

अधिसूचना संख्या- 241/2024, ई0पत्रावली संख्या-76975, दिनांक 07 अक्टूबर, 2024

उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम-2012 के अन्तर्गत 100 वर्षीय बाढ़ आवृत्ति की सीमा में समस्त परिसम्पत्तियों के स्वामियों की पंजिका विवरण अनुसूची।

जनपद देहरादून, तहसील सदर के अन्तर्गत रिस्पना नदी के तटों पर शिखर फॉल से मोथरोवाला संगम तक।

रिस्पना नदी के बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण की निर्बन्धित (Restricted) क्षेत्रों की अनुसूची-02

क्र० सं०	ग्राम/मौजा का नाम	खसरा/गाटा संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की श्रेणी	खाता खतोनी संख्या	बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण में स्थित भूमि की माप/क्षेत्रफल (हे० में)	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	मकड़ैती	72 (ग)		1-क, स० भूमिघर	41	0.0400	
2.		72 (घ)		6.1 जलमग्न	52	0.1300	
3.		73		1. क, स० भूमिघर	41	0.0400	
4.		74 (क)		5.3.	46	0.0360	
5.		98 (घ)		5.3.	46	0.0900	
6.		162 (ख)		Non ZA		0.4000	
7.		179		Non ZA		0.2400	
8.		172 (घ)				0.2000	
9.		181		6-1,जलमग्न		0.0800	
10.		<b>Total</b>					<b>1.256</b>
1.	हतडीवाला	16		श्रेणी-15 (जलमग्न)	4 खेवट स-1	0.5200	
		<b>Total</b>				<b>0.5200</b>	
1.	वीरगीरवाली	98		श्रेणी-15-1 (जलमग्न)	खाता स-10	0.0080	
2.		106			खेवट स-1	0.0050	
3.		99		1-क स भूमिघर	16	0.0040	
		<b>Total</b>				<b>0.017</b>	
1.	केरवान करनपुर	1 (ख)	6.1 जलमग्न	6-(1)	53	0.2340	
2.		7 (ख)	6.1 जलमग्न	6-(1)	53	0.0910	
3.		371 (ख)	6.1 जलमग्न	6-(1)	53	0.0490	
4.		372	6.1 जलमग्न	6-(1)	53	0.2200	
5.		4 (क)	6.1 जलमग्न	6-(1)	53	0.1400	
6.		5 (ख)	5-3 ख जंगल झाडी	5-3 ख	50	0.1810	
7.		373 (ड)	5-3 ख जंगल झाडी	5-3 ख	50	0.0340	
8.		2	6.1 जलमग्न	6-(1)	53	0.1290	
9.		3 मि.	-	श्रेणी-1-क	30	0.0600	
10.		4 ड.	-	श्रेणी-1-क	30	0.0590	
11.		3 मि.	-	-	31	0.0910	
12.		12	-	-	26	0.1810	
13.		30	-	-	32	0.0320	
14.		31 क	-	-	14	0.0090	
15.		31 ख	-	-	26	0.0090	
16.		33	-	-	26	0.080	
17.		8 ग	-	श्रेणी-5-3 ख	50	0.3010	
18.		165	-	श्रेणी-5-3 ख	50	0.1000	
19.		<b>Total</b>				<b>2.441</b>	
1.	चालंग	1	-	6-1	469	3.000	
2.		654 क	-	5-3-ख	466	1.500	
3.		654 ख	-	1-क	139	0.2000	
4.		655 क	-	5-3-ड	470	0.0720	
5.		656	-	6-1	469	0.040	
6.		658	-	1-क	178	0.0240	

7.		659 क	-	1-क	83	0.0120	
8.		659 ख	-	01	1	0.0080	
9.		661	-	1-क	263	0.0040	
10.		662	-	01	01	0.0160	
11.		667	-	01	01	0.0192	
12.		669	-		121	0.016	
13.		670	-	1 क	263	0.0070	
14.		674	-	1 क	122	0.0070	
15.		675	-	01 श्रेणी	01	0.0060	
16.		676	-	1 क	281	0.0060	
17.		679 क	-	01 श्रेणी	01	0.0120	
18.		680 क	-	01 श्रेणी	01	0.0040	
19.		680 ग	-	1 क	128	0.0040	
20.		681 ग	-	5-3-ड	467	0.0040	
21.		682	-	1 क	121	0.0060	
22.		705	-	1 क	119	0.0640	
23.		725 क मि	-	1 क	119	0.0300	
24.		725 ख मि	-	1 क	151	0.0180	
25.		730	-	5-3-ड	467	0.0090	
26.		737	-	6-1	470	0.0320	
27.		732 क	-	6-1	469	1.760	
28.		732 ख	-	5-3-ड	467	0.0610	
29.		735	-	6-2	472	0.0400	
30.		736	-	6-1	470	0.0150	
31.		727	-	1-क	287	0.0100	
		<b>Total</b>				<b>6.417</b>	
1.	ढाकपट्टी	672		6-1-जलमग्न	690	1.7000	
2.		441		6-1-जलमग्न		0.1900	
3.		434		1-क स0 भू	80	0.01600	
4.		435		1-क स0 भू		0.0100	
5.		436		1-क स0 भू		0.0080	
6.		439		1-क स0 भू		0.1000	
7.		395		1-क स0 भू	32.	0.0100	
8.		396		NON ZA	खेवट स.-1	0.4900	
9.		440		NON ZA	खेवट स.-1	0.0320	
10.			<b>Total</b>				<b>2.556</b>
1.	तरलानागल	285 क मि		श्रेणी-6-1 जलमग्न (नदी रिस्पना)	742	4400 वर्ग मी0 (0. 4400 है0)	
			<b>Total</b>				<b>0.4400</b>
1.	किशनपुर	161 घ		6-1-जलमग्न	735	1.6800	
2.		173		5.3-ख-2	730	0.1500	
3.		211 क		5.3.5. बंजर	732	0.2260	
4.		211 ग		6.1. जलमग्न	735	0.0600	
5.		211 अ		6.1. जलमग्न	734	0.0450	
6.		211 ड		1. क. स0 भू	511	0.6320	
7.		211 घ		1. क. स0 भू	244	0.7073	
8.		211 च		1. क. स0 भू	136	0.0300	
		<b>Total</b>				<b>3.5303</b>	
1.	घोरनखास	1 मि0	-	6-1 श्रेणी	1292	2.1750	
			<b>Total</b>				<b>2.1750</b>
1.	जाखन	886		6-1-जलमग्न	881	0.9000	
2.		999		6-1-जलमग्न	881	0.5600	
3.		1121		6-1-जलमग्न	881	1.3000	
4.		1076		5-3-ड बंजर	878	0.0600	
		<b>Total</b>				<b>2.82</b>	

1.	चीडोवाली	93 क मि	-	6-2 श्रेणी	453	3.4960
2.		94	-	6-2 श्रेणी	453	0.0300
3.		95	-	6-2 श्रेणी	453	0.0160
4.		116 क	-	6-2 श्रेणी	453	0.0320
		<b>Total</b>				
1.	कण्डोली	1 इ	जलमग्न भूमि/नदी	श्रेणी-6-1	1001	2.0995
		<b>Total</b>				
1.	अघोईवाला	148 मि	-	6-2	1641	0.200 है० (लगभग)
2.			-	1-क	30	
3.		160 मि	-	6-2	1641	0.1800 (लगभग)
4.		181 क ख	-	1-क	1317	0.100 (लगभग)
5.			-	1-क	2	
6.		162 क	-		37	0.1600 (लगभग)
7.		ख	-	1-क	377	
8.		ग	-		554	
9.			-		652	
10.			-		863	
11.			-		873	
12.		-	-		1247	
13.			-		1367	
14.			-		1631	
15.			-		1054	
16.			-		1142	
17.			-		139	0.0800 (लगभग)
18.		164 क	-	1-क	345, 400	
19.			-		575, 555	
20.			-		638, 669	
21.			-		841, 1053	
22.			-		1480, 371	
23.			-		1130	
24.			-		1631	
25.		27 मि	-	6-2	1641	0.1600 (लगभग)
26.		28 मि	-		1450	0.500 (लगभग)
27.			-	1-क	357	
28.			-		780	
29.		28 मि	-	6-1 जलमग्न	1640	0.3590 (लगभग)
30.		529 मि	-	6-1 जलमग्न	1640	1.900 है० (लगभग)
31.		110 मि	-	6-2 जलमग्न	1640	2.900 है० (लगभग)
	<b>Total</b>					<b>6.539</b>
1.	डालनवाला	544 मि		श्रेणी 6-1 जलमग्न	2033 घर्मपुर	1.900 है० (लगभग)
2.		102 मि		श्रेणी 6-1 जलमग्न	58 डालनवाला	0.3200 है० (लगभग)
3.		86 मि		श्रेणी 6-1 जलमग्न	58 डालनवाला	0.500 है० (लगभग)
4.		101 मि		श्रेणी 6-1 जलमग्न	59 डालनवाला	0.100 है० (लगभग)
5.		102 मि		श्रेणी 6-1 जलमग्न	58	6.400 है० (लगभग)
6.		49 मि		श्रेणी 6-1 जलमग्न	59	0.200 है० (लगभग)
7.		2 मि		श्रेणी 6-1 जलमग्न	58	0.3200 है० (लगभग)
		<b>Total</b>				

1.	घर्मपुर	545 मि		श्रेणी 1-क	20,21,35	0.600 हे० (लगभग)
2.					41,46	
3.					47,52	
4.					68,137	
5.					160,161	
6.					162,238	
7.					243,205	
8.					361	
9.					363	
10.					459	
11.					481	
12.					5211	
13.					771	
14.					799	
15.					838	
16.					957	
17.					1010	
18.					1160	
19.					1221	
20.					1267	
21.					1321	
22.					1363	
23.					1424	
24.					1431	
25.					1717	
26.					1760	
27.					1804	
	<b>Total</b>					<b>0.600</b>
1.	अजबपुर कला-1	1700 मि	—	6 (1)	3143	1.0932
2.		1392 ख	—	6 (1)	3143	0.0900
3.		1366 क	—	6 (1)	3143	0.3516
4.		1391 क	—	जमन-15	3143	0.2700
5.		1384 क	—	6 (1)	3143	0.1260
6.		1386 क	—	6 (1)	3143	1.6500
7.		1385	—	6 (2)	3156	0.7040
8.		844	—	6 (1)	3143	0.5310
9.		1374 ख	—	6 (1)	3143	0.1280
10.		1368 क	—	6 (1)	3143	0.0300
11.		1375	—	6 (1)	3143	0.6345
12.		843 क	—	6 (1)	3143	0.7210
13.		844 क	—	6 (1)	3143	0.8800
	<b>Total</b>					<b>7.2093</b>
1.	अजबपुर कला-2	2135	—	6 (2)	3172	2.695
2.		2149	—	6 (2)	3157	0.2000
3.		2148	—	6 (2)	3157	0.0175
4.		2147	—	6 (2)	3157	0.1800
5.		2146	—	6 (2)	3157	0.0240
6.		2145	—	6 (2)	3157	0.1786
7.		2144	—	6 (2)	3157	0.0056
8.		2143	—	6 (2)	3157	0.0300
9.		1708	—	6 (1)	3143	0.0510
10.		2174	—	6 (1)	3143	1.0800
11.		1706	—	6 (1)	3143	0.1080
12.		1707	—	6 (1)	3143	0.0600
	<b>Total</b>					<b>4.6297</b>
1.	इन्द्रपुर	38/2 मि	6-(1) जलमग्न भूमि	6-(1)	144	2.7480
		<b>Total</b>				

# 1975

1.	केदारपुर	335	-	5-3 (ड)	802	0.0300
2.		337	-	6 (1)	801	4.0128
3.		338	-	5-3 (ड)	803	0.0200
4.		351	-	6 (1)	801	0.0310
5.		398	-	6 (1)	801	0.5320
6.		399	-	6 (1)	801	0.8510
7.		400	-	6 (1)	801	0.2000
8.		401	-	6 (1)	801	0.0240
9.		397	-	6 (1)	801	0.0410
			<b>Total</b>			
1.	मोथरोवाला	1239 ख	-	6 (1)	1929	0.2510
2.		1463 मि	-	6 (1) 5-3-ड	1929,1923	3.2900
3.		1240	-	1 क	210	0.1750
4.		1241	-	1 क	210	0.1050
5.		1247 ख	-	6 (1)	1929	0.5100
6.		1261 ख	-	5 (1)	1923	0.1050
7.		1263	-	5 (1)	1923	0.0960
8.		1262 ख	-	5 (1)	1923	0.1430
9.		1329 ख	-	6 (1)	1929	0.2105
10.		1328 ख	-	1 क	254	0.1320
11.		1332 मि०	-	1 क	1551	0.1550
12.		1338 मि०	-	1 क	1054	0.1120
13.		1333	-	1 क	437,1041	0.3145
14.		1335	-	1 क	1663,393	0.1540
15.		1334	-	1 क	393	0.0850
16.		1449	-	6 (1)	1929	0.2500
17.		1462	-	6 (1)	1929	0.0510
18.		1036 क	-	6 (1)	1929	0.0400
19.		1036 ख	-	5-3-ड	-	0.9900
20.		1034	-	6 (1)	1929	0.3000
21.		1005	-	6 (1)	1929	0.1200
22.		1006	-	6 (1)	1929	0.1000
23.		1007	-	6 (1)	1929	0.9100
24.		1008	-	6 (1)	1929	0.1020
25.		1004	-	6 (1)	1929	0.1200
26.		1003	-	6 (1)	1929	0.0900
27.		1002	-	6 (1)	1929	0.2509
28.		835	-	6 (1)	1929	0.0150
29.		854	-	6 (1)	1929	0.3100
30.		855	-	6 (1)	1929	0.0810
31.		852 ख	-	6 (1)	1929	0.2800
32.		857	-	6 (1)	1929	0.2010
33.		850	-	6 (1)	1929	0.0800
34.		851	-	6 (1)	1929	0.0500
35.		1264	-	6 (1)	1929	0.0410
36.		849	-	6 (1)	1929	0.0340
		<b>Total</b>				<b>10.2539</b>

(डा० आर० राजेश कुमार)  
सचिव

# 1976

अधिसूचना संख्या-941 /2024, ई0पत्रावली संख्या-76975, दिनांक 07 अक्टूबर, 2024  
उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम-2012 के अन्तर्गत 25 वर्षीय बाढ़ आवृत्ति की सीमा में समस्त  
परिसम्पतियों के स्वामियों की पंजिका विवरण अनुसूची।

जानपद देहरादून, तहसील सदर के अन्तर्गत रिस्पना नदी के तटों पर शिखर फॉल से मोथरोवाला संगम तक।  
रिस्पना नदी के बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण की प्रतिषिद्ध (Prohibited) क्षेत्रों की अनुसूची-01

क्र० सं०	ग्राम/गौजा का नाम	खरारा/गाटा संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की श्रेणी	खाता खतोनी संख्या	बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण में स्थित भूमि की माप/क्षेत्रफल (हे० में)	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	मकड़ैती	72 (ग)		1-क-स0 भूमिघर	41	0.0360	
2.		72 (घ)		जलमग्न 6.1	52	0.1200	
3.		73		1-क-स0 भूमिघर	41	0.0360	
4.		74 (क)		5.3-	46	0.0320	
5.		98 (घ)		5.3-	46	0.0820	
6.		162 (ख)		Non ZA	-	0.3800	
7.		170		Non. ZA.		0.2230	
8.		172 (घ)		Non. ZA. जलमग्न		0.1830	
9.		181		6.1 जलमग्न		0.0720	
		<b>Total</b>				<b>1.164</b>	
1.	हतडीवाला	16		श्रेणी-15 (जलमग्न)	4 खेवट स-1	0.4850	
		<b>Total</b>				<b>0.4850</b>	
1.	वीरगीरवाली	98		श्रेणी-15-1 (जलमग्न)	खाता स-10	0.0070	
2.		106		श्रेणी-15-1 (जलमग्न)	खेवट स-1	0.0040	
3.		99		1-क स भूमिघर	16	0.0040	
		<b>Total</b>				<b>0.015</b>	
1.	केरवान करनपुर	1 (ख)	6-1 जलमग्न भूमि	श्रेणी-6. (1)	53	0.2110	
2.		7 (ख)	6-1 जलमग्न भूमि	श्रेणी-6. (1)	53	0.0800	
3.		371 (ख)	6-1 जलमग्न भूमि	श्रेणी-6. (1)	53	0.0380	
4.		372	6-1 जलमग्न भूमि	श्रेणी-6. (1)	53	0.2010	
5.		4 (क)	6-1 जलमग्न भूमि	श्रेणी-6. (1)	53	0.1300	
6.		5 (ख)	5-3 ख जंगल झाडी	(5-3 ख)	50	0.1710	
7.		373 (ड)	5-3 ख जंगल झाडी	(5-3 ख)	50	0.0290	
8.		2	6-1 जलमग्न भूमि	श्रेणी-6. (1)	53	0.1290	
9.		3 मि.	-	श्रेणी-1-क	30	0.0600	
10.		4 ड.	-	श्रेणी-1-क	30	0.0590	
11.		3 मि.	-	श्रेणी-1-क	31	0.0810	
12.		12	-	श्रेणी-1-क	26	0.1780	
13.		30	-	श्रेणी-1-क	32	0.0320	
14.		31 क	-	श्रेणी-1-क	14	0.0060	
15.		31 ख	-	श्रेणी-1-क	26	0.0060	
16.		33	-	श्रेणी-1-क	26	0.0080	
17.		8 ग	-	श्रेणी-5-3 (ख)	50	0.2700	
18.		165	-	श्रेणी-5-3 (ख)	50	0.0930	
		<b>Total</b>				<b>1.782</b>	

1.	चालंग	1	-	6-1	469	2.800
2.		654 क	-	5-3-ख	466	1.300
3.		654 ख	-	1-क	139	0.1850
4.		655 क	-	5-3-ड	470	0.0650
5.		656	-	6-1	469	0.0320
6.		658	-	1-क	178	0.0200
7.		659 क	-	1-क	83	0.0100
8.		659 ख	-	01	1	0.0060
9.		661	-	1-क	263	0.0030
10.		662	-	01	01	0.0140
11.		667	-	01	01	0.0160
12.		669	-		121	0.0140
13.		670	-	1 क	263	0.0060
14.		674	-	1 क	122	0.0060
15.		675	-	01 श्रेणी	01	0.0050
16.		676	-	1 क	281	0.0050
17.		679 क	-	01 श्रेणी	01	0.0100
18.		680 क	-	01 श्रेणी	01	0.0030
19.		680 ग	-	1 क	128	0.0030
20.		681 ग	-	5-3-ड	467	0.0030
21.		682	-	1 क	121	0.0050
22.		705	-	1 क	119	0.0580
23.		725 क मि	-	1 क	119	0.0260
24.		725 ख मि	-	1 क	151	0.0150
25.		730	-	5-3-ड	467	0.0070
26.		737	-	6-1	470	0.0300
27.		732 क	-	6-1	469	1.660
28.		732 ख	-	5-3-ड	467	0.0580
29.		735	-	6-2	472	0.0380
30.		736	-	6-1	470	0.0140
31.		727	-	1-क	287	0.0080
		<b>Total</b>				7.0062
1.	ढाकपट्टी	672		6-1-जलमग्न	690	1.6800
2.		441		6-1-जलमग्न		0.1830
3.		434		1-क स0 भूमिघर	80	0.0150
4.		435		1-क स0 भूमिघर		0.0090
5.		436		1-क स0 भूमिघर		0.0075
6.		439		1-क स0 भूमिघर		0.0960
7.		395		1-क स0 भूमिघर	32.	0.0060
8.		396		NON ZA	खेवट स.-1	0.4800
9.		440		NON ZA	खेवट स.-1	0.0300
		<b>Total</b>				2.5065
1.	तरलानागल	285 क मि		श्रेणी-6-1 जलमग्न (नदी रिस्पना)	742	4136 वर्ग मी0 (0. 4136 है0)
		<b>Total</b>				<b>0.4136</b>
1.	किशनपुर	161 च		6-1-जलमग्न	735	1.6300
2.		173		5.3. ख-2	730	0.1400
3.		211 क		5.3.5. बंजर	732	0.2200
4.		211 ग		6-1-जलमग्न	735	0.0570
5.		211 अ		6-1-जलमग्न	734	0.0410
6.		211 ड		1. क. स0 भूमिघर	511	0.6120
7.		211 घ		1. क. स0 भूमिघर	244	0.7000
8.		211 च		1. क. स0 भूमिघर	136	0.0280
		<b>Total</b>				3.428

1978

The image shows a page from a handwritten ledger or account book for the year 1978. The page is oriented vertically but appears to be a horizontal sheet of paper rotated 90 degrees clockwise. It is filled with dense, handwritten text in a South Asian script, likely Devanagari. The text is organized into columns, suggesting a structured record-keeping system. There are several small white squares or marks scattered across the page, possibly indicating specific entries or corrections. The overall appearance is that of a well-used, detailed record book.



4.		544 मि	-	1-6 जलमग्न	2033 धर्मपुर	1.7500 है०	
5.		102 मि	-	1-6 जलमग्न	2033 धर्मपुर	2.5500 है०	
6.		86 मि	-	1-6 जलमग्न	58 डालनवाला		
7.		101 मि	-	6-1 जलमग्न	58 डालनवाला	0.4500 है०	
8.					59 डालनवाला	0.800 है०	
9.		<b>Total</b>				<b>12.12</b>	
1.	धर्मपुर	545 मि		श्रेणी 1-क	20,21,35	0.5500 है० (लगभग)	
2.					41,46		
3.						47,52	
4.						68,137	
5.						160,161	
6.						162,238	
7.						243,205	
8.						361	
9.						363	
10.						459	
11.						481	
12.						5211	
13.						771	
14.						1010	
15.						1160	
16.						1221	
17.						1267	
18.						1321	
19.						1363	
20.						1424	
21.						1431	
22.						1717	
23.						1760	
24.						1804	
		<b>Total</b>				<b>0.5500</b>	
1.	अजबपुर कला-1	1700 मि	-	6 (1)	3143	1.0010	
2.		1392 ख	-	6 (1)	3143	0.0850	
3.		1366 क	-	6 (1)	3143	0.3410	
4.		1391 क	-	जमन-15	3143	0.2630	
5.		1384 क	-	6 (1)	3143	0.1200	
6.		1386 क	-	6 (1)	3143	1.6001	
7.		1385	-	6 (2)	3156	0.7000	
8.		844	-	6 (1)	3143	0.5100	
9.		1374 ख	-	6 (1)	3143	0.1200	
10.		1368 क	-	6 (1)	3143	0.0100	
11.		1375	-	6 (1)	3143	0.6300	
12.		843 क	-	6 (1)	3143	0.6210	
13.		844 क	-	6 (1)	3143	0.8100	
14.			<b>Total</b>				<b>6.2441</b>

# 1980

2.	अजबपुर कला-2	2135	-	6 (2)	3172	2.5950
3.		2149	-	6 (2)	3157	0.1630
4.		2148	-	6 (2)	3157	0.0100
5.		2147	-	6 (2)	3157	0.1570
6.		2146	-	6 (2)	3157	0.0230
7.		2145	-	6 (2)	3157	0.1700
8.		2144	-	6 (2)	3157	0.0010
9.		2143	-	6 (2)	3157	0.0210
10.		1708	-	6 (1)	3143	0.0410
11.		2174	-	6 (1)	3143	1.1200
12.		1706	-	6 (1)	3143	0.0910
			1707	-	6 (1)	3143
		<b>Total</b>				<b>4.424</b>
1.	इन्द्रपुर	38/2 मि	6-(1) जलमग्न भूमि	6-(1)	144	2.7480
		<b>Total</b>				<b>2.7480</b>
1.	केदारपुर	335	-	5-3 (ड)	802	0.0210
2.		337	-	6 (1)	801	4.0000
3.		338	-	5-3 (ड)	803	0.0120
4.		351	-	6 (1)	801	0.0200
5.		398	-	6 (1)	801	0.5300
6.		399	-	6 (1)	801	0.8100
7.		400	-	6 (1)	801	0.1600
8.		401	-	6 (1)	801	0.0100
9.		397	-	6 (1)	801	0.0400
		<b>Total</b>				<b>5.6030</b>
1.	मोथरोवाला	1239 ख	-	6 (1)	1929	0.2000
2.		1463 मि	-	6 (1) 5-3-ड	1929,1923	3.016
3.		1240	-	1 क	210	0.1600
4.		1241	-	1 क	210	0.0480
5.		1247 ख	-	6 (1)	1929	0.0400
6.		1261 ख	-	5 (1)	1923	0.0500
7.		1263	-	5 (1)	1923	0.0640
8.		1262 ख	-	5 (1)	1923	0.0470
9.		1329 ख	-	6 (1)	1929	0.1340
10.		1328 ख	-	1 क	254	0.0720
11.		1332 मि0	-	1 क	1551	0.1080
12.		1338 मि0	-	1 क	1054	0.1000
13.		1333	-	1 क	437,1041	0.2845
14.		1335	-	1 क	1663,393	0.1410
15.		1334	-	1 क	393	0.080
16.		1449	-	6 (1)	1929	0.2500
17.		1462	-	6 (1)	1929	0.0300
18.		1036 क	-	6 (1)	1929	0.0400
19.		1036 ख	-	5-3-ड	-	0.9700
20.		1034	-	6 (1)	1929	0.3000

1981

21.	1005	-	6 (1)	1929	0.1200	
22.	1006	-	6 (1)	1929	0.0900	
23.	1007	-	6 (1)	1929	0.0800	
24.	1008	-	6 (1)	1929	0.0500	
25.	1004	-	6 (1)	1929	0.1200	
26.	1003	-	6 (1)	1929	0.0900	
27.	1002	-	6 (1)	1929	0.2500	
28.	835	-	6 (1)	1929	0.0150	
29.	854	-	6 (1)	1929	0.0120	
30.	855	-	6 (1)	1929	0.0600	
31.	852 ख	-	6 (1)	1929	0.2200	
32.	857	-	6 (1)	1929	0.1600	
33.	850	-	6 (1)	1929	0.0650	
34.	851	-	6 (1)	1929	0.0450	
35.	1264	-	6 (1)	1929	0.0410	
36.	849	-	6 (1)	1929	0.0340	
	<b>Total</b>				<b>7.5865</b>	

  
(डा० आर० राजेश कुमार),  
सचिव।  


292768  
संख्या- / IV(2)-श0वि0-2025 (ई0फा0-83013) 12/11/25  
मा0 एन0जी0टी0 प्रकरण  
22.7.C

प्रेषक,

प्रदीप कुमार शुक्ल,  
उप सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

नगर आयुक्त,  
नगर निगम, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक: 28 अप्रैल, 2025

विषय: मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या: 417/2022 निरंजन बागची बनाम उत्तराखण्ड राज्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या: 417/2022 निरंजन बागची बनाम राज्य एवं अन्य का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त मूल आवेदन में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दिनांक 17.03.2025 को सुनवाई करते हुए प्रतिपक्षी संख्या-1, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को सुनवाई की अगली तिथि दिनांक 06.05.2025 से पूर्व प्रत्युत्तर शपथ पत्र के माध्यम से दाखिल करने के निर्देश दिये हैं।

2- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 17.03.2025 के क्रम में प्रतिपक्षी संख्या-1, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की ओर से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में शपथ पत्र दाखिल करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है। कृपया उक्तानुसार मा0 अधिकरण में ससमय शपथ पत्र दाखिल कराते हुए, कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय

Digitally signed by  
PRADEEP KUMAR SHUKLA  
(प्रदीप कुमार शुक्ल)  
Date: 26-04-2025  
13:55:11

292768  
संख्या- / IV(2)-श0वि0-2025, तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
2. वरिष्ठ निजी सचिव, सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. सुश्री अंजलि राजपूत, एडवोकेट ऑर रिकॉर्ड, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली।

प्रदीप कुमार शुक्ल  
उप सचिव।